

सूरतुल बकरह

तम्हीदी कलिमात

कुरान हकीम की पहली सूरत सूरतुल फ़ातिहा है, जिसका मुतअला हम कर चुके हैं। यह बात आपके सामने आ चुकी है कि यह वह पहली सूरत है जो रसूल अल्लाह ﷺ पर पूरी की पूरी नाज़िल हुई। इससे पहले सिर्फ़ मुतफर्रिक (विभिन्न) आयात नाज़िल हुई थीं। यानि सूरतुल अलक़, सूरतुल क़लम, सूरतुल मुज़म्मिल और सूरतुल मुदस्सिर की इब्तदाई (शुरुआती) आयात।

यह बात भी आपके सामने आ चुकी है कि कुरान हकीम में मक्की और मदनी सूरतों के मजमुओं (जोड़ों) के ऐतबार से भी सात ग्रुप हैं। पहला ग्रुप वह है जिसका हम सूरतुल फ़ातिहा से आगाज़ कर चुके हैं। इस ग्रुप में जो मक्की सूरत है वह सिर्फ़ सूरतुल फ़ातिहा है। यह हुज़्म (मात्रा) के ऐतबार से बहुत छोटी लेकिन अपने मक़ाम व मरतबा और फज़ीलत के ऐतबार से बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि इसे “अल-कुरानुल अज़ीम” भी कहा गया है। गोया यह अपनी जगह पर खुद एक अज़ीम कुरान है। इसके बाद मदनी सूरतें चार हैं। यह तवील तरीन मदनी सूरतें हैं और दो-दो सूरतों के दो जोड़ों पर मुश्तमिल हैं। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुरान हकीम की अक्सर सूरतें जोड़ों की शक़ल में हैं, जबकि कुछ मुन्फ़रिद (अकेली) भी हैं। सूरतुल फ़ातिहा मुन्फ़रिद है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, अगरचे उसकी मानवी मुनासबत कुरान मजीद की आखरी सूरत सूरतुनास के साथ जोड़ी जाती है, लेकिन बहरहाल उसका जोड़ा सूरतुल फ़लक़ है। **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** और **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** दोनों सूरतों पर मुश्तमिल एक जोड़ा है, लिहाज़ा सूरतुल फ़ातिहा का कोई जोड़ा नहीं है, या हम यह कह सकते हैं कि पूरा कुरआन ही उसका जोड़ा है।

सूरतुल फ़ातिहा के बाद जो चार सूरतें हैं यह जोड़ों की शक़ल में हैं। सूरतुल बकरह और सूरह आले इमरान एक जोड़ा है जबकि सूरतुन्निसा और सूरतुल मायदा दूसरा जोड़ा है। इसकी सबसे नुमाया अलामत यह है कि सूरतुल बकरह और सूरह आले इमरान दोनों का आगाज़ हर्फ़े मुक़त्तआत “الم” से होता है, जबकि सूरतुन्निसा और सूरतुल मायदा दोनों में बग़ैर किसी तम्हीदी के गुफ्तुगू शुरु हो जाती है। सूरतुन्निसा का आगाज़ होता है: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي**

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} और सूरतुल मायदा शुरु होती है: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** {يَس}। पहले कोई तम्हीदी बात नहीं की गयी।

सूरतुल बकरह और सूरह आले इमरान का यह जो जोड़ा है, इन दोनों को रसूल अल्लाह ﷺ ने “अज़्ज़हरावैन” का नाम अता फरमाया है। “ज़हरा” का मतलब है बहुत ताबनाक, रोशन। यह लफज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ि० के नाम का जुज़ (हिस्सा) बन चुका है और उन्हें फ़ातिमातुज़्ज़हरा कहा जाता है। रसूल अल्लाह ﷺ की लख्ते जिगर, नूरे चश्म हज़रत फ़ातिमा बहुत ही रोशन चेहरे वाली ख़ातून थीं। हज़ूर ﷺ के अल्फ़ाज़ के मुताबिक़ सूरतुल बकरह और सूरह आले इमरान “अज़्ज़हरावैन” यानि दो इन्तहाई ताबनाक और रोशन सूरतें हैं। इसी तरह कुरान मजीद की आखरी दो सूरतों को “मुअव्वज़ातैन” का नाम दिया गया है।

पहले ग्रुप की इन मदनी सूरतों के मज़ामीन के बारे में जान लीजिये कि दो मज़मून हैं जो इनमें मुतवाज़ी (समानांतर) चलते हैं। पहला मज़मून शरीअते इस्लामी का है। इसलिये कि इससे पहले तक़रीबन दो तिहाई कुरान नाज़िल हो चुका है। सूरतुल बकरह पहली मदनी सूरत है, इससे पहले ज़मानी ऐतबार से पूरा मक्की कुरान नाज़िल हो चुका था, अगरचे तरतीब में वह बाद में आयेगा। उसमें शरीअत के अहकाम नहीं थे। लिहाज़ा अब जबकि मदीना में मुस्लमानों का एक आज़ाद मआशरा कायम हो गया, या यूँ कह लीजिये कि मुस्लमानों की एक छोटी सी हुकूमत कायम हो गयी, जहाँ अपने क़वाइद, अपने क़वानीन, अपने उसूलों के मुताबिक़ सारे मामलात तय किये जा सकते थे, तब शरीअत का नुज़ूल शुरु हुआ। सूरतुल बकरह में यूँ समझिये कि अहकामे शरीअत की इब्तदा होती है। कोई भी तामीर करनी हो तो पहले उसका इब्तदाई ख़ाका बनता है, उसके बाद उसके तफ़्सीली नक्शे बनते हैं। तो इब्तदाई ख़ाका जो है शरीअते मुहम्मदी अला सहाबाहुस्सलातु वस्सलाम का वह सूरतुल बकरह में है। फिर सूरतुन्निसा में इसके अन्दर मज़ीद इज़ाफ़ा होता है, और सूरतुल मायदा में शरीअत के तक़मीली अहकाम आते हैं। चुनाँचे सूरतुल मायदा तक़मीले शरीअत की सूरत है। इसी में वह आयत है (आयत:3): **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** {

وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

दूसरा मज़मून जो इन सूरतों में चलता है वह है अहले किताब से ख़िताब। मक्की कुरान में सारा ख़िताब मुशरिकीन से था, यानि अरब के वो लोग जो मक्का

में और उसके इर्द-गिर्द आबाद थे। वहाँ कोई यहूदी या कोई नसरानी नहीं था, सब के सब मुशरिकीने अरब थे। तो पूरे मक्की कुरान में उन्हीं से रहो क़दाह है, गुफ्तुगू है, बहस व नज़ाअ है, उनके ऐतराज़ात के जवाबात हैं और उन पर इत्मा में हुज्जत किया गया है। अगरचे अहले किताब का तज़किरा हवाले के तौर पर मौजूद है, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलै० का ज़िक्र मौजूद है, लेकिन बनी इसराइल से, यहूदियों से, या नसारा से कोई खिताब नहीं हुआ। उनसे खिताब मदीना में आकर शुरू हुआ है, क्योंकि वहाँ यहूदी आबाद थे। मदीना में यहूद के तीन मज़बूत क़बीले मौजूद थे। तो यह हैं दो बुनियादी मज़मून इस पहले गुप के। इनमें आपको एक और तक्रसीम नज़र आ जायेगी कि अहले किताब में से जिनसे “या बनी इसराइल” के अल्फ़ाज़ से खिताब हो रहा है यानि यहूद, उनसे सारी गुफ्तुगू सूरतुल बक्ररह में है, जबकि जो नसारा हैं उनसे गुफ्तुगू सूरह आले इमरान में है।

सूरतुल बक्ररह की अहमियत व फज़ीलत का अन्दाज़ा इससे भी होता है कि इसे हुज़ूर ﷺ ने कुरान मजीद का ज़रवा-ए-सनाम यानि क्लाइमैक्स (Climax) करार दिया है। हदीस के अल्फ़ाज़ हैं: ((الْبَقْرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَ ذُرْوَتُهُ)) (मसनद अहमद)। हुज्म के ऐतबार से भी कुरान की सबसे बड़ी सूरत यही है, 286 आयात पर मुशतमिल ढाई पारों पर फैली हुई है।

सूरतुल बक्ररह को दो हिस्सों में तक्रसीम किया जा सकता है और इस ऐतबार से मैंने इसका एक नाम तजवीज़ किया है “सूरतुल उम्मातैन” यानि दो उम्मतों की सूरत। इसके निस्फ़े अब्बल में असल रूप सुखन उम्मत साबिक यहूद की तरह है, जो उस वक़्त तक अल्लाह के नुमाइन्दा थे और ज़मीन पर वही उम्मते मुस्लिमा की हैसियत रखते थे। लेकिन उन्होंने अपनी बदआमाली की वजह से अपने आपको उस मक़ाम का नाअहल साबित किया, लिहाज़ा वह माज़ूल (बेदखल) किये गये और एक नयी उम्मत उम्मते मुहम्मद ﷺ उस मक़ाम पर फाइज़ की (रखी) गयी। तो निस्फ़े अब्बल में साबित उम्मत से गुफ्तुगू है और उन पर गोया फर्दे जुर्म आइद की (लगाई) गयी है कि तुमने यह किया, यह किया और यह किया। हमने तुम पर यह अहसानात किये, हमने यह भलाईयाँ कीं, तुम्हारे ऊपर हमारी यह रहमतें हुई, लेकिन तुम्हारा तर्ज़े अमल यह है, जिसकी बिना पर अब तुम माज़ूल किये जा रहे हो। यह मज़मून है पहले निस्फ़े का। और अब जो दूसरी उम्मत क़ायम हुई है यानि उम्मते मुहम्मद ﷺ, उससे खिताब है निस्फ़े सानी के अन्दर। तो इसकी यह तरतीब ज़हन में रखिये।

पहला हिस्सा अट्टारह रूक़ों पर मुशतमिल है और उसकी आयात की तादाद 152 है। जबकि दूसरा हिस्सा बाईस रूक़ों पर मुशतमिल है, लेकिन तादाद आयात 134 हैं। इस तरह यह दोनों हिस्से तक्ररीबन बराबर बन जाते हैं।

निस्फ़े अब्बल के जो अट्टारह रूक़ हैं उनको भी तीन हिस्सों में तक्रसीम कर लीजिये। पहले चार रूक़ तम्हीदी हैं। फिर दस रूक़ों में बनी इसराइल से खिताब है। फिर चार रूक़ तहवीली हैं। तम्हीदी रूक़ों में से पहले दो रूक़ों में तीन क्रिस्म के इन्सानों की एक तक्रसीम बयान कर दी गयी जो दुनिया में हमेशा पाये जायेंगे। जब भी कोई नयी दावत आयेगी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसे तहे दिल से कुबूल करेंगे और उसके लिये “हरचे बादाबाद मा कश्ती दराब अन्दाखतीम” के मिस्दाक़ सब कुछ करने को तैयार हो जायेंगे। कुछ लोग वह होंगे जो उसकी मुख़ालफ़त पर अब्बल रोज़ से कमर कस लेंगे और उसे हरगिज़ नहीं मानेंगे। और कुछ वह होंगे जो बैन-बैन (बीच में) रहेंगे। उनका तर्ज़े अमल यह रहेगा कि बात कुछ अच्छी लगती भी है लेकिन इसके लिये कुर्बानी देनी कठिन है, इसके तक्राज़े बड़े मुशिकल हैं। बात अच्छी है कुबूल भी करते हैं, लेकिन अमालन उसके तक्राज़े पूरे नहीं करते। उनके लिये सूरतुन्निसा (आयत:143) में {لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} के अल्फ़ाज़ आये हैं। यह तफ़सील पहले दो रूक़ों में आयी है।

इसके बाद दूसरे दो रूक़ों में गोया मक्की कुरान का खुलासा आ गया है। एक रूक़ में कुरान मजीद की दावत का खुलासा और एक रूक़ में कुरान मजीद का फ़लसफ़ा बयान कर दिया गया। यह मज़ामीन असल में मक्की सूरतों के हैं और वहाँ तफ़सील से ज़ेरे बहस आ चुके हैं। सूरतुल बक्ररह के नुज़ूल से पहले इन मज़ामीन पर बहुत मुफ़स्सल (विस्तृत) बहस हो चुकी हैं, लेकिन चूँकि हिकमते खुदावन्दी में इस मुसहफ़ की तरतीब में सबसे पहले सूरतुल बक्ररह है, लिहाज़ा सूरतुल बक्ररह में इन मज़ामीन का खुलासा दर्ज कर दिया गया, ताकि आगे बढ़ने से पहले वह मज़ामीन ज़हन नशीन कर लिये जायें।

अब बिस्मिल्लाह करके हम सूरतुल बक्ररह के मुताअले का आगाज़ कर रहे हैं।

आयात 1 से 7 तक

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَ مَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْبٰغِيْضُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ ۙ وَ عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غَشٰوَةٌ ۙ وَ لَهُمْ عَذٰبٌ عَظِيْمٌ ۝

“अलिफ़, लाम, मीम।”

الْم ۝

यह हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं जिनके बारे में यह जान लीजिये कि इनके हकीक़ी, हतमी (निश्चित) और यक़ीनी मफ़हूम को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के। यह एक राज़ है अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के माबैन (बीच)। हुरूफ़े मुक़त्तआत के बारे में अगरचे बहुत सी आरा (राय) ज़ाहिर की गयी हैं, लेकिन उनमें से कोई शय रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से मनकूल नहीं है। अलबत्ता यह बात साबित है कि इस तरह के हुरूफ़े मुक़त्तआत का कलाम में इस्तेमाल अरब में मारूफ़ था, इसलिये किसी ने इन पर ऐतराज़ नहीं किया। कुरान मजीद की 114 में से 29 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ हुरूफ़े मुक़त्तआत से हुआ है। सूरह क़ाफ़, सूरतुल क़लम और सूरह सुआद के आगाज़ में एक-एक हर्फ़ है। हा मीम, ताहा और यासीन दो-दो हर्फ़ हैं। अलिफ़ लाम मीम और अलिफ़ लाम रा तीन-तीन हुरूफ़ हैं जो कई सूरतों के आगाज़ में आये हैं। अलिफ़ लाम

मी सुआद और अलिफ़ लाम मीम रा चार-चार हुरूफ़ हैं। हुरूफ़े मुक़त्तआत में ज़्यादा से ज़्यादा पाँच हुरूफ़ एकजा (इकट्ठे) आते हैं। चुनाँचे काफ़ हा या अैन सुआद सूरह मरयम के आगाज़ में और हा मीम अैन सीन क़ाफ़ सूरतुल शौरा के आगाज़ में आये हैं। इनके बारे में इस वक़्त मुझे इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ नहीं करना है। अपने मुफ़स्सल दर्से कुरान में मैंने इन पर तफ़सील से बहस की है।

आयत 2

“यह अल किताब है, इसमें कुछ शक नहीं।”
या “यह वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं।”

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۙ

आयत के इस टुकड़े के दो तर्जुमे हो सकते हैं। पहले तर्जुमे की रू से यह है वह किताबे मौऊद (वादा की हुई) जिसकी ख़बर दी गयी थी कि नबी आखिरज़्जमाँ صلی اللہ علیہ وسلم आयेंगे और उनको हम एक किताब देंगे। यह गोया हवाला है मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के बारे में पेशनगोईयों की तरफ़ कि जो तौरात में मौजूद थीं। आज भी “किताब मुक़द्दस” की किताबे इस्तसना (Deuteronomy) के अट्टाहरवें बाब के अट्टाहरवीं आयत के अन्दर यह अल्फ़ाज़ मौजूद हैं कि: “मैं इन (बनी इसराइल) के लिये इनके भाईयों (बनी इस्माइल) में से तेरी मानिन्द एक नबी बरपा करूँगा और अपना कलाम उसके मुँह में डालूँगा और जो कुछ मैं उसे हुक़म दूँगा वही वह उनसे कहेगा।” तो यह बाइबल में हज़रत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की पेशनगोईयाँ थीं। आगे चल कर सूरतुल आराफ़ में हम इसे तफ़सील से पढ़ भी लेंगे। यहाँ इस बात की तरफ़ इशारा हो रहा है कि यही वह किताबे मौऊद है कि जो नाज़िल कर दी गयी है मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم पर। इसमें किसी शक व शुबह की गुन्जाईश नहीं है। इसमें हर शय अपनी जगह पर यक़ीनी है, हतमी है, अटल है, और यह दुनिया की वाहिद किताब है जो यह दावा लेकर उठी है कि इसमें कोई शक व शुबह नहीं। जो किताबें आसमानी कहलायी जाती हैं उनके अन्दर भी यह दावा कहीं मौजूद नहीं है, इन्सान की किताबों में तो इसका सवाल ही नहीं है। अल्लामा इक़बाल जैसे नाबगह अस्त्र (समकालीन प्रतिभाशाली) फ़लसफ़ी भी अपने लेक्चर्स की तम्हीद में लिखते हैं कि मैं यह नहीं कह सकता कि जो कुछ मैंने कहा है वह सब सही है, हो सकता है जैसे-जैसे इल्म आगे बढ़े मज़ीद नयी बातें सामने आयें। लेकिन कुरान का दावा है कि ۙ

“इसमें किसी शक व शुबह की गुंजाईश नहीं है।” पहले तर्जुमे की रू से “ذَلِكَ الْكِتَابُ” एक जुम्ला मुकम्मल हो गया और “لَا رَيْبَ فِيهِ” दूसरा जुम्ला है। जबकि दूसरे तर्जुमे की रू से “ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ” मुकम्मल जुम्ला है। यानि “यह वह किताब है जिसमें किसी शक व शुबह की गुंजाईश नहीं है।”

“हिदायत है परहेजगारों के लिये।”

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ①

यानि उन लोगों के लिये जो बचना चाहें। तक्रवा का लफ्ज़ी मायना है बचना। “وَفِي بَيْتِي” का मफ़हूम है “किसी को बचाना” जबकि तक्रवा का मायना है खुद बचना। यानि कज रवी से बचना, गलत रवी से बचना और इफ़रात व तफ़रीत (inflation & deflation) के धोखों से बचना। जिन लोगों के अन्दर फ़ितरते सलीमा होती है उनके अन्दर यह अख़्लाकी हिस्स (भावना) मौजूद होती है कि वह भलाई को हासिल करना चाहते हैं और हर बुरी चीज़ से बचना चाहते हैं। यहीं लोग हैं जो कुरान मजीद के असल मुख़ातिबीन (श्रोता) हैं। गोया जिसके अन्दर भी बचने की ख़्वाहिश है उसके लिये यह किताब हिदायत है। सूरतुल फ़ातिहा में हमारी फ़ितरत की तर्जुमानी की गयी थी और हमसे यह कहलवाया गया था: {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} “(ऐ परवरदिगार!) हमें सीधे रास्ते की हिदायत बख़्शा।” आयत ज़ेरे मुतआला गोया इसका जवाब है: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} रू लो वह किताब मौजूद है कि जिसमें किसी शक व शुबह की गुंजाईश नहीं है और यह उन तमाम लोगों के लिये हिदायत के तक्राज़ों के ऐतबार से किफ़ायत करती है जिनमें गलत रवी से बचने की ख़्वाहिश मौजूद है।

वह लोग कौन हैं? अब यहाँ देखिये तावीले खास का मामला आ जायेगा कि उस वक़्त रसूल अल्लाह ﷺ की तेरह बरस की मेहनत के नतीजे में मुहाजरीन व अन्सार की एक जमात वजूद में आ गयी थी, जिसमें हज़राते अबुबक्र, उमर, उस्मान, अली, तल्हा, जुबैर, साद बिन उबादह और साद इब्ने मुआज़ (रज़िअल्लाहु अन्हुम) जैसे नफ़ूसे कुदसिया शामिल थे। तो गोया इशारा करके दिखाया जा रहा है कि देखो यह वो लोग हैं, देख लो इनमें क्या औसाफ़ (गुण) हैं।

आयत 3

“जो ईमान रखते हैं गैब पर”

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

यह मुत्तक़ीन के औसाफ़ में से पहला वसफ़ (गुण) है। वह यह नहीं समझते कि बस जो कुछ हमारी आँखों से नज़र आ रहा है, हवासे ख़म्सा (Five senses) की ज़द में है बस वही कुल हक़ीक़त है। नहीं! असल हक़ीक़त तो हमारे हवास की सरहदों से बहुत परे वाक़ेअ हुई है।

हिदायते कुरानी का नुक्ता-ए-आगाज़ यह है कि इन्सान यह समझ ले कि जो असल हक़ीक़त है वह उसकी निगाहों से मुस्तविर (छुपी) है। इन्गलिस्तान के बहुत बड़े फ़लसफ़ी ब्रेडले (Bradley) की किताब का उन्वान है: “Appearance and Reality”। उसने लिखा है कि जो कुछ नज़र आ रहा है यह हक़ीक़त नहीं है, हक़ीक़त इसके पीछे है, कन्फ़यूसिस (551 से 479 ई०पू०) चीन का बहुत बड़ा हकीम और फ़लसफ़ी था, उसकी तालीमात में अख़्लाकी रंग बहुत नुमाया था। उसका एक जुम्ला है:

There is nothing more real than what can not be seen; and there is nothing more certain than what can not be heard.

यानि वह हक़ाइक़ जो आँखों से देखे नहीं जा सकते और कानों से सुने नहीं जा सकते उनसे ज़्यादा यक़ीनी और वाक़ई हक़ाइक़ कोई और नहीं हैं।

“और नमाज़ कायम करते हैं”

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

अल्लाह के साथ अपना एक ज़हनी व क़ल्बी और रूहानी रिश्ता इस्तवार (मज़बूत) करने के लिये नमाज़ कायम करते हैं।

“और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं।”

وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ②

यानि ख़ैर में, भलाई में, नेकी में, लोगों की तकालीफ़ दूर करने में और अल्लाह के दीन की सरबुलन्दी के लिये, अल्लाह तआला की रज़ाजोई के लिये अपना माल खर्च करते हैं।

आयत 4

“और जो ईमान रखते हैं उस पर भी जो (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आपकी तरफ़ नाज़िल किया गया है।”

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

“और उस पर भी (ईमान रखते हैं) जो आप (صلی اللہ علیہ وسلم) से पहले नाज़िल किया गया।”

وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

यह बहुत अहम अल्फ़ाज़ हैं। आम तौर पर आज कल हमारे यहाँ यह ख्याल फैला हुआ है कि साबक़ा आसमानी किताब तौरात और इन्जील वगैरह के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। “कोई ज़रूरत नहीं” की हद तक तो शायद बात सही हो, लेकिन “कोई फ़ायदा नहीं” वाली बात बिल्कुल गलत है। देखिये कुरान के आगाज़ ही में किस क्रदर अहतमाम के साथ कहा जा रहा है कि ईमान सिर्फ़ कुरान पर ही नहीं, उस पर भी ज़रूरी है जो इससे पहले नाज़िल किया गया। सूरतुन्निसा कोई छः हिजरी में जाकर नाज़िल हुई है, और इसकी आयत 136 के अल्फ़ाज़ मुलाहिज़ा कीजिये:

“ऐ लोगो जो ईमान लाये हो! ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم पर नाज़िल की है और हर उस किताब पर जो इससे पहले वह नाज़िल कर चुका है।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ

चुनाँचे तौरात, इन्जील, ज़बूर और सुहूफ़े इब्राहीम (अलै०) पर इज्माली ईमान की अहमियत को अच्छी तरह समझ लीजिये। अलबत्ता चूँकि हम समझते हैं और मानते हैं कि इन किताबों में तहरीफ़ हो गयी है लिहाज़ा इन किताबों की कोई शय कुरान पर हुज्जत (प्रमाण) नहीं होगी। जो चीज़ कुरान से टकरायेगी हम उसको रद्द कर देंगे और इन किताबों की किसी शय को दलील के तौर पर नहीं लायेंगे। लेकिन जहाँ कुरान मजीद की किसी बात की नफी ना हो रही हो वहाँ इनसे इस्तफ़ादह (फ़ायदा) में कोई हर्ज नहीं। बहुत से हक्काइक़ ऐसे हैं जो हमें इन किताबों ही से मिलते हैं। मसलन अम्बिया (अलै०) के दरमियान ज़मानी तरतीब (Chronological Order) हमें तौरात से मिलती है, जो

कुरान में नहीं है। कुरान में कभी हज़रत नूह (अलै०) का ज़िक्र बाद में और हज़रत मूसा (अलै०) का पहले आ जाता है। यहाँ तो किसी और पहलु से तरतीब आती है, लेकिन तौरात में हमें हज़राते इब्राहीम, इसहाक़, याकूब, अम्बिया-ए-बनी इसराइल मूसा और ईसा (अला नबिय्यिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम) की तारीख़ मिलती है। इस ऐतबार से साबक़ा किताबे समाविया की अहमियत पेशे नज़र रहनी चाहिये।

“और आख़िरत पर वह यक़ीन रखते हैं।”

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٥﴾

यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि बाक़ी सब चीज़ों के लिये तो लफ़ज़ ईमान आया है जबकि आख़िरत के लिये “ईक़ान” आया है। वाक़िया यह है कि इन्सान के अमल के ऐतबार से सबसे ज़्यादा मौअस्सर (प्रभावी) शय ईमान बिल आख़िरा है। अगर इन्सान को यह यक़ीन है कि आख़िरत की ज़िन्दगी में मुझे अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होकर अपने आमाल की जवाबदेही करनी है तो उसका अमल सही होगा। लेकिन अगर इस यक़ीन में कमी वाक़ेअ हो गयी तो तौहीद भी महज़ एक अक़ीदा (Dogma) बन कर रह जायेगी और ईमान बिल रिसालत भी बिदआत को जन्म देगा। फिर ईमान बिल रिसालत के मज़ाहिर यह रह जायेंगे कि बस ईद मिलादुन्नबी صلی اللہ علیہ وسلم मना लीजिये और नाते अशआर कह दीजिये, अल्लाह-अल्लाह खैर सल्ला। इन्सान का अमल तो आख़िरत के यक़ीन के साथ दुरुस्त होता है।

{وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} के अल्फ़ाज़ में यह मफ़हूम भी है कि “आख़िरत पर उन्ही का यक़ीन है।” यहाँ गोया हथ्र भी है। इस ऐतबार से कि यहूदी भी मुद्ई थे कि हम आख़िरत पर यक़ीन रखते हैं। यहाँ तज़ाद (Contrast) दिखाया जा रहा है कि आख़िरत पर यक़ीन रखने वाले तो यह लोग हैं! तावीले खास के ऐतबार से यह कहा जायेगा कि यह लोग तुम्हारी निगाहों के सामने मौजूद हैं जो मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की तेरह बरस की कमाई हैं। जो इन्क़लाबे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم के असासी मिन्हाज (Basic round) यानि तिलावते आयात, तज़किया और तालीमे किताब व हिकमत का नतीजा हैं।

आयत 5

“यही वह लोग हैं जो अपने रब की तरफ़ से
हिदायत पर हैं”

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ

वह इब्तदाई हिदायत भी उनके पास थी और इस तकमीली हिदायत यानि कुरान पर भी उनका पूरा यकीन है, और मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का इत्तेबाअ भी वह कर रहे हैं।

“और यही वह लोग हैं जो फ़लाह पाने वाले
हैं”

وَأُولَئِكَ هُمُ الْبَاقُونَ ۝

“फ़लाह” का लफ़्ज़ भी कुरान मजीद की बहुत अहम इस्तलाह (मुहावरा) है। इसका मायना है मंज़िले मुराद को पहुँच जाना, किसी बातिनी हकीकत का अयां (उजागर) हो जाना। इस पर इन्शा अल्लाह सूरतुल मौमिनून के शुरू में गुफ्तुगू होगी। यहाँ फ़रमाया जा रहा है कि फ़लाह पाने वाले, कामयाब होने वाले, मंज़िले मुराद को पहुँचने वाले असल में यही लोग हैं। तावीले खास के ऐतबार से यह सहाबा किराम (रजि०) की तरफ़ इशारा हो गया, जबकि तावीले आम के ऐतबार से हर शख्स को बता दिया गया कि अगर कुरान की हिदायत से मुस्तफ़ीद (फ़ायदेमन्द) होना है तो यह औसाफ़ अपने अन्दर पैदा करो।

आयत 6

“यकीनन जिन लोगों ने कुफ़्र किया (यानि वह
लोग जो कुफ़्र पर अड गये) उनके लिये
बराबर है (ऐ मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم) कि आप उन्हें
इन्ज़ार फ़रमायें या ना फ़रमायें वह ईमान
लाने वाले नहीं हैं।”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ

أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ①

“إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا” से मुराद यहाँ वह लोग हैं जो अपने कुफ़्र पर अड गये। इसको हम तावीले आम में नहीं ले सकते। इसलिये कि इस सूरत में तो इसके मायने यह होंगे कि जिस शख्स ने किसी भी वक़्त कुफ़्र किया अब वह हिदायत पर आ

ही नहीं सकता! यहाँ यह बात मुराद नहीं है। अगर कोई शख्स किसी मुगालते की बिना पर या अदमे तौजीही (अनदेखी) की बिना पर कुफ़्र में है, हक़ उस पर वाज़ेह नहीं हुआ है तो इन्ज़ार व तब्शीर से उसे फ़ायदा हो जायेगा। आप उसे वाज़ व नसीहत करें तो वह उसका असर कुबूल कर लेगा। लेकिन जो लोग हक़ को हक़ समझने और पहचानने के बावजूद महज़ ज़िद, हठधर्मी और तास्सुब की वजह से या तकब्बुर और हसद की वजह से कुफ़्र पर अड रहे तो उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है। ऐसे लोगों का मामला यह है कि ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم! उनके लिये बराबर है ख्वाह आप صلی اللہ علیہ وسلم उन्हें समझायें या ना समझायें, डरायें या ना डरायें, इन्ज़ार फ़रमायें या ना फ़रमायें वह ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसलिये कि सोते को तो जगाया जा सकता है, जागते को आप कैसे जगाएंगे? यह गोया कि मक्का के सरदारों की तरफ़ इशारा हो रहा है कि उनके दिल और दिमाग़ गवाही दे चुके हैं कि मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم अल्लाह के रसूल हैं और कुरान उन पर इत्मा मे हुज्जत कर चुका है और वह मान चुके हैं कि कुरान का मुक्काबला हम नहीं कर सकते, यह मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का मुकम्मल मौज्ज़ा है, इसके बावजूद वह ईमान नहीं लाये।

आयत 7

“अल्लाह ने मोहर कर दी है उनके दिलों पर
और उनके कानों पर।”

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۗ

ऐसा क्यों हुआ? उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर इब्तदा ही में नहीं लगा दी गयी, बल्कि जब उन्होंने हक़ को पहचानने के बाद रद्द कर दिया तो इसकी पादाश (इल्ज़ाम) में अल्लाह तआला ने उनके दिलों पर मोहर कर दी और उनकी समाअत पर भी।

“और उनकी आँखों के सामने परदा पड चुका
है।”

وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ

यह मज़मून सूरह यासीन के शुरू में बहुत शरहो-बस्त (ज़्यादा विस्तार) के साथ दोबारा आयेगा।

“और उनके लिये बहुत बड़ा अज़ाब है।”

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

यह दूसरे गिरोह का तज़क़िरा हो गया। एक रकूअ (कुल सात आयात) में दो गिरोहों का ज़िक्र समेट लिया गया। एक वह गिरोह जिसने कुरान करीम की दावत से सही-सही इस्तफ़ादह किया, उनमें तलबे हिदायत का माद्दा मौजूद था, उनकी फ़ितरतें सलीम थीं, उनके सामने दावत आयी तो उन्होंने कुबूल की और कुरान के बताये हुए रास्ते पर चले। वह गुलिस्ताने मुहम्मदी ﷺ के गुले सरसब्द हैं। वह शजरा-ए-कुरानी के निहायत मुबारक और मुक़द्दस फल हैं। दूसरा गिरोह वह है जिसने हक़ को पहचान भी लिया, लेकिन अपने तास्सुब या हठधर्मी की वजह से उसको रद्द कर दिया। उनका ज़िक्र भी बहुत इख़्तसार (संक्षिप्ता) के साथ आ गया। उनका तफ़सीली ज़िक्र आपको मक्की सूरतों में मिलेगा। अब आगे तीसरे गिरोह का ज़िक्र आ रहा है।

आयात 8 से 20 तक

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۱
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۲
 فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَصًا ۝۳ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴
 وَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝۵ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۶
 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝۷
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۝۸
 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝۹
 وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۝۱۰ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝۱۱
 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝۱۲
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۝۱۳ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝۱۴
 مَتْلُوهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا ۝۱۵ فَلَمَّا أَصَاعَتْ مَا حَوْلَهُ دَهَبًا لَّهِ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ۝۱۶
 حُمٌّ بِكُمْ ۝۱۷ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرٰ جَعُونَ ۝۱۸
 أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٰتٌ وَرَعْدٌ وَبُرْقٌ ۝۱۹ يَجْعَلُونَ

أَصَابِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۝ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝۲۰
 الْبُرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۝ كُلَّمَا أَصَاء لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۝ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

आयात 8

“और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते तो यह हैं कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर भी और यौमे आखिर पर भी, मगर वह हक़ीकत में मोमिन नहीं हैं।”

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ
 وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

यहाँ एक बात समझ लीजिये! अक्सर व बेशतर मुफ़स्सिरीन ने इस तीसरी किस्म (Category) के बारे में यही राय कायम की है कि यह मुनाफ़िक़ीन का तज़क़िरा है, अगरचे यहाँ लफ़ज़ मुनाफ़िक़ या लफ़ज़े निफ़ाक़ नहीं आया। लेकिन मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब ने इसके बारे में एक राय ज़ाहिर की है जो बड़ी क़ीमती है। उनका कहना है कि यहाँ एक किरदार का नक़शा खींच दिया गया है, ग़ौर करने वाले ग़ौर कर लें, देख लें कि वह किस पर चस्पा हो रहा है। और जब यह आयात नाज़िल हो रही थीं तो इनमें शख़्सियात की किरदार निगारी का यह जो नक़शा खींचा जा रहा है यह बिलफ़अल दो तबक़ात के ऊपर रास्त (सही) आ रहा था। एक तबक़ा उलमाये यहूद का था। वह भी कहते थे कि हम भी अल्लाह को मानते हैं, आख़िरत को भी मानते हैं। (इसीलिये यहाँ रिसालत का ज़िक्र नहीं है।) वह कहते थे कि अगर सवा लाख नबी आये हैं तो उन सवा लाख को तो हम मानते हैं, बस एक मुहम्मद (ﷺ) को हमने नहीं माना और एक ईसा (अलै०) को नहीं माना, तो हमें भी तस्लीम किया जाना चाहिये कि हम मुस्लमान हैं। और वाक़िया यह है कि यहाँ जिस अन्दाज़ में तज़क़िरा हो रहा है इससे उनका किरदार भी झलक रहा है और रुए सुखन भी उनकी तरफ़ जा रहा है। मुझे याद है दसवीं ज़मात के ज़माने में देल्ही में मैंने जूतों की एक दुकान पर देखा था कि एक बहुत बड़ा जूता लटकाया हुआ था और साथ लिखा था: Free to whom it fits यानि जिसके पाँव में यह ठीक-ठीक आ जाये वह इसे मुफ़्त ले जाये! तो यहाँ भी एक किरदार का नक़शा खींच

दिया गया है। अब यह किरदार जिसके ऊपर भी फिट बैठ जाये वह इसका मिस्दाक़ (applicable) शुमार होगा।

जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन की राय तो यही है कि यह मुनाफ़िक़ीन का तज़किरा है। लेकिन यह किरदार बैनहीं (इसी तरह) यहूद के उलमा पर भी मुन्तबिक़ (लागू) हो रहा है। यहाँ यह बात भी नोट कर लीजिये कि मदीना मुनव्वरा में निफ़ाक़ का पौदा, बल्कि सहीतर अल्फ़ाज़ में निफ़ाक़ का झाड़-झन्काड़ जो परवान चढ़ा है वह यहूदी उलमा के ज़ेरे असर परवान चढ़ा है। जैसे जंगल के अन्दर बड़े-बड़े दरख़्त भी होते हैं और उनके नीचे झाड़ियाँ भी होती हैं। तो यह निफ़ाक़ का झाड़-झन्काड़ दरअसल यहूदी उलमा का जो बहुत बड़ा पौदा था उसके साये में परवान चढ़ा है और इन दोनों में मानवी रब्त (हू-ब-हू सम्पर्क) भी मौजूद है।

आयत 9

“वह धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं
अल्लाह को और अहले ईमान को।”

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

يُخٰدِعُونَ बाब मुफ़ाअला है। इस बाब का खास्सा है कि इसमें एक कशमकश और कशाकश मौजूद होती है। लिहाज़ा मैंने इसका तर्जुमा किया: “वह धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।”

“और नहीं धोखा दे रहे मगर सिर्फ़ अपने आप
को।”

وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ

यह बात यक़ीनी है कि अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, लेकिन यह अल्लाह, उसके रसूल ﷺ को और अहले ईमान को धोखा नहीं दे सकते। सूरतुन्निसा की आयत 142 में मुनाफ़िक़ीन के बारे में यही बात बड़े वाज़ेह अन्दाज़ में बाअल्फ़ाज़ आयी है: {اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ} “यक़ीनन मुनाफ़िक़ीन अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि अल्लाह ही उन्हें धोखे में डालने वाला है।”

“और उन्हें इसका शऊर नहीं है।”

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

यह बात बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिये कि मुनाफ़िक़ीन की भी अक्सरियत वह थी जिन्हें अपने निफ़ाक़ का शऊर नहीं था। वह अपने तै खुद को मुस्लमान समझते थे। वह मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ के बारे में कहते थे कि इन्होंने ख्वाह माख्वाह अहले मक्का के साथ लड़ाई मोल ले ली है, इसकी क्या ज़रूरत है? हमें अमन के साथ रहना चाहिये और अमन व आशती (सुलह) के माहौल में उनसे बात करनी चाहिये। वह समझते थे कि हम खैर ख्वाह हैं, हम भली बात कह रहे हैं, जबकि यह बेवकूफ़ लोग हैं। देखते नहीं कि किससे टकरा रहे हैं! हाथ में अस्लाह नहीं है और लड़ाई के लिये जा रहे हैं। चुनाँचे यह तो बेवकूफ़ हैं। अपने बारे में वह समझते थे कि हम तो बड़े मुख़्लिस हैं। जान लीजिये कि मुनाफ़िक़ीन में यक़ीनन बाज़ लोग ऐसे भी थे कि जो इस्लाम में दाख़िल ही धोखा देने की खातिर होते थे और उन पर पहले दिन से यह वाज़ेह होता था कि हम मुस्लमान नहीं हैं, हमने मुस्लमानों को धोखा देने के लिये इस्लाम का महज़ लिबादा ओढा है। ऐसे मुनाफ़िक़ीन का ज़िक़र सूरह आले इमरान की आयत 72 में आयेगा। लेकिन अक्सर व बेशतर मुनाफ़िक़ीन दूसरी तरह के थे, जिन्हें अपने निफ़ाक़ का शऊर हासिल नहीं था।

आयत 10

“उनके दिलों में एक रोग है।”

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

यह रोग और बीमारी क्या है? एक लफ़ज़ में इसको “किरदार की कमज़ोरी” (weakness of character) से ताबीर किया जा सकता है। एक शख्स वह होता है जो हक़ को हक़ समझ कर कुबूल कर लेता है और फिर “हरचे बादाबाद” (जो हो सो हो) की कैफ़ियत के साथ उसकी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार हो जाता है। दूसरा शख्स वह है जो हक़ को पहचान लेने के बावजूद रद्द कर देता है। उसे “काफ़िर” कहा जाता है। जबकि एक शख्स वह भी है जो हक़ को हक़ पहचान कर आया तो सही, लेकिन किरदार की कमज़ोरी की वजह से उसकी कुव्वते इरादी कमज़ोर है। ऐसे लोग आख़िरत भी चाहते हैं लेकिन दुनिया भी हाथ से देने के लिये तैयार नहीं। वह चाहते हैं कि यहाँ का

भी कोई नुकसान ना हो और आखिरत का भी सारा भला हमें मिल जाये। दर हकीकत यह वो लोग हैं कि जिनके बारे में कहा गया कि इनके दिलों में एक रोग है।

“तो अल्लाह ने उनके रोग में इज़ाफ़ा कर दिया।”

فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

यह अल्लाह की सुन्नत है। आप हक़ पर चलना चाहें तो अल्लाह तआला हक़ का रास्ता आप पर आसान कर देगा, लेकिन अगर आप बुराई की तरफ़ जाना चाहें तो बड़ी से बड़ी बुराई आपके लिये हल्की होती चली जायेगी। आप ख्याल करेंगे कि कोई ख़ास बात नहीं, जब यह कर लिया तो अब यह भी कर गुज़र। और अगर कोई बैन-बैन (बीच में) लटकना चाहे तो अल्लाह उसको उसी राह पर छोड़ देता है। ठीक है, वह समझते हैं हम कामयाब हो रहे हैं कि हमने मुस्लमानों को भी धोखा दे लिया, वह हमें मुस्लमान समझते हैं और यहूदियों को भी धोखा दे लिया, वह समझते हैं कि हम उनके साथी हैं। तो उनका यह समझना कि हम कामयाब हो रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हकीकत में यह कामयाबी नहीं है, बल्कि अल्लाह तआला ने वह तबाहकुन रास्ता उनके लिये आसान कर दिया है जो उन्होंने खुद मुन्तख़ब किया (चुना) था। उनके दिलों में जो रोग मौजूद था अल्लाह ने उसमें इज़ाफ़ा फ़रमा दिया।

“और उनके लिये तो दर्दनाक अज़ाब है।”

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ऊपर कुफ़्फ़ार के लिये अल्फ़ाज़ आये थे: {وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} और यहाँ {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} का लफ़ज़ आया है कि उनके लिये दर्दनाक और अलमनाक अज़ाब है।

“ब-सबब उस झूठ के जो वह बोल रहे थे।”

بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

आयत 11

“और जब उनसे कहा जाता है कि मत फ़साद करो ज़मीन में”

इससे मुराद यह है कि जब तुमने मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم को अल्लाह का रसूल मान लिया तो अब उनकी ठीक-ठीक पैरवी करो, उन (صلی اللہ علیہ وسلم) के पीछे चलो। उन (صلی اللہ علیہ وسلم) का हुक्म है तो जंग के लिये निकलो। उन (صلی اللہ علیہ وسلم) की तरफ़ से तक्राज़ा आता है तो माल पेश करो। और अगर तुम इससे कतराते हो तो फिर जमाती जिन्दगी के अन्दर फ़ितना व फ़साद फैला रहे हो।

“वह कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं।”

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

हम तो सुलह कराने वाले हैं। हमारी नज़र में यह लड़ना-भिड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, टकराव और तसादुम कोई अच्छे काम थोड़े ही हैं। बस लोगों को ठंडे-ठंडे दावत देते रहो, जो चाहे कुबूल कर ले और जो चाहे रद्द कर दे। यह ख्वाह माख्वाह दुश्मन से टकराना और जंग करना किस लिये? और अल्लाह के दीन को ग़ालिब करने के लिये कुर्बानियाँ देने, मुसीबतें झेलने और मशक्कतें बर्दाश्त करने के मुतालबे काहे के लिये?

आयत 12

“आगाह हो जाओ कि हकीकत में यही लोग मुफ़्फ़िसद हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं है।”

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا

يَشْعُرُونَ

यही तो हैं जो फ़साद फैलाने वाले हैं। इसलिये कि मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की दावत तो ज़मीन में इस्लाह के लिये है। इस इस्लाह के लिये कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिये कि मरीज़ इस दर्जे को पहुँच चुका है कि ऑपरेशन के बग़ैर उसकी शिफ़ा मुमकिन नहीं है। अब अगर तुम इस ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट बनते हो तो दर हकीकत तुम फ़साद मचा रहे हो, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। आयत के आख़री अल्फ़ाज़ {وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ} से यह बात वाज़ेह हो रही है कि शऊरी निफ़ाक़ और शय है, जबकि यहाँ सारा तज़क़िरा ग़ैर शऊरी निफ़ाक़ का हो रहा है।

आयत 13

“और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाये हैं”
وَأَذِيقُوا لَهُمْ أَمْنًا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

आखिर देखो, यह दूसरे अहले ईमान हैं, जब बुलावा आता है तो फ़ौरन लम्बक कहते हुए हाज़िर होते हैं, जबकि तुमने और ही रविश (तरीका) इख्तियार कर रखी है।

“वह कहते हैं क्या हम ईमान लायें जैसे यह बेवकूफ़ लोग ईमान लाये हैं?”
قَالُوا الْكُفْرُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

मुनाफ़िक़ीन सच्चे अहले ईमान के बारे में कहते थे कि इन्हें तो अपने नफ़े की फ़िक्र है ना नुक़सान की, ना खतरात का कोई ख्याल है ना अन्देशों का कोई गुमान। जान, माल और औलाद की कोई परवाह नहीं। यह घरबार को छोड़ कर आ गये हैं, अपने बाल-बच्चे कुफ़ारे मक्का के रहमो करम पर छोड़ आये हैं कि सरदाराने कुरैश उनके साथ जो चाहे सुलूक करें, तो यह तो बेवकूफ़ लोग हैं। (आज-कल आप ऐसे लोगों को fanatics कहते हैं) भई देख-भाल कर चलना चाहिये, दायें-बायें देख कर चलना चाहिये। अपने नफ़ा-नुक़सान का ख्याल करके चलना चाहिये। ठीक है, इस्लाम दीने हक़ है, लेकिन बहरहाल अपनी और अपने अहलो अयाल की मसलहतों (स्वार्थों) को भी देखना चाहिये। यह लोग तो मालूम होता है बिल्कुल दीवाने और fanatics हो गये हैं।

“आगाह हो जाओ कि वही बेवकूफ़ हैं, लेकिन
إِلَّا إِلَهُهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

○

वह सादिकुल ईमान जो ईमान के हर तकाज़े को पूरा करने के लिये हर वक़्त हाज़िर हैं, उनसे बड़ा अक़लमन्द और उनसे बड़ा समझदार कोई नहीं। उन्होंने यह जान लिया है कि असल ज़िंदगी आख़िरत की ज़िंदगी है, यह ज़िंदगी तो आरज़ी है, तो अगर कल के बजाये आज ख़त्म हो जाये या अभी ख़त्म हो जाये

तो क्या फ़र्क़ पडेगा? यहाँ से जाना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो, जाना तो है। तो अक़ल तो उनके अन्दर है।

आयत 14

“और जब यह अहले ईमान से मिलते हैं तो
وَأَذِيقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
कहते हैं हम भी ईमान रखते हैं।”

आम यहूदी भी कहते थे कि हम भी तो आख़िर अल्लाह को और आख़िरत को मानते हैं, जबकि मुनाफ़िक़ तो रसूल ﷺ को भी मानते थे।

“और जब यह ख़लवत (अकेले) में होते हैं
وَأَذِخُوا إِلَى شَيْطَانِهِمْ
अपने शैतानों के पास”

यहाँ “श्यातीन” से मुराद यहूद के उलमा भी हो सकते हैं और मुनाफ़िक़ीन के सरदार भी। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ीने मदीना का सरदार था। अगर वह कभी उन्हें मलामत करता कि मालूम होता है तुम तो बिल्कुल पूरी तरह से मुस्लमानों में शामिल ही हो गये हो, तुम्हें क्या हो गया है तुम मुहम्मद (ﷺ) की हर बात मान रहे हो, तो अब उन्हें अपनी वफ़ादारी का यक़ीन दिलाने के लिये कहना पड़ता था कि नहीं नहीं, हम तो मुस्लमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम उनसे ज़रा तमस्बुर (मज़ाक) कर रहें हैं, हम आप ही के साथ हैं, आप फ़िक्र ना करें। मुनाफ़िक़ तो होता ही दो रुखा है। “नफ़” कहते हैं सुरंग को, जिसके दो रास्ते होते हैं। “नफ़ा” गोह (रेगिस्तान में पाया जाने वाला छिपकली जैसा एक जीव) के बिल को कहा जाता है। गोह अपने बिल के दो मुँह रखता है कि अगर कुत्ता शिकार के लिये एक तरफ़ से दाख़िल हो जाये तो वह दूसरी तरफ़ से निकल भागे। तो मुनाफ़िक़ भी ऐसा शख्स है जिसके दो रुख होते हैं। सूरतुन्निहा में मुनाफ़िक़ीन के बारे में कहा गया है: (आयत:143) { مُتَّبِعِينَ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَّا لِي هُوَ لَأَى هُوَ لَأَى هُوَ لَأَى هُوَ لَأَى هُوَ } यानि कुफ़ व ईमान के दरमियान ड़ावाडोल हैं, मुज़बज़ब होकर रह गये हैं। ना इधर के हैं ना उधर के हैं।

लफ़ज़ “शैतान” के बारे में दो राय हैं। एक यह कि इसका माद्दा “شطن” है और दूसरी यह कि यह “ش و ط” माद्दे से है। شطن के मायने हैं تَبَعٌ यानि बहुत दूर हो गया। पस शैतान से मुराद है जो अल्लाह की रहमत से बहुत दूर हो

गया। जबकि شَاطِئُ يَشُوطُ के मायने हैं حَسَدًا यानि कोई शख्स गुस्से और हसद के अन्दर जल उठा। इससे فُغْلَان के वज़न पर “شَيْطَان” है, यानि वह जो हसद और ग़ज़ब की आग में जल रहा है। चुनाँचे एक तो शैतान वह है जो जिन्नात में से है, जिसका नाम पहले “अज़ाज़ील” था, अब हम उसे इब्लीस के नाम से जानते हैं। फिर यह कि दुनिया में जो भी उसके पैरोकार हैं और उसके मिशन में शरीकेकार हैं, ख़्वाह इन्सानों में से हों या जिन्नो में से, वह भी श्यातीन हैं। इसी तरह अहले कुफ़्र और अहले ज़ैग के जो बड़े-बड़े सरदार होते हैं उनको भी श्यातीन से ताबीर किया गया। आयत ज़ेरे मुतआला में श्यातीन से यही सदरार मुराद हैं।

“कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं और उन लोगों से तो महज़ मज़ाक कर रहे हैं”

जब वह अलैहदगी में अपने शैतानों यानि सरदारों से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि असल में तो हम आपके साथ हैं, उन मुस्लमानों को तो हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे इस्तेहज़ा और तमस्खुर (हँसी-मज़ाक) कर रहे हैं जो उनके सामने “आमन्ना” कह देते हैं कि हम भी आपके साथ हैं।

आयत 15

“दर हक़ीक़त अल्लाह उनका मज़ाक उड़ा रहा है और उनको उनकी सरकशी में ढील दे रहा है कि वह अपने अक्ल के अन्धेपन में बढते चले जायें।”

अल्लाह तआला शरकशों की रस्सी दराज़ करता है। कोई शख्स शरकशी के रास्ते पर चल पड़े तो अल्लाह तआला उसे फ़ौरन नहीं पकड़ता, बल्कि उसे ढील देता है कि चलते जाओ जहाँ तक जाना चाहते हो। तो इनकी भी अल्लाह तआला रस्सी दराज़ कर रहा है, लेकिन यह समझते हैं कि हम मुस्लमानों का मज़ाक उड़ा रहे हैं। असल में मज़ाक तो अल्लाह के नज़दीक उनका उड़ रहा है।

लफ़ज़ “يَعْمَهُونَ” अक्ल के अन्धेपन के लिये आया है। इसका माद्दा “ع م ه” है। आगे आयत 18 में लफ़ज़ “ع م ي” आ रहा है जो “ع م ي” से है। इन दोनों में फ़र्क

यह है कि “ع م ي” बसीरत से महरूम के लिये आता है और “ع م ي” बसारत से महरूम के लिये।

आयत 16

“यह वह लोग हैं कि जिन्होंने हिदायत के एवज़ (बदले) गुमराही खरीद ली है।”

यह बड़ा प्यारा अन्दाज़े बयान है। इनके सामने दोनों options थे। एक शख्स ने गुमराही को छोड़ा और हिदायत ले ली। उसे इसकी भारी कीमत देना पड़ी। उसे तक्लीफें उठानी पड़ीं, आज़माइशों में से गुज़रना पड़ा, कुरबानियाँ देनी पड़ीं। उसने यह सब कुछ मन्ज़ूर किया और हिदायत ले ली। जबकि एक शख्स ने हिदायत देकर गुमराही ले ली। आसानी तो हो गई, फ़ौरी तक्लीफ से तो बच गये, दोनों तरफ से अपने मफ़ादात को बचा लिया, लेकिन हक़ीक़त में सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा यही है।

“सो नफ़ा ना हुई उनकी तिजारत उनके हक़ में और ना हुऐ राह पाने वाले।”

“رِبْحٍ يَرْبَحُ” के मायने हैं तिजारत वगैरह में नफ़ा उठाना, जो एक सही और जायज़ नफ़ा है, जबकि “رِبْحٍ يَرْبَحُ” के मायने भी माल में इज़ाफ़ा और बढोत्तरी के हैं, लेकिन वह हराम है। तिजारत के अन्दर जो नफ़ा हो जाये वह “رِبْحٍ” है, जो जायज़ नफ़ा है और अपना माल किसी को क़र्ज़ देकर उससे सूद वसूल करना “رِبْحٍ” है जो हराम है।

अब यहाँ दो बड़ी प्यारी तमसीलें (उदाहरण) आ रही हैं। पहली तमसील कुफ़फ़ार के बारे में और दूसरी तमसील मुनाफ़िक़ीन के बारे में।

आयत 17

“उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की।”

“फिर जब उस आग ने सारे माहौल को रोशन कर दिया”

“तो अल्लाह ने उनका नूरे बसारत सल्ब कर
(छीन) लिया”

ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ

“और छोड़ दिया उनको अन्धेरो के अन्दर कि
वह कुछ नहीं देखते।”

وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

यहाँ एक शबे तारीक का नक्शा खींचा जा रहा है। अल्लामा इक़बाल के अल्फाज़ में:

अन्धेरी शब है जुदा अपने काफ़िले से है तू
तेरे लिये है मेरा शौला-ए-नवा कन्दील!

अन्धेरी शब है। काफ़िला भटक रहा है। कुछ लोग बड़ी हिम्मत करते हैं कि अन्धेरे में भी इधर-उधर से लकड़ियाँ जमा करते हैं और आग रोशन कर देते हैं। लेकिन ऐन उस वक़्त जब आग रोशन होती है तो कुछ लोगों की बीनाई सल्ब हो जाती है। पहले वह अन्धेरे में इसलिये थे कि खारिज में रोशनी नहीं थी। अब भी वह अन्धेरे ही में रह गये कि खारिज में तो रोशनी आ गई मगर उनके अन्दर की रोशनी गुल हो गई, उनकी बसारत सल्ब हो गई। यह मिसाल है उन कुफ़ार की जो इस्लाम की रोशनी फैलने के बावजूद उससे महरूम (वंचित) रहे, मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की आमद से पहले हर सू (दिशा) तारीकी छाई हुई थी। कोई हकीकत वाज़ेह नहीं थी। काफ़िला-ए-इन्सानियत अन्धेरी शब में भटक रहा था। मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाये और उन्होंने आग रोशन कर दी। इस तरह हिदायत वाज़ेह हो गयी। लेकिन कुछ ज़िद, तास्सुब, तकब्बुर या हसद की बुनियाद पर कुछ लोगों की अन्दर की बीनाई (नज़र) ज़ाइल (दूर) हो गयी। चुनाँचे वह तो वैसे के वैसे भटक रहे हैं। जैसे पहले अन्धेरे में थे वैसे ही अब भी अन्धेरे में हैं। रोशनी में आने वाले तो वह है जिनका ज़िक्र सबसे पहले “अल-मुत्ताकीन” के नाम से हुआ।

आयत 18

“यह बहरे हैं, गूँगे हैं, अन्धे हैं, सो अब यह
नहीं लौटेंगे।”

صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرَوْنَ

صُمُّ बहरे को कहते हैं, गूँगे इसकी जमा है, بَكْمٌ गूँगे को कहा जाता है, عُمَىٰ इसकी जमा है। अन्धे को कहते हैं, عُمَىٰ इसकी जमा है। फ़रमाया कि यह बहरे हैं,

गूँगे हैं, अन्धे हैं, अब यह लौटने वाले नहीं हैं। यह कौन हैं? अबु-जहल, अबु-लहब, वलीद बिन मुगीरा और उक़बा इब्ने अबी मुईत सबके सब अभी ज़िन्दा थे जब यह आयात नाज़िल हो रही थीं। यह सब तो ग़ज़वा-ए-बद्र में वासिले जहन्नम हुए जो सन 2 हिजरी में हुआ। तो यह लोग इस मिसाल का मिसदाके कामिल थे। आगे अब दूसरी मिसाल बयान की जा रही है।

आयत 19

“या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बड़े ज़ोर की
वारिश बरस रही है आसमान से, उसमें
अन्धेरे भी हैं और गरज और बिजली (की
चमक) भी।”

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ
وَبُرْقَانٌ

“यह अपनी उँगलियाँ अपने कानों के अन्दर
टूस लेते हैं मारे कड़क के, मौत के डर से।”

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ
الصَّوَاعِقِ حُدُورًا مِّنَ

यानि इस हैबतनाक कड़क से कहीं उनकी जानें ना निकल जायें।

“और अल्लाह ऐसे काफ़िरो का इहाता
(cover) किये हुए है।”

وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

वह इन मुन्करीने हक़ को हर तरफ़ से घेरे में लिये हुए है, यह बच कर कहाँ जायेंगे।

आयत 20

“करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आँखों।”

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

“जब चमकती है उन पर तो चलने लगते हैं
उसकी रोशनी में।”

كَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ

ज्यों ही उन्हें ज़रा सी रोशनी महसूस होती है और दायें-बायें कुछ नज़र आता है तो कुछ दूर चल लेते हैं।

“और जब उन पर तारीकी तारी हो जाती है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं।”

وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا

यह एक नक्शा खींचा गया है कि एक तरफ़ बारिश हो रही है। यानि कुरान मजीद आसमान से नाज़िल हो रहा है। बारिश को कुरान मजीद “مَاءٌ مُّبَارَكٌ” करार देता है और यह खुद “كُتُبٌ مُّبَارَكَةٌ” है। लेकिन यह कि इसके साथ कड़के हैं, गरज है, कुफ़्र से मुकाबला है, कुफ़्र की तरफ़ से धमकियाँ हैं, अन्देशे और खतरात हैं, इम्तिहानात और आजमाईशें हैं। चुनाँचे मुनाफ़िक़ीन का मामला यह है कि ज़रा कही हालात कुछ बेहतर हुए, कुछ breathing space मिली तो मुस्लमानों के शाना-ब-शाना थोड़ा सा चल लिये कि हम भी मुस्लमान हैं। जब वह देखते कि हालात कुछ पुर सकून हैं, किसी जंग के लिये बुलाया नहीं जा रहा है तो बढ-चढ कर बातें करते और अपने ईमान का इज़हार भी करते, लेकिन जैसे ही कोई आजमाइश आती ठिठक कर खड़े के खड़े रह जाते।

“और अल्लाह चाहता तो उनकी समाअत लَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ और बसारत को सलब कर लेता।”

लेकिन अल्लाह का क़ानून यही है कि वह फ़ौरी गिरफ्त नहीं करता। उसने इन्सान को इरादे और अमल की आज़ादी दी है। तुम अगर मोमिन सादिक़ बन कर रहना चाहते हो तो अल्लाह तआला उस रविश (तरीक़े) को तुम्हारे लिये आसान कर देगा। और अगर तुमने अपने तास्सुब या तकब्बुर की वजह से कुफ़्र का रास्ता इख़्तियार किया तो अल्लाह उसी को तुम्हारे लिये खोल देगा। और अगर तुम बीच में लटकना चाहते हो { لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ } तो लटके रहो। अल्लाह तआला ना किसी को जबरन हक़ पर लायेगा और ना ही किसी को जबरन बातिल की राह पर लेकर जायेगा। इसलिये कि अगर ज़ब्र का मामला हो तो फिर इम्तिहान कैसा? फिर तो जज़ा और सज़ा का तसव्वुर ग़ैर मन्तक़ी (illogical) और ग़ैर माकूल (irrational) ठहरता है।

“यक़ीनन अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है।”

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

सूरतुल बकरह के यह इब्तदाई दो रुकूअ इस ऐतबार से बहुत अहम हैं कि इनमें इन्सानी शख़्सियतों की तीन गिरोहों में तक़सीम कर दी गयी है, और तावीले आम ज़हन में रखिये कि जब भी कोई दावते हक़ उठेगी, अगर वह वाक़िअतन कुल की कुल हक़ की दावत हो और उसमें इन्क़लाबी रंग हो कि बातिल से पंजा आजमाई करके उसे नीचा दिखाना है और हक़ को गालिब करना है, तो यह तीन क्रिस्म के अफ़राद लाज़िमन वजूद में आयेगे। इनको पहचानना और इनके किरदार के पीछे जो असल पसमन्ज़र है उसको जानना बहुत ज़रूरी है।

आयात 21 से 29 तक

يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا ۗ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ۗ وَأَنْتُمْ بِهِ مُتَشَابِهُونَ ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۖ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۖ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ

ثُمَّ مِمَّنْ مِمَّنْكُمْ ثُمَّ مِمَّنْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾

सूरतुल बकरह के तीसरे रकूअ में कुरान की दावत का खुलासा आ गया है कि कुरान अपने मुख़ातिब को क्या मानने की दावत देता है और उसकी पुकार क्या है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, सूरतुल बकरह के नुज़ूल से क़ब्ल दो तिहाई कुरान नाज़िल हो चुका था। तरतीबे मुसहफ़ के ऐतबार से वह कुरान बाद में आयेगा, लेकिन तरतीबे नुज़ूली के ऐतबार से वह पसमन्ज़र में मौजूद है। लिहाज़ा सूरतुल बकरह के पहले दो रकूओं में मक्की कुरान के मुबाहिस का खुलासा बयान कर दिया गया है और तीसरे रकूअ में कुरान मजीद की दावत का खुलासा और लुब्बे लुबाब (सारांश) आ गया है, जबकि कुरान मजीद का फ़लसफ़ा और बाज़ निहायत अहम मौजूआत व मसाइल का खुलासा चौथे रकूअ में बयान हुआ है। अब हम तीसरे रकूअ का मुतआला कर रहे हैं:

आयत 21

“ऐ लोगों! बन्दगी इख़्तियार करो अपने उस रब (मालिक) की जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले जितने लोग गुज़रे हैं (उन्हें भी पैदा किया) ताकि तुम बच सको।”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

यह कुरान की दावत का खुलासा है और यही तमाम अम्बिया व रसूल (अलै०) की दावत थी। सूरतुल आराफ़ और सूरह हूद में एक-एक रसूल का नाम लेकर उसकी दावत इन अल्फ़ाज़ में बयान की गयी है:

“ऐ मेरी क्रौम के लोगों! अल्लाह की बन्दगी करो, तुम्हारा कोई और इलाह उसके सिवा नहीं है।”

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

सूरतुल शौरा में रसूलों की दावत के ज़िम्न में बार-बार यह अल्फ़ाज़ आये हैं:

“पस अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो और मेरी इताअत करो।”

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

सूरह नूह में हज़रत नूह (अलै०) की दावत इन अल्फ़ाज़ में बयान हुई:

“कि अल्लाह की बन्दगी करो, उसका तक्रवा इख़्तियार करो और मेरी इताअत करो!”

फिर अज़रए कुरान यही इबादते रब इन्सान की गायत-ए-तख़लीक (utmost creation) है (अज़ज़ारियात):

“और हमने ज़िन्नों और इंसानों को पैदा ही सिर्फ़ इसलिये किया है कि हमारी बन्दगी करें।”

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

चुनाँचे तमाम रसूलों की दावत यही “इबादते रब” है और मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की दावत भी यही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क़ वाक़ेअ हो गया है। वह यह कि बाक़ी तमाम रसूलों की दावत के ज़िम्न में सीगा-ए-ख़िताब “या क्रौमी” है। यानि “ऐ मेरी क्रौम के लोगों!” जबकि यहाँ सीगा-ए-ख़िताब है “या अय्युहन्नास” यानि “ऐ बनी नौए इन्सान!” मालूम हुआ कि मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ से पहले तमाम रसूल (अलै०) सिर्फ़ अपनी-अपनी क्रौमों की तरफ़ आये, जबकि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान हज़रत मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ अल्लाह तआला के आखरी और कामिल रसूल हैं जिनकी दावत आफ़ाक़ी (universal) है।

आम तौर पर लोग जो ग़लत रास्ता इख़्तियार कर लेते हैं उस पर इस दलील से जमे रहते हैं कि हमारे आबा व अजदाद का रास्ता यही था। { الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } के अल्फ़ाज़ में इस दलील का रद्द भी मौजूद है कि जैसे तुम मख़्लूक हो वैसे ही तुम्हारे आबा व अजदाद भी मख़्लूक थे, जैसे तुम ख़ता कर सकते हो इसी तरह वह भी तो ख़ता कर सकते थे। लिहाज़ा यह ना देखो कि आबा व अजदाद का रास्ता क्या था, बल्कि यह देखो कि हक़ क्या है।

{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} “ताकि तुम बच सको।” यानि दुनिया में इफ़रात व तफ़रीत (inflation & deflation) के धोखों से बच सको और आखिरत में अल्लाह के

अज़ाब से बच सको। इन दोनों से अगर बचना है तो अल्लाह की बन्दगी की रविश इख़्तियार करो।

आयत 22

“जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन को फर्श बना दिया और आसमान को छत बना दिया।”
الذّٰى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

“और आसमान से पानी बरसाया”
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

“फिर उस (पानी) के ज़रिये से (ज़मीन से) हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिये रिज़क बहम (provided) पहुँचाया।”
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

“तो हरगिज़ अल्लाह के मद्दे मुक़ाबिल ना ठहराओ जानते-बूझते।”
فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اٰنَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ का एक मतलब यह भी है कि जब तुम भी मानते हो कि इस कायनात का ख़ालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो फिर उसके शरीक क्यों ठहराते हो? अहले अरब यह बात मानते थे कि कायनात का ख़ालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है, अलबत्ता जो उनके देवी-देवता थे उन्हें वह समझते थे कि यह अल्लाह के अवतार हैं या अल्लाह के यहाँ बहुत पसन्दीदा हैं, उसके महबूब हैं, उसके औलिया हैं, उसकी बेटियाँ हैं, लिहाज़ा यह शफ़ाअत करेंगे तो हमारा बेडा पार हो जायेगा। उनसे कहा जा रहा है कि जब तुम यह मानते हो कि कायनात का ख़ालिक एक अल्लाह है, वही इसका मुदब्विर (planner) है तो अब किसी को उसका मद्दे मुक़ाबिल ना बनाओ।

“بَدَّ” की जमा है, इसके मायने मद्दे मुक़ाबिल है। खुल्बा-ए-जुमा में आपने यह अल्फ़ाज़ सुने होंगे: “لَا ضِدَّ لَهُ وَلَا يُدَلُّ” हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रजि०) बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह ﷺ से दरयाफ्त किया: अल्लाह के

नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है? आप ﷺ ने फरमाया: ((أَنْ تُجْعَلَ لِيَّ بَدًّا)) (1) “यह कि तू उसका कोई मद्दे मुक़ाबिल ठहराये हालाँकि उसने तुझे पैदा किया है।” अल्लाह सुब्हाना व तआला का किसी दर्जे में कोई शरीक या मद्दे मुक़ाबिल नहीं है। इस ज़िमान में रसूल अल्लाह ﷺ उम्मत को इस दर्जे तौहीद की बारीकियों तक पहुँचा कर गये हैं कि ऐसे तसव्वुरात की बिल्कुल जड़ कट जाती है। एक सहाबी (रजि०) ने आप ﷺ के सामने ऐसे ही कह दिया: “مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شِئْتُ” यानि जो अल्लाह चाहे और जो आप ﷺ चाहें। आप ﷺ ने उन्हें फ़ौरन टोक दिया और फरमाया: ((أَجْعَلْتَنِيَّ لِيَّ بَدًّا؟ مَا شَاءَ اللهُ)) (2) “क्या तूने मुझे अल्लाह का मद्दे मुक़ाबिल बना दिया है? (बल्कि वही होगा) जो तन्हा अल्लाह चाहे।” इस कायनात में मशीयत सिर्फ़ एक हस्ती की चलती है। किसी और की मशीयत उसकी मशीयत के ताबेअ पूरी हो जाये तो हो जाये, लेकिन मशीयते मुतलक सिर्फ़ उसकी है। यहाँ तक कि कुरान हकीम में रसूल अल्लाह ﷺ से फ़रमाया गया: { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } (अल क़सस:56) “(ऐ नबी ﷺ!) यकीनन आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है।” अगर हिदायत का मामला रसूल अल्लाह ﷺ के इख़्तियार में होता तो अबु तालिब दुनिया से ईमान लाये बगैर रुख़सत ना होते।

इन दो आयतों में तौहीद के दोनों पहलू बयान हो गये, तौहीद नज़री भी और तौहीद अमली भी। तौहीद अमली यह है कि बन्दगी सिर्फ़ उसी की है। अब अगली आयत में ईमान बिरिसालत का बयान आ रहा है।

आयत 23

“और अगर तुम वाक़िअतन शक में हो इस कलाम के बारे में जो हमने उतारा अपने बन्दे पर (कि यह हमारा नाज़िलकर्दा है कि नहीं)।”
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا

“तो ले आओ एक ही सूरत इस जैसी।”
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

“तआरुफ़े कुरान” में यह बात तफ़सील से बयान की गयी थी कि कुरान हकीम में ऐसे पाँच मक़ामात है जहाँ पर यह चैलेंज मौजूद है कि अगर तुम्हारा यह

ख्याल है कि यह कलाम मुहम्मद (ﷺ) की इखतराअ (आविष्कार) है तो तुम भी मुक्काबले में ऐसा ही कलाम पेश करो। सूरतुत्तूर की आयत 33, 34 में इरशाद हुआ: “क्या इनका यह कहना है कि इसे मुहम्मद (ﷺ) ने खुद गढ़ लिया है? बल्कि हकीकत यह है कि यह मानने को तैयार नहीं। फिर चाहिये कि वह इसी तरह का कोई कलाम पेश करें अगर वह सच्चे हैं।” सूरह बनी इसराइल (आयत 88) में फ़रमाया गया कि “अगर तमाम जिन्न ओ इन्स जमा होकर भी इस कुरान जैसी किताब पेश करना चाहें तो हरगिज़ नहीं कर सकेंगे, चाहे वह सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों न हो।” फिर सूरह हूद (आयत 13) में फ़रमाया गया कि “(ऐ नबी ﷺ) इनसे कह दीजिये (अगर पूरे कुरान की नज़ीर नहीं ला सकते) तो ऐसी दस सूरतें ही गढ़ कर ले आओ!” इसके बाद मज़ीद नीचे उतर कर जिसे बर सबीले तन्ज़ील कहा जाता है, सूरह यूनुस (आयत 38) में इस जैसी एक ही सूरत बना कर ले आने का चैलेंज दिया गया। मज़कूरा बाला (उपरोक्त) तमाम मक़ामात मक्की सूरतों में हैं। पहली मदनी सूरत “अल-बक्ररह” की आयत ज़ेरे मुतआला में यही बात बड़े अहतमाम के साथ फ़रमायी गयी कि अगर तुम लोगों को इस कलाम के बारे में कोई शक है जो हमने अपने बन्दे पर नाज़िल किया है (कि यह अल्लाह का कलाम नहीं है) तो इस जैसी एक सूरत तुम भी मौजू करके ले आओ! यह एक एक सूरत सूरतुल अन्न के मसावी (बराबर) भी हो सकती थी, सूरतुल कौसर के मसावी भी हो सकती थी।

“और बुला लो अपने सारे मददगारों को
अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो।”

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿١٠٠﴾

कुरैश का ख्याल यह था कि शौअरा (शायरों) के पास जिन्न होते हैं, जो उन्हें शेर सिखाते हैं, वरना आम आदमी तो शेर नहीं कह सकता। चुनाँचे फ़रमाया कि जो भी तुम्हारे मददगार हों, एक अल्लाह को छोड़ कर जिसकी भी तुम मदद हासिल कर सकते हो, जिन्नात हों या इन्सान हों, ख़तीब हों, शौअरा हों या अदीब (लेखक) हों, इन सबको जमा कर लो और इस कुरान जैसी एक ही सूरत बना कर ले आओ, अगर तुम सच्चे हो।

कुरान का अन्दाज़ यह है कि वह अपने अन्दर झाँकने की दावत देता है। चुनाँचे यहाँ गोया आँखों में आँखे डाल कर यह कहा जा रहा है कि हकीकत में तुम्हें इस कुरान के कलामे इलाही होने में कोई शक नहीं है, यह तो तुम महज़

बात बना रहे हो। अगर तुम्हें वाक़िअतन शक है, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो आओ मैदान में और इस जैसी एक ही सूरत बना लाओ!

आयत 24

“फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको, और
हरगिज़ ना कर सकोगे।”

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَئِن تَفْعَلُوا

ज़रा अन्दाज़ देखिये, कैसा तहदी (चुनौतीपूर्ण) और चैलेंज का है! और यह चैलेंज अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। यह अन्दाज़ दुनिया की किसी किताब का नहीं है, यह दावा सिर्फ़ कुरान का है। कैसा दो टूक अन्दाज़ है: “फिर अगर तुम ना कर पाओ, और तुम हरगिज़ नहीं कर पाओगे।”

“तो फिर बचो उस आग से जिसका ईंधन
बनेंगे इन्सान और पत्थर।”

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ ۖ

जहन्नम के ईंधन के तौर पर पत्थरों का ज़िक्र ख़ास तौर पर किया गया है। इसके दो इमकानात हैं। एक तो यह कि आपको मालूम है पत्थर के कोयले की आग आम लकड़ी के कोयले के मुक्काबले में बड़ी सख़्त होती है। लिहाज़ा जहन्नम की आग बहुत बड़े-बड़े पत्थरों से दहकायी जायेगी। दूसरे यह कि मुशरिकीन ने जो मअबूद तराश रखे थे वह पत्थर के होते थे। मुशरिकीन को आगाह किया जा रहा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे इन मअबूदों को भी जहन्नम में झोंका जायेगा ताकि तुम्हारी हसरत के अन्दर इज़ाफ़ा हो कि यह हैं वह मअबूदाने बातिल जिनसे हम दुआएँ माँगा करते थे, जिनके सामने माथे टेकते थे, जिनके सामने दण्डवत करते थे, जिनको चढ़ावे चढ़ाते थे।

“तैयार की गयी है काफ़िरो के लिये।”

أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

यह जहन्नम मुनकिरीने हक़ के लिये तैयार की गयी है। अब यहाँ गोया ईमान बिल्लाह और ईमान बिरिसालत के बाद ईमान बिलआख़िरत का ज़िक्र आ गया।

आयत 25

“और बशारत दे दीजिये (ऐ नबी عليه السلام!) उन लोगों को जो ईमान लाये और जिन्होंने नेक अमल किये”

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“कि उनके लिये ऐसे बाग़ात हैं जिनके नीचे नदियाँ बहती होंगी।”

أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

यह लफ्ज़ी तर्जुमा है। मुराद इससे यह है कि जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी। इसलिये कि फ़ितरी बाग़ आम तौर पर ऐसा होता है कि जिसमें ज़रा ऊँचाई पर दरख्त लगे हुए हैं और दामन में नदी बह रही है, जिससे खुद-ब-खुद आबपाशी हो रही है और दरख्तों की जड़ों तक पानी पहुँच रहा है।

“जब भी उन्हें दिया जायेगा वहाँ का कोई भी फल रिज़क के तौर पर (यानि खाने के लिये)”

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا

“वे कहेंगे यह तो वही है जो हमें पहले भी मिलता था”

قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

“और दिये जायेंगे उनको फल एक सूरत के।”

وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا

इसका एक मफ़हूम तो यह है कि जन्नत में अहले जन्नत की जो इब्तदाई दावत या इब्तदाई ज़ियाफ़त (नुजुल) होगी उसमें उन्हें वही फल पेश किये जायेंगे जो दुनिया में मारूफ़ हैं, मसलन अनार, अंगूर, सेब, खजूर वगैरह। अहले जन्नत उन्हें देख कर कहेंगे कि यह तो वही फल हैं जो हम दुनिया में खाते आये हैं, लेकिन जब उन्हें चखेंगे तो ज़ाहिरी मुशाबिहत (समानता) के बावजूद ज़ायके में ज़मीन व आसमान का फर्क पायेंगे। और एक मफ़हूम यह भी लिया गया है कि अहले जन्नत को जन्नत में भी वही फल मिलते रहेंगे, लेकिन हर बार उनका ज़ायका बदलता रहेगा। उनकी शक़ल व सूरत वही रहेगी, लेकिन ज़ायका वह नहीं रहेगा। लिहज़ा यह दुनिया वाला मामला नहीं होगा कि एक ही शय को खाते-खाते इन्सान की तबीयत भर जाती है।

“और उनके लिये उस (जन्नत) में निहायत पाकबाज़ बीवियाँ होंगी।”

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

“और वह उसमें रहेंगे हमेशा-हमेशा।”

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

इन पाँच आयत (21 से 25) में ईमानियाते सलासा यानि ईमान बिल्लाह, ईमान बिरसूल और ईमान बिलआखिरा की दावत आ गयी। अब आगे कुछ ज़िमनी (incidental) मसाईल ज़ेरे बहस आयेंगे।

आयत 26

“यक्रीनन अल्लाह इससे नहीं शरमाता कि बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उस चीज़ की जो उससे बड़ कर है।”

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا

بَعُوضَةً مِمَّا قَوْفَهَا

कुफ़्फ़ार की तरफ़ से कुरान के बारे में कई ऐतराज़ात उठाये जाते थे। वह कभी भी उस चैलेंज का मुक़ाबला तो ना कर सके जो कुरान ने उन्हें मِثْلِهِمْ مِنْ كُرْآنٍ के अल्फ़ाज़ में दिया था, लेकिन ख्वाह माख्वाह के ऐतराज़ात उठाते रहे। यह बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे किसी मुसब्विर की तस्वीर पर ऐतराज़ करने वाले तो बहुत थे लेकिन जब कहा गया कि यह ब्रुश लीजिये और ज़रा इसको ठीक कर दीजिये तो सब पीछे हट गये। कुरान के मुक़ाबले में कोई सूरत लाना तो उनके लिये मुमकिन नहीं था लेकिन इधर-उधर से ऐतराज़ात करने के लिये उनकी ज़बानें खुलती थीं। उनमें से उनका एक ऐतराज़ यहाँ नकल किया जा रहा है कि कुरान मजीद में मक्खी की तशबीह (तुलना) आयी है, यह तो बहुत हक़ीर शय (छोटी/तुच्छ चीज़) है। कोई आला मुतकल्लिम अपने आला कलाम में ऐसी हक़ीर चीज़ों का तज़क़िरा नहीं करता। कुरान मजीद में मक़ड़ी जैसी हक़ीर शय का भी ज़िक्र है, चुनाँचे यह कोई आला कलाम नहीं है। यहाँ इसका जवाब दिया जा रहा है। दरअसल तशबीह और तमसील के अन्दर मुमसिल लहू और मुमसिल बिही में मुनासबत और मुताबक़त होनी चाहिये। यानि कोई तमसील या तशबीह बयान करनी हो तो जिस शय के लिये तशबीह दी जा रही है उससे मुताबक़त और मुनासबत रखने वाली शय से तशबीह दी जानी

चाहिये। कोई शय अगर बहुत हकीर है तो उसे किसी अज़मत वाली शय से आखिर कैसे तशबीह दी जायेगी? उसे तो किसी हकीर शय ही से तशबीह दी जायेगी तो तशबीह का असल मक़सद पूरा होगा। चुनाँचे फ़रमाया कि अल्लाह तआला के लिये यह कोई शर्म या आर (लज्जा) की बात नहीं है कि वह मच्छर की मिसाल बयान करे या उस चीज़ की जो उससे बड़ कर है। लफज़ “فَوْفَهَا” (उससे ऊपर) में दोनो मायने मौजूद हैं। यानि कमतर और हकीर होने में उससे भी बड़ कर या यह कि उससे ऊपर की कोई शय। इसलिये कि मक्खी या मकड़ी बहरहाल मच्छर से ज़रा बड़ी शय है।

“तो जो लोग साहिबे ईमान हैं वह जानते हैं कि यह यक़ीनन हक़ है उनके रब की तरफ से।”

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

“और जिन्होंने कुफ़ किया सो वह कहते हैं कि क्या मतलब था अल्लाह का इस मिसाल से?”

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا

हक़ के मुन्कर नाक भौं चढ़ा रहे हैं और ऐतराज़ कर रहे हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है? इस ज़िम्न में अगला जुम्ला बहुत अहम है।

“गुमराह करता है अल्लाह तआला इसके ज़रिये से बहुतों को और हिदायत देता है इसी के ज़रिये से बहुतों को।”

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

इन मिसालों के ज़रिये अल्लाह तआला बहुत सों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुत सों को राहे रास्त दिखा देता है। मालूम हुआ कि हिदायत और गुमराही का दारोमदार इन्सान की अपनी दाखिली कैफ़ियत (subjective condition) पर है। आपके दिल में ख़ैर है, भलाई है, आपकी नीयत तलबे हिदायत और तलबे इल्म की है तो आपको इस कुरान से हिदायत मिल जायेगी, और दिल में ज़ेग है, कजी है, नीयत में टेढ़ और फ़साद है तो इसी के ज़रिये से अल्लाह आपकी गुमराही में इज़ाफ़ा कर देगा। लेकिन अल्लाह तआला का किसी

को हिदायत देना और किसी को गुमराही में मुब्तला कर देना अललटप नहीं है, किसी क़ायदे और क़ानून के बग़ैर नहीं है।

“और नहीं गुमराह करता वह इसके ज़रिये से मगर सिर्फ़ सरकश लोगों को।”

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

इससे गुमराही में वह सिर्फ़ उन्ही को मुब्तला करता है जिनमें सरकशी है, ताअदी (उल्लंघन) है, तकबुर है। अगली आयत में उनके औसाफ़ बयान कर दिये गये।

आयत 27

“जो तोड़ देते हैं अल्लाह के (साथ किये हुए) अहद को मज़बूत बाँध लेने के बाद।”

الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

अल्लाह तआला और बन्दे के दरमियान सबसे बड़ा अहद “अहदे अलस्त” है, जिसका ज़िक्र सूरतुल आराफ़ में आयेगा। यह अहद आलमे अरवाह में तमाम अरवाहे इन्सानिया ने किया था, इनमें मैं भी था, आप भी थे, सब थे। अलग़ज़ तमाम के तमाम इन्सान जितने आज तक दुनिया में आ चुके हैं और जो क़यामत तक अभी आने वाले हैं, इस अहद के वक़्त मौजूद थे, लेकिन सिर्फ़ अरवाह की शक़ल में थे, जिस्म मौजूद नहीं थे। और यह बात याद रखिये कि इन्सान का रूहानी वजूद मुकम्मल वजूद है और अब्वलन तख़लीक़ उसी की हुई थी। “अहदे अलस्त” में तमाम बनी आदम से अल्लाह तआला ने दरयाफ़्त फ़रमाया: अलस्तु विरब्विकुम (क्या मैं ही तुम्हारा रब्व नहीं हूँ?) सबने एक ही जवाब दिया: बला (क्यों नहीं!) तो यह जो फ़ासिक़ हैं, नाफ़रमान हैं, सरकश हैं, इन्होंने इस अहद को तोड़ा और अल्लाह को अपना मालिक, अपना ख़ालिक़ और अपना हाकिम मानने की बजाय खुद हाकिम बन कर बैठ गये और इस तरह के दावे किये: {الَيْسَ لِي مَلِكٌ مِثْرِي} “क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है?” गैरुल्लाह की हाकिमियत (sovereignty) को तस्लीम करना सबसे बड़ी बगावत, सरकशी, फिस्क़ (भ्रष्टाचार) और नाफ़रमानी है, ख्वाह वह मलूकियत की सूरत में हो या अवामी हाकिमियत (Popular Sovereignty) की सूरत में।

“और काटते हैं उस चीज़ को जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है”

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤَصَلَ

अल्लाह ने सिला रहमी (रिश्तेदारी जोड़ने) का हुक्म दिया है, यह क़ता रहमी (रिश्तेदारी ख़त्म) करते हैं। माल की तलब में, उसके माल को हथियाने के लिये भाई-भाई को ख़त्म कर देता है। इन्सान अपनी ज़ाती अगराज़ (ज़रूरतों) के लिये, अपने तकब्बुर और तअल्ली (बड़प्पन) की ख़ातिर तमाम अख़लाकी हुदूद को पसे पुशत डाल देता है। हमारी शरीअत का फ़लसफ़ा यह है कि हमें दो तरह के ताल्लुक़ात जोड़ने का हुक्म दिया गया है। एक ताल्लुक़ है बन्दे का अल्लाह के साथ। उसका ताल्लुक़ “हुकूकुल्लाह” से है। जबकि एक ताल्लुक़ है बन्दों को बन्दों के साथ। यह “हुकूकुलइबाद” से मुताल्लिक़ है। अल्लाह का हक़ यह है कि उसे हाकिम और मालिक समझो और खुद उसके बन्दे बनो। जबकि इन्सानों का हक़ यह है कि: ((كُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ لِحُقُولِهَا))⁽³⁾ “सब आपस में भाई-भाई होकर अल्लाह के बन्दे बन जाओ।” इस ज़िम्न में अहमतररीन रहमी रिश्ता है, यानि सगे बहन-भाई। फिर दादा-दादी की औलाद में तमाम चचाज़ाद वगैरह (cousins) आ जायेंगे। इसके ऊपर परदादा-परदादी की औलाद का दायरा मज़ीद वसी (बड़ा) हो जायेगा। इसी तरह ऊपर चलते जायें यहाँ तक कि आदम और हव्वा पर तमाम इन्सान जमा हो जायेंगे। तो रहमी रिश्ते की बड़ी अहमियत है। यहाँ फ़ासिक्रीन की दो सिफ़ात बयान कर दी गयीं। एक यह कि वह अल्लाह के अहद को मज़बूती से बाँधने के बाद तोड़ देते हैं और दूसरे यह कि जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है यह उन्हें क़ता करते (काटते) हैं।

“और ज़मीन में फ़साद बरपा करते हैं।”

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

मुताज़क़िरा बाला दोनों चीज़ों के नतीजे में ज़मीन में फ़साद पैदा होता है। इन्सान अल्लाह की इताअत से बागी हो जायें या आपस में एक-दूसरे की गरदनें काटने लगे तो इसका नतीजा फ़साद फिल अर्द (ज़मीन में फ़साद) की सूरत में निकलता है।

“यही लोग नुक़सान उठाने वाले हैं।”

أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

यही लोग हैं जो बिलआखिर आखरी और दाईमी खसारे में रहने वाले हैं।

आयत 28

“तुम कैसे कुफ़र करते हो अल्लाह का हालाँकि तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें ज़िन्दा किया।”

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ

“फिर वह तुम्हें मारेगा, फिर जिलायेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिये जाओगे।”

ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

इस मक़ाम पर एक बड़ी गहरी हिकमत और फ़लसफ़े की बात बयान की गयी है जो आज निगाहों से बिल्कुल ओझल हो चुकी है। वह यह कि हम दुनिया में आने से पहले मुर्दा थे ((كُنْتُمْ أَمْوَاتًا))। इसके क्या मायने हैं?

यह मज़मून सूरह गाफ़िर/सूरतुल मोमिन में ज़्यादा वज़ाहत से आया है, जो सूरतुल बकरह से पहले नाज़िल हो चुकी थी। लिहाज़ा यहाँ इज्माली (संक्षिप्त) तज़क़िरा है। वहाँ अहले जहन्नम का क़ौल बाअल्फ़ाज़ नक़ल हुआ है:

“ऐ हमारे रब! तूने दो मर्तबा हम पर मौत वारिद की और दो मर्तबा हमें ज़िन्दा किया, अब हमने अपने गुनाहों का ऐतराफ़ कर लिया है, तो अब यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता है?”

رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَبْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ

इससे यह हक़ीक़त वाज़ेह हुई कि इन्सान की तख़लीके अब्बल आलमे अरवाह में सिर्फ़ अरवाह की हैसियत से हुई थी। अहादीस में अल्फ़ाज़ वारिद हुए हैं: ((الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ)) (मुत्तफ़िक़ अलै०) यानि अरवाह जमाशुदा लशक़रों की सूरत में थीं। इन अरवाह से वह अहद लिया गया जो “अहदे अलस्त” कहलाता है। फिर इन्हें सुला दिया गया। यह गोया पहली मौत थी जो हम गुज़ार आये हैं। (आप जानते हैं कि मुर्दा मादूम (अस्तित्वहीन) नहीं होता, बेजान होता है, एक तरह से सोया हुआ होता है। कुरान हकीम में मौत और नींद को बाहम तशबीह दी गयी है।) फिर दुनिया में आलमे ख़ल्क का मरहला आया, जिसमें

तनासुल (प्रजनन) के ज़रिये से अजसादे इन्सानिया (Human bodies) की तख़लीक़ होती है और उनमें अरवाह फूँकी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रजि०) से मरवी मुत्तफ़िक़ अलै हदीस के मुताबिक़ रहमे मादर (गर्भ) में जनीन (भ्रूण) जब चार माह का हो जाता है तो उसमें वह रूह लाकर फूँक दी जाती है। यह गोया पहली मर्तबा का ज़िन्दा किया जाना हो गया। हम इस दुनिया में अपने जसद (जिस्म) के साथ ज़िन्दा हो गये, हमें पहली मौत की नींद से जगा दिया गया। अब हमें जो मौत आयेगी वह हमारी दूसरी मौत होगी और इसके नतीजे में हमारा जसद वहीं चला जायेगा जहाँ से आया था (यानि मिट्टी में) और हमारी रूह भी जहाँ से आयी थी वहीं वापस चली जायेगी। यह फ़लसफ़ा व हिकमते कुरानी का बहुत गहरा नुक्ता है।

आयत 29

“वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिये जो *هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا* कुछ भी ज़मीन में है।”

इस आयत में ख़िलाफ़त का मज़मून शुरू हो गया है। हदीस में आता है: ((انّ (4) (الذُّنُبَا خُلِقَتْ لَلْمِ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ)) “यह दुनिया तुम्हारे लिये बनायी गयी है और तुम आख़िरत के लिये बनाये गये हो।” अगली आयत में हज़रत आदम (अलै०) की ख़िलाफ़ते अर्ज़ी का ज़िक़ है। गोया ज़मीन में जो कुछ भी पैदा किया गया है वह इन्सान की ख़िलाफ़त के लिये पैदा किया गया है।

“फिर वह मुतवज्जा हुआ आसमानों की तरफ़ *ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ* और उन्हें ठीक-ठीक सात आसमानों की शक़ल में बना दिया।”

यह आयत ताहाल (अभी तक) आयाते मुताशाबेहात में से है। सात आसमानों की क्या हक़ीक़त है, हम अभी तक पूरे तौर पर इससे वाक़िफ़ नहीं हैं।

“और वह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है।” *وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*

उसे हर शय का इल्मे हक़ीक़ी हासिल है।

आयात 30 से 39 तक

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۳۱ قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝۳۲ قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۗ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۗ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝۳۳ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْۤا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ۗ اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝۳۴ وَقُلْنَا یٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا ۗ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ السَّجْرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۝۳۵ فَآرٰهُمَا الشَّیْطٰنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیْهِ ۗ وَقُلْنَا اهْبِطُوْۤا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حَیٰثٍ ۝۳۶ فَتَلَقٰۤی اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِۦ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ۝۳۷ قُلْنَا اهْبِطُوْۤا مِنْهَا جَمِیْعًا ۗ فَاَمَّا یٰۤاٰدَمُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ رَغَدًا حَیْثُ مَدَدْتَ رَجُلًا ۗ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا وَكَذَّبُوْۤا بِآیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّٰرِ ۗ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۳۸

आयत 30

“और याद करो जबकि कहा था तुम्हारे रब ने फ़रिशतों से कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक ख़लीफ़ा।”

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ

खलीफ़ा दर हक़ीक़त नायब को कहते हैं। आमतौर पर लोगों को मुग़लता लाहक़ होता है कि खलीफ़ा और जानशीन किसी की मौत के बाद मुक़रर होता है, ज़िन्दगी में नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में इन्सान की असल हक़ीक़त को समझने के लिये वायसराय का तसव्वुर ज़हन में रखिये। 1947 ई० से पहले हम अंग्रेज़ के गुलाम थे। हमारा असल हाकिम (बादशाह या मलिका) इंगलिस्तान में था, जबकि देहली में वायसराय होता था। वायसराय का काम यह था कि His Majesty या Her Majesty की हुकूमत का जो भी हुकूम मौसूल (प्राप्त) हो उसे बिना चूँ व चरा बगैर किसी तगय्युर (परिवर्तन) और तब्दील के नाफ़िज़ करे। अलबत्ता वायसराय को इख़्तियार हासिल था कि अगर किसी मामले में इंगलिस्तान से हुकूम ना आये तो वह यहाँ के हालात के मुताबिक़ अपनी बेहतरीन राय क़ायम करे। वह ग़ौरो फ़िक़र करे कि यहाँ की मसलहतें क्या हैं और जो चीज़ भी सल्तनत की मसलहत में हो उसके मुताबिक़ फ़ैसला करे। बैयन ही यही रिश्ता कायनात के असल हाकिम और ज़मीन पर उसके खलीफ़ा के माबैन है। कायनात का असल हाकिम और मालिक अल्लाह तआला है, लेकिन उसने अपने आप को ग़ैब के परदे में छुपा लिया है। ज़मीन पर इन्सान उसका खलीफ़ा है। अब इन्सान का काम यह है कि जो हिदायत अल्लाह की तरफ़ से आ रही है उस पर तो बे चूँ व चरा अमल करे और जिस मामले में कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है वहाँ ग़ौरो फ़िक़र और सोच-विचार करे और इस्तमबात (अनुमान) व इज्जहाद (राय) से काम लेते हुए जो बात रूहे दीन से ज़्यादा से ज़्यादा मुताबक़त रखने वाली (मिलती) हो उसे इख़्तियार करे। यही दर हक़ीक़त रिश्ता-ए-ख़िलाफ़त है जो अल्लाह और इन्सान के माबैन है।

यह हैसियत तमाम इन्सानों को दी गयी है और बिलकुब्वा (Potentially) हर इन्सान अल्लाह का खलीफ़ा है, लेकिन जो अल्लाह का बागी हो जाये, जो खुद हाकिमियत का मुद्दई हो जाये तो वह इस ख़िलाफ़त के हक़ से महरूम हो जाता है। अगर किसी बादशाह का वली अहद अपने बाप की ज़िदगी ही में बग़ावत कर दे और हुकूमत हासिल करना चाहे तो अब वह वाजिबुल क़त्ल है। इसी तरह जो लोग भी इस दुनिया में अल्लाह तआला की हाकिमियते आला के मुन्कर होकर खुद हाकिमियत के मुद्दई हो गये अगरचे वह वाजिबुल क़त्ल हैं, लेकिन दुनिया में उन्हें मोहलत दी गयी है। इसलिये कि यह दुनिया दारुल इम्तिहान है। चुनाँचे अल्लाह तआला उन्हें फ़ौरन ख़त्म नहीं करता। अज़रूए

अल्फ़ाज़े कुरानी { وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَٰ بَيْنَهُمْ } (अश्शूरा:14) “और अगर एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती एक वक़्त मुअय्यन तक तुम्हारे रब की तरफ़ से तो इनके दरमियान फ़ैसला चुका दिया जाता।” चूँकि अल्लाह तआला ने उन्हें एक वक़्त मुअय्यन तक के लिये मोहलत दी है लिहाज़ा उन्हें फ़ौरी तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता, लेकिन कम से कम इतनी सज़ा ज़रूर मिलती है कि अब वह ख़िलाफ़त के हक़ से महरूम कर दिये गये हैं। गोया कि अब दुनिया में ख़िलाफ़त सिर्फ़ ख़िलाफ़तुल मुस्लिमीन होगी। सिर्फ़ वह शख्स जो अल्लाह को अपना हाकिमे मुतलक़ (पूर्ण) माने, वही ख़िलाफ़त का अहल है। तो यह चन्द बातें ख़िलाफ़त की असल हक़ीक़त के ज़िम्न में यहीं पर समझ लीजिये। { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً } “और याद करो जब तुम्हारे रब ने कहा था फ़रिश्तों से कि मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ।”

“उन्होंने कहा: क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुक़रर करने वाले हैं जो उसमें फ़साद मचायेगा और खूँरज़ी करेगा?”

قَالُوۡا اَتَجْعَلُ فِیۡهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیۡهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ

“और हम आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तक्रदीस में लगे हुए हैं।”

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

“फ़रमाया: मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते।”

قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ

अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि फ़रिश्तों को इन्सान के बारे में यह गुमान या यह खयाल कैसे हुआ? इसके ज़िम्न में दो आरा (रायें) हैं। एक तो यह कि इन्सान की तख़लीक़ से पहले इस ज़मीन पर जिन्नात मौजूद थे और उन्हें भी अल्लाह ने कुछ थोड़ा सा इख़्तियार दिया था और उन्होंने यहाँ फ़साद बरपा कर रखा था। उन्हीं पर क़यास (अनुमान) करते हुए फ़रिश्तों ने समझा कि इन्सान भी ज़मीन में फ़साद मचायेगा और खूँरज़ी करेगा। एक दूसरी उसूली बात यह कही गयी है कि जब ख़िलाफ़त का लफ़ज़ इस्तेमाल हुआ तो फ़रिश्ते समझ गये कि इन्सान को ज़मीन में कोई ना कोई इख़्तियार भी मिलेगा। जिन्नात के बारे में ख़िलाफ़त का लफ़ज़ कहीं नहीं आया, यह सिर्फ़ इन्सान के बारे में आ

रहा है। और खलीफा बिल्कुल बे इख्तियार नहीं होता। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया जहाँ वाज़ेह हुक्म है उसका काम उसकी तन्फ़ीज़ है और जहाँ नहीं है वहाँ अपने ग़ौरो फ़िक्र और सोच-विचार की सलाहियतों को बरबयेकार लाकर उसे बेहतर से बेहतर राय क़ायम करनी होती है। ज़ाहिर बात है जहाँ इख्तियार होगा वहाँ उसके सही इस्तेमाल का भी इम्कान है और गलत का भी। पॉलिटिकल साइन्स का तो यह मुसल्लमा उसूल (Axiom) है: "Authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely." चुनाँचे इख्तियार के अन्दर बदउन्वानी (भ्रष्टाचार) का रुझान मौजूद है। इस बिना पर उन्होंने क़यास किया कि इन्सान को ज़मीन में इख्तियार मिलेगा तो यहाँ फ़साद होगा, खूँरज़ी होगी। अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि अपनी हिकमतों से मैं खुद वाक़िफ़ हूँ। मैं इन्सान को खलीफ़ा क्यों बना रहा हूँ, यह मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते।

आयत 31

"और अल्लाह ने सिखा दिये आदम को तमाम के तमाम नाम"

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

मुफ़स्सिरीन का तक़रीबन इज्मा है कि इससे मुराद तमाम अशिया (चीज़ों) के नाम हैं और तमाम अशिया के नामों से मुराद उनकी हकीक़त का इल्म है। आप इन्सानी इल्म (Human Knowledge) का तजज़िया करें तो वह यही है कि इन्सान एक चीज़ को पहचानता है, फिर उसका एक नाम रखता है या उसके लिये कोई इस्तलाह (term) क़ायम करता है। वह उस नाम और उस इस्तलाह के हवाले से उस चीज़ के बारे में बहुत से हक़ाइक़ को अपने ज़हन में महफूज़ करता है। तो अल्लाह तआला ने इन्सान को तमाम नाम सिखा दिये। गोया कुल माद्री कायनात (Material World) के अन्दर जो कुछ वजूद में आने वाला था, उन सबकी हकीक़त से हज़रत आदम (अलै०) को इम्कानी तौर पर (Potentially) आगाह कर दिया। यह इन्सान का इकतसाबी इल्म (Acquired Knowledge) है जो उसे सम-ओ-बसर और अक़्ल व दिमाग से हासिल होता है।

इन्सान को हासिल होने वाले इल्म के दो हिस्से हैं। एक इल्हामी (Revealed Knowledge) है जो अल्लाह तआला वही के ज़रिये से भेजता है, जबकि एक इल्म बिलहवास या इकतसाबी इल्म (Acquired

Knowledge) है जो इन्सान खुद हासिल करता है। उसने आँखों से देखा, कानों से सुना, नतीजा निकाला और दिमाग के कम्प्यूटर ने उसको प्रोसेस करके उस नतीजे को कहीं हाफ़ज़े (memory) के अन्दर महफूज़ कर लिया। फिर कुछ और देखा, कुछ और सुना, कुछ छू कर, कुछ चख कर, कुछ सूँघ कर मालूम हुआ और कुछ और नतीजा निकाला तो उसे साबक़ा याद्दाशत के साथ टैली करके नतीजा निकाला। अज़रूए अल्लफ़ाज़ कुरानी (बनी इसराइल:36): {لَنْ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ} इन्सान को यह इकतसाबी इल्म (Acquired Knowledge) तीन चीज़ों से हासिल हो रहा है: समाअत, बसारत और अक़्ल। अक़्ल उस तमाम sense data को जो उसे मुहैय्या होता है, हवास (sense organs) के ज़रिये से प्रोसेस करती है और फ़ायदा अख़ज़ करती है। यह इल्म है जो बिलकुव्वा (Potentially) हज़रत आदम (अलै०) को दे दिया गया। अब इसकी exfoliation हो रही है और दर्जा-ब-दर्जा वह इल्म फैल रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते-बढ़ते यह कहाँ तक पहुँचेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। इन्सान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है! इस निस्फ़े सदी में इल्मे इन्सानी में जो explosion हुआ है मैं और आप उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। अक्सर बड़े-बड़े साइन्सदानों को भी इसका इदराक (अहसास) व शऊर नहीं है कि इन्सानी इल्म ने कितनी बड़ी ज़क्रन्द (छलांग) लगायी है। इसलिये कि एक शख्स अपनी लाईन के बारे में तो जानता है कि इसमें क्या कुछ हो गया। मसलन एक साइन्सदान सिर्फ़ फिज़िक्स या इसकी भी किसी शाख के बारे में जानता है, बाक़ी दूसरी शाखों के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं। यह दौर स्पेशलाइज़ेशन का दौर है, लिहाज़ा इल्म के मैदान में जो बड़ा धमाका (explosion) हुआ है उसका हमें कोई अन्दाज़ा नहीं है। एक चीज़ जो आज ईजाद होती है चन्द दिनों के अन्दर-अन्दर उसका नया version आ जाता है और यह चीज़ मतरूक (outdated) हो जाती है। इब्लाग और मवासलात (Communication) के अन्दर इन्क़लाबे अज़ीम बरपा हुआ है। आप यह समझिये कि इक़बाल ने जो यह शेर कभी कहा था, उसकी ताबीर क़रीब से क़रीब तर आ रही है:

أرؤىة آءءمة آءاءى سے انؤؤمن سءءه آءءه هئ

कि यह टूटा हुआ तारा मय कामिल ना बन जाये!

और यह "मयकामिल" उस वक़्त बनेगा जब दज्जाल की शक़्ल इख्तियार करेगा। दज्जाल वह शख्स होगा जो इन तमाम क़वाइदे तबीइया (Physical Laws) के ऊपर काबू पा लेगा। जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा बारिश बरसायेगा। वह रिज़क़

के तमाम खज़ाने अपने हाथ में ले लेगा और ऐलान कर देगा कि जो उस पर ईमान लायेगा उसी को रिज़क मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनायी देगी। वह चन्द दिनों के अन्दर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। यह सारी बातें हदीस में दज्जाल के बारे में आयी हैं। वह आदम के उस इकतसाबी इल्म (Acquired Knowledge) की उस हद को पहुँच जायेगा कि फ़ितरत के तमाम इसरार (mysteries) उस पर मुन्कशिफ़ हो जायें और उसे क़वाइदे तबीइया पर तसरूफ़ (ज़ब्त) हासिल हो जाये, वह इन्हें harness कर ले, क़ाबू में ले आये और उन्हें इस्तेमाल करे।

इन्सान ने जो सबसे पहला ज़रिया-ए-तवानाई (source of energy) दरयाफ्त किया वह आग था। आज से हज़ारों साल पहले हमारे किसी ज़दे अमजद ने देखा कि कोई चट्टान ऊपर से गिरी, पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें से आग का शोला निकला। उसका यह मुशाहिदा आग पैदा करने के लिये काफी हो गया कि पत्थरों को आपस में टकराओ और आग पैदा कर लो। चुनाँचे आग उस दौर की सबसे बड़ी ईजाद और अब्बलीन ज़रिया-ए-तवानाई थी। अब वह तवानाई (energy) कहाँ से कहाँ पहुँची! पहले उस आग ने भाप की शक़ल इख़्तियार की, फिर हमने बिजली ईजाद की और अब एटमी तवानाई (Atomic Energy) हासिल कर ली है और अभी ना मालूम क्या-क्या हासिल होना है। वल्लाहु आलम! इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ ख़िलाफ़ते अरज़ी के साथ है। लिहाज़ा फ़रिश्तों को बताया गया कि आदम को सिर्फ़ इख़्तियार ही नहीं, इल्म भी दिया जा रहा है।

“फिर उन (तमाम अशया) को पेश किया फ़रिश्तों के सामने”

ثُمَّ عَرَّضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ

“और फ़रमाया कि बताओ मुझे इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो।”

فَقَالَ ابْنُؤَيُّنَ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

अगर तुम्हारा यह ख्याल सही है कि किसी ख़लीफ़ा के तक्रूर (नियुक्ति) से ज़मीन का इन्तेज़ाम बिगड़ जायेगा।

आयत 32

“उन्होंने कहा (परवरदिगार!) नुक्स से पाक तो आप ही की ज़ात है”

قَالُوا سُبْحَانَكَ

आप हर नुक्स से, हर ऐब से, हर ज़ौफ़ से, हर अहतियाज (ग़रीबी) से मुबरा (रहित) और मुनज़्ज़ाह हैं, आला और अरफ़ाअ हैं।

“हमें कोई इल्म हासिल नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया है।”

لَا عَلِمْنَا لَكَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

इसकी यही ताबीर बेहतर मालूम होती है कि अल्लाह तआला की इस कायनाती हुकूमत में मलाइका की हैसियत दर हक़ीक़त उसके कारिन्दों (या Civil Servants) की है। चुनाँचे हर एक को सिर्फ़ उसके शौबे (क्षेत्र) के मुताल्लिक़ इल्म दिया गया है, उनका इल्म जामेअ नहीं है और उनके पास तमाम चीज़ों का मज्मुई इल्म हासिल करने की इस्तेअदाद (क्षमता) नहीं है। मसलन कोई फ़रिश्ता बारिश के इन्तेज़ाम पर मामूर है, कोई पहाड़ों पर मामूर है, जिसका ज़िक़ सीरत में आता है कि जब ताईफ़ में रसूल अल्लाह ﷺ पर पथराव हुआ तो उसके बाद एक फ़रिश्ता हाज़िर हुआ कि मैं मलाकुल जिबाल हूँ, अल्लाह ने मुझे पहाड़ों पर मामूर किया हुआ है, अगर आप ﷺ फ़रमायें तो मैं इन दो पहाड़ों को आपस में टकरा दूँ जिनके दरमियान ताईफ़ की यह वादी वाक़ेअ है और इस तरह अहले ताईफ़ पिस कर सुरमा बन जायें। आप ﷺ ने फ़रमाया कि नहीं, क्या अजब कि अल्लाह तआला इनकी आईन्दा नस्लों को हिदायत दे दे। तो फ़रिश्ते अल्लाह तआला की तरफ़ से मुख़्तलिफ़ ख़िदमात पर मामूर हैं और उनको जो इल्म दिया गया है वह सिर्फ़ उनके अपने फ़राइज़े मनसबी और उनके अपने-अपने शौबे से मुताल्लिक़ दिया गया है, जबकि हज़रत आदम (अलै०) को इल्म की जामियत बिलकुव्वा (Potentially) दे दी गयी, जो बढ़ते-बढ़ते अब एक बहुत तनावर दरख़्त बन चुका है।

“यक़ीनन आप ही हैं जो सब कुछ जानने वाले कामिल हिकमत वाले हैं।”

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

आप ही की ज़ात है जो कुल के कुल इल्म की मालिक है और जिसकी हिकमत भी कामिल है। बाक़ी तो मख़लूक़ में से हर एक का इल्म नाक़िस (अधूरा) है।

आयत 33

“अल्लाह ने फ़रमाया कि ऐ आदम! इनको बताओ इन चीज़ों के नामा”

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

“तो जब उसने बता दिये उनको उन सबके नाम”

فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

“तो (अल्लाह ने) फ़रमाया: क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीन की तमाम छुपी हुई चीज़ों को”

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

जो तुम्हारी निगाहों से ओझल और मख़फ़ी हैं।

“और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर कर रहे थे और जो कुछ तुम छुपा रहे थे।”

مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

इन अल्फ़ाज़ से महसूस होता है कि फ़रिशतों की ख़्वाहिश यह थी कि ख़िलाफ़त हमें मिले, हम खुदायें अदब हैं, हर वक़्त तस्बीह व तहमीद और तक्रदीस में मसरूफ़ हैं, जो हुक्म मिलता है बजा लाते हैं, तो यह ख़िलाफ़त किसी और मख़लूक़ को क्यों दी जा रही है।

अब आगे चूँकि तीसरी मख़लूक़ का ज़िक्र भी आयेगा लिहाज़ा यहाँ नोट कर लीजिये कि अल्लाह तआला की तीन मख़लूक़ात ऐसी हैं जो साहिबे तशख़बुस (पहचान) और साहिबे शऊर हैं और जिनमें “अना” (मैं) का शऊर है। एक मलाका हैं, उनकी तख़लीक़ नूर से हुई है। दूसरे इन्सान हैं, जिनकी तख़लीक़ गारे से हुई है और तीसरे जिन्नात हैं, जिनकी तख़लीक़ आग से हुई है। बाक़ी हैवानात हैं, उनमें शऊर (consciousness) तो है, खुद शऊरी (self consciousness) नहीं है। इन्सान जब देखता है तो उसको यह भी मालूम होता है कि मैं देख रहा हूँ, जबकि कुत्ता या बिल्ला देखता है तो उसे यह अन्दाज़ा नहीं होता कि मैं देख रहा हूँ। हैवानात में “मैं” का शऊर नहीं है। यह अना, Self या Ego सिर्फ़ फ़रिशतों में, इन्सान में और जिन्नात में है। इनमें से एक नूरी

मख़लूक़ है, एक नारी मख़लूक़ है और एक खाकी है, जो ज़मीन के इस क़शर (crust) में मिट्टी और पानी के मलगूबे यानि गारे से वजूद में आयी है।

आयत 34

“और याद करो जब हमने कहा फ़रिशतों से कि सज्दा करो आदम को तो सब सज्दे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के।”

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

यहाँ एक बात तो यह समझिये कि आदम (अलै०) को तमाम मलाइका के सज्दे की ज़रूरत क्या थी? क्या यह सिर्फ़ ताज़ीमन था? और अगर ताज़ीमन था तो क्या आदमे ख़ाकी की ताज़ीमन मक़सूद थी या किसी और शय की ताज़ीमन थी? मक्की सूरतों में यह बात दो जगह बाअल्फ़ाज़ वाज़ेह की गयी है: {فَإِذَا سُوِّتُهُ} (अल हिज़्र: 29 व सुआद:72) “फिर जब मैं इस (आदम) की तख़लीक़ मुकम्मल कर लूँ और इसमें अपनी रूह में से फूँक दू तब गिर पड़ना उसके सामने सज्दे में।” चुनाँचे ताज़ीमन अगर है तो आदमे ख़ाकी की नहीं है, उसके अन्दर मौजूद “रूहे रब्बानी” की है, जो एक Divine Element या Divine Spark है, जिसे खुद ख़ालिक़ ने “मिन रूही” से ताबीर फ़रमाया है।

दूसरे यह कि इस सज्दे की हिकमत क्या है? इसकी इल्लत (कारण) और गरज़ (इरादा) व गायत (अंत) क्या है? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इस कायनात यानि इस आफ़ाक़ी हुक्मत के कारिन्दे तो फ़रिशते हैं और ख़लीफ़ा बनाया जा रहा है इन्सान को। लिहाज़ा जब तक यह सारी सिविल सर्विस उसके ताबेअ ना हो जाये वह ख़िलाफ़त कैसे करेगा! जब हम किसी काम का इरादा करते हैं और कोई फ़अल करना चाहते हैं तो उस फ़अल के पूरा होने में, उसके ज़हूर पज़ीर होने में नामालूम कौन-कौन से अवा मिल कारफ़रमा होते हैं और फ़ितरत की कौन-कौन सी कुव्वतें (forces) हमारे साथ मुवाफ़क़त (अनुकूलन) करती हैं तो हम वह काम कर सकते हैं, और उन सब पर फ़रिशते मामूर हैं। हर एक की अपनी अक़लीम (domain) है। अगर वह इन्सान के ताबेअ ना हो तो ख़िलाफ़त के कोई मायने ही नहीं हैं। इसे ख़िलाफ़त दी गयी है, यह जिधर जाना चाहता है जाने दो, यह नमाज़ के लिये मस्जिद में जाना चाहता है जाने दो, यह चोरी

के लिये निकला है निकलने दो। इन्सान को जो इख्तियार दिया गया है उसके इस्तेमाल में यह तमाम कुव्वतें उसके साथ मुवाफ़क़त करती हैं तब ही उसका कोई इरादा, ख्वाह अच्छा हो या बुरा, पाये तकमील को पहुँच सकता है। इस मुवाफ़क़त की अलामत के तौर पर तमाम फ़रिशतों को इन्सान के आगे झुका दिया गया।

इस आयत में “إِلَّا إِلَيْسَ” (सिवाय इब्लीस के) से यह मुग़ालता पैदा हो सकता है कि शायद इब्लीस भी फ़रिशता था। इसलिये कि सज्दे का हुक्म तो फ़रिशतों को दिया गया था। इस मुग़ालते का इज़ाला (निवारण) सूरतुल कहफ़ में कर दिया गया जो सूरतुल बकरह से बहुत पहले नाज़िल हो चुकी थी। वहाँ अल्फ़ाज़ आये हैं: {كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} (आयत:50) “वह जिन्नों में से था, पस उसने सरकशी की अपने रब के हुक्म से।” फ़रिशतों में से होता तो नाफ़रमानी कर ही ना सकता। फ़रिशतों की शान तो यह है कि वह अल्लाह के किसी हुक्म से सरताबी (हठधर्मी) नहीं कर सकते। अज़रूए अल्फ़ाज़ कुरानी: {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ} (अल तहरीम:6) “वह अल्लाह के किसी हुक्म की नाफ़रमानी नहीं करते और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं।” जिन्नात भी इन्सानों की तरह एक जी इख्तियार (सक्षम प्राधिकारी) मख़्लूक है जिसे ईमान-ओ-कुफ़ और इताअत-ओ-माअसियत (आज्ञा व अवहेलना) दोनों की कुदरत बख़्शी गयी है। चुनाँचे जिन्नात में नेक भी हैं बद भी हैं, आला भी हैं, अदना भी हैं, जैसे इन्सानों में हैं। लेकिन यह “अज़ाज़ील” जो जिन्न था, इल्म व इबादत दोनों के ऐतबार से बहुत बुलन्द हो गया था और फ़रिशतों का हमनशीन था। यह फ़रिशतों के साथ इस तौर पर शामिल था जैसे बहुत से इन्सान भी अगर अपनी बन्दगी में, ज़ुहद में, नेकी में तरक्की करें तो उनका आलमे अरवाह के साथ, आलमे मलाइका के साथ और मला-ए-आला के साथ एक राबता कायम होता है। इसी तरह अज़ाज़ील भी जिन्न होने के बावजूद अपनी नेकी, इबादत, पारसाई (धार्मिकता) और अपने इल्म में फ़रिशतों से बहुत आगे था, इसलिये “मुअल्लिमुल मलाकूत” की हैसियत इख्तियार कर चुका था और उसे अपनी इस हैसियत का बड़ा ज़अम (गुरूर) था।

जैसा कि अर्ज़ किया गया, कुरान हकीम में क्रिस्सा आदम व इब्लीस के ज़िम्न में यह बात सात मर्तबा आयी है कि फ़रिशतों को हुक्म हुआ कि आदम को सज्दा करो, सब झुक गये मगर इब्लीस ने सज्दे से इन्कार कर दिया। आयत ज़ेरे मुतआला में क्रिस्सा आदम व इब्लीस सातवीं मर्तबा आ रहा है। अगरचे

मुसहफ़ में यह पहली मर्तबा आ रहा है लेकिन तरतीबे नुज़ूली के ऐतबार से यहाँ सातवीं मर्तबा आ रहा है। आदम व इब्लीस का यह क्रिस्सा सूरतुल बकरह के बाद सूरतुल आराफ़ में, फिर सूरतुल हिज़्र में, फिर सूरह बनी इसराइल में, फिर सूरतुल कहफ़ में, फिर सूरह ताहा में और फिर सूरह सुआद में आयेगा। यानि यह क्रिस्सा कुरान हकीम में छः मर्तबा मक्की सूरतों में आया है और एक मर्तबा मदनी सूरत सूरतुल बकरह में आया है।

इब्लीस का असल नाम “अज़ाज़ील” था, इब्लीस अब इसका सिफ़ाती नाम है। इसलिये कि اَيْلَسَ، اَيْلَسَ के मायने होते हैं मायूस हो जाना। यह अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस है और जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाये वह शैतान हो जाता है। वह सोचता है कि अब मेरा तो छुटकारा नहीं है, मेरी तो आक्रबत (परिणाम) ख़राब हो ही चुकी है, लिहाज़ा मैं अपने साथ और जितनों को बरबाद कर सकता हूँ कर लूँ। “हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे!” अब वह शैतान इस मायने में है कि इन्सान की अदावत (दुश्मनी) उसकी घुट्टी में पड़ गयी। उसने अल्लाह से इजाज़त भी ले ली कि मुझे मोहलत दे दे क्रयामत के दिन तक के लिये {إِلَى يَوْمٍ يَنْعَثُونَ} तो मैं साबित कर दूँगा कि यह आदम उस रुतबे का हक़दार ना था जो इसे दिया गया।

“उसने इन्कार किया और तकबुर किया।”

أَبِي وَاسْتَكْبَرَ

कुरान हकीम में दूसरे मक्कामात पर उसके यह अल्फ़ाज़ नक़ल हुए हैं: {لَأَنَّا {حَبِيزٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} (अल आराफ़:12 व सुआद:76) “मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे गारे से बनाया।” दर हकीक़त यही वह तकबुर है जिसने उसे रान्दाह दरगाहे हक़ कर दिया।

तकबुर अज़ाज़ील रा ख़वार कर्द, कि दर तौक़े लानत गिरफ़तार कर्द!

“और हो गया वह काफ़िरों में से।” या “और था वह काफ़िरों में से।”

وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

اَنْ اَرَبِي ج़बान में दो तरह का होता है: “ताम्मा” और “नाक़िसा।” اَنْ नाक़िसा के ऐतबार से यह मायने हो सकते हैं कि अपने उस इस्तक़बार और इन्कार की वजह से वह काफ़िरों में से हो गया। जबकि اَنْ ताम्मा के ऐतबार से यह मायने होंगे कि वह था ही काफ़िरों में से। यानि उसके अन्दर सरकशी छुपी हुई थी,

अब ज़ाहिर हो गयी। ऐसा मामला कभी हमारे मुशाहिदे (अनुभव) में भी आता है कि किसी शख्स की बदनियती पर नेकी और जुहद के परदे पड़े रहते हैं और किसी खास वक़्त में आकर वह नंगा हो जाता है और उसकी बातिनी हकीकत सामने आ जाती है।

आयत 35

“और हमने कहा ऐ आदम! रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में”

सवाल पैदा होता है कि यह जन्नत कौनसी है? अक्सर हज़रात के नज़दीक यह जन्नत कहीं आसमान ही में थी और आसमान ही में हज़रत आदम (अलै०) की तख़लीक हुई। अलबत्ता यह सब मानते हैं कि यह वह जन्नतुल फ़िरदौस नहीं थी जिसमें जाने के बाद निकलने का कोई सवाल नहीं। उस जन्नत में तो आख़िरत में लोगों को जाकर दाखिल होना है और उसमें दाखिले के बाद फिर वहाँ से निकलने का कोई इम्कान नहीं है। एक राय यह भी है, और मेरा रुझान इसी राय की तरफ है, कि तख़लीके आदम (अलै०) इसी ज़मीन पर हुई है। वह तख़लीक जिन मराहिल से गुज़री वह इस वक़्त हमारा मौजू-ए-बहस नहीं है। बायोलॉजी और वही दोनों इस पर मुत्तफ़िक हैं कि क़शरे अर्द्र (Crust of the Earth) यानि मिट्टी से इन्सान की तख़लीक हुई है। इसके बाद किसी ऊँचे मक़ाम पर किसी सरसब्ज़ व शादाब इलाके में हज़रत आदम (अलै०) को रखा गया, जहाँ हर क्रिस्म के मेवे थे, हर शय बाफ़रागत (आराम से) मयस्सर थी। अज़रूए अल्फ़ाज़ कुरानी (सूरह ताहा):

“यहाँ तुम्हारे लिये यह आसाईशें (सुविधायें) मौजूद हैं कि ना तुम्हें इसमें भूख लगेगी ना उरयानी (नय़ता) लाहक़ होगी। और यह कि ना तुम्हें इसमें प्यास तंग करेगी ना धूप सतायेगी।”

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَقُ ۖ

हज़रत आदम (अलै०) और उनकी बीवी को वहाँ हर तरह की आसाईशें हासिल थीं। अलबत्ता यह जन्नत यह सिर्फ़ एक demonstration के लिये थी कि उन्हें नज़र आ जाये कि शैतान उनका और उनकी औलाद का अज़ली (अनन्त काल से) दुश्मन है, वह उन्हें वरगलायेगा और तरह-तरह से बसवसा अन्दाज़ी करेगा। इसकी मिसाल यूँ समझिये कि किसी शख्स का इन्तखाब तो हो गया और वह CSP cadre में आ गया, लेकिन उसकी तैनाती (Posting) से पहले उसे सिविल सर्विस अकेडमी में ज़ेरे तरतीब रखा जाता है। वाज़ेह रहे कि यहाँ जो लफ़्ज़ हبوط (उतरना) आ रहा है वह सिर्फ़ इसी एक मायने में नहीं आता, इसके दूसरे मायने भी हैं। यह चीज़ें फिर मुतशाबेहात में से रहेंगी। इसलिये इनके बारे में ग़ौरो फ़िक्र से कोई एक या दूसरी राय इख़्तियार की जा सकती है। वल्लाहु आलम!

“और खाओ इसमें से बाफ़रागत (आराम से) जहाँ से चाहो।”

यहाँ हर तरह के फल मौजूद हैं, जो चाहो बिला रोक-टोक खाओ।

“मगर उस दरख़्त के करीब मत जाना।”

यहाँ पर उस दरख़्त का नाम नहीं लिया गया, इशारा कर दिया गया कि उस दरख़्त के करीब भी मत जाना।

“वरना तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे।”

तुम हद से गुज़रने वालों में से शुमार होगे।

अब इसकी भी हिकमत समझिये कि यह उस demonstration का हिस्सा है कि दुनिया में खाने-पीने की हज़ारों चीज़ें मुबाह (permissible) हैं, सिर्फ़ चन्द चीज़ें हराम हैं। अब अगर तुम हज़ारों मुबाह चीज़ों को छोड़ कर हराम में मुँह मारते हो तो यह नाफ़रमानी शुमार होगी। अल्लाह ने मुबाहात का दायरा बहुत बसी रखा है। चन्द रिश्ते हैं जो बयान कर दिये गये कि यह हराम हैं, मुहरमाते अब्दिया हैं, इनसे तो शादी नहीं हो सकती, बाक़ी एक मुस्लमान मर्द किसी मुस्लमान औरत से दुनिया के किसी भी कोने में शादी कर सकता है,

उसके लिये करोड़ों options खुले हैं। फिर एक नहीं, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार तक औरतों से शादी की इजाज़त दी गयी है। इसके बावजूद इन्सान शादी ना करे और ज़िना करे, तो यह गोया उसकी अपनी ख्वासते नफ़्स है। चुनाँचे आदम व हव्वा (अलै०) को बता दिया गया कि यह पूरा बाग़ तुम्हारे लिये मुबाह है, बस यह एक दरख़्त है, उसके पास ना जाना। दरख़्त का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह तो सिर्फ़ एक आज़माईश और उसकी demonstration थी।

आयत 36

“फिर फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने
उस दरख़्त के बारे में”

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا

इसकी तफ़सील सूरह ताहा में आयी है कि शैतान ने उन्हें किस-किस तरीके से फिसलाया और उन्हें उस दरख़्त का फल चखने पर आमादा किया।

“तो निकलवा दिया उन दोनों को उस
कैफ़ियत में से जिसमें वह थे।”

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

वह क्या कैफ़ियत थी कि ना कोई मशक्कत है, ना कोई मेहनत है और इन्सान को हर तरह का अच्छे से अच्छा फल मिल रहा है, तमाम ज़रूरियात फ़राहम (प्रदान) हैं और ख़ास ख़लअते फ़ाख़रह (आलीशान पहनावे) से भी नवाज़ा गया है, जन्नत का ख़ास लिबास अता किया गया है। लेकिन इन कैफ़ियात से निकाल कर उन्हें कहा गया कि अच्छा अब जाओ और ज़िन्दगी के तलख हक्काइक़ का सामना करो। याद रखना कि शैतान तुम्हारा और तुम्हारी नस्ल का दुश्मन है और वह तुम्हें फिसलायेगा जैसे आज फिसलाया है, तुम उसकी शरारतों से होशियार रहना: { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا } (फ़ातिर:6) “यक़ीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिये तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो।” लेकिन अगर कुछ लोग उसे अपना दोस्त बना लें और उसके एजेन्ट और कारिन्दे बन जायें तो यह उनका इख़्तियार है जिसकी सज़ा उन्हें मिलेगी।

“और हमने कहा तुम सब उतरो, तुम एक-
दूसरे के दुश्मन हो गये।”

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

नोट कीजिये यहाँ जमा का सीगा आया है कि तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो गये। तो एक दुश्मनी तो शैतान और आदम और ज़ुरियते (औलाद) आदम की है, जबकि एक और दुश्मनी इन्सानों में मर्द और औरत के माबैन है। औरत मर्द को फिसलाती है और गलत रास्ते पर डालती है और मर्द औरतों को गुमराह करते हैं। कुरान मज्दीद में फ़रमाया गया है: (सूरह तगाबुन:14) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ } “ऐ अहले ईमान! यक़ीनन तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे होशियार रहो।” कहीं इनकी मोहब्बत तुम्हें राहे हक़ से मुनहरिफ़ (गुमराह) ना कर दे। शौहर एक अच्छा काम करना चाहता है लेकिन बीवी रुकावट बन गयी या बीवी कोई अच्छा काम करना चाहती है और शौहर रुकावट बन गया तो यह मोहब्बत नहीं अदावत है।

“और तुम्हारे लिये अब ज़मीन में ठिकाना है
और नफ़ा उठाना है एक ख़ास वक़्त तक।”

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

۞

अब ज़मीन तुम्हारी जाये क़याम है और यहाँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें हमने फ़राहम कर दी हैं, लेकिन यह एक वक़ते मुअय्यन तक के लिये है, यह अब्दी (हमेशा के लिये) नहीं है, एक वक़्त आयेगा कि हम यह बिसात लपेट देंगे। { يَوْمَ } { نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّ لِلْكَتُبِ } (सूरह अम्बिया:104) “जिस दिन कि हम तमाम आसमानों को इस तरह लपेट लेंगे जैसे औवराक़ का तूमार (कागज़ों का स्क़ॉल) लपेट लिया जाता है।” यह तख़लीक़ अब्दी नहीं है, “إلىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى” है “إلىٰ حِينٍ” है।

आयत 37

“फिर सीख लिये आदम ने अपने रब से चन्द
कलिमात, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कुबूल
कर ली।”

इसकी वज़ाहत सूरतुल आराफ़ में है। जब हज़रत आदम (अलै०) ने अल्लाह तआला का हुक्मे अताब आमेज़ (अपमानजनक दोष) सुना और जन्नत से बाहर आ गये तो सख़्त पशेमानी (पछतावा) और नदामत (लज्जा) पैदा हुई कि यह

मैंने क्या किया, मुझसे कैसी खता सरज़द हो गयी कि मैंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वज़ी कर डाली। लेकिन उनके पास तो तौबा व इस्तग़फ़ार के लिये अल्फ़ाज़ नहीं थे। वह नहीं जानते थे कि किन अल्फ़ाज़ में अल्लाह तआला से माफी चाहें। अल्लाह की रहमत यह हुई कि उसने अल्फ़ाज़ उन्हें खुद तल्कीन फ़रमा दिये। यह अल्लाह की शाने रहीमी है। तौबा की असल हकीकत इन्सान के अन्दर गुनाह पर नदामत का पैदा हो जाना है। इक़बाल ने अन्फ़वाने शबाब में जो अशआर कहे थे उनमें से एक शेर को सुन कर उस वक्त्र के उस्ताज़ाह भी फ़डक उठे थे:

मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिये क़तरे जो थे मेरे अर्क़े इन्फ़िआल के!
यानि शर्मिन्दगी के बाइस मेरी पेशानी पर पसीने के जो क़तरे नमूदार (हाज़िर) हो गये मेरे परवरदिगार को वह इतने अज़ीज़ हुए कि उसने उन्हें मोतियों की तरह चुन लिया। हज़रत आदम व हव्वा अलै० को जब अपनी गलती पर नदामत हुई तो गिरया व ज़ारी (शोक-विलाप) में मशगूल हो गये। इस हालत में अल्लाह तआला ने अपनी रहमत से उन्हें चन्द कलिमात इलक़ा फ़रमाये (सिखाये) जिनसे उनकी तौबा कुबूल हुई। वह कलिमात सूरतुल आराफ़ में बयान हुए हैं: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (आयत:23) “ऐ हमारे रब! हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, और अगर तूने हमें बख़्श ना दिया और हम पर रहम ना फ़रमाया तो हम ज़रूर ख़सारा पाने वालों में हो जायेंगे।” तबाह व बर्बाद हो जायेंगे।

इस मक़ाम पर शैतानियत और आदमियत का फ़ौरी तक्राबुल मौजूद है। गलती इब्लीस से भी हुई, अल्लाह के हुक्म से सरताबी हुई, लेकिन उसे उस पर नदामत नहीं हुई बल्कि वह तकब्बुर की बिना पर मज़ीद अड़ गया कि “أَنَا خَيْرٌ” और सरकशी का रास्ता इख़्तियार किया। दूसरी तरफ़ गलती आदम से भी हुई, नाफ़रमानी हुई, लेकिन वह उस पर पशेमान हुए और तौबा की। वह तर्ज़े अमल शैतानियत है और यह आदमियत है। वरना कोई इन्सान गुनाह से और माअसियत (गलती) से मुबर्रा (वंचित) नहीं है। रसूल अल्लाह ﷺ की एक हदीस है: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)) “आदम (अलै०) की तमाम औलाद ख़ताकार है, और उन ख़ताकारों में बेहतर वह हैं जो तौबा कर लें।” हज़रत आदम (अलै०) से गलती हुई। उन्हें उस पर नदामत हुई, उन्होंने तौबा की तो अल्लाह तआला ने उनकी तौबा कुबूल फ़रमा ली।

“यक़ीनन वही तो है तौबा का बहुत कुबूल करने वाला, बहुत रहम फ़रमाने वाला।”

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

तौबा का लफ़ज़ दोनों तरफ़ से आता है। बन्दा भी तव्वाब है। अज़रूए अल्फ़ाज़े कुरानी: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (सूरतुल बकरह:222) जबकि तव्वाब अल्लाह तआला भी है। इसकी असल हकीकत समझ लीजिये। बन्दे ने ख़ता की और अल्लाह से दूर हो गया तो अल्लाह ने अपनी रहमत की निगाह उससे फेर ली। बन्दे ने तौबा की तो अल्लाह फिर अपनी रहमत के साथ उसकी तरफ़ मुतवज्जा हो गया। तौबा के मायने हैं पलटना। बन्दा माअसियत से तौबा करके अपनी इस्लाह की तरफ़, बन्दगी की तरफ़, इताअत की तरफ़ पलट आया, और अल्लाह ने जो अपनी नज़रे रहमत बन्दे से फेर ली थी, फिर अपनी शाने गफ़फ़ारी और रहीमी के साथ बन्दे की तरफ़ तवज्जो फ़रमा ली। इसके लिये हदीस में अल्फ़ाज़ आते हैं:

((.... وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَفَرُّبْتُ إِلَيَّ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ

إِلَيَّ بَاعًا، وَإِن آتَانِي بِمَشْيِ أُنْتَيْتُهُ هَرُؤْلَةً)) (6)

“.....और अगर वह (मेरा बन्दा) बालिशत भर मेरी तरफ़ आता है तो मैं हाथ भर उसकी तरफ़ आता हूँ, और अगर वह हाथ भर मेरी तरफ़ आता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ़ आता हूँ, और अगर वह चल कर मेरी तरफ़ आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ़ आता हूँ।”

हम तो माइल बा करम है कोई साइल ही नहीं

राह दिखलायें किसे राह रवे मंज़िल ही नहीं!

वह तो तव्वाब है। बस फ़र्क़ यह है कि “تَاب” बन्दे के लिये आयेगा तो “إِلَى” के सिला के साथ आयेगा। जैसे: {إِلَى تَيْبَتِ الْبَيْتِ} और जब अल्लाह के लिये आयेगा तो “عَلَى” के सिला के साथ “تَاب عَلَى” आयेगा, जैसे आयत ज़ेरे मुतआला में आया: {فَتَابَ عَلَيْهِ}। अल्लाह की शान बहुत बुलन्द है। इन्सान तौबा करता है तो उसकी तरफ़ तौबा करता है, जबकि अल्लाह की शान यह है कि वह बन्दे पर तौबा करता है।

आयत 38

“हमने कहा: तुम सबके सब यहाँ से उतर जाओ।”

فَلَمَّا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَعَلْنَا

अब यहाँ लफज़ “अहبطُوا” आया है जो इससे पहले भी आया है। जो हज़रत यह समझते हैं कि तख़लीके आदम (अलै०) आसमानों पर हुई है और वह जन्नत भी आसमानों पर ही थी जहाँ हज़रत आदम (अलै०) आज़माइश या तरबियत के लिये रखे गये थे वह “अहبطُوا” का तर्जुमा करेंगे कि उन्हें आसमान से ज़मीन पर उतरने का हुक़म दिया गया। लेकिन जो लोग समझते हैं कि हज़रत आदम (अलै०) को ज़मीन पर ही किसी बुलन्द मक़ाम पर रखा गया था वह कहते हैं कि “अहبطُوا” से मुराद बुलन्द जगह से नीचे उतरना है ना कि आसमान से ज़मीन पर उतरना। वह वह आज़माइशी जन्नत किसी ऊँची सतह मरतफ़अ (पठार) पर थी। वहाँ पर हुक़म दिया गया कि नीचे उतरो और जाओ, अब तुम्हें ज़मीन में हल चलाना पड़ेगा और रोटी हासिल करने के लिये मेहनत करना पड़ेगी। यह नेअमतों के दस्तरख़वान जो यहाँ बिछे हुए थे अब तुम्हारे लिये नहीं हैं। इस मायने में इस लफज़ का इस्तेमाल इसी सूरतुल बकरह के सातवें रुकूअ में हुआ है: { أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ } (आयत:61)

“तो जब भी आये तुम्हारे पास मेरी जानिब से कोई हिदायत, तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिये ना कोई ख़ौफ़ होगा और ना वह हुज़्न से दो-चार होंगे।”

فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ فَبِئْسَ الْهَدَىٰ مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۸

यह है इल्मे इन्सानी का दूसरा गोशा, यानि इल्म बिलवही (Revealed Knowledge)। इस चौथे रुकूअ का हुस्र मुलाहिज़ा कीजिये कि इसके शुरू में इल्म बिलहवास या इकतसाबी इल्म (Acquired Knowledge) का ज़िक्र है जो बिलकुब्वा (Potentially) हज़रत आदम (अलै०) में रख दिया गया और जिसे इन्सान ने फिर अपनी मेहनत से, अपने हवास और अक्ल के ज़रिये से आगे बढ़ाया। यह इल्म मुसलसल तरक्की पज़ीर है और आज मगरबी अक़वाम इसमें हमसे बहुत आगे हैं। कभी एक ज़माने में मुस्लमान बहुत आगे निकल गये थे, लेकिन ज़ाहिर है कि इस दुनिया में उरूज तो उन्हीं को होगा जिन्हें सबसे ज़्यादा उसकी आगही (जागरूकता) हासिल होगी। अलबत्ता वह इल्म जो

आसमान से नाज़िल होता है वह अताई (given) है, जो वही पर मन्नी है। और इन्सान के मक़ामे ख़िलाफ़त का तक्राज़ा यह है कि अल्लाह तआला के जो अहक़ाम उसके पास आयें, वह जो हिदायत भी भेजे उनकी पूरे-पूरे तौर पर पैरवी करे। अल्लाह तआला ने वाज़ेह फ़रमा दिया कि जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिये किसी ख़ौफ़ और रंज का मौक़ा ना होगा।

आयत 39

“और जो कुफ़ करेंगे”

وَالَّذِينَ كَفَرُوا

हमारी इस हिदायत को कुबूल करने से इन्कार करेंगे, नाशुकी करेंगे।

“और हमारी आयात को झुठलायेंगे।”

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

“वह आग वाले (जहन्नमी) होंगे, उसमें वह [۝]أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝”
हमेशा-हमेश रहेंगे।”

यह गोया अल्लाह तआला की तरफ़ से नौए इन्सानी को अब्दी मन्शूर (charter) अता कर दिया गया जब ज़मीन पर ख़लीफ़ा की हैसियत से इन्सान का तक्रर (नियुक्ति) किया गया।

जैसा कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है, सूरतुल बकरह के यह इब्तदाई चार रुकूअ कुरान की दावत और कुरान के बुनियादी फ़लसफ़े पर मुश्तमिल हैं, और इनमें मक्की सूरतों के मज़ामीन का खुलासा आ गया है।

आयात 40 से 46 तक

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْٓ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۝
وَإِذَا يَأْتِي فَاَرْهَبُوْا ۝۱۰ وَاَمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ
۝ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِذَا يَأْتِي فَاَتَّقُوْا ۝ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ
وَتَكُنُّوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۱ وَاَقِيْبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاِرْكَعُوْا مَعَ الرُّكْعٰتِ

○ ۱۲۰ اَتَا مُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
○ ۱۲۱ وَاَسْتَعِيْبُوْا بِالصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحٰشِيْعِيْنَ ۗ۝۱۲۱
يَطُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ مُّلقُوْا رِيْبَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ اَلْيَوْمِ جَعُوْنَ ۝۱۲۱

अब यहाँ से बनी इसराइल से खिताब शुरू हो रहा है। यह खिताब पाँचवें रकूअ से चौदहवें रकूअ तक, मुसलसल दस रकूआत पर मुहीत (फैला हुआ) है। अलबत्ता इनमें एक तकसीम है। पहला रकूअ दावत पर मुश्तमिल है, और जब किसी गिरोह को दावत दी जाती है तो तशवीक व तरगीब (प्रोत्साहन), दिलजोई और नर्मी का अन्दाज़ इख्तियार किया जाता है, जो दावत के अज्जा-ए-ला यनफ़क (अभिन्न अंग) हैं। इस अन्दाज़ के बग़ैर दावत मौअस्सर (प्रभावी) नहीं होती। यूँ समझ लीजिये कि यह सात आयात (पाँचवा रकूअ) इन दस रकूओं के लिये बमज़िला-ए-फ़ातिहा है। बनी इसराइल की हैसियत साबक़ा उम्मत मुस्लिमा की थी, जिनको यहाँ दावत दी जा रही है। वह भी मुस्लिमान ही थे, लेकिन मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ का इन्कार करके काफ़िर हो गये। वरना वह हज़रत मूसा (अलै०) के मानने वाले थे, शरीअत उनके पास थी, बड़े-बड़े उलमा उनमें थे, इल्म का चर्चा उनमें था। गर्ज़ यह कि सब कुछ था। यहाँ उनको दावत दी जा रही है। इससे हमें यह रहनुमाई मिलती है कि आज मुस्लिमानों में, जो अपनी हक़ीक़त को भूल गये हैं, अपने फ़र्जे मन्सबी से गाफ़िल हो गये हैं और दुनिया की दीगर क्रौमों की तरह एक क्रौम बन कर रह गये हैं, अगर कोई एक दाई गिरोह खड़ा हो तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले उसे इसी उम्मत को दावत देनी होगी। इसलिये कि दुनिया तो इस्लाम को इसी उम्मत के हवाले से पहचानेगी (Physician heals thyself)। पहले यह खुद ठीक हो और सही इस्लाम का नमूना पेश करे तो दुनिया को दावत दे सकेगी कि आओ देखो यह है इस्लाम! चुनाँचे उनको दावत देने का जो असलूब होना चाहिये वह इस असलूब का अक्स होगा जो इन सात आयात में हमारे सामने आयेगा।

आयत 40

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْلُ اذْكُرُوْا اِنْعَمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ
“ऐ बनी इसराइल! याद करो मेरे उस ईनाम को जो मैंने तुम पर किया”

عَلَيْكُمْ

“बनी इसराइल” की तरकीब को समझ लीजिये कि यह मुरक्कबे इज़ाफ़ी है। “अस्र” का मायना है बन्दा या गुलाम। इसी से “असीर” बना है जो किसी का कैदी होता है। और लफ़ज़ “ईल” इब्रानी में अल्लाह के लिये आता है। चुनाँचे बनी इसराइल का तुर्जमा होगा “अब्दुल्लाह” यानि अल्लाह का गुलाम, अल्लाह की इताअत के क़लादे के अन्दर बंधा हुआ। “इसराइल” लक़ब है हज़रत याकूब (अलै०) का। उनके बारह बेटे थे और उनसे जो नस्ल चली वह बनी इसराइल है। उन्हीं में हज़रत मूसा (अलै०) की बेअसत हुई और उन्हें तौरात दी गयी। फिर यह एक बहुत बड़ी उम्मत बने। कुरान मजीद के नुज़ूल के वक़्त तक उन पर उरूज व ज़वाल के चार अदवार (काल) आ चुके थे। दो मर्तबा उन पर अल्लाह तआला की रहमत की बारिशें हुईं और उन्हें उरूज नसीब हुआ, जबकि दो मर्तबा दुनिया परस्ती, शहवत परस्ती और अल्लाह के अहकाम को पसे पुशत (पीठ पीछे) डाल देने की सज़ा में उन पर अल्लाह के अज़ाब के कोड़े बरसे। इसका ज़िक्र सूरह बनी इसराइल के पहले रकूअ में आयेगा। उस वक़्त जबकि कुरान नाज़िल हो रहा था वह अपने इस ज़वाल के दौर में थे। हाल यह था कि मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की बेअसत से पहले ही उनका “मअबूदे सानी” (Second Temple) भी मुनहदिम (ध्वस्त) किया जा चुका था। हज़रत सुलेमान (अलै०) ने जो हैकले सुलेमानी बनाया था, जिसको यह “मअबूदे अब्बल” (First Temple) कहते हैं, उसे बख़्तनसर (Nebukadnezar) ने हज़रत मसीह से भी छः सौ साल पहले गिरा दिया था। उसे उन्होंने दोबारा तामीर किया था जो “मअबूदे सानी” कहलाता था। लेकिन 70 ई० में मुहम्मदे अरबी ﷺ की विलादत से पाँच सौ साल पहले रोमियों ने हमला करके येरूशलम को तबाह व बरबाद कर दिया, यहूदियों का क़त्ले आम किया और जो “मअबूदे सानी” उन्होंने तामीर किया था उसे भी मसमार (विध्वंस) कर दिया, जो अब तक गिरा पड़ा है, सिर्फ़ एक दीवारे गिरया (Veiling Wall) बाक़ी है जिसके पास जाकर यहूदी मातम और गिरया व ज़ारी कर लेते हैं, और अब वह उसे सेबारा (तीसरी बार) बनाने पर तुले हुए हैं। चुनाँचे उनके “मअबूदे सालिस” (Third Temple) के नक़शे बन चुके हैं, उसका इब्तदाई ख़ाका तैयार

हो चुका है। बहरहाल जिस वक़्त कुरान नाज़िल हो रहा था उस वक़्त यह बहुत ही पस्ती में थे। उस वक़्त उनसे फ़रमाया गया: “ऐ बनी इसराइल! ज़रा याद करो मेरे उस ईनाम को जो मैंने तुम पर किया था।” वह ईनाम क्या है? मैंने तुमको अपनी किताब दी, नबुवत से सरफ़राज़ फ़रमाया, अपनी शरीअत तुम्हें अता फ़रमायी। तुम्हारे अन्दर दाऊद और सुलेमान (अलै०) जैसे बादशाह उठाये, जो बादशाह भी थे, नबी भी थे।

“और तुम मेरे वादे को पूरा करो ताकि मैं भी
तुम्हारे वादे को पूरा करूँ।”

बनी इसराइल से नबी आखिरुज़्ज़माँ हज़रत मुहम्मद ﷺ पर ईमान लाने का अहद लिया गया था। तौरात में किताबे इस्तस्ना या सफ़र-ए-इस्तस्ना (Deuteronomy) के अट्टहारवें बाब की आयत 18-19 में अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) से ख़िताब करके यह अल्फ़ाज़ फ़रमाये:

“मैं उनके लिये उन्हीं के भाईयों में से तेरी मानिन्द एक नबी बरपा करूँगा और अपना कलाम उसके मुँह में डालूँगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूँगा वही वह उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वह मेरा नाम लेकर कहेगा, ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूँगा।”

यह गोया हज़रत मूसा (अलै०) की उम्मत को बताया जा रहा था कि नबी आखिरुज़्ज़माँ (ﷺ) आयेंगे और तुम्हें उनकी नबुवत को तस्लीम करना है। कुरान मजीद में इसका तफ़्सीली ज़िक्र सूरतुल आराफ़ में आयेगा। यहाँ फ़रमाया कि तुम मेरा अहद पूरा करो, मेरे इस नबी ﷺ को तस्लीम करो, उस (ﷺ) पर ईमान लाओ, उसकी (ﷺ) की सदा पर लब्बैक कहो तो मेरे ईनाम व इकराम मज़ीद बढ़ते चले जायेंगे।

“और सिर्फ़ मुझ ही से डरो।”

وَإِنِّي فَارَهُبُوكُمْ

आयत 41

“और ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने
नाज़िल की है जो तस्दीक करते हुए आयी है
उस किताब की जो तुम्हारे पास है”

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ

इन अल्फ़ाज़ के दो मायने हैं। एक तो यह कि ईमान लाओ इस कुरान पर जो तस्दीक करता है तौरात की और इन्ज़ील की। अज़रूए अल्फ़ाज़े कुरानी: { وَأَنْتُمْ أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ } (सूरतुल मायदा:44) “हमने नाज़िल की तौरात जिसमें हिदायत और रोशनी थी।” { وَأَنْتُمْ أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ } (सूरतुल मायदा:46) “और हमने उस (ईसा अलै०) को दी इन्ज़ील जिसमें हिदायत और रोशनी थी।” और दूसरे यह कि कुरान और मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ उन पेशनगोईयों के मिस्दाक बन कर आये हैं जो तौरात में थीं। वरना वह पेशनगोईयाँ झूठी साबित होती।

“और तुम ही सबसे पहले इसका कुफ़र करने
वाले ना बन जाओ।”

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِ

यानि कुरान की दीदाह व दानिस्ता (जानबूझ कर) तकज़ीब करने वालों में अब्बल मत हो। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। तुम जानते हो कि हज़रत मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं और यह किताब अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुई है। तुम तो आखरी नबी ﷺ के इन्तेज़ार में थे और उनके हवाले से दुआयें किया करते थे कि ऐ अल्लाह! उस नबी आखिरुज़्ज़मान के वास्ते से हमारी मदद फ़रमा और काफ़िरों के मुकाबले में हमें फ़तह अता फ़रमा। (यह मज़मून आगे चल कर इसी सूरतुल बक्ररह ही में आयेगा।) लेकिन अब तुम ही इसके अब्बलीन मुन्कर हो गये हो और तुम ही इसके सबसे बड़ कर दुश्मन हो गये हो।

“और मेरी आयात के एवज़ (बदले) हक़ीर
(थोड़ी) सी कीमत कुबूल ना करो।”

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

यह आयाते इलाहिया हैं और तुम इनको सिर्फ़ इसलिये रद्द कर रहे हो कि कहीं तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी मसनदों (गद्दी) और तुम्हारी चौधराहटों पर कोई आँच ना आ जाये। यह तो हक़ीर सी चीज़ें हैं। यह सिर्फ़ इस दुनिया का सामान है, इसके सिवा कुछ नहीं।

“और सिर्फ़ मेरा तक्रवा इख़्तियार करो।” मुझ ही से बचते रहो!

وَإِنِّي فَأَتَّقُونِ ۝

आयत 42

“और ना गढमढ करो हक़ के साथ बातिल को और ना छुपाओ हक़ को दर हालाँकि तुम जानते हो।”

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

यह बात अच्छी तरह नोट कर लीजिये कि मुग़ालते में गलत राह पर पड़ जाना ज़लालत और गुमराही है, लेकिन जानते-बूझते हक़ को पहचान कर उसे रद्द करना और बातिल की रविश इख़्तियार करना अल्लाह तआला के गज़ब को दावत देना है। इसी सूरतुल बकरह में आगे चल कर आयेगा कि उलमाये यहूद मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ को और कुरान को इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते थे: { يَغْرُفُونَ كَمَا يَغْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمْ } (आयत:146) लेकिन इसके बावजूद उन्होंने महज़ अपनी दुनयवी मसलहतों के पेशे नज़र आप ﷺ और कुरान की तकज़ीब की।

आयत 43

“और नमाज़ कायम करो और ज़कात अदा करो”

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“और झुको (नमाज़ में) झुकने वालों के साथ।”

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

यानि बा-जमात नमाज़ अदा किया करो।

अब्वल तो यहूद ने रुकूअ को अपने यहाँ से खारिज कर दिया था, सानियन बा-जमात नमाज़ उनके यहाँ खत्म हो गयी थी। चुनाँचे उन्हें रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ करने का हुक्म दिया जा रहा है। गोया सराहत की जा रही है कि नबी आखिरुज़्ज़मान ﷺ पर सिर्फ़ ईमान लाना ही निजात के लिये काफ़ी

नहीं, बल्कि तमाम उसूल में आप ﷺ की पैरवी ज़रूरी है। नमाज़ भी आप ﷺ के तरीक़े पर पढ़ो जिसमें रुकूअ भी हो और जो बा-जमात हो।

आयत 44

“क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो आत्मरुतुन नफ़सुन और खुद अपने आप को भूल जाते हो?”

इन आयात के असल मुखातिब उलमाये यहूद हैं, जो लोगों को तक्रवा और पारसाई की तालीम देते थे लेकिन उनका अपना किरदार इसके बरअक्स (विपरीत) था। हमारे यहाँ भी उलमा और वाईज़ीन (प्रचारकों) का हाल अक्सर व बेशतर यही है कि ऊँचे से ऊँचा वाज़ (उपदेश) कहेंगे, आला से आला बात कहेंगे, लेकिन उनके अपने किरदार को उस बात से कोई मुनासबत ही नहीं होती जिसकी वह लोगों को दावत दे रहे होते हैं। यही दर हक़ीक़त उलमाये यहूद का किरदार बन चुका था। चुनाँचे उनसे कहा गया कि “क्या तुम लोगों को नेकी का रास्ता इख़्तियार करने के लिये कहते हो मगर खुद अपने आप को भूल जाते हो?”

“हालाँकि तुम किताब की तिलावत करते हो।”

तुम यह कुछ कर रहे हो इस हाल में कि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो। यानि तौरात पढ़ते हो, तुम साहिबे तौरात हो। हमारे यहाँ भी बहुत से उलमा का, जिन्हें हम उलमाये सू (बुरे उलमा) कहते हैं, यही हाल हो चुका है। बक़ौल इक़वाल:

खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं
हुए किस दर्जा फ़कीहाने हरम बे तौफ़ीक़!

कुरान हकीम के तर्जुमे में, इसके मफ़हूम में, इसकी तफ़सीर में बड़ी-बड़ी तहरीफ़ें मौजूद हैं। अल्हमदुलिल्लाह कि इसका मतन (text) बचा हुआ है। इसलिये कि इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा खुद अल्लाह तआला ने ले रखा है।

“क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते?”

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

आयत 45

“और मदद हासिल करो सब्र से और नमाज़ से।”

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

यहाँ पर सब्र का लफज़ बहुत बा-मायने है। उलमाये सू क्यों वजूद में आते हैं? जब वह सब्र और क़नाअत (सन्तुष्टि) का दामन हाथ से छोड़ देते हैं तो हुब्बे माल (माल की मोहब्बत) उनके दिल में घर कर लेती है और वह दुनिया के कुत्ते बन जाते हैं। फिर वह दीन को बदनाम करने वाले होते हैं। बज़ाहिर दीनी मरासिम (प्रथाओं) के पाबन्द नज़र आते हैं लेकिन दरअसल उनके परदे में दुनियादारी का मामला होता है। चुनाँचे उन्हें सब्र की ताकीद की जा रही है। सूरतुल मायदा में यहूद के उलमा व मशाइख पर बा-अल्फ़ाज़ तनक़ीद (आलोचना) की गयी है: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبِّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ} (सूरतुल मायदा:63) “क्यों नहीं रोकते उन्हें उनके उलमा और सूफ़िया झूठ बोलने से और हराम खाने से?” अगर कोई आलिम या पीर अपने अरादत मन्दों को इन चीज़ों से रोकेंगा तो फिर उसको नज़राने तो नहीं मिलेंगे, उसकी खिदमतें तो नहीं होंगी। चुनाँचे अगर तो दुनिया में सब्र इख़्तियार करना है, तब तो आप हक़ बात कह सकते हैं, और अगर दुनियावी ख्वाहिशात (ambitions) मुक़द्दम (इच्छित) हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं समझौता (compromise) करना पड़ेगा।

सब्र के साथ जिस दूसरी शय की ताकीद की गयी वह नमाज़ है। उलमाये यहूद वजूहे हक़ के बावजूद मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर ईमान ना लाते थे इसकी बड़ी वजह हुब्बे माल और हुब्बे जान थी। यहाँ दोनों का इलाज बता दिया गया कि हुब्बे माल का मदावा (इलाज) सब्र से होगा, जबकि नमाज़ से उबूदियत व तज़लील पैदा होगा और हुब्बे जान का खात्मा होगा।

“और यक़ीनन यह बहुत भारी शय है”

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ

आमतौर पर यह ख्याल ज़ाहिर किया गया है कि इन्नहा की ज़मीर सिर्फ़ सलाह (नमाज़) के लिये है। यानि नमाज़ बहुत भारी और मुश्किल काम है। लेकिन एक राय यह है कि यह दरहक़ीक़त इस पूरे तर्ज़े अमल की तरफ़ इशारा है कि दुनिया

के शदाईद (आपदाओं) और इबतलाआत (मोह) का मुक़ाबला सब्र और नमाज़ की मदद से किया जाये। मतलूब तर्ज़े अमल यह है कि दुनिया और दुनिया के मुताल्लिक़ात में कम से कम पर क़ानेअ (संतुष्ट) हो जाओ और हक़ का बोल-बाला करने के लिये मैदान में आ जाओ। इसके साथ-साथ नमाज़ को अपने मामलाते हयात का महवर (आधार) बनाओ, जो कि इमादुद्दीन है। फ़रमाया कि यह रविश यक़ीनन बहुत भारी है, और नमाज़ भी बहुत भारी है।

“मगर उन आजिज़ों पर (भारी नहीं है)।”

إِلَّا عَلَى الشُّعْبَةِ

उन खुशूअ (विनम्रता) रखने वालों पर, उन डरने वालों पर यह रविश भारी नहीं है जिनके दिल अल्लाह के आगे झुक गये हैं।

आयत 46

“जिन्हें यह यक़ीन है कि वह अपने रब से मुलाक़ात करने वाले हैं”

الَّذِينَ يَطْمَئِنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ

मैंने शुरु में {وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} (आयत:4) के ज़ैल में तबज्जो दिलायी थी कि यह ईमान बिल आख़िरत ही है जो इन्सान को अमल के मैदान में सीधा रखता है।

“और (जिन्हें यह यक़ीन है कि) बिलआख़िर उन्हें उसी की तरफ़ लौट कर जाना है।”

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

उन्हें उसके रू-ब-रू हाज़िर होना है।

आयत 47 से 59 तक

يٰٓبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۗ
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۗ
وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يَدْبِقُونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٍ ۗ
وَإِذْ

فَوَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا
 مُوسَىٰ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ لَيْلَةٌ تُمْ آتِيكَ ثُمَّ أَخَذْنَا مِنَ الْعِجْلِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ أَنْفُسَكُمْ بِآخِذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ
 بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ ۖ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ
 الصُّعْقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾
 وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعِبَامَ ۖ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
 رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ
 الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ۖ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ۖ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ
 خَطِيئَتَكُمْ ۖ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
 فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका है, सूरतुल बकरह के पाँचवें रुकूअ से चौहदवें रुकूअ तक, बल्कि पन्द्रहवें रुकूअ की पहली दो आयात भी शामिल कर लीजिये, यह दस रुकूओं से दो आयात ज़ायद हैं कि जिनमें ख़िताब कुल का कुल बनी इसराइल से है। अलबत्ता इनमें से पहला रुकूअ दावत पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्हें नबी करीम ﷺ पर ईमान लाने की पुरज़ोर दावत दी गयी है, जबकि बक्रिया नौ रुकूअ उस फर्दे करारदारे जुर्म पर मुश्तमिल हैं जो बनी इसराइल पर आयद की जा रही है कि हमने तुम्हारे साथ यह अहसान व इकराम किया, तुम पर यह फ़ज़ल किया, तुम पर यह करम किया, तुम्हें यह हैसियत दी, तुम्हें यह मक़ाम दिया और तुमने इस-इस तौर से अपने उस मिशन की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की जो तुम्हारे सुपुर्द किया गया था और अपने मक़ाम व मरतबे को छोड़ कर दुनिया परस्ती की रविश इख़्तियार की। इन नौ रुकूओं में बनी इसराइल की तारीख का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके खदोखाल (features) समेत आ

गया है, लेकिन असल में यह उम्मत मुस्लिमा के लिये भी एक पेशगी तन्बीह (चेतावनी) है कि कोई मुस्लमान उम्मत जब बिगड़ती है तो उसमें यह और यह खराबियाँ आ जाती हैं। चुनाँचे इस बारे में रसूल अल्लाह ﷺ की अहादीस भी मौजूद हैं। हज़रत अबदुल्लाह बिन उमर (रजि०) से मरवी है कि रसूल अल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमाया: ((لِيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُوًّا)) (النُّعْلُ بِالنُّعْلِ)) (7) "मेरी उम्मत पर भी वह सब हालात वारिद होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आये थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबा होती है।"

एक दूसरी हदीस में जो हज़रत अबु सईद खुदरी (रजि०) से मरवी है, रसूल अल्लाह ﷺ का इरशाद नक़ल हुआ है:

((الْتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَكَوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ ، فُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى؟ قَالَ : فَمَنْ؟)) (8)
 "तुम लाज़िमन अपने से पहलों के तौर-तरीकों की पैरवी करोगे, बालिशत के मुक़ाबले में बालिशत और हाथ के मुक़ाबले में हाथ। यहाँ तक कि अगर वह गोह के बिल में घुसे होंगे तो तुम भी घुस कर रहोगे।"
 हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ! यहूद व नसारा की? आप ﷺ ने फ़रमाया: "तो और किसकी?"

तिरमिज़ की मज़कूरा बाला हदीस में तो यहाँ तक अल्फ़ाज़ आते हैं कि: ((حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ غَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ)) यानि अगर उनमें कोई बदबख़्त ऐसा उठा होगा जिसने अपनी माँ से अलल ऐलान ज़िना किया था तो तुम में से भी कोई शकी ऐसा ज़रूर उठेगा जो यह हरकत करेगा। इस ऐतबार से इन रुकूओं को पढ़ते हुए यह ना समझिये कि यह महज़ अगलों की दास्तान हैं, बल्कि:

*"खुशतर आँ बाशिद कि सर दिलबराँ
 गुफ़्ता-ए-आयद दर हदीस दीगराँ"*

के मिस्दाक़ यह हमारे लिये एक आईना है और हमें हर मरहले पर सोचना होगा, दरूँ बीनी (आत्मनिरीक्षण) करनी होगी कि कहीं इसी गुमराही में हम भी तो मुब्तला नहीं?

दूसरा अहम नुक्ता पहले से ही यह समझ लीजिये कि सूरतुल बकरह की आयात 47-48 जिनसे इस छठे रुकूअ का आगाज़ हो रहा है, यह दो आयतें वयन ही पन्द्रहवें रुकूअ के आगाज़ में फिर आयेंगी। इनमें से पहली आयत में तो

शोशे भर का फ़र्क भी नहीं है, जबकि दूसरी आयत में सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की तरतीब बदली है, मज़मून वही है। यूँ समझिये कि यह गोया दो ब्रेकेट्स हैं और नौ रूक़ों के मज़ामीन इन दो ब्रेकेटों के दरमियान हैं। और सूरतुल बकरह का पाँचवा रूक़ा जो इन ब्रेकेटों से बाहर है, इसके मज़ामीन ब्रेकेटों के अन्दर के सारे मज़ामीन से ज़र्ब खा रहे हैं। यह हिसाब का बहुत ही आम-फ़हम सा क़ायदा है कि ब्रेकेट के बाहर लिखी हुई रक़म, जिसके बाद जमा या तफ़रीक़ वगैरह की कोई अलामत ना हो, वह ब्रेकेट के अन्दर मौजूद तमाम अक़दार (values) के साथ ज़र्ब ख़ायेगी। तो गोया इस पूरे मामले में हर-हर क़दम पर रसूल अल्लाह ﷺ पर ईमान लाने की दावत मौजूद है। यह वज़ाहत इसलिये ज़रूरी है कि इस हिस्से में बाज़ आयात ऐसी आ गयी है जिनसे कुछ लोगों को मुग़ालता पैदा हुआ या जिनसे कुछ लोगों ने जानबूझ कर फ़ितना पैदा किया कि निजाते उखरवी के लिये मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर ईमान ज़रूरी नहीं है। इस फ़ितने ने एक बार अकबर के ज़माने में “दीन-ए इलाही” की शक़ल में जन्म लिया था कि आख़िरत में निजात के लिये सिर्फ़ खुदा को मान लेना, आख़िरत को मान लेना और नेक आमाल करना काफ़ी है, किसी रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। यह फ़ितना सूफ़िया में भी बहुत बड़े पैमाने पर फैला और “मस्जिद मन्दिर हिक़डो नूर” के फ़लसफ़े की तशहीर (विज्ञापन) की गयी। यानि मस्जिद में और मन्दिर में एक ही नूर है, सब मज़ाहिब असल में एक ही हैं, सारा फ़र्क़ शरीअतों का और इबादात की ज़ाहिरी शक़ल का है। और वह रसूलों से मुताल्लिक़ है। चुनाँचे रसूलों को बीच में से निकाल दीजिये तो यह “दीन-ए-इलाही” (अल्लाह का दीन) रह जायेगा। यह एक बहुत बड़ा फ़ितना था जो हिन्दुस्तान में उस वक़्त उठा जब सियासी ऐतबार से मुस्लमानों का इक़तदार चोटी (climax) पर था। यह फ़ितना जिस मुस्लमान हुक़मरान का उठाया हुआ था वह “अकबर-ए-आज़म” और “मुग़ल-ए-आज़म” कहलाता था। उसके पेशकरदा “दीन” का फ़लसफ़ा यह था कि दीने मुहम्मदी ﷺ का दौर ख़त्म हो गया (नाउज़ुबिल्लाह), वह एक हज़ार साल के लिये था, अब दूसरा हज़ार साल (अल्फ़े सानी) है और इसके लिये नया दीन है। उसे “दीने अकबरी” भी कहा गया और “दीने इलाही” भी। सूरतुल बकरह के इस हिस्से में एक आयत आयेगी जिससे कुछ लोगों ने इस “दीने इलाही” के लिये इस्तदलाल (तर्क) किया था।

हिन्दुस्तान में बीसवीं सदी में यह फ़ितना फिर उठा जब गाँधी जी ने “मुत्तहिदा वतनी क़ौमियत” का नज़रिया पेश किया। इस मौक़े पर मुस्लमानों

मे से एक बहुत बड़ा नाबगा (genius) इन्सान अबुल कलाम आज़ाद भी इस फ़ितने का शिकार हो गया। गाँधी जी अपनी प्रार्थना में कुछ कुरान की तिलावत भी करवाते, कुछ गीता भी पढ़वाते, कुछ उपनिषदों से, कुछ बाईबल से और कुछ गुरुग्रन्थ से भी इस्तफ़ादा किया जाता। मुत्तहिदा वतनी क़ौमियत का तसव्वुर यह था कि एक वतन के रहने वाले लोग एक क़ौम हैं, लिहाज़ा उन सबको एक होना चाहिये, मज़हब तो इन्फ़रादी मामला है, कोई मस्जिद में चला जाये, कोई मन्दिर में चला जाये, कोई गुरुद्वारे में चला जाये, कोई कलैसा, सिनेगाग या चर्च में चला जाये तो इससे क्या फ़र्क़ वाक़ेअ होता है? इस तरह के नज़रियात और तसव्वुरात का तोड़ यही है कि यूँ समझ लीजिये कि पाँचवें रूक़ा की सात आयात ब्रेकेट के बाहर हैं और यह ब्रेकेटों के अन्दर के मज़मून से मुसलसल ज़र्ब खा रही हैं। चुनाँचे इन ब्रेकेटों के दरमियान जितना भी मज़मून आ रहा है वह इनके ताबेअ होगा। गोया जहाँ तक मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर ईमान लाने का मामला है वह हर मरहले पर मुक़द्दर (understood) समझा जायेगा। अब हम इन आयात का मुत्तअला शुरू करते हैं।

आयत 47

“ऐ याक़ूब की औलाद! याद करो मेरे उस
 ईनाम को जो मैंने तुम पर किया”
 يٰٓيٰٓسُرَّآءِيۡلَ اذْكُرُوۡا نِعْمَتِيۡ الَّتِيۡ اٰتٰتٰكُمۡ
 عَلٰيكُمْ

इसकी वज़ाहत गुज़िशता (पिछले) रूक़ा में हो चुकी है, लेकिन यहाँ आगे जो अल्फ़ाज़ आ रहे हैं बहुत ज़ोरदार हैं:

“और यह कि मैंने तुम्हें फज़ीलत अता की
 तमाम जहानों पर।”
 وَاِنِّيۡ فَضَّلْتُكُمْ عَلَيۡ الْعٰلَمِيۡنَ ؕ

अरबी नहव (वाक्य-विन्यास) का यह क़ायदा है कि कहीं ज़र्फ़ का तज़किरा होता है (यानि जिसमें कोई शय है) लेकिन इससे मुराद मज़रूफ़ होता है (यानि ज़र्फ़ के अन्दर जो शय है)। यहाँ भी ज़र्फ़ की जमा लायी गयी है लेकिन इससे मज़रूफ़ की जमा मुराद है। “तमाम जहानों पर फज़ीलत” से मुराद “जहान

वालों पर फज़ीलत” है। मतलब यह है कि हमने तुम्हें तमाम अक्रवामे आलम पर फज़ीलत अता की। आलमे इन्सानियत के अन्दर जितने भी मुख्तलिफ़ गिरोह, नस्लें और तबक़ात हैं उनमें फज़ीलत अता की।

आयत 48

“और डरो उस दिन से कि जिस दिन काम ना आ सकेगी कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी”

وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

कबल अज़ यह बात अर्ज़ की जा चुकी है कि इन्सान के अमल के ऐतबार से सबसे मौअस्सर शय ईमान बिलआखिरा है। मुहासबा-ए-आख़िरत अगर मुस्तहज़र (जागरूक) रहेगा तो इन्सान सीधा रहेगा, और अगर इसमें ज़ौफ़ (कमी) आ जाये तो ईमान बिल्लाह और ईमान बिरिसालत भी ना मालूम क्या-क्या शक़्लें इख़्तियार कर लें। इस आयत के अन्दर चार ऐतबारात से मुहासबा-ए-उख़रवी पर ज़ोर दिया गया है। सबसे पहले फ़रमाया कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी काम ना आ सकेगी।

“और ना किसी से कोई सिफ़ारिश कुबूल की जायेगी”

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

“और ना किसी से कोई फ़िदया कुबूल किया जायेगा”

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ

“और ना उन्हें कोई मदद मिल सकेगी।”

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

ईमान बिलआखिरा के ज़िम्न में लोगो ने तरह-तरह के अक़ीदे गढ़ रखे हैं, जिनमें शफ़ाअते बातिला (झूठी हिमायत) का तसव्वुर भी है। अहले अरब समझते थे कि फ़रिशते खुदा की बेटियाँ हैं। उन्होंने लात, मनात और उज़्ज़ा वगैरह के नाम से उनके बुत बना रखे थे, जिन्हें वह पूजते थे और यह अक़ीदा रखते थे कि अल्लाह की यह लाइली बेटियाँ हमें अपने “अब्बाजान” से छुडा

लेंगी। (نعوذ بالله من ذلك) हमारे यहाँ भी शफ़ाअते बातिला का तसव्वुर मौजूद है कि औलिया अल्लाह हमें छुडा लेंगे। खुद रसूल अल्लाह ﷺ की शफ़ाअत के बारे में गलत तसव्वुरात मौजूद हैं। एक शफ़ाअते हक़ है, जो बरहक़ है उसकी वज़ाहत का यह मौक़ा नहीं है। इसी सूरह मुबारका में जब हम आयतुल कुर्सी का मुतअला करेंगे तो इन्शाअल्लाह तो इसकी वज़ाहत भी होगी। यह सारे तसव्वुरात और ख्यालात जो हमने गढ़ रखे हैं, इनकी नफ़ी इस आयत के अन्दर दो टूक अन्दाज़ में कर दी गयी है।

इसके बाद अल्लाह तआला की तरफ़ से बनी इसराइल पर जो अहसानात व ईनामात हुए और उनकी तरफ़ से जो नाशुक्रियाँ हुई उनका तज़क़िरा बड़ी तेज़ी के साथ किया गया है। वाज़ेह रहे कि यह वाक़िआत कई सौ बरस पर मुहीत हैं और इनकी तफ़सील मक्की सूरतों में आ गयी है। इन वाक़िआत की सबसे ज़्यादा तफ़सील सूरतुल आराफ़ में मौजूद है। यहाँ पर तो वाक़िआत का पय-बा-पय तज़क़िरा किया जा रहा है, जैसे किसी मुलज़िम पर फ़र्दे करारदारे जुर्म आइद की जाती है तो उसमें सब कुछ गिनवाया जाता है कि तुमने यह किया, यह किया और यह किया।

आयत 49

“और ज़रा याद करो जबकि हमने तुम्हें निजात दी थी फ़िरऔन की क़ौम से”

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ

“वह तुम्हें बदतररीन अज़ाब में मुबतला किये हुऐ थे”

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

“तुम्हारे बेटों को ज़िबह कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िन्दा रखते थे।”

يُذَيِّبُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

फ़िरऔन ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसको क़त्ल कर दिया जाये और लड़कियों को ज़िन्दा रहने दिया जाये ताकि उनसे ख़िदमत ली जा सके और उन्हें लौंडियाँ (नौकरानी) बनाया जा सके। बनी इसराइल के साथ यह मामला दो मौक़ों पर हुआ है। इसकी तफ़सील इन्शा अल्लाह बाद में आयेगी।

“और इसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से तुम्हारे लिये बड़ी आजमाइश थी।”

وَوَيْدُكُمْ بِلَا مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٍ

आयत 50

“और याद करो जबकि हमने तुम्हारी खातिर समुन्दर को (या दरिया को) फाड़ दिया”

وَأَذْفَرْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ

यह एक मुख्तलिफ़ फ़ी बात है कि बनी इसराइल ने मिस्र से जज़ीरा नुमाये सीना आने के लिये किस समुन्दर या दरिया को उबूर (पार) किया था। एक राय यह है कि दरिया-ए-नील को उबूर करके गये थे, लेकिन यह बात इस ऐतबार से गलत है कि दरिया-ए-नील तो मिस्र के अन्दर बहता है, वही कभी भी मिस्र की हद नहीं बना। दूसरी राय यह है कि बनी इसराइल ने खलीज सुवेज़ को उबूर किया था। बहरा-ए-कुलज़ुम (Red Sea) ऊपर जाकर दो खाड़ियों में तब्दील हो जाता है, मशरिक की तरफ खलीज उक्रबा और मगरिब की तरफ खलीज सुवेज़ है और इनके दरमियान जज़ीरा नुमाये सीना (Sinai Peninsula) है। यह इसी तरह की तकवीन है जैसे जज़ीरा नुमाये हिन्द (Indian Peninsula) है। खलीज सुवेज़ और बहरा-ए-रूम के दरमियान कई बड़ी-बड़ी झीलें थीं, जिनको बाहम जोड़-जोड़ कर, दरमियान में हाइल खुशकी को काट कर नहर सुवेज़ बनायी गयी है, जो अब एक मुसलसल राबता है। मालूम होता है कि हज़रत मूसा (अलै०) और बनी इसराइल ने खलीज सुवेज़ को उबूर किया था। मुझे खुद भी इसी राय से इत्तेफ़ाक़ है। इस लिये कि कोहे तूर इस जज़ीरा नुमाये सीना की नोक (tip) पर बाक़ेअ है, जहाँ हज़रत मूसा (अलै०) को चालीस दिन-रात के लिये बुलाया गया और फिर उन्हें तौरात दी गयी। बनी इसराइल ने खलीज सुवेज़ को इस तरह उबूर किया कि हज़रत मूसा (अलै०) के असा की एक ज़र्ब से समुन्दर फट गया। अज़रूए अल्फ़ाज़े कुरानी: {فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ} (अशशौरा:63) “पस समुन्दर फट गया और हो गया हर हिस्सा जैसे बड़ा पहाड़।” समुन्दर का पानी दोनों तरफ़ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और बनी इसराइल उसके दरमियान में से निकल गये। उनके पीछे-पीछे जब फ़िरऔन अपना लश्कर लेकर आया तो उसने सोचा कि हम भी

ऐसे ही निकल जायेंगे, लेकिन वे ग़र्क़ हो गये। इसलिये कि दोनों तरफ़ का पानी आपस में मिल गया। यह एक मौज्ज़ाना कैफ़ियत थी और यह बात फ़ितरत (nature) के क़वानीन के मुताबिक़ नहीं थी।

“फिर तुम्हें तो निजात दे दी और फ़िरऔन के लोगों को ग़र्क़ कर दिया जबकि तुम देख रहे थे।”

فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ

तुम्हारी निगाहों के सामने फ़िरऔन के लाव-लश्कर को ग़र्क़ कर दिया। बनी इसराइल खलीज सुवेज़ से गुज़र चुके थे और दूसरी जानिब खड़े थे। उन्होंने देखा कि इधर से फ़िरऔन और उसका लाव-लश्कर समुन्दर में दाखिल हुआ तो पानी दोनों तरफ़ से आकर मिल गया और यह सब ग़र्क़ हो गये।

आयत 51

“और याद करो जब हमने वादा किया मूसा (अलै०) से चालीस रातों का”

وَأَذُوْعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) को तौरात अता फ़रमाने के लिये चालीस दिन-रात के लिये कोहे तूर पर बुलाया।

“फिर तुमने बना लिया बछड़े को (मअबूद) उसके बाद”

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ

बनी इसराइल ने हज़रत मूसा (अलै०) की ग़ैरहाज़री में बछड़े की परस्तिश शुरु कर दी और उसे मअबूद बना लिया।

“और तुम ज़ालिम थे।”

وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ

बछड़े को मअबूद बना कर तुमने बहुत बड़े ज़ुल्म कर इरत्काब (commit) किया था। अल्फ़ाज़े कुरानी: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} के मिस्दाक़ अज़ीम-तरीन ज़ुल्म जो है वह शिर्क है, और बनी इसराइल ने शिर्के जली की यह मकरूह तरीन शक़ल इख़्तियार की कि बछड़े की परस्तिश शुरु कर दी।

आयत 52

“फिर हमने तुम्हें इसके बाद भी माफ़ किया”

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ

यह हमारा करम रहा है, हमारी रहमत रही है।

“ताकि तुम शुक्र करो।”

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾

आयत 53

“और याद करो जबकि हमने मूसा (अलै०) को किताब और फुरक़ान अता फ़रमायी ताकि तुम हिदायत पाओ।”

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٤﴾

“फुरक़ान” से मुराद हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क़ कर देने वाली चीज़ है और किताब का लफ़ज़ आमतौर पर शरीअत के लिये आता है।

आयत 54

“और याद करो जबकि कहा था मूसा (अलै०) ने अपनी क़ौम से”

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

“ऐ मेरी क़ौम के लोगो! यक़ीनन तुमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है बछड़े को मअबूद बना कर”

يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ

الْعِجَلِ

“पस अब तौबा करो अपने पैदा करने वाले की जनाब में”

فَقُتِبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ

“तो क़त्ल करो अपने आपको।”

فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

यह वाक़िआ तौरात में तफ़सील से आया है, कुरान में इसकी तफ़सील मज़कूर नहीं है। बहुत से वाक़िआत जिनका कुरान में इजमालन (संक्षिप्त) ज़िक्र है उनकी तफ़सील के लिये हमें तौरात से रुजूअ करना पड़ता है, वरना बाज़ आयात का सही-सही मफ़हूम वाज़ेह नहीं होता। यहाँ अल्फ़ाज़ आये हैं: {فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} “मार डालो अपनी जानें” या “क़त्ल करो अपने आपको।” इसके क्या मायने हैं? यह दरअसल क़त्ले मुरतद की सज़ा है। बनी इसराइल के बारह क़बीले थे। हर क़बीले में से कुछ लोगों ने यह कुफ़्र और शिर्क़ किया कि बछड़े को मअबूद बना लिया, बाक़ी लोगों ने ऐसा नहीं किया। बनी इसराइल को हुक़म दिया गया कि हर क़बीले के वह लोग जो इस शिर्क़ में मुलब्विस (शामिल) नहीं हुए अपने-अपने क़बीले के उन लोगों को क़त्ल करें जो इस कुफ़्र व शिर्क़ के मुरतकिब (दोषी) हुए। “فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ” से मुराद यह है कि तुम अपने क़बीले के लोगों को क़त्ल करो। इसलिये कि क़बाइली ज़िन्दगी बड़ी हस्सास (संवेदनशील) होती है और किसी दूसरे क़बीले की मुदाख़लत (हस्तक्षेप) से क़बाइली असबियत (दुश्मनी) भड़क उठने का अन्देशा होता है। हज़रत मूसा (अलै०) इस हुक़म पर अमल दर आमद (implementation) के नतीजे में सत्तर हज़ार यहूदी क़त्ल हुए। इससे बड़ी तौबा और इससे बड़ी ततहीर (purge) मुमकिन नहीं है। किसी भी नज़रियाती जमात के अन्दर तज़किया और ततहीर का अमल बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग एक नज़रिये को कुबूल करके जमात से वाबस्ता (सम्बंधित) हो जाते हैं, लेकिन रफ़ता-रफ़ता नज़रिया औज़ल हो जाता है और अपने मफ़ादात और चौधराहटें मुक़द्दम हो जाती हैं। इसी से जमातें ख़राब होती हैं और ग़लत रास्ते पर पड़ जाती हैं। चुनाँचे नज़रियाती जमातों में यह अमल बहुत ज़रूरी होता है कि जो अफ़राद नज़रिये से मुनहरिफ़ (गुमराह) हो जायें उनको जमात से काट कर अलैहदा कर दिया जाये।

कुरान हकीम के इस मक़ाम से क़त्ले मुरतद की सज़ा साबित होती है, जबकि क़त्ले मुरतद का वाज़ेह हुक़म हदीसे नबवी ﷺ में मौजूद है। हमारे बाज़ जदीद दानिश्वर इस्लाम में क़त्ले मुरतद की हद को तस्लीम नहीं करते, लेकिन मेरे नज़दीक यह शरीअते मूसवी (अलै०) का तसलसुल है। शरीअते मूसवी (अलै०) के जिन अहक़ाम के बारे में सराहतन (निश्चित रूप से) यह मालूम नहीं कि उन्हें तब्दील कर दिया गया है वह शरीअते मुहम्मदी ﷺ का जुज़ (हिस्सा) बन गये हैं। शादी-शुदा ज़ानी पर हद्दे रज्म का मामला भी यही है। कुरान मजीद में हद्दे रज्म की कोई सरीह आयत मौजूद नहीं है, लेकिन

अहादीस में यह सज़ा मौजूद है। इसी तरह कुरान मजीद में मुरतद के क़त्ल की कोई सरीह आयत मौजूद नहीं है, लेकिन यह हदीस और सुन्नत से साबित है। अलबत्ता इन दोनों सज़ाओ का मिम्बा (स्रोत) और माखज़ (निकास) दरअसल तौरात है। इस ऐतबार से कुरान हकीम का यह मक़ाम बहुत अहम है, लेकिन अक्सर लोग यहाँ से बहुत सरसरी तौर पर गुज़र जाते हैं।

बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो उनकी तादाद छः लाख थी। जज़ीरा नुमाये सीना पहुँचने के बाद उनकी तादाद मज़ीद बढ़ गयी होगी। उनमें से सत्तर हज़ार अफ़राद को शिर्क की पादाश (इल्ज़ाम) में क़त्ल किया गया, और हर क़बीले ने जो अपने मुरतद थे उनको अपने हाथ से क़त्ल किया।

“यही तुम्हारे लिये तुम्हारे रब के नज़दीक बेहतर बात है।” ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ

“तो (अल्लाह ने) तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली।” فَتَابَ عَلَيْكُمْ

बनी इसराइल की तौबा इस तरह कुबूल हुई कि उम्मत का तज़किया हुआ और उनमें से जिन लोगों ने इतनी बड़ी ग़लत हरकत की थी उनको ज़िबह करके, क़त्ल करके उम्मत से काट कर फेंक दिया गया।

“यक़ीनन वह तो है ही तौबा का बहुत कुबूल फ़रमाने वाला, बहुत रहम फ़रमाने वाला।” إِنَّهُ هُوَ الْكَوَّابُ الرَّحِيمُ

आयत 55

“और याद करो जबकि तुमने कहा था ऐ मूसा (अलै०)! हम तुम्हारा हरगिज़ यक़ीन नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह को सामने ना देख लें” وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً

“ب” के बाद “ي” का सिला हो तो इसके मायने ईमान लाने के होते हैं, जबकि “ل” के सिले के साथ इसके मायने सिर्फ़ तस्दीक के होते हैं। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा (अलै०) से कहा था कि हम आपकी बात की तस्दीक नहीं करेंगे जब तक हम अपनी आँखों से अल्लाह को आपसे कलाम करते ना देख लें। हम कैसे यक़ीन कर लें कि अल्लाह ने यह किताब आपको दी है? आप (अलै०) तो

हमारे सामने पत्थर की कुछ तख्तियाँ लेकर आ गये हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। हमें क्या पता कि यह किसने लिखा है? देखिये, एक ख्वाहिश हज़रत मूसा (अलै०) की भी थी कि {رَبِّ ارْنِي} (आराफ़:143) “ऐ मेरे रब! मुझे याराये नज़र दे कि मैं तुझको देखूँ” वह कुछ और शय थी, वह “तू मेरा शौक देख मेरा इन्तेज़ार देख!” की कैफ़ियत थी, लेकिन यह तखरीबी (विनाशकारी) ज़हन की सोच है कि हम भी चाहते हैं कि अल्लाह को अपनी आँखों से देखें और हमें मालूम हो कि वाकई उसने आपको यह किताब दी है।

“तो तुम्हें आ पकड़ा एक बहुत बड़ी कड़क ने فَأَخَذَتْكُمُ الطُّعْفَةُ وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ और तुम देख थे।”

तुम्हारे देखते-देखते एक बहुत बड़ी कड़क ने तुम्हें आलिया (पकड़ लिया) और तुम सबके सब मुर्दा हो गये।

आयत 56

“फिर हमने तुम्हें दोबारा उठाया तुम्हारी ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ मौत के बाद”

बाज़ लोग इसकी एक तावील करते हैं कि यह मौत नहीं थी, बल्कि ज़बरदस्त कड़क की वजह से सबके सब बेहोश होकर गिर पड़े थे, लेकिन मेरे नज़दीक यहाँ तावील की ज़रूरत नहीं है, बाअस बाद अल मौत (मौत के ज़िन्दा करना) अल्लाह के लिये कुछ मुशिकल नहीं है। {مَنْ يَخِدْ مَوْتَكُمْ} के अल्फ़ाज़ अपने मफ़हूम के ऐतबार से बिल्कुल सरीह (साफ़) हैं, इन्हें ख्वाह माख्वाह कोई और मायने पहनाना दुरुस्त नहीं है।

“ताकि तुम (इस अहसान पर हमारा) शुक्र لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ करो।”

आयत 57

“और हमने तुम पर अब्र (बादल) का साया किया”

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

जज़ीरा नुमाये सीना के लक़ व दक़ सहरा (ऐसा चटियल व सुनसान रेगिस्तान जिसमें कोई पेड़-पौधा ना हो) में छः लाख का काफ़िला चल रहा है, कोई ओट नहीं, कोई साया नहीं, धूप की तपिश से बचने का कोई इन्तेज़ाम नहीं। इन हालात में उन पर अल्लाह तआला का यह फ़ज़ल हुआ कि तमाम दिन एक बादल उन पर साया किये रहता और जहाँ-जहाँ वह जाते वह बादल उनके साथ होता।

“और उतारा तुम पर मन्न व सलवा।”

وَإِنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ

सहराये सीना में बनी इसराइल के पास खाने को कुछ नहीं था तो उनके लिये मन्न व सलवा नाज़िल किये गये। “मन्न” रात के वक़्त शबनम के क़तरों की मानिन्द उतरता था, जिसमें शीरीनी (मिठास) भी होती थी, और उसके क़तरे ज़मीन पर आकर जम जाते थे और दानों की सूरत इख़्तियार कर लेते थे। यह गोया उनका अनाज हो गया, जिससे काब्रोहाईड्रेट्स की ज़रूरत पूरी हो गयी। “सलवा” एक ख़ास किस्म का बटेर की शक़ल का परिन्दा था। शाम के वक़्त उन परिन्दों के बड़े-बड़े झुण्ड आते और जहाँ बनी इसराइल डेरा डाले होते उसके गिर्द उतर आते थे। रात की तारीकी (अँधेरे) में यह उन परिन्दों को आसानी से पकड़ लेते थे और भून कर खाते थे। चुनाँचे उनकी प्रोटीन की ज़रूरत भी पूरी हो रही थी। इस तरह अल्लाह तआला ने उनको मुकम्मल गिज़ा फ़राहम कर दी थी।

“(हमने कहा) खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों को जो हमने तुमको अता की है।”

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“और उन्होंने हमारा कुछ नुक़सान ना किया, बल्कि वह खुद अपने ऊपर जुल्म ढाते रहे।”

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ

हर क़दम पर नाफ़रमानी और नाशुक्री बनी इसराइल का वतीराह (आदत) थी। चुनाँचे उन्होंने “मन्न व सलवा” जैसी नेअमत की क़द्र भी ना की और नाशुक्री की रविश अपनाये रखी। इसका ज़िक़्र अगली आयात में आ जायेगा।

आयत 58

“और याद करो जबकि हमने तुमसे कहा था कि दाखिल हो जाओ इस शहर में और फिर खाओ उसमें से बाफ़राग़त जहाँ से चाहो जो चाहो”

وَإِذ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

“लेकिन देखना (बस्ती के) दरवाज़े में दाखिल होना झुक कर और कहते रहना मग़फ़िरत-मग़फ़िरत, तो हम तुम्हारी खताओं से दरगुज़र फ़रमायेंगे।”

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

“और मोहसीनीन को हम मज़ीद फ़ज़ल व करम से नवाज़ेंगे।”

وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

बनी इसराइल के सहाराये सीना में आने और तौरात अता किये जाने के बाद हज़रत मूसा (अलै०) ही के ज़माने में उन्हें जिहाद और क़िताल का हुक्म हुआ, लेकिन इससे पूरी क़ौम ने इन्कार कर दिया। इस पर अल्लाह तआला ने उन पर यह सज़ा मुसल्लत कर दी कि यह चालीस बरस तक इसी सहरा में भटकते फिरेंगे। अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि अगर यह अभी जिहाद और क़िताल करते तो हम पूरा फ़लस्तीन इनके हाथ से अभी फ़तह करा देते। लेकिन चूँकि इन्होंने बुज़दिली दिखाई है लिहाज़ा अब इनकी सज़ा यह है: {فَأَنهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ} (मायदा:26) यानि अर्दे फ़लस्तीन जो उनके लिये अर्दे मौऊद (वादा की हुई) थी वह उन पर चालीस साल के लिये हराम कर दी गयी है, अब यह चालीस साल तक इसी सहरा में भटकते फिरेंगे। सहरानावरदी (cross-country) के इस अर्से में हज़रत मूसा (अलै०) का भी इन्तेक़ाल हो

गया और हज़रत हारून (अलै०) का भी। इस अर्से में एक नयी नस्ल पैदा हुई और वह नस्ल जो मिस्र से गुलामी का दाग़ उठाये हुए आयी थी वह पूरी की पूरी ख़त्म हो गयी। गुलामी का यह असर होता है कि गुलाम क्रौम के अन्दर अख़लाक़ व किरदार की कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। सहरानावरदी के ज़माने में जो नस्ल पैदा हुई और सहारा ही में परवान चढ़ी वह एक आज़ाद नस्ल थी जो उन कमज़ोरियों से पाक थी और उनमें एक जज़्बा था। बनी इसराइल की इस नयी नस्ल ने हज़रत मूसा (अलै०) के खलीफ़ा यूशा बिन नून [तौरात में इनका नाम येशूआ (Joshua) आया है] की क़यादत में क़िताल किया और पहला शहर जो फतह हुआ वह “अरीहा” था। यह शहर आज भी जेरिका (Jericho) के नाम से मौजूद है।

यहाँ पर इस फ़तह के बाद का तज़क़िरा हो रहा है कि याद करो जबकि हमने तुमसे कहा था कि इस शहर में फ़ातेह की हैसियत से दाखिल हो जाओ और फिर जो कुछ नेअमतेँ यहाँ हैं उनसे मुतमताअ (आनंदित) हो, ख़ूब खाओ-पीयो, लेकिन शहर के दरवाज़े से सज़्दा करते हुए दाखिल होना। मुराद यह है कि झुक कर, सज़्दाये शुक्र बजालाते हुए दाखिल होना। ऐसा ना हो कि तकब्बुर की वजह से तुम्हारी गरदनें अकड़ जायें। अल्लाह का अहसान मानते हुए गरदनें झुका कर दाखिल होना। यह ना समझना कि यह फ़तह तुमने ब-ज़ोरे बाज़ू हासिल की है। इसका नक़शा हमें मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की शख़िसयत में नज़र आता है कि जब फ़तह मक्का के मौक़े पर आप ﷺ मक्का में दाखिल हुए तो जिस सवारी पर आप ﷺ बैठे हुए थे आप ﷺ की पेशानी मुबारक उसकी गर्दन के साथ जुड़ी हुई थी। यह वक़्त होता है जबकि एक फ़ातेह तकब्बुर और तअल्ली (बड़प्पन) का मुज़ाहिरा करता है, लेकिन बन्दा-ए-मोमिन के लिये यही वक़्त तवाज़े (विनम्रता) का और झुकने का है।

इसके साथ ही उन्हें हुक़्म दिया गया: {وَقُولُوا حِطَّةٌ} “और कहते जाओ मग़फ़िरत-मग़फ़िररता।” حِطَّةٌ का वज़न فَعْلَةٌ और माद्दा “ح ط ط” है। حَطَّ يَحْطُ حَطًّا है। “ح ط ط” है। मसलन कहेंगे حَطَّ के मुतअद्दिद (कई) मायने हैं, जिनमें से एक “पत्ते झाड़ना” है। मसलन कहेंगे حَطَّ وَرَقَ الشَّجَرِ (उसने दरख़्त के पत्ते झाड़ दिये)। حِطَّةٌ के मायने “अस्तग़फ़ार, तलब-ए-मग़फ़िररत और तौबा” के किये जाते हैं। गोया इसमें गुनाहों को झाड़ देने और ख़ताओं को माफ़ कर देने का मफ़हूम है। चुनाँचे {وَقُولُوا حِطَّةٌ} का मफ़हूम यह होगा कि मफ़तूह बस्ती में दाखिल होते वक़्त जहाँ तुम्हारी गरदनें आजिज़ी के साथ झुकी होनी चाहिये वहीं तुम्हारी जुबान पर भी इस्तग़फ़ार होना चाहिये

कि ऐ अल्लाह हमारे गुनाह झाड़ दे, हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे, हमारी ख़ताओं को बख़्श दे! अगर तुम हमारे इस हुक़्म पर अमल करोगे तो हम तुम्हारी ख़तायें माफ़ फ़रमा देंगे, और तुम में जो मोहसिन और नेकोकार होंगे उन्हें मज़ीद फ़ज़ल व करम और ईनाम व इकराम से नवाज़ेंगे।

आयत 59

“फिर बदल डाला ज़ालिमों ने बात को
खिलाफ़ उसके जो उनसे कह दी गयी थी”
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ
لَهُمْ

उनमें से जो ज़ालिम थे, बदकार थे उन्होंने एक और क्रौल इख़्तियार कर लिया उस क्रौल की जगह जो उनसे कहा गया था। उनसे कहा गया था कि “हिन्तातुन-हिन्तातुन” कहते हुए दाखिल होना, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय “हिन्तातुन-हिन्तातुन” कहना शुरू कर दिया, यानि हमें तो गेहूँ चाहिये, गेहूँ चाहिये! अगले रकूअ में यह बात आ जायेगी कि मन्न व सलवा खाते-खाते बनी इसराइल की तबीयतेँ भर गयी थीं, एक ही चीज़ खा-खा कर वह उकता गये थे और अब वह कह रहे थे कि हमें ज़मीन की रूईदगी और पैदावार में से कोई चीज़ खाने को मिलनी चाहिये। इस ख़्वाहिश का इज़हार उनकी ज़बानों पर “हिन्तातुन-हिन्तातुन” की सूरत में आ गया। इस तरह उन्होंने अल्लाह तआला के उस हुक़्म का इस्तेहज़ाअ व तमस्खुर किया जो उन्हें {وَقُولُوا حِطَّةٌ} के अल्फ़ाज़ में दिया गया था। इसी तरह शहर में सज़्दारेज़ होते हुए दाखिल होने की बजाय उन्होंने अपने सरीनों पर फिसलना शुरू किया।

“फिर हमने उतारा जुल्म करने वालों पर एक
बड़ा अज़ाब आसमान से”
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا آيَاتِنَا مِنَ
السَّمَاءِ

जिन ज़ालिमों ने अल्लाह तआला के हुक़्म का इस्तेहज़ाअ व तमस्खुर किया था उन पर आसमान से एक बहुत बड़ा अज़ाब नाज़िल हुआ। तौरात से मालूम होता है कि अरीहा शहर में पहुँचने के बाद उन्हें ताऊन की वबा (महामारी) ने

आलिया (पकड़ लिया) और जिन्होंने यह हरकत की थी वह सबके सब हलाक हो गये।

“ब-सबव उस नाफ़रमानी के जो उन्होंने की।”

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۞

यह उन नाफ़रमानियों और हुकम अदलियों (उल्लंघन) की सज़ा थी जो वह कर रहे थे।

आयात 60 से 61 तक

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا ۚ قَالَ لَهُم مَّا كَانُوكُمْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۞ ۗ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعْ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّيَاهَا وَفُؤْمَهَا وَعَدْسَهَا وَبَصِلَهَا ۗ قَالَ آتَسْتَبِدُّونَ الذِّئْبَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالذِّئْبِ هُوَ خَيْرٌ ۗ إِهْبِطُوا مِصْرًا لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ الَّحَقِّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۞

अब यहाँ फिर सहाराये सीना के वाक़िआत बयान हो रहे हैं। इन वाक़िआत में तरतीबे ज़मानी नहीं है। अरीहा की फ़तह मूसा अलै० के बाद हुई, जिसका ज़िक्र गुज़िशता आयात में हुआ, लेकिन अब यहाँ फिर उस दौर के वाक़िआत आ रहे हैं जब बनी इसराइल सहाराये तईहा में भटक रहे थे।

आयत 60

“और जब पानी माँगा मूसा (अलै०) ने अपनी क्रौम के लिये तो हमने कहा ज़र्ब (चोट) लगाओ अपने असा (लाठी) से चट्टान पर।”

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ

सहाराये सीना में छः लाख से ज़ायद बनी इसराइल पड़ाव डाले हुए थे और वहाँ पानी नहीं था। उन्होंने हज़रत मूसा अलै० से पानी तलब किया। हज़रत मूसा अलै० ने अल्लाह तआला से अपनी क्रौम के लिये पानी की दुआ की तो उन्हें अल्लाह तआला ने हुकम दिया कि अपने असा से चट्टान पर ज़र्ब लगाओ।

“तो उससे बारह चश्में फूट बहे।”

فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا

“फज़्र” कहते हैं कोई चीज़ फट कर उससे किसी चीज़ का बरामद होना। फज़्र के वक़्त को फज़्र इसी लिये कहते हैं कि उस वक़्त रात की तारीकी का परदा चाक होता है और सफेदा सहर नमोदार होता है।

“हर क़बीले ने अपना घाट जान लिया (और मुअय्यन कर लिया)।”

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ

बनी इसराइल के बारह क़बीले थे, अगर उनके लिये अलैहदा-अलैहदा घाट ना होता तो उनमें बाहम लड़ाई झगड़े का मामला होता। उन्हें बारह चश्में इसी लिये दिये गये थे कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। पानी तो बहुत बड़ी चीज़ है और क़बाइली ज़िन्दगी में इसकी बुनियाद पर जंग व जदल का आगाज़ हो सकता है।

कहीं पानी पीने-पिलाने पे झगडा

कहीं घोडा आगे बढ़ाने पे झगडा

तो इस ऐतबार से अल्लाह तआला ने उनके लिये यह सहूलत मुहैया की कि बारह चश्में फूट बहे और हर क़बीले ने अपना घाट मुअय्यन कर लिया।

“गोया उनसे यह कह दिया गया कि) खाओ

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ

और पियो अल्लाह के रिज़क में से”

“और ज़मीन में फ़साद मचाते ना फ़िरो।”

وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۞

सहरा में उनके लिये पीने को पानी भी मुहैया कर दिया गया और खाने के लिये मन्न व सलवा उतार दिया गया, लेकिन उन्होंने नाशुकी का मामला किया, जिसका ज़िक्र मुलाहिज़ा हो।

आयत 61

“और याद करो जबकि तुमने कहा था ऐ मूसा! हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते”

وَأَذَقْنَا لِمُوسَىٰ لَنْ تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ
وَاحِدٍ

मन्न व सलवा खा-खा कर अब हम उकता गये हैं।

“तो ज़रा अपने रब से हमारे लिये दुआ करो”

فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

“कि निकाले हमारे लिये उससे कि जो ज़मीन उगाती है”

يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

यानि ज़मीन की पैदावार में से, नबाताते अर्ज़ी में से हमें रिज़क दिया जाये।

“उसकी तरकारियाँ”

مِنْ بَقْلِهَا

“और ककड़ियाँ”

وَوَيْثَانِهَا

यह लफज़ खीरे और ककड़ी वगैरह सबके लिये इस्तेमाल होता है।

“और लहसुन”

وَفُومِهَا

फूम का एक तर्जुमा गेहूँ किया गया है, लेकिन मेरे नज़दीक ज़्यादा सही तर्जुमा लहसुन है। अरबी में इसके लिये बिल्डूम लफज़ “ثوم” इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन को फ़ारसी में तूम और पंजाबी, सराइकी और सिन्धी में “थूम” कहते

हैं और यह फूम और सूम ही की बदली हुई शकल है, इसलिये कि अरबों की आमद के बाइस उनकी ज़बान के बहुत से अल्फ़ाज़ सिन्धी और सराइकी ज़बान में शामिल हो गये, जो थोड़ी सी तब्दीली के साथ काफ़ी तादाद में अब भी मौजूद हैं।

“और मसूर”

وَعَدَسِهَا

“और प्याज़ा”

وَبَصَلِهَا

अब जो सालन के चटखारे इन चीज़ों से बनते हैं उनकी ज़बानें वह चटखारे माँग रही थीं। बनी इसराइल सहराये सीना में एक ही तरह की गिज़ा “मन्न व सलवा” खाते-खाते उकता गये थे, लिहाज़ा वह हज़रत मूसा अलै० से कहने लगे कि हमें ज़मीन से उगने वाली चटखारेदार चीज़ें चाहिये।

“हज़रत मूसा अलै० ने फ़रमाया: क्या तुम वह शय लेना चाहते हो जो कमतर है उसके बदले में जो बेहतर है?”

قَالَ أَتَشْتَبِدُونَ الذِّئْبَ هُوَ أَذَىٰ بِالذِّئْبِ
هُوَ خَيْرٌ

मन्न व सलवा नबाताते अर्ज़ी से कहीं बेहतर है जो अल्लाह की तरफ़ से तुम्हें दिया गया है। तो इससे तुम्हारा जी भर गया है और इसको हाथ से देकर चाहते हो कि यह अदना चीज़ें तुम्हें मिलें?

“उतरो किसी शहर में तो तुमको मिल जायेगा जो कुछ तुम माँगते हो।”

إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ

लफज़ “إِهْبِطُوا” पर आयत 38 के ज़ैल में बात हो चुकी है कि इसका मायने बुलन्दी से उतरने का है। ज़ाहिर बात है यहाँ यह लफज़ आसमान से ज़मीन पर उतरने के लिये नहीं आया, बल्कि इसका सही मफ़हूम यह होगा कि किसी बस्ती में जाकर आबाद हो जाओ! (settle down somewhere) अगर तुम्हें ज़मीन की पैदावार में से यह चीज़ें चाहियें तो कहीं आबाद (settle) हो जाओ और काश्तकारी करो, यह सारी चीज़ें तुम्हें मिल जायेगी।

“और उन पर ज़िल्लत व ख़वारी और मोहताजी व कम हिम्मती थोप दी गयी।”

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةَ وَالْمَسْكَنَةَ

“और वह अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे।”

وَبَأْسًا وَيَغْضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ

वह अल्लाह के गज़ब में घिर गये।

बनी इसराइल वह उम्मत थी जिसके बारे में फ़रमाया गया (बकरह:47) {وَأَنَّىٰ فَصَلُّوكُمُ عَلَى الْعُلَمَاءِ} उसी उम्मत का फिर यह हथ्र हुआ तो क्यों हुआ? अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की वजह से! उन्हें किताब दी गयी थी कि उसकी पैरवी करें और उसे क़ायम करें। सूरतुल मायदा (आयत:66) में फ़रमाया गया:

“अगर यह (अहले किताब) तौरात और इन्जील और उन दूसरी किताबों को क़ायम करते जो उनकी जानिब उनके रब की तरफ़ से उतारी गयीं तो खाते अपने ऊपर से और अपने क़दमों के नीचे से।”

وَلَوْ أَنَّهُمْ آفَأَمُوا النَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

यानि उनके सरों के ऊपर से भी नेअमतों की बारिश होती और ज़मीन भी उनके लिये नेअमतें उगलती। लेकिन उन्होंने इसको छोड़ कर अपनी ख्वाहिशात, अपने नज़रियात, अपने ख्यालात, अपनी अक़्ल और अपनी मसलहतों को मुक़द्दम किया, और अपने तमरूद (विद्रोह), अपनी सरकशी और अपनी हाकमियत को बालातर किया। जो क़ौम दुनिया में अल्लाह के क़ानून, अल्लाह की हिदायत और अल्लाह की किताब की अमीन होती है वह अल्लाह की नुमाइन्दा (representative) होती है, और अगर वह अपने अमल से गलत नुमाइन्दगी (misrepresent) करे तो वह अल्लाह के नज़दीक काफ़िरों से बढ कर मग़ज़ूब (तुच्छ) और मबगूज़ (घृणित) हो जाती है। इसलिये कि काफ़िरों को दीन पहुँचाना तो इस मुस्लमान उम्मत के ज़िम्मे था। अगर यह खुद ही दीन से मुन्हरिफ़ हो गये तो किसी और को क्या दीन पहुँचायेंगे? आज इस मक़ाम पर मौजूदा उम्मते मुस्लिमा खड़ी है कि तादाद में सवा अरब या डेढ़ अरब होने

के बावजूद उनके हिस्से में इज़ज़त नाम की कोई शय नहीं है। दुनिया के सारे मामलात जी-7 और जी-15 मुमालिक के हाथ में हैं। सिक्वोरिटी काउंसिल के मुस्तक़िल अरकान को वीटो का हक़ हासिल है, लेकिन कोई मुस्लमान मुल्क ना तो सिक्वोरिटी काउंसिल का मुस्तक़िल रुकन है और ना ही जी-7, जी-9 या जी-15 में शामिल है। गोया “किस नमी पुरसद के भैया कैस्ती!” हमारी अपनी पालिसियाँ कहीं और तय होती हैं, हमारे अपने बजट कहीं और बनते हैं, हमारी सुलह और जंग किसी और के इशारे से रिमोर्ट कन्ट्रोल अन्दाज़ में होती हैं। यह ज़िल्लत और मसकनत है जो आज हम पर थोप दी गयी है। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शह रग है, लेकिन उसके लिये जंग करने को हम तैयार नहीं हैं। यह ख़ौफ़ नहीं है तो क्या है? यह मसकनत नहीं है तो क्या है? अगर अल्लाह पर यक़ीन है और अपने हक़ पर होने का यक़ीन है तो अपनी शह रग दुश्मन के कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिये हिम्मत करो। लेकिन नहीं, हम में यह हिम्मत मौजूद नहीं है। हमारे रेडियो और टेलीविज़न पर ख़बरें आती रहेंगी कि काबिज़ भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की कार्यवाहियों में इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, इतनी मुस्लमान औरतों की बेहुरमती कर दी, लेकिन हम यहाँ अपने-अपने धन्धों में, अपने-अपने कारोबार में, अपनी-अपनी मुलाज़मतों में और अपने-अपने कैरियर्ज़ में मगन हैं। बहरहाल मुताज़किरह बिलअल्फ़ाज़ अगरचे बनी इसराइल के लिये आये हैं कि उन पर ज़िल्लत व ख़वारी और मोहताजी व कम हिम्मती मुसल्लत कर दी गयी, लेकिन इसमें आज की उम्मते मुस्लिमा का नक़शा भी मौजूद है।

खुशतर आं बाशिद कि सर दिलबरां

गुफ़ता आयद दर हदीस दीगरां!

“यह इसलिये हुआ कि वह अल्लाह की ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ आयत का इन्कार करते रहे”

“और अल्लाह के नबियों को नाहक़ क़ल्ल करते रहे।”

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

हमारे यहाँ भी मुजद्दिदे दीने उम्मत को क़ल्ल भी किया गया और उनमे से कितने हैं जो जेलों में डाले गये। मुतअद्दिद सहाबा किराम (रजि०) और सैकड़ों ताबईन

मुस्तबद (कट्टरपंथी) हुक्मरानों के हाथों मौत के घाट उतार दिये गये। अइम्मा-ए-दीन को ऐसी-ऐसी मार पड़ी है कि कहा जाता है कि हाथी को भी ऐसी मार पड़े तो वह बर्दाश्त ना कर सके। इमाम अहमद बिन हम्बल (रहि०) के साथ क्या कुछ हुआ! इमाम अबु हनीफ़ा (रहि०) ने जेल में इन्तेक़ाल किया और वहाँ से उनका जनाज़ा उठा। इमामे दारुल हिजरत इमाम मालिक (रहि०) के कन्धें खींच दिये गये और मुँह काला करके उन्हें ऊँट पर बिठा कर फिराया गया। हज़रत मुजद्दि अल्फ़े सानी शेख अहमद सरहन्दी (रहि०) को पसे दीवार ज़िन्दा झाला गया। सय्यद अहमद बरेलवी (रहि०) और उनके साथियों को खुद मुस्लमानों ने शहीद करवा दिया। हमारी तारीख ऐसी दास्तानों से भरी पड़ी है। अब नबी तो कोई नहीं आयेगा। उनके यहाँ नबी थे, हमारे यहाँ मुजद्दिदीन हैं, उलमाये हक़ हैं। उन्होंने जो कुछ अम्बिया (अलै०) के साथ किया वही हमने मुजद्दिदे दीन के साथ किया।

“और यह इसलिये हुआ कि वह नाफ़रमान थे
और हद से तजावुज़ करते थे।”

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

उनको यह सज़ा उनकी नाफ़रमानियों की वजह से और हद से तजावुज़ करने की वजह से दी गयी। अल्लाह तआला तो ज़ालिम नहीं है (नाऊज़ुबिल्लहा), अल्लाह तआला ने तो उन्हें ऊँचा मक़ाम दिया था। अल्लाह तआला ने हमें भी “ख़ैर उम्मत” करार दिया। हमने भी जब अपना मिशन छोड़ दिया तो ज़िल्लत और मसकनत हमारा मुक़द्दर बन गयी। अल्लाह का क़ानून और अल्लाह का अद्ल बे लाग है। यह सबके लिये एक है, हर उम्मत के लिये अलग-अलग नहीं है। अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं। चुनाँचे बनी इसराइल की बद आमालियों के सबब उनका जो हथ हुआ आज वह हमारा हो रहा है। इस ज़िम्न में मेरीकिताब “साबक़ा और मौजूदा मुस्लमान उम्मतों का माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल” के नाम से मौजूद है, उसका मुतअला कीजिये!

आयात 62 से 66 तक

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّظْرِي وَالصَّبِيَّيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ وَأَذ

أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ۗ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۗ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۗ

अब वह आयत आ रही है कि जिससे बाज़ लोगों ने यह इस्तदलाल किया है कि निजाते उखरवी के लिये ईमान बिरिसालत ज़रूरी नहीं है।

आयत 62

“यक़ीनन जो लोग ईमान लाये”

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

और इससे मुराद है जो ईमान लाये मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर।

“और जो यहूदी हो गये और नसरानी”

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّظْرِي

“और साबी”

وَالصَّبِيَّيْنَ

साबी वह लोग थे जो ईराक़ के इलाके में रहते थे और उनका कहना था कि हम दीने इब्राहीमी पर हैं। लेकिन उनके यहाँ भी बहुत कुछ बिगड़ गया था। जैसे हज़रत इब्राहीम (अलै०) की नस्ल बिगाड़ का शिकार हो गयी थी इसी तरह वह भी बिगड़ गये थे और उनके यहाँ ज़्यादातर सितारा परस्ती रिवाज पा गयी थी।

“जो कोई भी ईमान लाया (उनमें से) अल्लाह
पर और यौमे आखिर पर”

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“और उसने अच्छे अमल किये”

وَعَمِلَ صَالِحًا

“तो उनके लिये (महफ़ज़) है उनका अज़्र उनके रब के पास”

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ

“और ना उन पर कोई ख़ौफ़ होगा और ना ग़मगीन होंगे।”

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

उन लोगों को ना तो कोई ख़ौफ़ दामनगीर होगा और ना ही वह किसी हज़न से दो चार होंगे। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के ऐतबार से देखें तो यहाँ ईमान बिर्रिसालत का ज़िक्र नहीं है। अगर कोई इससे गलत इस्तदलाल करता है तो इसका पहला उसूली जवाब तो यह है कि बाज़ अहादीस में ऐसे अल्फ़ाज़ भी मौजूद हैं: ((مَنْ)) इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत में दाखिल हो जायेंगे, किसी अमल की ज़रूरत नहीं? बल्कि किसी हदीस का मफ़हूम अखज़ करने के लिये पूरे कुरान को और पूरे ज़खीरा-ए-अहादीस को सामने रखना होगा। किसी एक जगह से कोई नतीजा निकाल लेना सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा छठे रूकूअ के आगाज़ में यह उसूली बात भी बयान की जा चुकी है कि सूरतुल बकरह का पाँचवा रूकूअ छठे रूकूअ से शुरू होने वाले सारे मज़ामीन से ज़र्ब खा रहा है, जिसमें मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم और आप صلی اللہ علیہ وسلم पर नाज़िल होने वाले कुरान पर ईमान लाने की पुरज़ोर दावत बा-अल्फ़ाज़ (आयत:41) मौजूद है: { وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا } “और ईमान लाओ इस किताब पर जो मैंने नाज़िल की है, जो तस्दीक करते हुए आयी है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले इसका कुफ़्र करने वाले ना बन जाओ।” अब फ़साहत और बलागत का यह तक्राज़ा है कि एक बात बार-बार ना दोहरायी जाये। अलबत्ता यह बात हर जगह मुक़द्दर (understood) समझी जायेगी। इसलिये कि सारी गुफ्तुगू इसी के हवाले से हो रही है। इस हवाले से अब यूँ समझिये कि आयते ज़ेरे मुतआला में “فِي آيَاتِهِمْ” या “فِي آرْمَنِيهِمْ” (अपने-अपने दौर में) के अल्फ़ाज़ महज़ूफ़ माने जायेंगे। गोया:

إِنَّ الْيَتِيمَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالطَّغْرَى وَالصَّبِيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴿ فِي آيَاتِهِمْ ﴾ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

यानि निजाते उखरवी के लिये अल्लाह तआला और रोज़े क़यामत पर ईमान के साथ-साथ अपने दौर के नबी पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। चुनाँचे जब तक हज़रत ईसा (अलै०) नहीं आये थे तो हज़रत मूसा (अलै०) के मानने वाले जो भी यहूदी मौजूद थे, जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, आखिरत को मानते थे और नेक अमल करते थे उनकी निजात हो जायेगी। लेकिन जिन्होंने हज़रत ईसा (अलै०) के आने के बाद उन (अलै०) को नहीं माना तो अब वह काफ़िर करार पाये। मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की बेअसत से क़ब्ल हज़रत ईसा (अलै०) तक तमाम रसूलों पर ईमान निजाते उखरवी के लिये काफ़ी था, लेकिन मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की बेअसत के बाद आप صلی اللہ علیہ وسلم पर ईमान ना लाने वाले काफ़िर करार पायेंगे।

आयते ज़ेरे मुतआला में असल ज़ोर इस बात पर है कि यह ना समझो कि किसी गिरोह में शामिल होने से निजात पाओगे, निजात किसी गिरोह में शामिल होने की वजह से नहीं है, बल्कि निजात की बुनियाद ईमान और अमल सालेह है। अपने दौर के रसूल पर ईमान लाना तो लाज़िम है, लेकिन इसके साथ अगर अमल सालेह नहीं है तो निजात नहीं होगी। कुरान मज़ीद के एक मक़ाम पर आया है: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ } (आराफ़:34) “और हर उम्मत के लिये एक खास मुअय्यन मुद्दत है।” हर उम्मत इस मुअय्यना मुद्दत ही की मुकल्लिफ़ है। ज़ाहिर है कि जो लोग मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की बेअसत से पहले फ़ौत हो गये उन पर तो आप صلی اللہ علیہ وسلم पर ईमान लाने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। बेअसते नबवी صلی اللہ علیہ وسلم से क़ब्ल ऐसे मुवहिहदीन मक्का मुकररमा में मौजूद थे जो काबा के परदे पकड़-पकड़ कर यह कहते थे कि ऐ अल्लाह! हम सिर्फ़ तेरी बन्दगी करना चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं कि कैसे करें। हज़रत उमर (रज़ि०) के बहनोई और फ़ातिमा (रज़ि०) बिन्ते खत्ताब के शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि०) (जो अशरा-ए-मुबशशरा में से हैं) के वालिद ज़ैद का यही मामला था। वह यह कहते हुए दुनिया से चले गये कि: “ऐ अल्लाह! मैं सिर्फ़ तेरी बन्दगी करना चाहता हूँ, मगर नहीं जानता कि कैसे करूँ।”

सूरतुल फ़ातिहा के मुताबले के दौरान मैंने कहा था कि एक सलीमुल फ़ितरत और सलीमुल अक़ल इन्सान तौहीद तक पहुँच जाता है, आख़िरत को पहचान लेता है, लेकिन आगे वह नहीं जानता कि अब क्या करे। अहकामे शरीअत की तफ़सील के लिये वह “रब्बुल आलामीन” और “मालिकी यौमइद्दीन” के हज़ूर दस्ते सवाल-दराज़ करने पर मजबूर है कि: {إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} उसी सिराते मुस्तक़ीम की दुआ का जवाब यह कुरान हकीम है, और इसमें सूरतुल बकरह ही से अहकामे शरीअत का सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि यह करो, यह ना करो, यह फ़र्ज़ है, यह तुम पर लाज़िम किया गया है और यह चीज़ें हराम की गयी हैं।

आयत 63

“और ज़रा याद करो जब हमने तुमसे क़ौल व क़रार लिया और तुम्हारे ऊपर उठा दिया कोहे तूर को।”

وَاذْخُرْنَا مِمَّا قَفَرْتُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ
الطُّورَ

बनी इसराइल को जब तौरात दी गयी तो उस वक़्त उनके दिलों में अल्लाह और उसकी किताब की हैबत (दहशत) डालने और ख़शियत (डर) पैदा करने के लिये मौज़्ज़ाना तौर पर एक ऐसी कैफ़ियत पैदा की गयी कि उनके ऊपर कोहे तूर उठा कर मुअल्लक़ (लटका) कर दिया गया। उस वक़्त उनसे कहा गया:

“पकड़ो इसको मज़बूती के साथ जो हमने तुमको दिया है।”

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

इस किताब तौरात को और इसमें बयान करदा अहकामे शरीअत को मज़बूती के साथ थाम लो।

“और याद रखो उसे जो कुछ कि इसमें है”

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ

“ताकि तुम बच सको।”

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

आयत 64

“फिर तुमने रू-गरदानी की उसके बाद।”

فَمَّا تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ

यानि जो मीसाके शरीअत तुमसे लिया गया था उसको तोड़ डाला।

“फिर अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी ना होती तो तुम (उसी वक़्त) ख़सारा पाने वाले हो जाते।”

فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

अगर अल्लाह तआला का फ़ज़ल तुम्हारे शामिले हाल ना होता और उसकी रहमत तुम्हारी दस्तगीरी ना करती रहती, तुम्हें बार-बार माफ़ ना किया जाता और तुम्हें बार-बार मोहलत ना दी जाती तो तुम उसी वक़्त तबाह हो जाते।

आयत 65

“और तुम उन्हें ख़ूब जान चुके हो जिन्होंने तुम में से ज़्यादाती की थी हफ़्ते के दिन में”

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

तुम्हें ख़ूब मालूम है कि तुम में से वह कौन लोग थे जिन्होंने सब्त के क़ानून को तोड़ा था और हद से तजावुज़ किया था। यहूद की शरीअत में हफ़्ते का रोज़ इबादत के लिये मुअय्यन कर दिया गया था और इस रोज़ दुनियावी काम-काज की इजाज़त नहीं थी। आज भी जो मज़हबी यहूदी (Practicing Jews) हैं वह इसकी पाबन्दी बड़ी शिद्दत से करते हैं। लेकिन एक ज़माने में उनके एक ख़ास क़बीले ने एक शरई हीला ईजाद करके इस क़ानून की धज़्जियाँ बिखेर दी थीं। इस वाक़िये की तफ़सील सूरतुल आराफ़ में आयेगी।

“तो हमने कह दिया उनसे कि हो जाओ ज़लील बन्दर।”

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

उनकी शकलें मसख (विरूपण) करके उन्हें बन्दरों की सूरत में तब्दील कर दिया गया। तीन दिन के बाद यह सब मर गये।

आयत 66

“फिर हमने इस (वाकिये को या इस बस्ती) को इबरत का सामान बना दिया उनके लिये भी जो सामने मौजूद थे (उस ज़माने के लोग) और उनके लिये भी जो बाद में आने वाले थे”

“और एक नसीहत (और सबक आमोज़ी की बात) बना दिया अहले तक़वा के लिये”

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

आयात 67 से 74 तक

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ قَالُوا أَنَتَّخِذُهَا نُحُورًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۗ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ لَا فَارِصٌ وَلَا بَكَرٌ ۗ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۗ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ نُهِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النُّظُرَ ۖ بَيْنَ ۗ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۗ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ لَا ذَلُولٌ تُدِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْعَى الْحَرْثَ ۗ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۗ قَالُوا الْإِن جِئْتَ بِالْحَقِّ ۗ فَذْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۗ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُوهَا فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۗ فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا ۗ كَذَلِكَ يُعْجِبُ اللَّهُ الْمُؤْتَىٰ ۗ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۗ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ

مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَمِی كَالْحِجَارَةِ ۖ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَإِن مِّن الْحِجَارَةِ لَهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۗ وَإِن مِّنْهَا لَهَا يَشَقُّقٌ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۗ وَإِن مِّنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۗ

इन आयात के मुताबले से क़बल इनका पसमन्ज़र जान लीजिये। बनी इसराइल में आमील नामी एक शख्स क़त्ल हो गया था और क़ातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) के ज़रिये से हुकम दिया कि एक गाय ज़िबह करो और उसके गोशत का एक टुकड़ा मुर्दा शख्स के जिस्म पर मारो तो वह जी उठेगा और बता देगा कि मेरा क़ातिल कौन है।

बनी इसराइल की तारीख में हमें मौज़्ज़ात का अमल-दखल बहुत ज़्यादा मिलता है। यह भी उन्हीं मौज़्ज़ात में से एक मौज़्ज़ाह था। गाय को ज़िबह कराने का एक मक़सद यह भी था कि बनी इसराइल के कुलूब व अज़्हान (दिलों व दिमागों) में गाय का जो तक्रद्दुस रासिख हो चुका था उस पर तलवार चलायी जाये। और फिर उन्हें यह भी दिखा दिया गया कि एक मुर्दा आदमी ज़िन्दा भी हो सकता है, इस तरह बाअसे बाद अल मौत का एक नक़शा उन्हें इस दुनिया में दिखा दिया गया। बनी इसराइल को जब गाय ज़िबह करने का हुकम मिला तो उनके दिलों में जो बख़ड़े की मोहब्बत और गाय की तक्रदीस जड़ पकड़ चुकी थी उसके बाइस उन्होंने इस हुकम से किसी तरह से बच निकलने के लिये मीन-मेख निकालनी शुरू की और तरह-तरह के सवाल करने लगे कि वह कैसी गाय हो? उसका क्या रंग हो? किस तरह की हो? किस उम्र की हो? बिलआखिर जब हर तरफ़ से उनका घेराव हो गया और सब चीज़ें उनके सामने वाज़ेह कर दी गयीं तब उन्होंने चार व नाचार वा दिले नाख्वास्ता (ना चाहते हुए) इस हुकम पर अमल किया। अब हम इन आयात का एक रवा तर्जुमा कर लेते हैं।

आयत 67

“और याद करो जब मूसा (अलै०) ने कहा अपनी क्रोम से कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय को ज़िबह करो।”

وَاذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً ۗ

“उन्होंने कहा: क्या आप (अलै०) हमसे कुछ ठट्ठा कर रहे हैं?”

قَالُوا أَتَتَّخِذُ تَاهُؤُا ۗ

क्या आप (अलै०) यह बात हँसी-मज़ाक में कह रहे हैं?

“फ़रमाया: मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ।”

قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۗ

हँसी-मज़ाक और तमस्खुर व इस्तेहज़ा तो जाहिलों का काम है और अल्लाह के नबी से यह बर्इद है कि वह दीन के मामलात के अन्दर इन चीज़ों को शामिल कर ले।

आयत 68

“उन्होंने कहा (अच्छा ऐसी ही बात है तो) हमारे लिये ज़रा अपने रब से दुआ कीजिये कि वह हम पर वाज़ेह कर दे कि वह कैसी हो।”

قَالُوا اذْعُ لِنَارِكَ يَبِينُ لَنَا مَا هِيَ ۗ

“(हज़रत मूसा अलै० ने) फ़रमाया: अल्लाह तआला फ़रमाता है कि वह एक ऐसी गाय होनी चाहिये जो ना बूढी हो ना बिल्कुल बछिया।”

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِصٌ وَلَا يَكُورُ ۗ

“बुढापे और जवानी के बैन-बैन हो।”

عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ

“तो अब कर गुज़रो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है।”

فَاعْلَوْا مَا تُمْرُونَ ۗ

आयत 69

“अब उन्होंने कहा (ज़रा एक दफ़ा फिर) हमारे लिये दुआ कीजिये अपने रब से कि वह हमें बता दे कि उसका रंग कैसा हो?”

قَالُوا اذْعُ لِنَارِكَ يَبِينُ لَنَا مَا لَوْعُهَا ۗ

“फ़रमाया: अल्लाह तआला फ़रमाता है वह गाय होनी चाहिये ज़र्द रंग की, जिसका रंग ऐसा शोख हो कि देखने वालों को खूब अच्छी लगे।”

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْعُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ۗ

यह खूबियाँ उस गाय की थी जो उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुकद्दस समझी जाती थी। अगर पहले ही हुक्म पर अमल पैरा हो जाते तो किसी भी गाय को ज़िबह कर सकते थे। लेकिन एक के बाद दीगर सवालात के बाइस रफ़ता-रफ़ता उनका घेराव होता गया कि जिस गाय के तक्रद्दुस का तास्सुर (प्रभाव) उनके ज़हन में ज़्यादा से ज़्यादा था उसी को focus कर दिया गया।

आयत 70

“उन्होंने कहा (ज़रा फिर) अल्लाह से हमारे लिये दुआ कीजिये कि वह हम पर वाज़ेह कर दे कि वह गाय कैसी हो।”

قَالُوا اذْعُ لِنَارِكَ يَبِينُ لَنَا مَا هِيَ ۗ

“क्योंकि गाय का मामला यक़ीनन हम पर कुछ मुशतबा (संदिग्ध) हो गया है।”

إِنَّ الْبَقْرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا

हमें गाय की ताअयीन (selection) में इशतबाह (चूक) हो गया है।

“और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर राह पा लेंगे।”

وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهْمُتَدُونَ

आयत 71

“फ़रमाया कि अल्लाह फ़रमाता है वह एक ऐसी गाय होनी चाहिये कि जिससे कोई मशक्कत ना ली जाती हो, ना वह ज़मीन में हल चलाती हो और ना खेती को पानी देती हो।”

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ

“वह सही सालिम एक रंग होनी चाहिये, उसमें (किसी दूसरे रंग का) कोई दाग तक ना हो।”

مُسَلِّمَةٌ لَا شِبْهَ فِيهَا

“उन्होंने कहा अब आप लाये हैं ठीक बात।”

قَالُوا لَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ

अब तो आप (अलै०) ने बात पूरी तरह वाज़ेह कर दी है।

“तब उन्होंने उसको ज़िबह किया और वह लगते ना थे कि ऐसा कर लेंगे।”

فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

अब वह क्या करते, पे-बा-पे सवालात करते-करते वह घेराव में आ चुके थे, लिहाज़ा बा दिले ना ख्वास्ता वह अपनी मुकद्दस सुनहरी गाय को ज़िबह करने पर मजबूर हो गये।

यहाँ वाक़िये की तरतीब तौरात से मुख्तलिफ़ है और ज़िबह बकरह का जो सबब था वह बाद में बयान हो रहा है, जबकि तौरात में तरतीब दूसरी है।

आयत 72

“और याद करो जब तुमने एक शख्स को क़त्ल कर दिया था, और उसका इल्ज़ाम तुम एक-दूसरे पर लगा रहे थे।”

وَأَذَقْتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْهُمْ فِيهَا

चुनाँचे पता नहीं चल रहा था कि क़ातिल कौन है।

“और अल्लाह को ज़ाहिर करना था जो कुछ तुम छुपाते थे।”

وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

अल्लाह तआला फ़ैसला कर चुका था कि जो कुछ तुम छुपा रहे हो उसे निकाल कर रहेगा और वाज़ेह कर देगा।

आयत 73

“तो हमने हुक्म दिया कि मक़तूल की लाश को उस गाय के एक टुकड़े से ज़र्व लगाओ।”

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا

इस तरह वह मुर्दा शख्स बा-हुक्मे इलाही थोड़ी देर के लिये ज़िन्दा हो गया और उसने अपने क़ातिल का नाम बता दिया।

“देखो, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िन्दा कर देगा।”

كَذَلِكَ يُعْجِزُ اللَّهُ الْمَوْتَى

“और वह तुम्हें अपनी निशानियाँ (अपनी कुदरत के नमूने) दिखाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो।”

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٤﴾

अब जो अल्फ़ाज़ आगे आ रहे हैं बहुत सख्त हैं। लेकिन इनको पढ़ते हुए दरू बीनी (आत्मनिरीक्षण) ज़रूर कीजियेगा, अपने अन्दर ज़रूर झाँकियेगा।

आयत 74

“फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गये इस सबके बाद”

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

जब दीन में हीले बहाने निकाले जाने लगे और हीलों बहानों से शरीअत के अहकाम से बचने और अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की जाये तो उसका जो नतीजा निकलता है वह दिल की सख्ती है।

“पस अब तो वह पत्थरों की मानिन्द हैं, बल्कि सख्ती में उनसे भी ज़्यादा शदीद हैं।”

فِيهِ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً ۗ

यह फ़साहत और बलागत के ऐतबार से भी कुरान हकीम का एक बड़ा उम्दा मक़ाम है।

“और पत्थरों में से तो यक़ीनन ऐसे भी होते हैं जिनसे चश्में फूट बहते हैं।”

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۗ

“और उन (पत्थरों और चट्टानों) में से बेशक ऐसे भी होते हैं जो शक्र हो (फट) जाते हैं और उनमें से पानी बरामद हो जाता है।”

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَّقِقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۗ

“और उनमें से यक़ीनन वह भी होते हैं जो अल्लाह के ख़ौफ़ से गिर पड़ते हैं।”

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ

“और अल्लाह तआला ग़ाफ़िल नहीं है उससे कि जो तुम कर रहे हो।”

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

क़सावते क़ल्बी की यह कैफ़ियत उस उम्मत के अफ़राद की बयान की जा रही है जिसे कभी अहले आलम पर फज़ीलत अता की गयी थी। इस उम्मत पर चौदह सौ बरस ऐसे गुज़रे कि कोई लम्हा ऐसा ना था कि इनके यहाँ कोई नबी मौजूद ना हो। इन्हें तीन किताबें दी गयीं। लेकिन यह अपनी बदअमली के बाइस काअरे मुज़ल्लत (ज़िल्लत की गहराई) में जा गिरी। अक़ाइद में मिलावट, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम में मीन-मेख निकाल कर अपने आपको बचाने के रास्ते निकालने और आमाल में भी “किताबुल हियल” के ज़रिये से अपने आपको ज़िम्मेदारियों से मुबर्रा कर लेने की रविश का नतीजा फिर यही निकलता है। अल्लाह तआला मुझे और आपको इस अन्जामे बद से बचाये। आमीन!

आयत 75 से 82 तक

أَفَتَعْظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكَرَمِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَلْحِقُ فُؤَادَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِذَا الْقَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بِغَضَبٍ إِلَى بَعْضِهِمْ قَالُوا اتَّخَذُوا لَهُمْ مِنَّا فَتْحًا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٧﴾ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانًا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٥٩﴾ قَوْلِيلٌ لِلَّذِينَ يُكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَيْءٌ بِهِ ثُمَّ قَالُوا قَوْلِيلٌ لَهُمْ ۗ إِنَّمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَقَوْلِيلٌ لَهُمْ إِنَّمَا يَكْتُبُونَ ﴿٦٠﴾ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۗ قُلْ أَتَأْتِدُّونَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ

فِيهَا خَلْدُونَ ﴿١٠٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٠١﴾

अब तक हमने सूरतुल बकरह के आठ रकूअ और उन पर मुस्तज़ाद तीन आयात का मुतअला मुकम्मल किया है। साबक़ा उम्मत मुस्लिमा यानि बनी इसराइल के साथ खिताब का सिलसिला सूरतुल बकरह के दस रकूअों पर मुहीत है। यह सिलसिला पाँचवे रकूअ से शुरू हुआ था और पन्द्रहवें रकूअ के आगाज़ तक चलेगा। इस सिलसिला-ए-खिताब के बारे में यह बात अच्छी तरह ज़हननशीं रहनी चाहिये कि इसमें से पहला रकूअ दावत पर मुश्तमिल है और वह बहुत फ़ैसलाकुन है, जबकि अगले रकूअ से असलूबे कलाम तब्दील हो गया है और तहदीद और धमकी का अन्दाज़ इख़्तियार किया गया है। मैंने अर्ज़ किया था कि पाँचवा रकूअ इस पूरे सिलसिला-ए-खिताब में बमंज़िला-ए-फ़ातिहा बहुत अहम है और जो बक्रिया नौ (9) रकूअ हैं उनके आगाज़ व इख़तताम पर ब्रेकेट का अन्दाज़ है कि दो आयतों से ब्रेकेट शुरू होती है और उन्हीं दो आयतों पर ब्रेकेट ख़त्म होती है, जबकि पाँचवे रकूअ के मज़ामीन इस पूरे सिलसिला-ए-खिताब से ज़र्ब खा रहे हैं। इन रकूअों में बनी इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुफ़स्सल फर्दे करारदारे जुर्म आइद की गयी है, जिसके नतीजे में वह उस मंसबे जलीला से माज़ूल कर दिये गये जिस पर दो हज़ार बरस से फाइज़ थे और उनकी जगह पर अब नयी उम्मत मुस्लिमा यानि उम्मत मुहम्मद (ﷺ) का इस मंसब पर तक्ररर अमल में आया (नियुक्ति हुई) और इस मसनद नशीनी की तक्ररीब (Installation Ceremony) के तौर पर तहवीले क़िब्ला का मामला हुआ। यह रबते कलाम अगर सामने ना रहे तो इन्सान कुरान मजीद की तवील सूरतों को पढते हुए खो जाता है कि बात कहाँ से चली थी और अब किधर जा रही है।

इन रकूअों के मज़ामीन में कुछ तो तारीख बनी इसराइल के वाक़िआत बयान हुए हैं कि तुमने यह किया, तुमने यह किया! लेकिन इन वाक़िआत को बयान करते हुए बाज़ ऐसे अज़ीम अब्दी हक़ाइक़ और Universal Truths बयान हुए हैं कि उनका ताल्लुक़ किसी वक़्त से, किसी क़ौम से या किसी ख़ास ग़िरोह से नहीं है। वह तो ऐसे उसूल हैं जिन्हें हम सुन्नतुल्लाह कह सकते हैं। इस कायनात में एक तो क़वानिने तबीई (Physical Laws) हैं, जबकि एक Moral

Laws हैं जो अल्लाह की तरफ़ से इस दुनिया में कारफरमां हैं। सूरतुल बकरह के ज़ेरे मुतअला नौ रकूअों में तारीख बनी इसराइल के वाक़िआत के बयान के दौरान थोड़े-थोड़े वक़्फे के बाद ऐसी आयात आती हैं जो इस सिलसिला-ए-कलाम के अन्दर इन्तहाई अहमियत की हामिल हैं। उनमें दर हक़ीक़त मौजूदा उम्मत मुस्लिमा के लिये रहनुमाई पौशिदा है। मिसाल के तौर पर इस सिलसिला-ए-खिताब के दौरान आयत 61 में वारिद शुदा यह अल्फ़ाज़ याद कीजिये: { وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ - وَبَاءُؤُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ } “और उन पर ज़िल्लत व ख़वारी और मोहताजी व कमहिम्मती थोप दी गयी और वह अल्लाह का ग़ज़ब लेकर लौटे।” मालूम हुआ कि ऐसा हो सकता है कि एक मुस्लमान उम्मत जिस पर अल्लाह के बड़े फ़ज़ल हुए हों, उसे बड़े ईनाम और इकराम से नवाज़ा गया हो, और फिर वह अपनी बेअमली या बदअमली के बाइस अल्लाह तआला के ग़ज़ब की मुस्तहिक़ हो जाये और ज़िल्लत व मसकनत उस पर थोप दी जाये। यह एक अब्दी हक़ीक़त है जो इन अल्फ़ाज़ में बयान हो गयी। उम्मत मुस्लिमा के लिये यह एक लम्हा-ए-फ़िक़्रिया है कि क्या आज हम तो उस मक़ाम पर नहीं पहुँच गये?

दूसरा इसी तरह का मक़ाम ग़ज़िश्ता आयत (74) में गुज़रा है, जहाँ एक अज़ीम अब्दी हक़ीक़त बयान हुई है: { ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ } “फिर तुम्हारे दिल सख़्त हो गये इस सबके बाद, पस अब तो वह पत्थरों की मानिन्द हैं, बल्कि सख़ती में उनसे भी शदीदतर हैं।” गोया इसी उम्मत मुस्लिमा का यह हाल भी हो सकता है कि उनके दिल इतने सख़्त हो जायें कि सख़ती में पत्थरों और चट्टानों को मात दे जायें। हालाँकि यह वही उम्मत है जिसके बारे में फ़रमाया: { وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ } “बबीं तफ़ावते राह अज़ कज़ास्त ताबे कज़ा!” अलबत्ता यहाँ एक बात वाज़ेह रहे कि इस क़सावते क़ल्बी में पूरी उम्मत मुब्तला नहीं हुआ करती, बल्कि इस कैफ़ियत में उम्मत के क़ायदीन मुब्तला हो जाते हैं और उम्मत मुस्लिमा के क़ायदीन उसके उलमा होते हैं। चुनाँचे सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ यह ख़राबी उनमें दर आती है। इसलिये कि बाक़ी लोग तो पैरोकार हैं, उनके पीछे चलते हैं, उन पर ऐतमाद करते हैं कि यह अल्लाह की किताब के पढने वाले और उसके जानने वाले हैं। लेकिन जो लोग जान-बूझ कर अल्लाह की किताब में तहरीफ़ कर रहे हों और जानते-बूझते हक़ को पहचान कर उसका इन्कार कर रहे हों उन्हें तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं! दरहक़ीक़त यह सज़ा उन पर आती है। यह बात इन आयात

में जो आज हम पढ़ने चले हैं, बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जायेगी (इन्शा अल्लाह)। फ़रमाया:

आयत 75

“तो क्या (ऐ मुस्लमानों!) तुम यह तवक्क़ो रखते हो कि यह तुम्हारी बात मान लेंगे?”

أَفَتَعْظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ

आम मुस्लमानों को यह तवक्क़ो थी कि यहूद दीने इस्लाम की मुखालफ़त नहीं करेंगे। इसलिये कि मुशरिकीने मक्का तो दीने तौहीद से बहुत दूर थे, रिसालत का उनके यहाँ कोई तसब्बुर ही नहीं था, कोई किताब उनके पास थी ही नहीं। जबकि यहूद तो अहले किताब थे, हामिलीने तौरात थे, मूसा (अलै०) के मानने वाले थे, तौहीद के अलम्बरदार थे और आखिरत का भी इक्कार करते थे। चुनाँचे आम मुस्लमान का ख़याल था कि उन्हें तो मुहम्मद रसूल अल्लाह عليه وسلم और आप عليه وسلم की दावत को झटपट मान लेना चाहिये। तो मुस्लमानों के दिलों में यहूद के बारे में जो हुस्ने ज़न था, यहाँ उसका पर्दा चाक किया जा रहा है और मुस्लमानों को इसकी हक़ीक़त से आगाह किया जा रहा है कि मुस्लमानों! तुम्हें बड़ी तम्ना (लालच) है, तुम्हारी यह ख्वाहिश है, आरज़ू है, तमन्ना है, तुम्हें तवक्क़ो है कि यह तुम्हारी बात मान लेंगे।

“जबकि हाल यह है कि इनमें एक गिरोह वह भी था कि जो अल्लाह का कलाम सुनता था और फिर खूब समझ-बूझ कर दानिस्ता उसमें तहरीफ़ करता था।”

وَقَدْ كَانَ قَرِيْبٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ
ثُمَّ يَجْرِفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ۝

ज़ाहिर बात है वह गिरोह उनके उलमा ही का था। आम आदमी तो अल्लाह की किताब में तहरीफ़ नहीं कर सकता।

अब अगली आयत में बड़ी अजीब बात सामने आ रही है। जिस तरह मुस्लमानों के दरमियान मुनाफ़िक़ीन मौजूद थे उसी तरह यहूद में भी मुनाफ़िक़ीन थे। यहूद में से कुछ लोग ऐसे थे कि जब उन पर हक़ मुनक़शिफ़ हो गया तो अब वह इस्लाम की तरफ़ आना चाहते थे। लेकिन उनके लिये अपने

खानदान को, घर-बार को, अपने कारोबार को और अपने क़बीले को छोड़ना भी मुमकिन नहीं था, जबकि क़बीलों की सरदारी उनके उलमा के पास थी। ऐसे लोगों के दिल कुछ-कुछ अहले ईमान के क़रीब आ चुके थे। ऐसे लोग जब अहले ईमान से मिलते थे तो कभी-कभी वह बातें भी बता जाते थे जो उन्होंने उलमाये यहूद से नबी आख़िरुज़्ज़मान عليه وسلم और उनकी तालीमात के बारे में सुन रखी थीं कि तौरात उनकी गवाही देती है। इसके बाद जब वह अपने “श्यातीन” यानि उलमा के पास जाते थे तो वह उन्हें डाँट-डपट करते थे कि बेवकूफ़ों! यह क्या कर रहे हो? तुम उन्हें यह बातें बता रहे हो ताकि अल्लाह के यहाँ जाकर वह तुम पर हुज्जत क़ायम करें कि उन्हें पता था और फिर भी उन्होंने नहीं माना!

आयत 76

“और (उनमें से कुछ लोग हैं कि) जब मिलते हैं अहले ईमान से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आये।”

وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا

“और जब वह खलवत (अकेले) में होते हैं एक-दूसरे के साथ”

وَإِذَا خَلَا بِغَضِبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ

“तो कहते हैं क्या तुम बता रहे हो उनको वह बातें जो अल्लाह ने खोली हैं तुम पर?”

قَالُوا اتَّخَذُوا نَهْمَ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

“ताकि वह उनके ज़रिये तुम पर हुज्जत क़ायम करे तुम्हारे रब के पास!”

لِيَحْأْجُبَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ

“क्या तुम्हें अक़ल नहीं है?”

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

तुम ज़रा अक़ल से काम लो और यह हकीकतें जो तौरात के ज़रिये से हमें मालूम हैं, मुस्लिमानों को मत बताओ। क्या तुम्हें अक़ल नहीं है कि ऐसा बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो?

उनके इस मकालमे पर अल्लाह तआला का तबसिरा यह है:

आयत 77

“और क्या यह जानते नहीं हैं कि अल्लाह को तो मालूम है वह सब कुछ भी जो वह छुपाते हैं और वह सब कुछ भी जिसे वह ज़ाहिर करते हैं।”

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

तुम चाहे यह बातें मुस्लिमानों को बताओ या ना बताओ, अल्लाह की तरफ़ से तो तुम्हारा मुहासबा होकर रहना है। लिहाज़ा यह भी उनकी नासमझी की दलील है।

आयत 78

“और उनमें बाज़ अनपढ़ हैं”

وَمِنْهُمْ أَتَمُونَ

“अमी” का लफ़्ज़ कुरान मजीद में असलन तो मुशरिकीने अरब के लिये आता है। इसलिये कि उनके अन्दर पढ़ने-लिखने का रिवाज ही नहीं था। कोई आसमानी किताब भी उनके पास नहीं थी। लेकिन यहाँ यहूद के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें से भी एक तबक़ा अनपढ़ लोगों पर मुशतमिल है। जैसे आज मुस्लिमानों का हाल है कि अक्सर व बेशतर जाहिल हैं, उनमें से बाज़ अगरचे पी.एच.डी. होंगे, लेकिन उन्हें कुरान की “अ, ब, त” नहीं आती, दीन के “मबादी” (आधार) तक से नावाक़िफ़ हैं। चुनाँचे आज पढ़े-लिखे मुस्लिमानों की भी अज़ीम अक्सरियत “पढ़े-लिखे जाहिलों” पर मुशतमिल है। जबकि हमारी अक्सरियत वैसे ही बग़ैर पढ़ी-लिखी है। तो अब उन्हें दीन का क्या पता? वो तो सारा ऐतमाद करेंगे उलमा पर! कोई बरेलवी है तो बरेलवी उलमा पर ऐतमाद करेगा, कोई देवबन्दी है तो देवबन्दी उलमा पर ऐतमाद करेगा, कोई अहले

हदीस है तो अहले हदीस उलमा पर ऐतमाद करेगा। अब उम्मियों का सहारा क्या होता है?

“वह किताब का इल्म नहीं रखते, सिवाय बे बुनियाद आरज़ुओं के”

لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا

ऐसे लोग किताब से तो वाक़िफ़ नहीं होते, बस अपनी कुछ ख़्वाहिशात और आरज़ुओं पर तकिया किये हुए होते हैं। उन ख़्वाहिशात का ज़िक्र आगे आ जायेगा। यहूद को यह ज़अम (घमण्ड) था कि हम तो इसराइली हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं और उसके बेटों की मानिन्द चहेते हैं, हमारी तो शफ़ाअत हो ही जायेगी। हमें तो जहन्नम में दाखिल किया भी गया तो थोड़े से अरसे के लिये किया जायेगा, फिर हमें निकाल लिया जायेगा। यह उनकी “अमानी” हैं। “अमनी” कहते हैं वे बुनियाद ख़्वाहिश को, अमानी इसकी जमा (plural) है। इसकी सही ताबीर के लिये अंग्रेज़ी का लफ़्ज़ wishful thinkings है। यह अपनी उन बे बुनियाद ख़्वाहिशात और झूठी आरज़ुओं के सहारे जी रहे हैं, किताब का इल्म इनके पास है ही नहीं।

“और वह कुछ नहीं कर रहे मगर ज़न्न (संदेह) व तख़मीन (अनुमान) पर चले जा रहे हैं”

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

उनके पास महज़ वहम व गुमान और उनके अपने मनघड़त ख़्यालात हैं।

आयत 79

“पस हलाकत और बरबादी है उनके लिये जो किताब लिखते हैं अपने हाथ से।”

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ

“विल” के बारे में बाज़ रिवायात में आता है कि यह जहन्नम का वह तबक़ा है जिससे खुद जहन्नम पनाह माँगती है।

“फिर कहते हैं यह अल्लाह की तरफ़ से है”

ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

“ताकि हासिल कर लें उसके बदले हकीर सी
क्रीमता”

لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

यानि लोग उलमाये यहूद से शरई मसाइल दरयाफ्त करते तो वह अपने पास से मसले गढ़ कर फ़तवा लिख देते और लोगों को बावरकराते (यक्रीन दिलाते) कि यह अल्लाह की तरफ़ से है, यही दीन का तक्काज़ा है। अब इस फ़तवा नवेसी में कितनी कुछ वाक़िअतन उन्होंने सही बात कही, कितनी हठधर्मी से काम लिया और किस क्रदर किसी रिश्वत पर मबनी कोई राय दी, अल्लाह के हुज़ूर सब दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जायेगा। अल्लामा इक़बाल ने उलमाये सू का नक्कशा इन अल्फ़ाज़ में खींचा है:

खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं
हुए किस दर्जा फ़क़ीहाने हरम बे तौफीक़!

उलमाये यहूद का किरदार इसी तरह का था।

“तो हलाकत और बरबादी है उनके लिये उस
चीज़ से कि जो उनके हाथों ने लिखी”

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ

“और उनके लिये हलाकत और बरबादी है
उस कमाई से जो वह कर रहे हैं”

وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

यह फ़तवा फ़रोशी और दीन फ़रोशी का जो सारा धन्धा है इससे वह अपने लिये तबाही और बर्बादी मोल ले रहे हैं, इससे उनको अल्लाह तआला के यहाँ कोई अज़्रो सवाब नहीं मिलेगा। अब आगे उनकी बाज़ “अमाली” का तज़क़िरा है।

आयत 80

“और वह कहते हैं हमें तो आग़ हरगिज़ छू
नहीं सकती, मगर गिनती के चन्द दिना।”

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً

गोया सिर्फ़ दूसरों की आँखों में धूल झोंकने के लिये हमें चन्द दिन की सज़ा दे दी जायेगी कि कोई ऐतराज़ ना कर दे कि “ऐ अल्लाह! हमें आग में फेंका जा रहा है और इन्हें नहीं फेंका जा रहा, जबकि यह किरदार में हमसे भी बदतर थे।” चुनाँचे उनका मुँह बन्द करने के लिये शायद हमें चन्द दिन के लिये आग में डाल दिया जाये, फिर फौरन निकाल लिया जायेगा।

“इनसे कहिये क्या तुमने अल्लाह से कोई
अहद ले लिया है?”

قُلْ أَتَّخَذْتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا

क्या तुम्हारा अल्लाह से कोई क़ौल व करार हो गया है?

“कि अब (तुम्हें यह यक्रीन है कि) अल्लाह
अपने अहद के ख़िलाफ़ नहीं करेगा?”

قَلَنْ يُّخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا

“या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वह बातें लगा रहे
हो जिन्हें तुम नहीं जानते?”

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

हकीकत यही है कि तुम अल्लाह की तरफ़ उस बात की निस्बत कर रहे हो जिसके लिये तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है।

बनी इसराइल की फर्दे करारदार ज़ुर्म के दौरान गाहे-बगाहे जो अहम तरीन अब्दी हक्काइक़ बयान हो रहे हैं, उनमें से एक अज़ीम हकीक़त अगली आयत में आ रही है। फ़रमाया:

आयत 81

“क्यों नहीं, जिस शख्स ने जान-बूझ कर एक
गुनाह कमाया”

بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً

लेकिन इससे मुराद कबीरा गुनाह है, सगीरा नहीं। सैय्ये की तन्कीर “तफ़्ख़िम” का फ़ायदा भी दे रही है।

“और उसका घेराव कर लिया उसके गुनाह ने”

وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

मसलन एक शख्स सूदखोरी से बाज़ नहीं आ रहा, बाकी वह नमाज़ का भी पाबन्द है और तहज्जुद का भी इल्तज़ाम कर रहा है तो इस एक गुनाह की बुराई उसके गिर्द इस तरह छा जायेगी कि फिर उसकी यह सारी नेकियाँ खत्म होकर रह जायेंगी। हमारे मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि गुनाह के इहाता कर लेने से मुराद यह है कि गुनाह उस पर ऐसा ग़लबा कर ले कि कोई जानिब ऐसी ना हो कि गुनाह का ग़लबा ना हो, हत्ता कि दिल से ईमान व तस्दीक़ रुख़सत हो जाये। उलमा के यहाँ यह उसूल माना जाता है कि “الْمُعَاصِي بَرِيذُ الْكُفْرِ” यानि गुनाह तो कुफ़्र की डाक होते हैं। गुनाह पर मदावमत (दृढता) का नतीजा बिलआखिर यह निकलता है कि दिल से ईमान रुख़सत हो जाता है। एक शख्स अपने आप को मुस्लमान समझता है, लेकिन अन्दर से ईमान खत्म हो चुका होता है। जिस तरह किसी दरवाज़े की चौखट को दीमक चाट जाती है और ऊपर लकड़ी की एक बारीक परत (veneer) छोड़ जाती है।

“पस यही हैं आग वाले”

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

“वह उसी में हमेशा रहेंगे।”

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

आयत 82

“और (इसके बरअक्स) जो लोग ईमान लायें और नेक अमल करें”

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

अब नेक अमल के बारे में हर शख्स ने अपना एक तसव्वुर और नज़रिया बना रखा है। जबकि नेक अमल से कुरान मजीद की मुराद दीन के सारे तकाज़ों को पूरा करना है। महज़ कोई खैराती इदारा या कोई यतीम खाना खोल देना या बेवाओं की फ़लाह व बहबूद (कल्याण) का इन्तेज़ाम कर देना और खुद सूदी

लेन-देन और धोखा फ़रेब पर मन्नी कारोबार तर्क ना करना नेकी का मसख़शुदा तसव्वुर है। जबकि नेकी का जामेअ (व्यापक) तसव्वुर यह है कि अल्लाह तआला की तरफ़ से आयद करदा तमाम फ़राइज़ की बजाआवरी (कार्यान्वित) हो, दीन के तमाम तकाज़े पूरे किये जायें, अपने माल और जान के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद और मुजाहदा किया जाये और उसके दीन को कायम और सरबुलन्द करने की जद्दो जहद की जाये।

“यही हैं जन्नत वाले”

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

“वह उसी में हमेशा-हमेश रहेंगे।”

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

आयात 83 से 86 तक

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْبِغْيَةَ وَالرِّبَا وَالزُّكُورَ وَالنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝۸۳ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوُونَ ۝۸۴ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۸۵ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۸۶

आयत 83

“और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया था कि तुम नहीं इबादत करोगे किसी की सिवाय अल्लाह के।”

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

“और वालिदैन के साथ नेक सुलूक करोगे”

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

अल्लाह के हक़ के फ़ौरन बाद वालिदैन के हक़ का ज़िक्र कुरान मजीद में चार मक़ामात पर आया है। उनमें से एक मक़ाम यह है।

“और क़राबतदारों के साथ भी (नेक सुलूक करोगे)”

وَوِذَى الْقُرْبَىٰ

“और यतीमों के साथ भी”

وَالْيَتَامَىٰ

“और मोहताजों के साथ भी”

وَالْمَسْكِينِ

“और लोगों से अच्छी बात कहो”

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

अम्र बिलमारूफ़ करते रहो। नेकी की दावत देते रहो।

“और नमाज़ क़ायम रखो और ज़कात अदा करो।”

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

यह बनी इसराइल से मुआहिदा (अनुबंध) हो रहा है।

“फिर तुम (इससे) फिर गये सिवाय तुम में से थोड़े से लोगों के”

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ

“और तुम हो ही फिर जाने वाले।”

وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٤﴾

तुम्हारी यह आदत गोया तबीयते सानिया है।

अल्लाह तआला ने उनसे इसके अलावा एक और अहद भी लिया था, जिसका ज़िक्र बाअल्फ़ाज़ किया जा रहा है:

आयत 84

“और जब हमने तुमसे यह अहद भी लिया था कि”

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

“तुम अपना खून नहीं बहाओगे”

لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ

यानि आपस में जंग नहीं करोगे, बाहम खूरेज़ी नहीं करोगे। तुम बनी इसराइल एक वाहदत बन कर रहोगे, तुम सब भाई-भाई बन कर रहोगे। जैसा कि कुरान मजीद में आया है: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } (अल हुजरात:10)

“और ना ही तुम निकालोगे अपने लोगों को उनके घरों से”

وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

“फिर तुमने इसका इकरार किया था मानते हुए।”

ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٥﴾

यानि तुमने इस क़ौल व क़रार को पूरे शऊर के साथ माना था।

हज़रत मूसा और हज़रत हारून (अलै०) की वफ़ात के बाद बनी इसराइल ने हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में फ़लस्तीन को फ़तह करना शुरू किया। सबसे पहला शहर अरीहा (Jericho) फ़तह किया गया। उसके बाद जब सारा फ़लस्तीन फ़तह कर लिया तो उन्होंने एक मरकज़ी हुकूमत क़ायम नहीं की, बल्कि बारह क़बीलों ने अपनी-अपनी बारह हुकूमतें बना ली। इन हुकूमतों की बाहमी आवेज़िश (झगड़ों) के नतीजे में उनकी आपस में जंगें होती थीं और यह

एक-दूसरे पर हमला करके वहाँ के लोगों को निकाल बाहर करते थे, उन्हें भागने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग फ़रार होकर किसी काफ़िर मुल्क में चले जाते और कुफ़रार उन्हें गुलाम या कैदी बना लेते और यह इस हालत में उनके सामने लाये जाते तो फ़िदया देकर उन्हें छुड़ा लेते कि हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हारा इसराइली भाई अगर कभी असीर (कैदी) हो जाये तो उसको फ़िदया देकर छुड़ा लो। यह उनका जुज़वी (आंशिक) इताअत का तर्ज़े अमल था कि एक हुक्म को तो माना नहीं और दूसरे पर अमल हो रहा है। असल हुक्म तो यह था कि आपस में खूँरज़ी मत करो और अपने भाई-बन्दों को उनके घरों से मत निकालो। इस हुक्म की तो परवाह नहीं की और इसे तोड़ दिया, लेकिन इस वजह से जो इसराइली गुलाम बन गये या असीर हो गये अब उनको बड़े मुत्तकियाना अन्दाज़ में छुड़ा रहे हैं कि यह अल्लाह का हुक्म है, शरीअत का हुक्म है। यह है वह तज़ाद (विरोध) जो मुस्लमान उम्मतों के अन्दर पैदा हो जाता है।

आयत 85

“फिर तुम ही वह लोग हो कि अपने ही लोगों को क़त्ल भी करते हो”

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ

“और अपने ही लोगों में से कुछ को उनके घरों से निकाल देते हो”

وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ

“उन पर चढायी करते हो गुनाह और जुल्म व ज्यादती के साथ।”

تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“और अगर वह कैदी बन कर तुम्हारे पास आयें तो तुम फ़िदया देकर उन्हें छुड़ाते हो”

وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أُسْرَى فَتَدَوْهُمْ

“हालाँकि उनका निकाल देना ही तुम पर हाराम किया गया था।”

وَهُوَ مُحْرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

अब देखिये इस वाक़िये से जो अख़्लाकी सबक (Moral Lesson) दिया जा रहा है वह अब्दी है। और जहाँ भी यह तर्ज़े अमल इख़्तियार किया जायेगा तावीले आम के ऐतबार से यह आयत उस पर मुन्तबिक़ (लागू) होगी।

“तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते?”

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِأُخْرَى

“तो नहीं है कोई सज़ा इसकी जो यह हरकत करे तुममें से”

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ

“सिवाय ज़िल्लत व रुसवाई के दुनिया की ज़िन्दगी में।”

إِلَّا حِزْبِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“और क़यामत के रोज़ वह लौटा दिये जायेंगे शदीद तरीन अज़ाब की तरफ़।”

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

“और अल्लाह तआला ग़ाफ़िल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो।”

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

यह एक बहुत बड़ी आफ़ाकी सच्चाई (Universal Truth) बयान कर दी गयी है, जो आज उम्मत मुस्लिमा पर सद फ़ीसद मुन्तबिक़ हो रही है। आज हमारा तर्ज़े अमल भी यही है कि हम पूरे दीन पर चलने को तैयार नहीं हैं। हममें से हर गिरोह ने कोई एक शय अपने लिये हलाल कर ली है। मुलाज़मत पेशा तबक़ा रिश्वत को इस बुनियाद पर हलाल समझ बैठे हैं कि क्या करें, इसके बग़ैर गुज़ारा नहीं होता। कारोबारी तबक़े के नज़दीक सूद हलाल है कि इसके बग़ैर

कारोबार नहीं चलता। यहाँ तक कि यह जो तवायफें “बाज़ारे हुस्न” सजा कर बैठी हैं वह भी कहती हैं कि क्या करें, हमारा यह धन्धा है, हम भी मेहनत करती हैं, मशक्कत करती हैं। उनके यहाँ भी नेकी का एक तसव्वुर मौजूद है। चुनाँचे मोहर्रम के दिनों में यह अपना धन्धा बन्द कर देती हैं, सियाह कपड़ें पहनती हैं और मातमी जुलूसों के साथ भी निकलती हैं। उनमें से बाज़ मजारों पर धमाल भी डालती हैं। उनके यहाँ इस तरह के काम नेकी शुमार होते हैं और जिस्म फ़रोशी को यह अपनी कारोबारी मजबूरी समझती हैं। चुनाँचे हमारे यहाँ हर तबके में नेकी और बदी का एक इम्तिज़ाज (संयोजन) है। जबकि अल्लाह तआला का मुतालबा कुल्ली इताअत का है, जुज़्वी इताअत उसके यहाँ कुबूल नहीं की जाती, बल्कि उल्टा मुँह पर दे मारी जाती है। आज उम्मते मुस्लिमा आलमी सतह पर जिस ज़िल्लत व रुसवाई का शिकार है उसकी वजह यही जुज़्वी इताअत है कि दीन के एक हिस्से को माना जाता है और एक हिस्से को पाँव तले रौन्द दिया जाता है। इस तर्ज़े अमल की पादाश में आज हम “ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ” का मिस्दाक़ बन गये हैं और ज़िल्लत व मसकनत हम पर थोप दी गयी है। बाक़ी रह गया क़यामत का मामला तो वहाँ शदीद तरीन अज़ाब की वईद (चेतावनी) है। अपने तर्ज़े अमल से तो हम उसके मुस्तहिक़ हो गये हैं, ताहम अल्लाह तआला की रहमत दस्तगीरी (हिमायत) फ़रमा ले तो उसका इख़्तियार है। आयत के आख़िर में फ़रमाया:

“और अल्लाह गाफ़िल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो।”

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

सेठ साहब हर साल उमरह फ़रमा कर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि यह उमरे हलाल कमाई से किये जा रहे हैं या हराम से! वह तो समझते हैं कि हम नहा धोकर आ गये हैं और साल भर जो भी हराम कमायी की थी सब पाक हो गयी। लेकिन अल्लाह तआला तुम्हारी करतूतों से नावाक़िफ़ नहीं है। वह तुम्हारी दादियों से, तुम्हारे अमामों से और तुम्हारी अबा और क़बा से धोखा नहीं ख़ायेगा। वह तुम्हारे आमाल का अहतसाब (जवाबदेही) करके रहेगा।

आयत 86

“यह वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िन्दगी इख़्तियार कर ली है आख़िरत को छोड़ कर।”

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

“सो अब ना तो उनसे अज़ाब हल्का किया जायेगा और ना ही उनकी कोई मदद की जायेगी।”

فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

आयात 87 से 96 तक

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ قَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ بئسما اشتروا به أنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْجًا أَنْ يُنزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّا نؤمنُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۝ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۝ قُلْ بئسما يأمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ

الْآخِرَةَ عِنْدَ اللَّهِ حَالِصَةً مِّنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَتُّوا أَلْمُوتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَنْ
يَتَمَتُّوهَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ وَلَتَجِدَنَّهِنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ
عَلَى حَيَاتِهِنَّ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْحَبٍ
مِّنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

आयत 87

“और हमने मूसा को किताब दी (यानि तौरात)”

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

“और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे”

وَقَفَّيْنَا مِّنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

एक बात नोट कर लीजिये कि यहाँ लफज़ “الرُّسُلُ” अम्बिया के मायने में आया है। नबी और रसूल में कुछ फ़र्क है, इसे इख़्तिसार (संक्षिप्तता) के साथ समझ लीजिये। कुरान मजीद की इस्तलाहात के तीन जोड़े ऐसे हैं कि वह तीनों मुतरादिफ़ (बराबर) के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाते हैं और अपना अलैहदा-अलैहदा मफ़हूम भी रखते हैं। इनके ज़िम्न में उलमाये किराम ने यह उसूल वज़अ (तैयार) किया है कि “إِذَا اجْتَمَعَا تَفَرَّقَا وَإِذَا تَفَرَّقَا اجْتَمَعَا” यानि जब (एक जोड़े के) दोनों लफज़ इकट्ठे इस्तेमाल होंगे तो दोनों का मफ़हूम मुख्तलिफ़ होगा, और जब यह दोनों अलग-अलग इस्तेमाल होंगे तो एक मायने में इस्तेमाल हो जायेंगे। इनमें से एक जोड़ा “इस्लाम” और “ईमान” या “मुस्लिम” और “मोमिन” का है। आम तौर पर मुस्लिम की जगह मोमिन और मोमिन की जगह मुस्लिम इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन सूरतुल हुजरात में यह दोनों अल्फ़ाज़ इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं तो इनका फ़र्क वाज़ेह हो गया है। फ़रमाया: { قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا } (आयत:14) “बदू कहते हैं कि हम ईमान ले आये हैं। इनसे कहिये कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाये हो, अलबत्ता यह कहो कि हमने इस्लाम कुबूल कर लिया है...” इसी तरह “जिहाद” और “क्रिताल” का

मामला है। यह दो मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं, जिनका मफ़हूम जुदा भी है लेकिन एक-दूसरे की जगह भी आ जाते हैं।

इस ज़िम्न में तीसरा जोड़ा “नबी” और “रसूल” का है। यह दोनों लफज़ भी अक्सर एक-दूसरे की जगह आ जाते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क भी है। हर नबी रसूल नहीं होता, अलबत्ता हर रसूल लाज़िम्न नबी होता है। यानि नबी आम है रसूल खास है। नबी को जब किसी खास क्रौम की तरफ़ मुअय्यन तौर पर भेज दिया जाता है तब उसकी हैसियत रसूल की हो जाती है। इससे पहले उसकी हैसियत इन्तहाई आला मरतबे पर फ़ाइज़ एक वली अल्लाह की है, जिस पर वही नाज़िल हो रही है। आम वली अल्लाह में और नबी में फ़र्क यही है कि नबी पर वही आती है, वली पर वही नहीं आती। लेकिन किसी नबी को जब किसी मुअय्यन क्रौम की तरफ़ मबऊस (नियुक्त) कर दिया जाता था तो फिर वह रसूल होता था। जैसे हज़रत मूसा और हज़रत हारून (अलै०) को हुक्म दिया गया: { لِذَهَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ } (ताहा) “तुम दोनों फ़िरऔन की तरफ़ जाओ, यकीनन वह सरकशी पर उतर आया है।” इसी तरह दूसरे रसूलों के बारे में आया है कि वह अपनी-अपनी क्रौम की तरफ़ मबऊस फ़रमाये गये थे। मसलन { وَالْيَاسِينَ } (अल आराफ़:85) “और मदन की तरफ़ भेजा हमने उनके भाई शुऐब (अलै०) को।” यह फ़र्क है नबी और रसूल का। महज़ समझाने के लिये बतौर मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे आपके यहाँ खुसूसी तरबियत याफ़ता अफ़राद पर मुश्तमिल CSP Cadre है, उनमें से कोई डिप्टी कमिश्नर लगा दिया जाता है, किसी को जॉइंट सेक्रेट्री की ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की (सौपी) जाती है, तो कोई बतौर O.S.D. ख़िदमात अन्जाम देता है, लेकिन उसका काडर (CSP) बरकरार रहता है। इसी ऐतबार से हर नबी हर हाल में नबी होता था, लेकिन उसे “रसूल” की हैसियत से एक इज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी और इज़ाफ़ी मरतबा अता किया जाता था।

नबी और रसूल के फ़र्क के ज़िम्न में एक बात यह नोट कर लीजिये कि नबियों को क़त्ल भी किया गया है, जबकि रसूल क़त्ल नहीं हो सकते। अल्लाह का फ़ैसला यह है कि { لَاغْلِبُنَا أَنَا وَرُسُلِي } (अल मुजादला:21) “लाज़िम्न ग़ालिब रहेंगे मैं और मेरे रसूल।” चुनाँचे जब भी किसी क्रौम ने किसी रसूल (अलै०) की जान लेने की कोशिश की तो उस क्रौम को हलाक कर दिया गया और रसूल (अलै०) और उसके साथियों को बचा लिया गया। लेकिन यह मामला नबियों के साथ नहीं हुआ। हज़रत याहिया (अलै०) नबी थे, क़त्ल कर दिये गये, जबकि

हज़रत ईसा (अलै०) रसूल थे, लिहाज़ा क़त्ल नहीं किये जा सकते थे, उनको ज़िन्दा आसमान पर उठा लिया गया, जो क़यामत से क़ब्ल दोबारा ज़मीन पर नुज़ूल फ़रमायेंगे। मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ को अल्लाह के रास्ते में शहीद होने की शदीद तमन्ना थी। आप ﷺ ने अपनी इस तमन्ना और आरजू का इज़हार इन अल्फ़ाज़ में फ़रमाया है:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ)) (9)

“क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़ा-ए-कुदरत में मेरी जान है! मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में जंग करूँ तो उसमें क़त्ल कर दिया जाऊँ, फिर मैं ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर क़त्ल किया जाऊँ, फिर मैं ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाऊँ, फिर मैं ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाऊँ!”

लेकिन अल्लाह तआला ने आप ﷺ की यह ख्वाहिश पूरी नहीं की। इसलिये कि आप ﷺ अल्लाह के रसूल थे। आयत ज़ेरे मुताअला में नोट कीजिये कि अगरचे यहाँ लफ़्ज़ रसूल आ गया है लेकिन यह नबी के मायने में आया है: {وَفَقِينَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ} “और हमने मूसा (अलै०) के बाद लगातार पैगम्बर भेजे।” हज़रत मूसा (अलै०) के बाद रसूल तो हज़रत ईसा (अलै०) ही हैं, दरमियान में जो पैगम्बर (Prophets) हैं यह सब अम्बिया हैं।

“और हमने ईसा इन्ने मरयम को बड़ी वाज़ेह
निशानियाँ दीं”

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ

हिस्सी मौज़्ज़ात (संवेदनात्मक चमत्कार) जिस क़दर हज़रत मसीह (अलै०) को दिये गये वैसे और किसी नबी को नहीं दिये गये। उनका तज़क़िरा आगे चल कर सूरह आले इमरान में आयेगा।

“और हमने मदद की उनकी रूहुल कुदुस के
साथ।”

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

हज़रत ईसा (अलै०) को हज़रत जिब्राईल (अलै०) की ख़ास ताइद (समर्थन) व नुसरत (मदद) हासिल थी। मौज़्ज़ात का ज़हूर किसी नबी या रसूल की अपनी ताक़त से नहीं होता, इसी तरह करामत किसी वली अल्लाह के अपने इख़्तियार

में नहीं होती, यह मामला अल्लाह की तरफ़ से होता है और इसका ज़हूर फ़रिशतों के ज़रिये से होता है।

“फिर भला क्या जब भी आया तुम्हारे पास
कोई रसूल वह चीज़ लेकर जो तुम्हारी
ख्वाहिशाते नफ़्स के खिलाफ़ थी तो तुमने
तक़बुर किया।”

أَفَكَلِمًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِمَّا لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

अम्बिया व रसूल (अलै०) के साथ यहूद ने जो तर्ज़े अमल रवा (अपनाये) रखा, ख़ास तौर पर हज़रत ईसा (अलै०) के साथ जो कुछ किया, यहाँ उस पर तबसिरा (टिपण्णी) हो रहा है कि जब भी कभी तुम्हारे पास कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशाते नफ़्स के खिलाफ़ कोई चीज़ लेकर आया तो तुम्हारी रविश यही रही कि तुमने इस्तक़बार किया और सरकशी की, वही इस्तक़बार और सरकशी जिसके बाइस अज़ाज़ील इब्लीस बन गया था।

“फिर एक जमात को तुमने झुठलाया और
एक जमात को क़त्ल कर दिया।”

فَقَرَّبْنَا كَذِبُكُمْ وَقَرِيبًا تَقْتُلُونَ

अल्लाह के रसूल चूँकि क़त्ल नहीं हो सकते लिहाज़ा यहाँ नबियों का क़त्ल मुराद है। मज़ीद बरां एक राय यह भी दी गयी है कि यहाँ माज़ी का सीगा “فَقَتَلْتُمْ” नहीं आया, बल्कि फ़अल मुज़ारेअ “تَقْتُلُونَ” आया है और मुज़ारेअ के अन्दर फ़अल जारी रहने की ख़ासियत होती है। गोया तुम उनको क़त्ल करने की कोशिश करते रहे, बाज़ रसूलों की तो जान के दर पे हो गये।

आयत 88

“और उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो
गिलाफ़ों में बन्द हैं।”

وَقَالُوا أَفَلَوْ بِنَا غُلْفٌ

उनके इस जवाब को आयत 75 के साथ मिलाईये जो हम पढ़ आये हैं। वहाँ अल्फ़ाज़ आये हैं: {الْقَلْمُ مَعُونٌ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ} “तो ऐ मुस्लमानों! तो क्या तुम यह तवक्क़ो रखते हो कि यह तुम्हारी बात मान लेंगे?” बाज़ मुस्लमानों की इस

ख्वाहिश के जवाब में यहूद का यह क़ौल नक़ल हुआ है कि हमारे दिल तो ग़िलाफ़ों में महफूज़ हैं, तुम्हारी बात हम पर असर नहीं कर सकती। इस तरह के अल्फ़ाज़ आपको आज भी सुनने को मिल जायेंगे कि हमारे दिल बड़े महफूज़ हैं, बड़े मज़बूत और मुस्तहक़म (स्थिर) हैं, तुम्हारी बात इनमें घर कर ही नहीं सकती।

“बल्कि (हक़ीक़त में तो) उन पर लानत हो चुकी है अल्लाह की तरफ़ से उनके कुफ़्र की वजह से”

بَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكُفْرِهِمْ

यह उनके इस क़ौल पर तबसिरा है कि हमारे दिल महफूज़ हैं और ग़िलाफ़ों में बन्द हैं।

“पस अब कम ही) होंगे उनमें से जो (ईमान लायेंगे।”

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

आयत 89

“और जब आ गयी उनके पास एक किताब (यानि कुरान) अल्लाह के पास से”

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

“जो उसकी तस्दीक़ करने वाली है जो उनके पास (पहले से मौजूद) है”

مُصَدِّقٌ لِّهَا مَعَهُمْ

यह वज़ाहत क़ब्ल अज़ की जा चुकी है कि कुरान करीम एक तरफ़ तो तौरात और इन्जील की तस्दीक़ करता है और दूसरी तरफ़ वह तौरात और इन्जील की पेशनगोईयों का मिस्दाक़ बन कर आया है।

“और वह पहले से कुफ़रार के मुक़ाबले में फ़तह की दुआयें माँगा करते थे।”

وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

उनका हाल यह था कि वह इसकी आमद से पहले अल्लाह की आखरी किताब और आखरी नबी صلی اللہ علیہ وسلم के हवाले और वास्ते से अल्लाह तआला से काफ़िरों के ख़िलाफ़ फ़तह व नुसरत की दुआयें किया करते थे। यहूद के तीन क़बाइल बनू क़ैनकाअ, बनू नज़ीर और बनू कुरेज़ा मदीना में आकर आबाद हो गये थे। वहाँ औस और खज़रज के क़बाइल भी आबाद थे जो यमन से आये थे और असल अरब क़बाइल थे। फिर आस-पास के क़बाइल भी थे। वह सब उम्मिय्यीन में से थे, उनके पास ना कोई किताब थी, ना कोई शरीअत और ना वह किसी नबुवत से आगाह थे। उनकी जब आपस में लड़ाईयाँ होती थीं तो यहूदी चूँकि सरमायेदार होने की वजह से बुज़दिल थे लिहाज़ा हमेशा मार खाते थे। इस पर वह कहा करते थे कि अभी तो तुम हमें मार लेते हो, दबा लेते हो, नबी आखिरुज़्ज़मान صلی اللہ علیہ وسلم के आने का वक़्त आ चुका है जो नयी किताब लेकर आयेंगे। जब वह आयेंगे और हम उनके साथ होकर जब तुमसे जंग करेंगे तो तुम हमें शिकस्त नहीं दे सकोगे, हमें फ़तह पर फ़तह हासिल होगी। वह दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह! उस नबी आखिरुज़्ज़मान का ज़हूर जल्दी हो ताकि उसके वास्ते से और उसके सदक़े हमें फ़तह मिल सके।

खज़रज और औस के क़बाइल ने यहूद की यह दुआयें और उनकी जुबान से नबी आखिरुज़्ज़मान صلی اللہ علیہ وسلم की आमद की पेशनगोईयाँ सुन रखी थीं। यही वजह है कि 11 नबवी के हज़ के मौक़े पर जब मदीना से जाने वाले खज़रज के छः अफ़राद को रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने अपनी दावत पेश की तो उन्होंने कन्धियों से एक-दूसरे को देखा कि मालूम होता है यह वही नबी صلی اللہ علیہ وسلم हैं जिनका यहूदी ज़िक़र करते हैं, तो इससे पहले कि यहूद इन पर ईमान लायें, तुम ईमान ले आओ! इस तरह वह इल्म जो बिलवास्ता (अप्रत्यक्ष) तौर पर उन तक पहुँचा था उनके लिये एक अज़ीम सरमाया और ज़रिया-ए-निजात बन गया। मगर वही यहूदी जो आने वाले नबी के इन्तेज़ार में घड़ियाँ गिन रहे थे, आप صلی اللہ علیہ وسلم की आमद पर अपने तास्सुब और तकब्बुर की वजह से आप صلی اللہ علیہ وسلم के सबसे बढ़ कर मुखालिफ़ बन गये।

“फिर जब उनके पास आ गयी वह चीज़ जिसे उन्होंने पहचान लिया तो वह उसके मुन्कर हो गये।”

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

“पस अल्लाह की लानत है उन मुन्करीन पर।”

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

आयत 90

“बहुत बुरी शय है जिसके एवज़ इन्होंने अपनी जानों को फ़रोख्त कर दिया”

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ

यानि दुनिया का हक़ीर सा फ़ायदा, यहाँ की हक़ीर सी मन्फ़अतें (लाभ), यहाँ की मसनदें (गदियाँ) और चौधराहटें उनके पाँव की ज़न्जीर बन गयी हैं और वह अपनी फ़लाह व सआदत और निजात की खातिर इन हक़ीर सी चीज़ों की कुरबानी देने को तैयार नहीं हैं।

“कि वह इन्कार कर रहे हैं उस हिदायत का जो अल्लाह ने नाज़िल की है”

أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“सिर्फ़ इस ज़िद की बिना पर कि अल्लाह तआला नाज़िल फ़रमाता है अपने फ़ज़ल (वही व रिसालत) में से अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है।”

بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ

यहूद इस उम्मीद में थे कि आखरी नबी भी इसराइली ही होगा, इसलिये कि चौदह सौ बरस तक नबुवत हमारे पास रही है, यह “फ़तरा” का ज़माना है, जिसे छः सौ बरस गुज़र गये, अब आखरी नबी आने वाले हैं। उनको यह गुमान था कि वह नबी इसराइल ही में से होंगे। लेकिन हुआ यह कि अल्लाह तआला की यह रहमत और यह फ़ज़ल बनी इस्माइल पर हो गया। इस ज़िदम-ज़िद्दा

कि वजह से यहूद अनाद (विरोध) और सरकशी पर उतर आये। इस “بَغْيًا” के लफ़्ज़ को अच्छी तरह समझ लीजिये। दीन में जो इख़्तलाफ़ होता है उसका असल सबब यही ज़िदम-ज़िद्दा वाला ख़वैय्या होता है, जिसे कुरान मजीद में “بَغْيًا” कहा गया है। यह लफ़्ज़ कुरान में कई बार आया है।

अहदे हाज़िर में इल्मे नफ़िसयात (Psychology) में ऐडलर के मकतबा-ए-फ़िक्र (विचारधारा) को एक ख़ास मक़ाम हासिल है। उसका नुक्ता-ए-नज़रिया यह है कि इन्सान के जिबिल्ली अफ़आल (instincts) और मोहर्रिकात (motives) में एक निहायत ताक़तवर मुहर्रिक ग़ालिब होने की तलब (urge to dominate) है। चुनाँचे किसी दूसरे की बात मानना नपसे इन्सानी पर बहुत गिराँ (तकलीफ़ देह) गुज़रता है, वह चाहता है कि मेरी बात मानी जाये! “بَغْيًا” के मायने भी हद से बढ़ने और तजावुज़ करने के हैं। दूसरों पर ग़ालिब होने की ख़्वाहिश में इन्सान अपनी हद से तजावुज़ कर जाता है। यही मामला यहूद का था कि उन्होंने दूसरों पर रौब गाँठने के लिये ज़िदम-ज़िद्दा की रविश इख़्तियार की, महज़ इस वजह से कि अल्लाह तआला ने बनी इस्माइल के एक शख्स मुहम्मदे अरबी ﷺ को अपने फ़ज़ल से नवाज़ दिया।

“तो वह लौटे ग़ज़ब पर ग़ज़ब लेकर।”

فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ

यानि वह अल्लाह तआला के ग़ज़ब बलाये ग़ज़ब के मुस्तहिक़ हो गये।

“और ऐसे काफ़िरोँ के लिये सख़्त ज़िल्लत आमेज़ (अपमानजनक) अज़ाब है।”

وَاللَّكَفْرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

“मुहिन” अहानत से बना है। उनकी इस रविश की वजह से उनके लिये अहानत आमेज़ अज़ाब मुकरर है।

आयत 91

“और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाज़िल फ़रमाया है”

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ ائْمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“तो कहते हैं हम ईमान रखते हैं उस पर जो हम पर नाज़िल हुआ”

قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا

“और वह कुफ़र कर रहे हैं उसका जो उसके पीछे है।”

وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ

चुनाँचे उन्होंने पहले इन्जील का कुफ़र किया और हज़रत मसीह (अलै०) को नहीं माना, और अब उन्होंने मुहम्मद ﷺ का कुफ़र किया है और कुरान को नहीं माना।

“हालाँकि वह हक़ है, तस्दीक़ करते हुए आया है उसकी जो उनके पास है।”

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ

“(ऐ नबी ﷺ ! इनसे) कहिये: तो फिर तुम क्यों क़त्ल करते रहे हो अल्लाह के नबियों को इससे पहले?”

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ

“अगर तुम वाक़िअतन ईमान रखने वाले हो!”

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

अगर तुम ऐसे ही हक़परस्त हो और जो कुछ तुम पर नाज़िल किया गया है उस पर ईमान रखने वाले हो तो तुम उन पैगम्बरों को क्यों क़त्ल करते रहे हो जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे? तुमने ज़करिया (अलै०) को क्यों क़त्ल किया? याहिया (अलै०) को क्यों क़त्ल किया? ईसा (अलै०) के क़त्ल की प्लानिंग क्यों की? तुम्हारे तो हाथ नबियों के खून से आलूदह (दूषित) हैं और तुम दावेदार हो ईमान के!

आयत 92

“और आ चुके तुम्हारे पास मूसा (अलै०) सरीह (स्पष्ट) मौज्ज़े और वाज़ेह तालिमात लेकर”

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ

“फिर तुमने उसकी गैरहाज़री में बछड़े को अपना मअबूद बना लिया”

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ

“और तुम ज़ालिम हो।”

وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

आयत 93

“और याद करो जबकि हमने तुमसे अहद लिया था और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को मौअल्लक़ कर (लटका) दिया था।”

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

“पकड़ो इसको जो हमने तुमको दिया है मज़बूती के साथ और सुनो!”

حُدُودًا مَّا أَتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا

हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबन्दी करो और कान लगा कर सुनो।

“उन्होंने कहा हमने सुना और नाफ़रमानी की।”

قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

यानि हमने सुन तो लिया है, मगर मानेंगे नहीं! क्रौमे यहूद की यह भी एक देरीना (कठिन) बीमारी थी कि ज़बान को ज़रा सा मरोड़ कर अल्फ़ाज़ को इस तरह बदल देते थे कि बात का मफ़हूम ही यकसर (मौलिक) बदल जाये। चुनाँचे “سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا” के बजाये “سَمِعْنَا” कहते। हज़रत मूसा (अलै०) के साथ जो

मुनाफ़िक्रीन थे उनका भी ही वतीरा (व्यवहार) था। उनकी जब सरज़निश (डांट) की जाती तो कहते थे कि हमने तो कहा था “سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا” आपकी अपनी समाअत में कोई खलल होगा।

“और पिला दी गयी उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत उनके इस कुफ़्र की पादाश में”

وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

“कहिये: बहुत ही बुरी हैं यह बातें जिनका हुक्म दे रहा है तुम्हें तुम्हारा ईमान”

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ

“अगर तुम मोमिन हो!”

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

यह अजीब ईमान है जो तुम्हें ऐसी बुरी हरकात का हुक्म देता है। क्या ईमान के साथ ऐसी हरकतें मुमकिन होती हैं?

आगे फिर एक बहुत अहम आफ़ाक्री सच्चाई (universal truth) का बयान हो रहा है, जिसको पढ़ते हुए खुद दरुं बीनी (introspection) की ज़रूरत है। यहूद को यह ज़अम (दावा) था कि हम तो अल्लाह के बड़े चहेते हैं, लाइले हैं, उसके बेटों की मानिन्द हैं, हम औलिया अल्लाह हैं, हम उसके पसन्दीदा और चुनिन्दा लोग हैं, लिहाज़ा आख़िरत का घर हमारे ही लिये है। चुनाँचे उनके सामने एक लिटमस टेस्ट (litmus test) रखा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि यह टेस्ट मेरे और आपके लिये भी है।

आयत 94

“(ऐ नबी ﷺ ! इनसे) कहिये: अगर तुम्हारे लिये आख़िरत का घर अल्लाह के पास खालिस कर दिया गया है दूसरे लोगों को छोड़ कर”

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ

خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ

यानि तुम्हारे लिये जन्नत मख़सूस (reserve) हो चुकी है और तुम मरते ही जन्नत में पहुँचा दिये जाओगे।

“तब तो तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिये

فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

अगर तुम (अपने इस ख्याल में) सच्चे हो।”

अगर तुम्हें जन्नत में दाखिल होने का इतना ही यक़ीन है फिर तो दुनिया में रहना तुम पर गिरा होना चाहिये। यहाँ तो बहुत सी तकलीफ़ें हैं, यहाँ तो इन्सान को बड़ी मशक्कत और शदीद कौफ़त (चालबाज़ी) उठानी पड़ जाती है। जिस शख्स को यह यक़ीन हो कि इस दुनिया के बाद आख़िरत की ज़िन्दगी है और वहाँ मेरा मक़ाम जन्नत में है तो उसे यह ज़िन्दगी असासा (asset) नहीं, ज़िम्मेदारी (liability) मालूम होनी चाहिये। उसे तो दुनिया क़ैदखाना नज़र आनी चाहिये, जैसे हदीस है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: ((الذُّنْبَا سِجْنٌ)) “दुनिया मोमिन के लिये क़ैदखाना और काफ़िर के लिये जन्नत है।” अगर किसी शख्स का आख़िरत पर ईमान है और अल्लाह के साथ उसका मामला खुलूस पर मन्नी है ना कि धोखेबाज़ी पर तो उसका कम से कम तक्राज़ा यह है कि उसे दुनिया में ज़्यादा देर तक ज़िन्दा रहने की आरजू तो ना हो। इसका जायज़ा हर शख्स खुद लगा सकता है, अज़रुए अलफ़ाज़े कुरानी: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} (अल क्रियामा) “बल्कि आदमी अपने लिये आप दलील है।” हर इन्सान को खूब मालूम है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आपका दिल आपको बता देगा कि आप अल्लाह के साथ धोखेबाज़ी कर रहे हैं या आपका मामला खुलूस व इख़्लास पर मन्नी है। अगर वाक़िअतन खुलूस और इख़्लास वाला मामला है तो फिर तो यह कैफ़ियत होनी चाहिये जिसका नक़्शा इस हदीसे नबवी में ﷺ में खींचा गया है: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ))

“दुनिया में इस तरह रहो गोया तुम अजनबी हो या मुसाफ़िर हो।” फिर तो यह दुनिया बाग़ नहीं क़ैदखाना नज़र आनी चाहिये, जिसमें इन्सान मजबूरन रहता है। फिर ज़ावया-ए-निगाह (दृष्टिकोण) यह होना चाहिये कि अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है, लिहाज़ा एक मुअय्यन मुद्दत के लिये यहाँ रहना है और जो-जो ज़िम्मेदारियाँ उसकी तरफ़ आयद की गयी हैं वह अदा करनी हैं। लेकिन अगर यहाँ रहने की ख्वाहिश दिल में मौजूद है तो फिर या तो

आखिरत पर ईमान नहीं या अपना मामला अल्लाह के साथ खुलूस व इख्लास पर मन्नी नहीं। यह गोया लिटमस टेस्ट है।

आयत 95

“और यह हरगिज़ आरज़ू नहीं करेंगे मौत की”

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبًا

“बसबब उन करतूतों के जो इनके हाथों ने आगे भेजे हुए हैं”

بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

हर शख्स को खुद मालूम है कि मैंने क्या कमाई की है, क्या आगे भेजा है।

“और अल्लाह इन ज़ालिमों से बखूबी वाकिफ़ है।”

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

आयत 96

“और तुम इन्हें पाओगे तमाम इन्सानों से ज़्यादा हरीस इस (दुनिया की) ज़िन्दगी पर।”

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ

“हत्ता कि मुशरिकों से भी ज़्यादा हरीसा”

وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

यह इस मामले में मुशरिकों से भी बढे हुए हैं। मुशरिकीन ने अहले ईमान के साथ मुक़ाबला किया तो खुल कर किया, मैदान में आकर डट कर किया, अपनी जानें अपने बातिल मअबूदों के लिये कुरबान कीं, जबकि यहूदियों में यह हिम्मत व जुरात क़तअन नहीं थी कि वह जान हथेली पर रख कर मैदान में आ सकें। इनके बारे में सूरतुल हश्र में अल्फ़ाज़ वारिद हुए हैं:

لَا يَفْقَهُونَكُمْ

{جَمِيعًا إِلَّا فِي فُرَى مَحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ} (आयत:14) “यह सब मिल कर भी तुमसे जंग ना कर सकेंगे मगर क़िला बन्द बस्तियों में या दीवारों की ओट से।”

चुनाँचे यहूद कभी भी सामने आकर मुस्लिमानों का मुक़ाबला नहीं कर सके। इसलिये कि उन्हें अपनी जानें बहुत अज़ीज़ थीं।

“इनमें से हर एक की यह ख्वाहिश है कि किसी तरह उसकी उम्र हज़ार बरस हो जाये।”

يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ الْفَسَقَةُ

“हालाँकि नहीं है इसको बचाने वाला अज़ाब से इस क़दर जीना।”

وَمَا هُوَ بِمُرْجِحِ جِهَةٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْمَرَ

अगर इनको इनकी ख्वाहिश के मुताबिक़ तवील ज़िन्दगी दे भी दी जाये तो यह इन्हें अज़ाब से तो छुटकारा नहीं दिला सकेगी। आखिरत तो बिलआखिर आनी है और इन्हें इनके करतूतों की सज़ा मिल कर रहनी है।

“और अल्लाह देख रहा है जो कुछ यह कर रहे हैं।”

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

आयत 97 से 103 तक

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيْلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝ أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدُوا عَهْدًا تَبَدَّاهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ تَبَدَّاهُ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَاتِبُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا

يُعَلِّبُنَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَآتَى اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَوْمَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

जैसा कि क़बूल अज़ अर्ज़ किया जा चुका है, मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की बेअसत यहूद के लिये बहुत बड़ी आजमाइश साबित हुई। उनका ख्याल था कि आखरी नबुवत का वक़्त करीब है और यह नबी भी हस्बे साबिक़ बनी इसराइल में से मबऊस होगा। लेकिन नबी अखिरुज़्ज़मान صلی اللہ علیہ وسلم की बेअसत बनी इस्माइल में से हो गयी। यहूद जिस अहसासे बरतरी का शिकार थे उसकी रू से वह बनी इस्माइल को हक़ीर समझते थे। उनका कहना था कि यह उम्मी लोग हैं, अनपढ़ हैं, इनके पास ना कोई किताब है ना शरीअत है और ना कोई क़ानून और ज़ाबता (नियम) है, लिहाज़ा अल्लाह तआला ने उनमें से एक शख्स को कैसे चुन लिया? उनका ख्याल था कि यह सब जिब्राईल की “शरारत” है कि वह वही लेकर मुहम्मदे अरबी (صلی اللہ علیہ وسلم) के पास चला गया। लिहाज़ा वह हज़रत जिब्राईल को अपना दुश्मन तसव्वुर करते थे और उन्हें गालियाँ देते थे।

यह बात शायद आपको बड़ी अजीब लगे कि अहले तशय्यो में से फ़िरक़ा “गराबिया” का अक़ीदा भी कुछ इसी तरह का था। हज़रत मुजद्दिद अल्फे सानी शेख अहमद सरहन्दी (रहि०) ने अपने मकातीब में इस फ़िरक़े के बारे में लिखा है कि उनका अक़ीदा यह था कि हज़रत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم और हज़रत अली (रजि०) दोनों की अरवाह एक-दूसरे के बिल्कुल ऐसे मुशाबेह थीं जैसे एक गुराब (कब्बा) दूसरे गुराब के मुशाबेह होता है। चुनाँचे हज़रत जिब्राईल (अलै०) धोखा खा गये। अल्लाह ने तो वही भेजी थी हज़रत अली (रजि०) के पास, लेकिन वह ले गये हज़रत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के पास। यहूद के यहाँ यह अक़ीदा मौजूद था कि अल्लाह ने तो जिब्राईल (अलै०) को बनी इसराइल में से किसी के पास भेजा था, लेकिन वह मुहम्मद (صلی اللہ علیہ وسلم) के पास चले गये, और यही

मफ़रूज़ा (कल्पना) उनकी हज़रत जिब्राईल (अलै०) से दुश्मनी की बुनियाद था। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया था:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُو النَّعْلِ بِمَا لَنَعْلٍ
“मेरी उम्मत पर भी वह तमाम अहवाल (अफ़साने) लाज़िमन वारिद होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर वारिद हुए थे, जैसे एक जूता दूसरे जूते के मुशाबेह होता है।” (12)

चुनाँचे उम्मते मुस्लिमा में से किसी फ़िरक़े का इस तरह के अक़ाइद अपना लेना कुछ बर्द नहीं है। इससे इस हदीस की हक़ीक़त मुन्कशिफ़ होती है।

आयत 97

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) कह दीजिये जो कोई भी दुश्मन हो जिब्राईल (अलै०) का”

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ

“तो (वह यह जान ले कि) उसने तो नाज़िल किया है इस कुरान को आप صلی اللہ علیہ وسلم के दिल पर अल्लाह के हुक्म से”

فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ إِذْ يُدْرِكُكَ الْوَيْلُ

इस मामले में जिब्राईल (अलै०) को तो कुछ इख़्तियार हासिल नहीं। फ़रिशते जो कुछ करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अपने इख़्तियार से कुछ नहीं करते।

“यह तस्दीक़ करते हुए आया है उस कलाम की जो इसके सामने मौजूद है”

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

“और हिदायत और बशारत है अहले ईमान के लिये”

وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

इसके बाद अब फ़रमाया जा रहा है कि अल्लाह, उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم और उसके मलाइका सब एक हयातयाती वहादत (organic whole) की हैसियत रखते हैं, यह एक जमाअत हैं, इनमें कोई इख़्तिलाफ़ या इफ़तराक़ (विभाजन) नहीं

हो सकता। अगर कोई जिब्राईल (अलै०) का दुश्मन है तो वह अल्लाह का दुश्मन है, और अगर कोई अल्लाह के सच्चे रसूल ﷺ का दुश्मन है तो वह अल्लाह का भी दुश्मन है और जिब्राईल (अलै०) का भी दुश्मन है।

आयत 98

“(तो कान खोल कर सुन लो) जो कोई भी दुश्मन है अल्लाह का और उसके फ़रिशतों का और उसके रसूलों का और जिब्राईल और मीकाईल का तो (अल्लाह तआला की तरफ़ से भी ऐलान है कि) अल्लाह ऐसे काफ़िरों का दुश्मन है।”

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيْلَ وَمِيكَائِلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِلْكَافِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

आयत 99

“और (ऐ नबी ﷺ) हमने आप ﷺ की तरफ़ नाज़िल कर दी हैं रोशन आयाता।”

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

“और इन्कार नहीं करते इनका मगर वही जो सरकश हैं।”

وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ ﴿٩٩﴾

याद कीजिये सूरतुल बकरह के तीसरे रूक़अ में यह अल्फ़ाज़ आये थे: وَمَا

﴿يُضِلُّ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ﴾ “और वह गुमराह नहीं करता इसके ज़रिये से मगर फ़ासिकों को।”

आयत 100

“तो क्या) हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा है कि (जब कभी भी इन्होंने कोई अहद किया”

أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا

अल्लाह से कोई मीसाक़ किया या अल्लाह के रसूलों से कोई अहद किया।

“इनमें से एक गिरोह ने उसे उठा कर फेंक दिया”

نَبَذَاهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

“बल्कि इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो यक़ीन नहीं रखते।”

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

इनकी अक्सरियत ईमान व यक़ीन की दौलत से तही दामन (नष्ट) है।

यही हाल आज उम्मत मुस्लिमा का है कि मुस्लिमान तो सब हैं, लेकिन ईमाने हक़ीकी, ईमाने क़ल्बी यानि यक़ीन वाला ईमान कितने लोगों को हासिल है? “ढूँढ अब उनको चिरागे रुख़ ज़ेबा लेकर!”

आयत 101

“और जब आया उनके पास अल्लाह की तरफ़ से एक रसूल (यानि मुहम्मद ﷺ)”

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

“तस्दीक़ करने वाला उस किताब की जो उनके पास मौजूद है”

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

“तो अहले किताब में से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठों के पीछे फेंक दिया”

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ

اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

“गोया कि वह जानते ही नहीं।”

كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

उलमाये यहूद ने नबी आखिरुज़्ज़मान ﷺ की आमद की पेशनगोईयाँ छुपाने की खातिर खुद तौरात को पसे-पुशत डाल दिया और बिल्कुल अन्जाने से होकर रह गये। उनके अवाम पूछते होंगे कि क्या यह वही नबी है जिनका ज़िक्र तुम किया करते थे? लेकिन यह जवाब में कहते कि यक्रीन से नहीं कह सकते, अभी तेल देखो तेल की धार देखो! उन्होंने ऐसा रवैय्या अपना लिया जैसे उन्हें कुछ इल्म नहीं है।

अब एक और हक़ीक़त नोट कीजिये। जब किसी मुस्लमान उम्मत में दीन की असल हक़ीक़त और असल तालीमात से बाअदु (फ़ासला) पैदा होता है तो लोगों का रुझान जादू, टोने, टोटके, तावीज़ और अम्लियात वगैरह की तरफ़ हो जाता है। अल्लाह की किताब तो हिदायत का सरचश्मा बन कर उतरी थी, लेकिन यह उसको अपनी दुनयवी ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया बनाते हैं। चुनाँचे दुश्मन को ज़ेर करने और महबूब को क़दमों में गिराने के लिये “अम्लियाते कुरानी” का सहारा लिया जाता है। यह धन्धे हमारे यहाँ भी खूब चल रहे हैं और शायद सबसे ज़्यादा मुनफ़रत बख़्श कारोबार यही है, जिसमें ना तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ही किसी सरमायाकारी की। बनी इसराइल का भी यही हाल था कि वह दीन की असल हक़ीक़त को छोड़ कर जादू के पीछे चल पड़े थे। फ़रमाया:

आयत 102

“उन्होंने पैरवी की उस इल्म की जो श्यातीन पढा करते थे सुलेमान (अलै०) की बादशाहत के वक़्त”

وَأَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ
سُلَيْمَانَ

अल्लाह तआला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान (अलै०) के ताबेअ कर दिया था। उस वक़्त चूँकि उनका इन्सानों के साथ ज़्यादा मेल-जोल रहता था, लिहाज़ा यह इन्सानों को जादू वगैरह सिखाते रहते थे।

“और सुलेमान (अलै०) ने कभी कुफ़्र नहीं किया, बल्कि यह तो श्यातीन थे जो कुफ़्र करते थे”

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفُرُوا

“वह लोगों को जादू सिखाते थे।”

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

जादू कुफ़्र है, लेकिन आपको आज भी “नक़शे सुलेमानी” की इस्तलाह सुनने को मिलेगी। इस तरह बाज़ मुस्लमान भी इन चीज़ों को हज़रत सुलेमान (अलै०) की तरफ़ मन्सूब कर रहे हैं और वह जुल्म अब भी जारी है।

“और (वह उस इल्म के पीछे पड़े) जो नाज़िल किया गया दो फ़रिशतों हारूत और मारूत पर बाबुल में।”

وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَارُوتَ

बाबुल (Babylonia) ईराक़ का पुराना नाम था। येरूशलम पर हमला करने वाला बख़्तनसर (Nebuchadnezar) भी यहीं का बादशाह था और नमरूद भी बाबुल ही का बादशाह था। नमरूद ईराक़ के बादशाहों का लक़ब होता था, जिसकी जमा “نمرودة” है। हज़रत सुलेमान (अलै०) के दौरे हुकूमत में जिन्नात और इन्सानों का बाहम मेल-जोल होने की वजह से जिन्नात लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। अल्लाह तआला ने लोगों की आखरी आजमाइश के लिये दो फ़रिशतों को ज़मीन पर उतारा जो इन्सानी शक़ल व सूरत में लोगों को जादू सिखाते थे। वह खुद ही यह वाज़ेह कर देते थे कि देखो जादू कुफ़्र है, हमसे ना सीखो। लेकिन इसके बावजूद लोग सीखते थे। गोया उन पर इत्मा मे हुज्जत हो गया कि अब उनके अन्दर ख्वासत पूरे तरीक़े से घर कर चुकी है।

“और वह नहीं सिखाते थे किसी को भी”

وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ

“यहाँ तक कि वह कह देते थे कि देखो हम तो आजमाइश के लिये भेजे गये हैं, पस तुम कुफ़्र मत करो।”

حَتَّى يَقُولُوا إِنَّمَا جِئْنَا بِكَ آيَاتِنَا فَاتَّخَذْتُمُوهَا كُفْرًا

“फिर वह सीखते थे उन दोनों से वह शय जिनके ज़रिये से आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे।”

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يَصِفُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَوَجْهِهِ

शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डालना और लोगों के घरों में फ़साद डालना, इस तरह के काम अब भी बाज़ औरतें बड़ी सरगर्मी से सरअन्जाम देती हैं। इस मक़सद के लिये तावीज़, गन्डे, धागे और ना जाने क्या कुछ ज़राये (साधन) इख़्तियार किये जाते हैं।

“और नहीं थे वह ज़र्र (चोट) पहुँचाने वाले इसके ज़रिये किसी को भी अल्लाह के इज़्ज (आज़ा) के बग़ैर।”

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

ईमान का तक्राज़ा यह है कि बन्दा-ए-मोमिन को यह यक़ीन हो कि अल्लाह के इज़्ज के बग़ैर ना कोई चीज़ फ़ायदा पहुँचा सकती है और ना ही नुक़सान। चाहे कोई दवा हो वह भी बिइज़्जने रब काम करेगी वरना नहीं। जो कोई भी असबाबे तबीआ (फिज़ियोथेरेपी) हैं उनके असरात तभी ज़ाहिर होंगे अगर अल्लाह चाहेगा, इसके बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। जादू का असर भी अगर होगा तो अल्लाह के इज़्ज से होगा। चुनाँचे बन्दा-ए-मोमिन को अल्लाह के भरोसे पर डते रहना चाहिये और मसाईब (मुसीबतों) व मुशक़लात का मुक़ाबला करना चाहिये।

“और वे सीखते थे वह चीज़ें जो खुद उनको भी ज़र्र पहुँचाने वाली थीं और उन्हें नफ़ा नहीं पहुँचाती थीं।”

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

“हालाँकि वह खूब जान चुके थे कि जो भी इस चीज़ का खरीदार बना (यानि जादू सीखा) उसके लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है।”

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

“और बहुत ही बुरी थी वह चीज़ जिसके बदले इन्होंने अपने आपको फ़रोख़्त कर दिया।”

وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ

“काश इन्हें इल्म होता।”

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

आयत 103

“और अगर वह ईमान रखते और तक्रवा की रविश इख़्तियार करते।”

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا

“तो बदला पाते अल्लाह की तरफ़ से बहुत ही अच्छा।”

لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ

“काश उनको मालूम होता।”

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

आयात 104 से 112 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 ○ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَا تَسْمَعُ مِنْ
 آيَةٍ أَوْ نَسِيهَا نَأْتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ
 تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
 ○ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّ دُونَكُمْ مَنْ
 بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا
 وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لَكُمْ مِنَ الْكُفْرِ إِذْ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
 ○ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا
 بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ
 رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

आयत 104

“ऐ ईमान वालों तुम ऱाएना मत कहा करो”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

“बल्कि कहा करो”

وَقُولُوا انظُرْنَا

“और तवज्जो से बात को सुनो!”

وَاسْمَعُوا

क़बल अज़ मुनाफ़िक़ीन बनी इसराइल का ज़िक्र हुआ था, जिनका क़ौल था: “سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا” अब यहाँ उन मुनाफ़िक़ीन का तर्ज़े अमल बयान हो रहा है जो

मुस्लमानों में शामिल हो गये थे और यहूद के ज़ेरे असर थे। यहूदी और उनके ज़ेरे असर मुनाफ़िक़ीन जब रसूल अल्लाह ﷺ की महफ़िल में बैठते थे तो अगर आप ﷺ की कोई बात उन्हें सुनाई ना देती या समझ में ना आती तो वह ऱाएना कहते थे, जिसका मफ़हूम यह है कि हुज़ूर (ﷺ) ज़रा हमारी रिआयत कीजिये, बात को दोबारा दोहरा दीजिये, हमारी समझ में नहीं आई। अहले ईमान भी यह लफ़ज़ इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन यहूद और मुनाफ़िक़ीन अपने खबसे बातिन का इज़हार इस तरह करते कि इस लफ़ज़ को ज़बान दबा कर कहते तो “ऱाएना” हो जाता (यानि ऐ हमारे चरवाहे!) इस पर दिल ही दिल में खुश होते और इस तरह अपनी खबासते नफ्स को गिज़ा मुहैया करते। अगर कोई उनको टोक देता कि यह तुम क्या कह रहे हो तो जवाब में कहते हमने तो ऱाएना कहा था, मालूम होता है आपकी समाअत में कोई खलल पैदा हो चुका है। चुनाँचे मुस्लमानों से कहा जा रहा है कि तुम इस लफ़ज़ ही को छोड़ दो, इसकी जगह कहा करो: انظُرْنَا यानि ऐ नबी ﷺ हमारी तरफ़ तवज्जो फ़रमाइये! या हमें मोहलत दीजिये कि हम बात को समझ लें। और दूसरे यह कि तवज्जो से बात को सुना करो ताकि दोबारा पूछने की ज़रूरत ही पेश ना आये।

“और इन काफ़िरो के लिये दर्दनाक अज़ाब है।”

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

आयत 105

“और नहीं चाहते वह लोग जिन्होंने क़फ़र किया है अहले किताब में से और मुशरिकीन में से कि नाज़िल हो तुम पर कोई भी ख़ैर तुम्हारे रब की तरफ से।”

जिन लोगों ने दावाते हक़ को कुबूल करने से इन्कार कर दिया है, ख़वाह अहले किताब में से हो या मुशरिकीने मक्का में से, वह इस बात पर हसद की आग में

जल रहे हैं कि यह कलामे पाक आप صلی اللہ علیہ وسلم पर क्यों नाज़िल हो गया और “खातमुन्न नबिय्यीन” का यह मंसब आप صلی اللہ علیہ وسلم को क्यों मिल गया। वह नहीं चाहते कि अल्लाह की तरफ़ से कोई भी ख़ैर आपको मिले।

“और अल्लाह ख़ास कर लेता है अपनी रहमत
के साथ जिसको चाहता है।”
وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ

यह तो उसका इख़्तियार और उसका फ़ैसला है।

“और अल्लाह तआला बड़े फ़ज़ल वाला है।”
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

आयत 106

“जो भी हम मंसूख (cancel) करते हैं कोई
आयत या उसे भुला देते हैं”
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا

एक तो है नस्ख यानि किसी आयत को मंसूख कर देना और एक है हाफ़िज़े से
ही किसी शय को मटव कर (निकाल) देना।

“तो हम (उसकी जगह पर) ले आते हैं उससे
बेहतर या (कम अज़ कम) वैसी ही।”
تَأْتِي بَحَيْرٍ مِّثْلَهَا أَوْ مِثْلَهَا

“क्या तुम यह नहीं जानते कि अल्लाह हर
शय पर कुदरत रखता है?”
أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

उसे हर शय का इख़्तियार हासिल है।

इस आयत का असल मफ़हूम और और पसमंज़र समझ लीजिये। आपको मालूम है कि अल्लाह का दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इदम तक एक ही है। नूह अलैहिस्सलाम का दीन, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन और मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का दीन एक ही है, जबकि शरीअतों में फ़र्क रहा है। इस फ़र्क का असल सबब यह है कि नौए इंसानी

मुख्तलिफ़ ऐतबारात से इरतक्राअ (विकास) के मराहिल तय कर रही थी। ज़हनी पुख्तगी, शऊर की पुख्तगी और फिर तमद्दुनी इरतक्राअ (सामाजिक विकास) मुसलसल जारी था। लिहाज़ा उस इरतक्राअ के जिस मरहले में रसूल आये उसी की मुनासबत से उनको तालीमात दे दी गयीं। इन तालीमात के कुछ हिस्से ऐसे थे जो अब्दी (eternal) हैं, वह हमेशा रहेंगे, जबकि कुछ हिस्से ज़माने की मुनासबत से थे। चुनाँचे जब अगला रसूल आता तो उनमे से कुछ चीज़ों में तगय्युर (परिवर्तन) व तबद्दुल (बदलाव) हो जाता, कुछ चीज़ें नयी आ जाती और कुछ पुरानी साक्रित (अस्वीकार) हो जाती। यह मामला नस्ख कहलाता है। या तो अल्लाह तआला तअय्युन (निर्धारण) के साथ किसी हुक्म को मंसूख फ़रमा देते हैं और उसकी जगह नया हुक्म भेज देते हैं, या किसी शय को सिरे से लोगों के ज़हनों से ख़ारिज कर देते हैं। यहूदी यह ऐतराज़ कर रहे थे कि अगर यह दीन वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का था तो फिर शरीअत पूरी वही होनी चाहिये। यहाँ इस ऐतराज़ का जवाब दिया जा रहा है।

फिर नासिख व मंसूख का मसला कुरान में भी है। कुरान में भी तदरीज (क्रम) के साथ शरीअत की तकमील हुई है। जैसा कि मैंने पहले अज़ किया था, शरीअत का इब्तदाई खाका (blue print) सूरतुल बकरह में मिल जाता है, लेकिन शरीअत की तकमील सूरतुल मायदा में हुई है। यह जो तक्ररीबन पाँच-छः साल का अरसा है इसमें कुछ अहकाम किये गये, फिर उनमे रद्दो-बदल करके नये अहकाम दिये गये और फिर आख़िर में यह इरशाद फ़रमा दिया गया: {الْيَوْمَ } (अल मायदा:3) “आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिये मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेअमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिये इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया है।” तो यह नासिख व मंसूख का मसला सिर्फ़ साबक्रा शरीअतों और शरीअते मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم के माबैन ही नहीं है, बल्कि खुद शरीअते मुहम्मदी (على صاحبها الصلوة والسلام) में भी ज़मानी ऐतबार से इरतक्राअ हुआ है। मिसाल के तौर पर पहले शराब के बारे में हुक्म दिया गया कि इसमें गुनाह का पहलु ज़्यादा है, अगरचे कुछ फ़ायदे भी हैं। इसके बाद हुक्म आया कि अगर शराब के नशे में हो तो नमाज़ के करीब मत जाओ। फिर सूरतुल मायदा में आख़री हुक्म आ गया और उसे गन्दा शैतानी काम करार देकर फ़रमाया गया: {فَهَلْ أُنْتُمْ } (मन्नुहून ७) “तो क्या अब भी बाज़ आते हो या नहीं?” इस तरह तदरीजन (क्रमानुसार) अहकाम आये और आख़री हुक्म में शराब हाराम कर दी गयी। यहाँ

फ़रमाया कि अगर हम किसी हुकम को मंसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर ले आते हैं या कम अज़ कम उस जैसा दूसरा हुकम ले आते हैं। इसलिये कि अल्लाह तआला कादिरे मुतलक़ है, उसका इख़्तियार कामिल है, वह मालिकुल मुल्क है, दीन उसका है, उसमें वह जिस तरह चाहे तब्दीली कर सकता है।

आयत 107

“क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिये बादशाही है आसमानों की और ज़मीन की?”

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ

“और नहीं है तुम्हारे लिये अल्लाह के सिवा कोई भी हिमायती और ना कोई मददगार।”

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
○

आयत 108

“क्या तुम मुस्लमान भी यह चाहते हो कि सवालात (और मुतालबे) करो अपने रसूल صلی اللہ علیہ وسلم से उसी तरह जैसे इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किये जा चुके हैं?”

أَفَرَأَيْتُ يَدُونِ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا
سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ

मसलन उनसे कहा गया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह को अपनी आँखों से ना देख लें। इसी तरह के और बहुत से मुतालबे (माँग) हज़रत मूसा अलै० से किये जाते थे। यहाँ मुस्लमानों को आगाह किया जा रहा है कि उस रविश से बाज़ रहो, ऐसी बात तुम्हारे अन्दर पैदा नहीं होनी चाहिये।

“और जो कोई ईमान के बदले कुफ़्र ले लेगा वह तो भटक चुका सीधी राह से।”

وَمَنْ يَتَّبِدْ أَلْكَفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ

ज़ाहिर है कि जो मुनाफ़िक़ीन अहले ईमान की सफ़ों में शामिल थे वही ऐसी हरकतें कर रहे होंगे। इसलिये फ़रमाया कि जो कोई ईमान को हाथ से देकर कुफ़्र को इख़्तियार कर लेगा वह तो रहे रास्त से भटक गया। मुनाफ़िक़ का मामला दो तरफ़ा होता है, चुनाँचे कुरान हकीम में मुनाफ़िक़ीन के लिये “مُذَبِّبِينَ” के अल्फ़ाज़ आये हैं। अब इसका भी इम्कान होता है कि वह कुफ़्र की तरफ़ यक्सु हो जाये और इसका भी इम्कान होता है कि बिलआख़िर ईमान की तरफ़ यक्सु हो जाये। जो शख्स ईमान और कुफ़्र के दरमियान मुअल्लिक़ (लटका) है उसके लिये यह दोनों इम्कानात मुमकिन हैं। जो कुफ़्र की तरफ़ जाकर मुस्तक़िल (स्थायी) तौर पर उधर रागिब हो गया यहाँ उसका ज़िक़्र है।

आयत 109

“अहले किताब में से बहुत से लोग यह चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें फेर कर तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें फिर काफ़िर बना दें।”

وَدَاكِيْرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْكُمْ
مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا

यह ऐसे ही है जैसे किसी बिल्ली की दुम कट जाये तो वह यह चाहेगी कि सारी बिल्लियों की दुम कट जायें ताकि वह अलैहदा से नुमाया (प्रतीत) ना रहे। चुनाँचे अहले किताब यह चाहते थे कि अहले ईमान को भी वापस कुफ़्र में ले आया जाये।

“बसबब उनके दिली हसद के”

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

उनका यह तर्ज़े अमल उनके हसद की वजह से है कि यह नेअमत मुस्लमानों को क्यों दे दी गयी?

“इसके बाद कि उन पर हक़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है।”

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

वह हक़ को जान चुके हैं और पहचान चुके हैं, किसी मुग़ालते या गलतफ़हमी में नहीं हैं।

“तो (ऐ मुस्लमानों!) तुम माफ़ करते रहो और सफ़्रें नज़र (बेपरवाही) से काम लो”

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا

यह बहुत अहम मक़ाम है। मुस्लमानों को बावर कराया (दिखाया) जा रहा है कि अभी तो मदनी दौर का आगाज़ हो रहा है, अभी कशमकश, कशाकश और मुक़ाबला व तसादुम के बड़े सख़्त मराहिल आ रहे हैं। क्योंकि तम्हारा सबसे पहला महाज़ (सामना) कुफ़ारे मक्का के खिलाफ़ है और वही सबसे बड़ कर तुम पर हमले करेंगे और उनसे तुम्हारी जंगे होंगी, लिहाज़ा यह जो आस्तीन के साँप हैं, यानि यहूद, इनको अभी मत छोड़ो। जब तक यह ख्वाबेदाह (dormant) पड़े रहें इन्हें पड़ा रहने दो। फ़िलहाल इनके तर्ज़े अमल के बारे में ज़्यादा तवज़ो ना दो, बल्कि अफ़व (माफ़ी) व दरगुज़र और चश्मपोशी से काम लेते रहो।

“यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला ले आये।”

حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ

एक वक़्त आयेगा जब ऐ मुस्लमानों तुम्हें आखरी ग़लबा हासिल हो जायेगा और जब तुम बहार के दुश्मनों से निमट लगे तो फिर इन अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ़ भी तुम्हें आज़ादी दी जायेगी कि इनको भी केफ़र-ए-किरदार तक पहुँचा दो।

“यक़ीनन अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है।”

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

आयत 110

“और नमाज़ कायम रखो और ज़कात देते रहो।”

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“और जो भलाई भी तुम अपने लिये आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे।”

وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ

जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो वह अल्लाह के बैंक में जमा हो जाता है और मुसलसल बढ़ता रहता है। लिहाज़ा उसके बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं।

“यक़ीनन जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है।”

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

आयत 111

“और यह कहते हैं हरगिज़ दाख़िल ना होगा जन्नत में मगर वही जो यहूदी हो या नसरानी हो।”

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا

أَوْ نَصْرَانِيًّا

जब यह नयी उम्मत मुस्लिमा तशकील (निर्मित) पा रही थी तो यहूदी और नसरानी, जो एक दूसरे के दुश्मन थे, मुस्लमानों के मुक़ाबले में जमा हो गये। उन्होंने मिल कर यह कहना शुरू किया कि जन्नत में कोई हरगिज़ नहीं दाख़िल होगा सिवाय उसके जो या तो यहूदी हो या नसरानी हो। इस तरह की मज़हबी जत्थे बन्दियाँ हमारे यहाँ भी बन जाती हैं। मसलन अहले हदीस के मुक़ाबले में बरेलवी और देवबन्दी जमा हो जाएँगे, अगरचे उनका आपस में एक-दूसरे के साथ बैर अपनी जगह है। जब एक मुश्तरका (संयुक्त) दुश्मन नज़र आता है तो फिर वह लोग जिनके अपने अन्दर बड़े इख़लाफ़ात होते हैं वह भी एक मुत्तहिदा महाज़ बना लेते हैं। यहूद व नसारा के इस मुश्तरका बयान के जवाब में फ़रमाया:

“यह इनकी तमन्नायें हैं।”

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ

यह इनकी ख्वाहिशात हैं, मनघडत ख्यालात हैं, खुशनुमा आरज़ुएँ (wishful thinkings) हैं।

“उनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम (अपने दावे में) सच्चे हो।”

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

किसी आसमानी किताब से दलील लाओ। कहीं तौरात में लिखा हो या इन्जील में लिखा हो तो हमें दिखा दो! अब यहाँ पर फिर एक अलमगीर सदाक़त (universal truth) बयान हो रही है:

आयत 112

“क्यों नहीं, हर वह शख्स जो अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दे और वह मोहसिन हो”

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

उसका सरे तस्लीम ख़म कर देने (सर झुकाने) का रवैय्या सदक़ व सच्चाई और हुस्ने किरदार पर मन्नी हो। सर का झुकाना मुनाफ़िक़ाना अंदाज़ में ना हो, उसकी इताअत जुज़वी ना हो कि कुछ माना कुछ नहीं माना।

“तो उसके लिये उसका अज़्र महफूज़ है उसके रब के पास।”

فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ

“और ऐसे लोगों को ना तो कोई खौफ़ लाहक़ होगा और ना ही वह किसी हज़्न (शोक) व मलाल से दो-चार होंगे।”

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

यह दूसरी आयत है कि जिससे कुछ लोगों ने इस्तेदाल किया है कि निजाते उखरवी के लिये ईमान बिरिसालत ज़रूरी नहीं है। इसका जवाब पहले अज़्र किया जा चुका है। मुख्तसरन यह कि:

अब्वलन- कुरान हकीम में हर मक़ाम पर सारी चीज़ें बयान नहीं की जाती। कोई शय एक जगह बयान की गयी है तो कोई कहीं दूसरी जगह बयान की गयी है। इससे हिदायत हासिल करनी है तो इसको पूरे का पूरा एक किताब की हैसियत से लेना होगा।

सानियन- यह सारा सिलसिला-ए-कलाम दो ब्रेकिटों के दरमियान आ रहा है और इससे पहले यह अल्फ़ाज़ वाज़ेह तौर पर आ चुके हैं: {وَأْمِنُوا بِمَا}

{انزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ (आयत:41) चुनाँचे यह इबारत ज़र्ब खा रही है इस पूरे के पूरे सिलसिला-ए-मज़ामीन से जो इन दो ब्रेकिटों के दरमियान आ रहा है।

आयात 113 से 123 तक

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ يَقُولُكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَتَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَجَهَّ اللَّهُ إِلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عَلَيْهِمْ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قِنْدُونٌ ۝ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَبَنِ ۝ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ

وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَايٍ وَلَا نَصِيٍّ ۝ الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُمْ كَتَبَ يَتْلُونَ نَهَ حَقِّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ يَبَيِّنُ اسْرَآءِيلَ اذْ كُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ۝ وَاَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

आयत 113

“यहूदी कहते हैं कि नसारा किसी बुनियाद पर नहीं हैं”

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ

उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई जड़ बुनियाद नहीं है।

“और नसारा कहते हैं कि यहूद किसी बुनियाद पर नहीं हैं”

وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ

उनकी कोई बुनियाद नहीं है, यह बेबुनियाद लोग हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है।

“हालांकि दोनों ही किताब पढ़ रहे हैं”

وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتٰبَ

अहदनामा-ए-क़दीम (Old Testament) यहूदियों और ईसाइयों में मुश्तरक (common) है। यह बहुत अहम नुक्ता है और अमेरिका में जदीद ईसाइयत की सूरत में एक बहुत बड़ी ताकत जो उभर रही है वह ईसाइयत को यहूदियत के रंग में रंग रही है। रोमन कैथोलिक मज़हब ने तो बाइबल से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और सारा इख्तियार पाँप के हाथ में आ गया था, लेकिन प्रोटेस्टेन्ट्स (Protestants) ने फिर बाइबल को कुबूल किया। अब इसकी मन्तक़ी (logical) इन्तहा यह है कि अहदनामा-ए-क़दीम पर भी उनकी तवज्जो हो रही है और वह कह रहे हैं कि इसे भी हम अपनी किताब मानते हैं और इसमें जो कुछ लिखा है उसे हम नज़र अंदाज़ नहीं कर सकते। अमेरिका में हमने एक

सेमिनार मुनअक्रिद (आयोजित) किया था, जिसमें एक यहूदी आलिम ने कहा था कि इस वक़्त इसराइल को सबसे बड़ी नुसरत व हिमायत अमेरिका के उन ईसाइयों से मिल रही है जो Evengelists कहलाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा फिरका बन कर उभर रहे हैं। बहरहाल यह उनका तर्ज़े अमल बयान हुआ है।

“इसी तरह कही थी उन लोगों ने जो कुछ भी नहीं जानते, इन्हीं की सी बात”

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

यहाँ इशारा है मुशरिकीने मक्का की तरफ़।

“पस अल्लाह तआला फ़ैसला कर देगा इनके माबैन क़यामत के दिन उन तमाम बातों का जिनमें यह इख्तिलाफ़ कर रहे थे”

فَاَللّٰهُ يَخْتَصِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فِىْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

अब देखिये इस सिलसिला-ए-कलाम की बक्रिया आयात में भी अगरचे खिताब तो बनी इसराइल ही से है, लेकिन अब यहाँ पर अहले मक्का से कुछ ताअरीज़ (लड़ाई) शुरू हो गयी है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़क़िरा आयेगा, फिर तहवीले क़िब्ला का ज़िक्र आयेगा। बैतुल्लाह चूँकि उस वक़्त मुशरिकीने मक्का के कब्ज़े में था, लिहाज़ा इस हवाले से कुछ मुताल्लिक़ा (सम्बंधित) मज़ामीन आ रहे हैं और तहवीले क़िब्ला की तम्हीद बाँधी जा रही है। “तहवीले क़िब्ला” दरअसल इस बात की अलामत थी कि अब वह साबक़ा उम्मत मुस्लिमा माज़ूल की जा रही है और इस मक़ाम पर एक नयी उम्मत, उम्मत मुहम्मद ﷺ की तक्ररी (नियुक्ति) अमल में लायी जा रही है। इस हवाले से { كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ } के अल्फ़ाज़ में मुशरिकीने मक्का की तरफ़ इशारा किया गया।

आयत 114

“और उस शख्स से बढ कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह तआला की मस्जिदों से (लोगों को) रोके कि उनमे उसका नाम लिया जाये?”

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ

मुशरिकीने मक्का ने मुस्लमानों को मस्जिदे हराम में हाज़री से महरूम कर दिया था और उनको वहाँ जाने की इजाज़त ना थी। 6 हिजरी में रसूल अल्लाह ﷺ ने सहाबा किराम रज़िअल्लाहुअन्हुम के हमराह उमरे के इरादे से मक्का का सफ़र फ़रमाया, लेकिन मुशरिकीने ने आप ﷺ और आप ﷺ के साथियों को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इस मौक़े पर सुलह हुदैबिया हुई और आप ﷺ को उमरा किये बगैर वापस आना पड़ा। फिर अगले बरस 7 हिजरी में आप ﷺ ने सहाबा किराम रज़िअल्लाहुअन्हुम के हमराह उमरा अदा किया। तो यह सात बरस मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ और अहले ईमान पर बहुत शाक़ (कठिन) गुज़रे हैं। यहाँ मुशरिकीने मक्का के इस जुल्म का ज़िक्र हो रहा है कि उन्होंने अहले ईमान को मस्जिदे हराम से रोक रखा है।

“और वह उनकी तख़रीब के दर पे हो?”

وَسَلِيَ فِي خَرَابِهَا

ख़राब और तख़रीब का माद्दाये असली एक ही है। तख़रीब दो तरह की होती है। एक ज़ाहिरी तख़रीब कि मस्जिद को गिरा देना, और एक बातिनी और मानवी (सचमुच) तख़रीब कि अल्लाह के घर को तौहीद के बजाये शिर्क का अड्डा बना देना। मुशरिकीने मक्का ने बैतुल्लाह को बुतकदा बना दिया था:

دُنِيَا كَ بُوْتِكُدُوْا مَ فِي الْهَلَا وَهَ الْهَلَا وَهَ الْهَلَا
हम उसके पासबाँ हैं वह पासबाँ हमारा!

खाना-ए-काबा में 360 बुत रख दिये गये थे, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीदे खालिस के लिये तामीर किया था। मसाजिद के साथ लफ़ज़ “ख़राब” एक हदीस में भी आया है। यह बड़ी दिलदोज़ हदीस है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़हन नशीन कर लें। हज़रत अली रज़िअल्लाहुअन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ

“अंदेशा है कि लोगों पर (यानि मेरी उम्मत पर) एक ज़माना ऐसा भी आयेगा कि”

لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ
“इस्लाम में से इसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा”

وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ
“और कुरान में से इसके रस्मुल ख़त (अल्फ़ाज़ और हुरूफ़) के सिवा कुछ नहीं बचेगा।”

अल्लाह तआला ने इसी की ज़मानत दी है कि कुरान हकीम के अल्फ़ाज़ व हुरूफ़ मन व अन महफूज़ रहेंगे।

مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَ هِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى
“उनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी लेकिन हिदायत से खाली हो जाएँगी।”

यहाँ भी लफ़ज़ “ख़राब” नोट कीजिये। गोया मानवी ऐतबार से यह वीरान हो जाएँगी।

عَلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَيْدِي السَّمَاءِ
“उनके उलमा आसमान की छत के नीचे के बदतरिन् इन्सान होंगे।”
مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَ فِيهِمْ تَعْوُدُ (13)

“फितना उन्हीं के अन्दर से बरामद होगा और उन्हीं में घुस जायेगा।”

यानि उनका काम ही फ़ितना अन्गेज़ी, मुखालफ़त और जंग व जिदाल होगा। अपने-अपने फ़िरक़े के लोगो के जज़्बात को भडकाते रहना और मुस्लमानों के अन्दर इख़्तलाफ़ात को हवा देना ही उनका काम रह जायेगा।

आज जिनको हम उलमा कहते हैं उनकी अज़ीम अक्सरियत इस कैफ़ियत से दो-चार हो चुकी है। जब मज़हब और दीन पेशा बन जाये तो उसमें कोई खैर बाक़ी नहीं रहता। दीन और मज़हब पेशा नहीं था, लेकिन इसे पेशा बना लिया गया। इस्लाम में कोई पेशवाइयत नहीं, कोई पापाइयत नहीं, कोई ब्रह्मनियत नहीं। इस्लाम तो एक खुली किताब की मानिंद हैं। हर शख्स किताबुल्लाह पढे, हर शख्स अरबी सीखे और किताबुल्लाह को समझे। हर शख्स को इबादात के क़ाबिल होना चाहिये। हर शख्स अपनी बच्ची का निकाह खुद पढाये, अपने वालिद का जनाज़ा खुद पढाये। हमने खुद इसे पेशा बना दिया है और इबादात के मामले में एक ख़ास तबक़े के मोहताज हो गये हैं। मिर्ज़ा ग़ालिब ने कहा था:

पेशे में ऐब नहीं, रखिये ना फ़रहाद को नाम!

एक चीज़ जब पेशा बन जाती है तो उसमें पेशा वाराना चश्मके और रक्बाबतें दर आती हैं। लेकिन साथ ही यह बात वाज़ेह रहे कि दुनिया कभी उल्माये हक़ से खाली नहीं होगी। चुनाँचे यहाँ उल्माये हक़ भी हैं और उल्माये सू भी हैं, लेकिन हक़ीक़त यह है कि उनकी अक्सरियत का हाल वही हो चुका है जो हदीस में बयान हुआ है, वरना उम्मत का यूँ बेड़ा ग़र्क़ ना होता।

“ऐसे लोगों को तो उनमें दाख़िल ही नहीं
होना चाहिये मगर डरते हुए।”
أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا
حَافِيفِينَ

इन लोगों को लायक़ नहीं है कि अल्लाह की मस्जिदों में दाख़िल हों, यह अगर वहाँ जायें भी तो डरते हुए जायें।

“उनके लिये दुनिया में भी ज़िल्लत व रुसवाई
है”
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ

“और आख़िरत में उनके लिये अज़ाबे अज़ीम
है।”
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

अगली आयत में तहवीले क़िब्ला के लिये तम्हीद (प्रस्तावना) बाँधी जा रही है। क़िब्ले की तब्दीली बड़ा हस्सास (संवेदनशील) मामला था। जिन लोगों को येरुशलम और बैतुलमक़दस के साथ दिलचस्पी थी उनके दिलों में उसकी अक़ीदत जागज़ी (विरासत में प्राप्त) थी, जबकि मक्का मुकर्रमा और बैतुल्लाह के साथ जिनको दिलचस्पी थी उनके दिलों में उसकी मोहब्बत व अक़ीदत थी। तो इस हवाले से क़िब्ले की तब्दीली कोई मामूली बात ना थी। हिजरत के बाद क़िब्ला दो दफ़ा बदला है। मक्का मुकर्रमा में मुस्लमानों का क़िब्ला बैतुल्लाह था। मदीने में आकर रसूल अल्लाह ﷺ ने सौलह महीने तक बैतुलमक़दस की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ी और फिर बैतुल्लाह की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का हुक़म आया। इस तरह अहले ईमान के कई इम्तिहान हो गये, उनका ज़िक़्र आगे आ जायेगा। लेकिन यहाँ उसकी तम्हीद बयान हो रही है। फ़रमाया:

आयत 115

“और मशरिक्क़ और मग़रिब सब अल्लाह के
हैं।”

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

यानि अगर हम मग़रिब की तरफ़ रुख़ करते हैं तो इसके मायने यह नहीं है कि अल्लाह मग़रिब में है (मआज़ अल्लाह)। अल्लाह तो जोहत (दिशा) और मक़ाम से मा वरा है, वरा उल वरा सुम्मा वरा उल वरा है (High, Higher, Highest)। यह तो यक्सानियत (समानता) पैदा करने के लिये और इज्तमाई रंग देने के लिये एक चीज़ को क़िब्ला बना दिया गया है। यह तो एक अलामत है। ग़ालिब ने क्या खूब कहा है:

हैं परे सरहद इदराक़ से अपना मसजूद

क़िब्ले को अहले नज़र क़िब्ला नुमा कहते हैं!

क़िब्ला हमारा मसजूद तो नहीं है!

“पस जिधर भी तुम रुख़ करोगे उधर ही
अल्लाह का रुख़ है।”

فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَمَّ وَجْهَ اللَّهِ

“यक़ीनन अल्लाह बहुत वुसअत (विस्तार)
वाला, सब कुछ जानने वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

वह बहुत वुसअत वाला है, वह किसी भी सिम्त में महदूद नहीं है, और हर शय का जानने वाला है।

तहवीले क़िब्ला की तम्हीद के तौर पर एक आयत कह कर अब फिर असल सिलसिला-ए-कलाम जोड़ा जा रहा है:

आयत 116

“और इन (में वह भी हैं जिन) का क़ौल है कि
अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। वह तो
इन बातों से पाक़ है।”

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ

ज़ाहिर बात है यहाँ फिर अहले मक्का ही की तरफ़ इशारा हो रहा है जिनका यह क़ौल था कि अल्लाह ने अपने लिये औलाद इख़्तियार की है। वह कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं। नसारा कहते थे कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और यहूदियों का भी एक गिरोह ऐसा था जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता था।

“बल्कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है
 उसी की मिलकियत है।”

بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

सब मख्लूक और ममलूक हैं, खालिक और मालिक सिर्फ़ वह है।

“सबके सब उसी के मुतीअ फ़रमान हैं।”

كُلُّ لَّهُ فٰنِيُوْنَ

बड़े से बड़ा रसूल हो या बड़े से बड़ा वली या बड़े से बड़ा फ़रिश्ता या बड़े बड़े अजरामे समाविया (खगोलीय पिंड), सब उसी के हुकम के पाबन्द हैं।

आयत 117

“वह नया पैदा करने वाला है आसमानों और
 ज़मीन का।”

يٰۤاٰدَمُ اَسْمٰى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

वह बगैर किसी शय के आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है। “बिदा‘ और “ख़ल्क” में फ़र्क़ नोट कीजिये। शाह वलीउल्लाह देहलवी रहीमुल्लाह ने हुज्जतुल्लाह अलबाल्गा के पहले बाब में लिखा है कि अल्लाह तआला के अफ़आल बुनियादी तौर पर तीन हैं: इब्दाअ, खल्क और तदबीर। इब्दाअ से मुराद है अदम-ए-महज़ से किसी चीज़ को वजूद में लाना, जिसे अंग्रेज़ी में “creation ex nihilo” से ताबीर किया जाता है। जबकि खल्क एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनाना है, जैसे अल्लाह तआला ने गारे से इन्सान बनाया, आग से जिन्नात बनाये और नूर से फ़रिश्ते बनाये, यह तख़लीक़ है। तो “बिदा‘” वह ज़ात है जिसने किसी माद्दा-ए-तख़लीक़ के बगैर एक नयी कायनात पैदा फ़रमा दी। हमारे यहाँ “बिदअत” वह शय कहलाती है जो दीन में नहीं थी और ख्वाह

माख्वाह लाकर शामिल कर दी गयी। जिस बात की जड़ बुनियाद दीन में नहीं है वह बिदअत है।

“और जब वह किसी मामले का फ़ैसला कर
 लेता है तो उससे बस यही कहता है कि हो
 जा और वह हो जाता है।”

وَإِذَا فَصَّلَ أَمْرًا فَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

۞

आयत 118

“और कहा उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते”

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

यहाँ पर मुशरिकीने मक्का की तरफ़ रूए सुखन है।

“क्यों नहीं बात करता हमसे अल्लाह या क्यों
 नहीं आ जाती हमारे पास कोई निशानी?”

لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ

मुशरिकीने मक्का का रसूल अल्लाह ﷺ से बड़ी शिद्दत के साथ यह मुतालबा था कि आप कोई ऐसे मौज़्जात ही दिखा दें जैसे आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाये थे या मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाये थे। अगर आप हमारे यह मुतालबे पूरे कर दें तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे। यह मज़मून तफ़सील के साथ सूरतुल अनआम में और फिर सूरह बनी इसराइल में आयेगा।

“इसी तरह की बातें जो लोग इनसे पहले थे
 वह भी कहते रहे हैं।”

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ

قَوْلِهِمْ

“इनके दिल एक-दूसरे से मुशाबेह हो गये हैं।”

تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ

“हम तो अपनी आयात वाज़ेह कर चुके हैं उन लोगों के लिये जो यक़ीन करना चाहें”

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْتُونَ

आयत 119

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) बेशक हमने आपको भेजा है हक़ के साथ बशीर और नज़ीर बना कर”

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

आप صلی اللہ علیہ وسلم की बुनियादी हैसियत यह है कि आप صلی اللہ علیہ وسلم अहले हक़ को जन्नत और उसकी तमाम तर नेअमतों की बशारत दें, और जो गलत रास्ते पर चल पड़ें, कुफ़्र करें, मुनाफ़क़त में मुब्तला हों, मुल्हिद (नास्तिक) हों और बदअमली करें उनको आप صلی اللہ علیہ وسلم ख़बरदार कर दें कि उनके लिये जहन्नम तैयार कर दी गयी है। आप صلی اللہ علیہ وسلم का काम दावत, इब्लाग, तब्लीग और नसीहत है।

“और आप صلی اللہ علیہ وسلم से सवाल नहीं किया जायेगा जहन्नमियों के बारे में”

وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

जो लोग अपने तर्ज़े अमल की बिना पर जहन्नम के मुस्तहिक़ (हक़दार) करार पा गये हैं उनके बारे में आप صلی اللہ علیہ وسلم ज़िम्मेदार नहीं हैं। आप صلی اللہ علیہ وسلم से यह नहीं पूछा जायेगा कि यह क्यों जहन्नम में पहुँच गये? आप صلی اللہ علیہ وسلم के होते हुए यह जहन्नमी क्यों हो गये? नहीं, यह आप صلی اللہ علیہ وسلم की ज़िम्मेदारी नहीं है। कौन जन्नत में जाना चाहता है और कौन जहन्नम में, यह आदमी का अपना फ़ैसला है। आप صلی اللہ علیہ وسلم का काम हक़ को वाज़ेह कर देना है, इसकी वज़ाहत में कमी ना रह जाये, हक़ वाज़ेह हो जाये, कोई इशतबाह (गलती) बाक़ी ना रहे, बस यह ज़िम्मेदारी आप صلی اللہ علیہ وسلم की है, इससे ज़्यादा नहीं। इन्सान अगर अपनी असल मसूलियत (उत्तरदायित्व) से ज़्यादा ज़िम्मेदारी अपने सर पर डाल ले तो ख्वाह माख्वाह मुशिकल में फँस जाता है। हमारे यहाँ की बहुत सी जमातें इसी तरह की गलतियों की वजह से गलत रास्ते पर पड़ गईं और पूरी की पूरी तहरीकें बर्बाद हो गईं। रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم चाहते थे कि किसी तरह यह उल्माये यहूद ईमान ले आयें और जहन्नम का ईधन ना बनें। उनके लिये आप صلی اللہ علیہ وسلم ने अल्लाह के हुज़ूर दुआएँ

की होगी। जैसे मक्की दौर में आप صلی اللہ علیہ وسلم दुआएँ माँगते थे कि ऐ अल्लाह! उमर बिन हिशाम और उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को तू मेरी झोली में डाल दे और उसके ज़रिये से इस्लाम को कुव्वत अता फ़रमा!

आयत 120

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) आप किसी मुग़ालते में ना रहिये) हरगिज़ राज़ी ना होंगे आप صلی اللہ علیہ وسلم से यहूदी और नसरानी जब तक कि आप صلی اللہ علیہ وسلم पैरवी ना करें उनकी मिल्लत की।”

लिहाज़ा आप उनसे उम्मीद मुन्क़तअ (अलग) कर लीजिये। इसलिये कि ज़्यादा उम्मीद हो तो फिर मायूसी हो जाती है। इक़बाल ने बंदा-ए-मोमिन के बारे में बहुत ख़ूब कहा है:

उसकी उम्मीदें क़लील, उसके मक्रासिद ज़लील!

मक्रसद ऊँचा हो, लेकिन उम्मीद क़लील (कम) रहनी चाहिये। अल्लाह चाहेगा तो हो जायेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। बंदा-ए-मोमिन का काम अपनी हद तक अपना फ़र्ज़ अदा कर देना है। इससे ज़्यादा की ख्वाहिश अगर अपने दिल में पालेंगे तो किसी उजलतपसन्दी (जल्दीबाज़ी) में गिरफ़तार हो जाएँगे और किसी राहे यसीर (आसान) या राहे कसीर (short cut) के ज़रिये मंज़िल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और अपने आपको भी बर्बाद कर लेंगे।

“कह दीजिये हिदायत तो बस अल्लाह की हिदायत है।”

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

जो अल्लाह ने बतलाया है वही सीधा रास्ता है।

“और (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) अगर आप صلی اللہ علیہ وسلم ने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की उस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है”

وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

अगर बफर्जे महाल (असम्भव मान लीजिये) आप ﷺ ने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की कि चलो कुछ लो कुछ दो का मामला कर लो, कुछ इनकी बात मानो कुछ अपनी बात मनवा लो, तो यह तर्जें अमल अल्लाह तआला के यहाँ क्राबिले कुबूल ना होगा। मक्का में कुरैश की तरफ़ से इस तरह की पेशकश की जाती थी कि कुछ अपनी बात मनवा लीजिये, कुछ हमारी मान लीजिये, compromise कर लीजिये, और अब मदीना में यहूद के साथ भी यही मामला था। चुनाँचे इस पर मुतनब्बा किया (ध्यान दिलाया) जा रहा है।

“तो नहीं होगा अल्लाह के मुक़ाबले में आप ﷺ के लिये कोई मददगार और ना हिमायती।” (माज़ अल्लाह)

हक़ की तलवार बिल्कुल उरियाँ (नग्न) है। अल्लाह का अदल हर फ़र्द के लिये अलग नहीं है, यह फ़र्द से फ़र्द तक बदलता नहीं है। ऐसे ही हर क़ौम और हर उम्मत के लिये क़ानून तब्दील नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी एक क़ौम से कोई एक मामला हो और दूसरी क़ौम से कोई दूसरा मामला। अल्लाह के उसूल और क़वानीन ग़ैर मुबद्दल हैं। इस ज़िंमन में इसकी एक सुन्नत है जिसके बारे में फ़रमाया: { فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا كَ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا } (फ़ातिर) “पस तुम अल्लाह के तरीक़े में हरगिज़ कोई तब्दीली ना पाओगे, और तुम अल्लाह के तरीक़े को हरगिज़ टलता हुआ नहीं पाओगे।”

आयत 121

“वह लोग जिन्हें हमने किताब दी है वह उसकी तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत का हक़ है।”

इस पर मैंने अपने किताबचे “मुस्लमानों पर कुरान मजीद के हुकूक” में बहस की है कि तिलावत का असल हक़ क्या है। एक बात जान लीजिये कि तिलावत का लफ़्ज़, जो कुरान ने अपने लिये इख़्तियार किया है, बड़ा जामेअ लफ़्ज़ है।

“تِلَا يَتْلُو” का मायना पढ़ना भी है और “تِلَا يَتْلُو” किसी के पीछे-पीछे चलने (to follow) को भी कहते हैं। सुरतुशशम्स की पहली दो आयात मुलाहिज़ा कीजिये:

“क़सम है सूरज की और उसकी धूप की। और وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّهَاهَا ۝ क़सम है चाँद की जब वह उसके पीछे आता है।”

जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप उसके मतन (text) के पीछे-पीछे चल रहे होते हैं। चुनाँचे बाज़ लोग जो ज़्यादा माहिर नहीं होते, किताब पढ़ते हुए अपनी ऊँगली साथ-साथ चलाते हैं ताकि निगाह इधर से उधर ना हो जाये, एक सतर (लाइन) से दूसरी सतर पर ना पहुँच जाये। अल्लाह तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब की तिलावत का असल हक़ यह होगा कि आप इस किताब को follow करें, इसे अपना इमाम बनायें, इसके पीछे चलें, इसका इत्तेबाअ (पालन) करें, इसकी पैरवी (अनुसरण) करें, जिसकी हम दुआ करते हैं: “और इसे मेरे लिये इमाम और रोशनी और हिदायत और रहमत बना दे!” अल्लाह तआला इस कुरान को हमारा इमाम उसी वक़्त बनायेगा जब हम फ़ैसला कर लें कि हम इस किताब के पीछे चलेंगे।

“वही हैं जो इस पर ईमान रखते हैं।”

أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

यानि जो अल्लाह की किताब की तिलावत का हक़ अदा करें और उसकी पैरवी भी करें। और जो ना तो तिलावत का हक़ अदा करें और ना किताब की पैरवी करें, लेकिन वह दावा करें कि हमारा ईमान है इस किताब पर तो यह दावा झूठा है। अज़रूए हदीसे नबवी ﷺ: ((مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ)) (14) “जिस शख्स ने कुरान की हराम करदा चीज़ों को अपने लिये हलाल कर लिया उसका कुरान पर कोई ईमान नहीं है।”

“और जो इसका कुफ़र करेगा तो वही लोग हैं وَمَنْ يُكْفَرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ” ख़सारे में रहने वाले।”

अब यहूद के साथ इस सिलसिला-ए-कलाम का इख़तताम (अंत) हो रहा है जिसका आगाज़ छठे रुकूअ से हुआ था। इस सिलसिला-ए-कलाम के आगाज़ में

जो दो आयात आयी थीं उन्हें मैंने ब्रेकेट से ताबीर किया था। वही दो आयात यहाँ दोबारा आ रही हैं और इस तरह गोया ब्रेकेट बंद हो रही है। फ़रमाया:

आयत 122

“ऐ औलादे याक़ूब! याद करो मेरे उस ईनाम को जो मैंने तुम पर किया, और यह कि मैंने तुम्हें फ़ज़ीलत दी थी अहले आलम पर।”

يٰٓيٰٓنَيُّ اسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ عَلَيَّ كٰفِرِيْنَ ﴿١٢٢﴾

यह आयत बैन ही इन अल्फ़ाज़ में छठे रुकूअ के आगाज़ में आ चुकी है। (आयत 47) दूसरी आयत भी ज्यों की त्यों आ रही है, सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की तरतीब थोड़ी सी बदली है। इबारत के शुरू और आखिर वाली ब्रेकेट्स एक दूसरे का अक्स (mirror) होती हैं। एक की गोलाई दायीं तरफ़ होती है तो दूसरी की बायीं तरफ़। इसी तरह यहाँ दूसरी आयत की तरतीब दरमियान से थोड़ी सी बदल दी गयी है। फ़रमाया:

आयत 123

“और डरो उस दिन से कि जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी काम ना आ सकेगी”

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

“और ना उससे कोई फ़िदया कुबूल किया जायेगा”

وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ

वहाँ अल्फ़ाज़ थे { وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ } “और ना उसे कोई सिफ़ारिश कुबूल की जायेगी।”

“और ना उसे कोई सिफ़ारिश ही फ़ायदा दे सकेगी”

وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

यहाँ अद्ल पहले और शफ़ाअत बाद में है, वहाँ शफ़ाअत पहले है और अद्ल बाद में। बस यही एक तब्दीली है।

“और ना उन्हें कोई मदद मिल सकेगी।”

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

यह टुकड़ा भी ज्यों का त्यों वही है जिस पर छठे रुकूअ की दूसरी आयत ख़त्म हुई थी।

आयत 124 से 129 तक

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَبْتَأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ۗ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۗ وَيَتُوسُ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۗ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ إِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ۗ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لِّكَ ۗ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ۗ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

सूरतुल बकरह के इब्तदाई इट्टारह रुकूओं में रुए सुखन मज्मुई तौर पर साबक़ा उम्मते मुस्लिमा यानि बनी इसराइल की जानिब है। इब्तदाई चार रुकूअ अगरचे उमूमी नौइयत के हामिल हैं, लेकिन उनमें भी यहूद की तरफ़ रुए सुखन के इशारे मौजूद हैं। चौथे रुकूअ के आगाज़ से पंद्रहवे रुकूअ की इब्तदाई दो आयात तक, इन दस रुकूओं में सारी गुफ्तगू सराहत के साथ (विशेष रूप

से) बनी इसराइल ही से है, इल्ला यह कि एक जहग अहले ईमान से खिताब किया गया और कुछ मुशरिकीने मक्का का भी तारीज़ के असलूब में तज़क़िरा हो गया।

इसके बाद अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इस्माइल और बनी इसराइल दो शाखें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो बड़े थे, जबकि दूसरी बीवी हज़रत सारा से इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनके बेटे याक़ूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका लक़ब इसराइल था। उनके बारह बेटों से बनी इसराइल के बारह क़बीले वजूद में आये। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के पास, वादी-ए-ग़ैर ज़ी ज़रअ (बंज़र ज़मीन) में आबाद किया था, जिनसे एक नस्ल बनी इस्माइल चली। हज़रत इब्राहीम अलै० के बाद नबुवत हज़रत इस्माइल अलै० को तो मिली, लेकिन उसके बाद तक्ररीबन तीन हज़ार साल का फ़ासला है कि इस शाख में कोई नबुवत नहीं आई। नबुवत का सिलसिला दूसरी शाख में चला। हज़रत इसहाक़ के बेटे हज़रत याक़ूब और उनके बेटे हज़रत युसुफ अलैहिस्सलाम सब नबी थे। फिर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत ईसा और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम तक चौदह सौ बरस मुसलसल ऐसे हैं कि बनी इसराइल में नबुवत का तार टूटा ही नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक तीसरी शाख बनी क़तूरा भी थी। यह आप अलैहिस्सलाम की तीसरी अहलिया क़तूरा से थी। इन्हीं में से बनी मदयन (या बनी मदयान) थे, जिनमें हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बेअसत हुई थी। इस तरह हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं।

जैसा कि अर्ज़ किया गया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद बनी इस्माइल में नबुवत का सिलसिला मुनक़तअ (कटा) रहा। यहाँ तक कि तक्ररीबन तीन हज़ार साल बाद मुहम्मदे अरबी عليه وسلم की बेअसत हुई। आप عليه وسلم की बेअसत के बाद इमामतुन्नस साबक़ा उम्मते मुस्लिमा (बनी इसराइल) से मौजूदा उम्मते मुस्लिमा (उम्मते मुहम्मदी अला साहिबहुमा अस्सलातु वस्सलाम) को मुन्तक़िल हो गयी। इस इन्तेक़ाले इमामत के वक़्त बनी इसराइल से खिताब करते हुए उनके और बनी इस्माइल के माबैन क़द्र मुशतरक

(common ground) का तज़क़िरा किया जा रहा है ताकि उनके लिये बात का समझना आसान हो जाये। उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे ज़दे अमजद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे और यह दूसरी नस्ल भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की है। इस हवाले से यह समझ लिया जाये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी और अब इसे अहले तौहीद का मरकज़ बनाया जा रहा है, चुनाँचे पंद्रहवें रकूअ से अट्टाहरवें रकूअ तक यह सारी गुफ्तगू जो हो रही है इसका असल मज़मून “तहवीले क़िब्ला” है।

आयत 124

“और ज़रा याद करो जब इब्राहीम अलै० को आज़माया उसके रब ने बहुत सी बातों में तो उसने उन सबको पूरा कर दिखाया।”

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

“ईद-उल-अज़हा और फ़लसफ़ा-ए-कुरबानी” के उन्वान से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख़्सियत पर मेरा एक किताबचा है जो मेरी एक तक्ररीर और एक तहरीर (लेखन) पर मुशतमिल है। तहरीर का उन्वान है: “हज और ईद-उल-अज़हा और उनकी असल रूह।” अपनी यह तहरीर मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वस्सलाम के इम्तिहानात और आज़माइशों का ज़िक्र किया है। आप अलैहिस्सलाम के तवील सफ़रे हयात का खुलासा और लुब्बे लुबाब (सार) ही “इम्तिहान व आज़माइश” है, जिसके लिये कुरान की इस्तलाह (मुहावरा) “इबतला” है। इस आयत मुबारका में इनकी पूरी दास्ताने इबतला को चंद अल्फ़ाज़ में समो दिया गया है, और “فَأَتَمَّهُنَّ” का लफ़ज़ इन तमाम इम्तिहानात का नतीजा ज़ाहिर कर रहा है कि वह इन सबमें पूरा उतरे, इन सबमें पास हो गये, हर इम्तिहान में नुमाया हैसियत से कामयाबी हासिल की।

“तब फ़रमाया: (ऐ इब्राहीम अलै०!) अब मैं तुम्हें नौए इंसानी का इमाम बनाने वाला हूँ।”

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

“उन्होंने कहा: और मेरी औलाद में से भी!”

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

यानि मेरी नस्ल के बारे में भी यह वादा है या नहीं?

“फ़रमाया: मेरा यह अहद ज़ालिमों से मुताल्लिक नहीं होगा।”

قَالَ لَا يَنْأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

यानि तुम्हारी नस्ल में से जो साहिबे ईमान होंगे, नेक होंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे, उनसे मुताल्लिक हमारा यह वादा है। लेकिन यह अहद नस्लियत की बुनियाद पर नहीं है कि जो भी तुम्हारी नस्ल से हो वह इसका मिस्दाक बन जाये।

आयत 125

“और याद करो जब हमने इस घर (बैतुल्लाह) को करार दे दिया लोगों के लिये इज्जताअ (और ज़ियारत) की जगह और उसे अमन का घर करार दे दिया।”

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَحَابَّةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا

“और (हमने हुक्म दिया कि) मक़ामे इब्राहीम अलै० को अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो।”

وَآتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ

दौरे जदीद के बाज़ उलमा ने यह कहा है कि मक़ामे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुराद कोई ख़ास पत्थर नहीं है, बल्कि असल में वह पूरी जगह ही “मक़ामे इब्राहीम” है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आबाद हुए थे। लेकिन सही बात वही है जो हमारे सलफ़ से चली आ रही है और इसके बारे में पुख्ता रिवायात हैं कि जिस तरह हज़रे अस्वद जन्नत से आया था ऐसे ही यह भी एक पत्थर था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिये जन्नत से लाया गया था। खाना काबा की तामीर के दौरान आप अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होते थे और

जैसे-जैसे तामीर ऊपर जा रही थी उसके लिये यह पत्थर खुद-ब-खुद ऊँचा होता जाता है। इस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम के क़दमों का निशान है। यही पत्थर “मक़ामे इब्राहीम” है जो अब भी महफूज़ है। बैतुल्लाह का तवाफ़ मुकम्मल करके इसके करीब दो रकअत नमाज़ अदा की जाती है।

“और हमने हुक्म किया था इब्राहीम अलै० और इस्माइल अलै० को कि तुम दोनों मेरे इस घर को पाक रखो तवाफ़ करने वालों, ऐताकाफ़ करने वालों और रुकूअ व सुजूद करने वालों के लिये।”

وَعَهْدًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ

इससे दोनों तरह की ततहीर (सफ़ाई) मुराद है। ज़ाहिरी सफ़ाई भी हो, गन्दगी ना हो, ताकि ज़ायरीन आयें तो उनके दिलों में कदुरत (नफ़रत) पैदा ना हो, उन्हें कोफ़्त (ऊब) ना हो। और ततहीर बातिनी का भी अहतमाम हो कि वहाँ तौहीद का चर्चा हो, किसी तरह का कोई कुफ़्र व शिर्क दर ना आने पाये।

आयत 126

“और याद करो जबकि इब्राहीम अलै० ने दुआ की थी: ऐ मेरे परवरदिगार! इस घर को अमन की जगह बना दे”

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

“और यहाँ आबाद होने वालों (यानि बनी इस्माइल अलै०) को फ़लों का रिज़क अता कर, जो कोई उनमें से ईमान लाये अल्लाह पर और यौमे आख़िर पर।”

وَإَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही अहतियात बरती और अपनी सारी औलाद के लिये यह दुआ नहीं की, बल्कि सिर्फ़ उनके लिये जो अल्लाह पर और यौमे आख़िर पर ईमान रखते हों। इसलिये कि पहली दुआ में “وَمِنْ ذُرِّيَّتِي” के जवाब में अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया था:

“{عَهْدِي الظَّالِمِينَ} लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ़ (अलग) नज़र आता है।

“अल्लाह तआला ने फ़रमाया: और (तुम्हारी औलाद में से) जो कुफ़्र करेगा तो उसको भी मैं दुनिया की चंद रोज़ा ज़िन्दगी का साज़ो सामान तो दूँगा”

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ قَلِيلًا

जो लोग ईमान से महरूम होंगे उन्हें मैं इमामत में शामिल नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल दुनियावी ज़िन्दगी का माल व मताअ (उपयोगी सामान) तो मैं उनको भी दूँगा।

“फिर उसे कशां-कशां ले आऊँगा जहन्नम के अज़ाब की तरफ।”

ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ

“और वह बहुत बुरी जगह है लौटने की।”

وَيُنْسِ الْأَرْضِينَ

आयत 127

“और याद करो जब इब्राहीम अलै० और इस्माइल अलै० हमारे घर की बुनियादों को उठा रहे थे।”

وَأذْيَرَفَعُوا بُرُوجَهُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَاسْمِعِيلُ

बाप-बेटा दोनों बैतुल्लाह की तामीर में लगे हुए थे। यहाँ लफज़ “قَوَاعِدُ” जो आया है इसे नोट कीजिये, यह “قَاعِدَهُ” की जमा है और बुनियादों को कहा जाता है। इस लफज़ से यह इशारा मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलै० खाना काबा के असल मअमार (Architect) और बानी (संस्थापक) नहीं हैं। काबा सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। सूरह आले इमरान (आयत 96) में अल्फाज़ आये हैं: { إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ } “बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिये मुकर्रर किया गया यही है जो मक्का में है।” अब यह कैसे मुमकिन था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, कम-ओ-बेश चार हज़ार बरस के दौरान, रुए अर्ज़ी

पर कोई मस्जिद तामीर ना हुई हो? अल्लाह तआला की इबादत के लिये तामीर किया गया सबसे पहला घर यही काबा था। इस्तदादे ज़माने (वक्त्र गुज़रने) से इसकी सिर्फ़ बुनियादें बाक़ी रह गयी थीं, और चूँकि यह वादी में वाक़ेअ था जो सैलाब का रास्ता था, लिहाज़ा सैलाब की वजह से इसकी सब दीवारें बह गयी थीं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलै० ने इन बुनियादों को फिर से उठाया। सूरतुल हज़ में यह मज़मून तफ़सील से आया है।

जब वह इन बुनियादों को उठा रहे थे तो अल्लाह तआला से दुआयें माँग रहे थे:

“ऐ हमारे रब! हमसे यह ख़िदमत कुबूल फ़रमा ले।”

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

हमारी इस कोशिश और हमारी इस मेहनत व मशक्कत को कुबूल फ़रमा! जिस वक्त्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे उस वक्त्र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग तेरह बरस थी, आप अलैहिस्सलाम इस काम में अपने वालिद मोहतरम का हाथ बटा रहे थे।

“यक़ीनन तू सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है।”

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

आयत 128

“और ऐ हमारे रब! हमें अपना मुतीअ फ़रमान बनाये रख।”

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ

नोट कीजिये, यह दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। तो मैं और आप अगर अपने बारे में मुत्मईन हो जायें कि मेरी मौत लाज़िमन हक़ पर होगी, इस्लाम पर होगी तो यह बहुत बड़ा धोखा है। चुनौचे डरते रहना चाहिये और अल्लाह की पनाह तलब करते रहना चाहिये।

“और हम दोनों की नस्ल से एक उम्मत उठाइयो जो तेरी फ़रमाबरदार हो।”

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

“और हमें हज करने के कायदे बतला दे”

وَأَرَانَا مَنَاسِكَتَنَا

ऐ परवरदिगार! तेरा यह घर तो हमने बना दिया, अब इसकी ज़ियारत से मुताल्लिक जो रसूमात हैं, जो मनासिके हज हैं वह हमें सिखा दे।

“और हम पर अपनी तवज्जो फ़रमा”

وَتُبَّ عَلَيْنَا

हम पर अपनी शफक्कत की नज़र फ़रमा।

“यक्रीनन तू ही है बहुत ज़्यादा तौबा का कुबूल फ़रमाने वाला (और शफक्कत के साथ रुजूअ करने वाला) और रहम फ़रमाने वाला।”

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

आयत 129

“और ऐ हमारे परवरदिगार! उन लोगों में उठाइयो एक रसूल खुद उन्हीं में से”

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

इन्हें से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल यानि बनी इस्माइल मुराद है। वह दोनों दुआ कर रहे थे कि परवरदिगार! हमारी इस नस्ल में एक रसूल मबऊस (नियुक्त) फ़रमाना जो उन्हीं में से हो, बाहर का ना हो, ताकि उनके और उसके दरमियान मुगायरत (टकराव) और अजनबियत का कोई पर्दा हाईल (सकावट) ना हो।

“जो उन्हें तेरी आयात पढ़ कर सुनाये”

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

“और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे”

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

किताब का सिर्फ़ पढ़ कर सुना देना तो बहुत आसान काम है। इसके बाद किताब और उसमें मौजूद हिकमत की तालीम देना और उसे दिलों में बिठाना अहमतर है।

“और उनको पाक करे।”

وَيُزَكِّهِمْ

उनका तज़किया करे और उनके दिलों में तेरी मोहब्बत और आख़िरत की तलब की सिवा कोई तलब बाक़ी ना रहने दे।

“यक्रीनन तू ही है ज़बरदस्त और कमाले

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

हिकमत वाला।”

आयात 130 से 141 तक

وَمَنْ يَّرْعَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَبْنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۝ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ فَإِن أَمْنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۝ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ ۝

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُخْلِصُونَ ﴿١٣١﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٣﴾

आयत 130

“और कौन होगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम
के तरीके से मुँह मोड़े?”

وَمَنْ يُرَغِّبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ

रग़बत का लफ़्ज़ अरबी ज़बान में दोनों तरह इस्तेमाल होता है। “رَغِبَ إِلَى” का
मफ़हूम है किसी शय की तरफ़ रग़बत होना, मोहब्बत होना, मीलान होना,
जबकि “رَغِبَ عَنْ” का मतलब है किसी शय से मुतनफ़िर (नफ़रत) होना, किसी
शय से इबा (इन्कार) करना, उसको छोड़ देना। जैसा कि हदीस में आया है:
((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) (15) “पस जिसे मेरी सुन्नत नापसंद हो तो वह
मुझसे नहीं है।”

“सिवाय उसके जिसने अपने आपको
हिमाक़त ही में मुब्तला करने का फ़ैसला कर
लिया हो!”

إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

उसके सिवा और कौन होगा जो इब्राहीम अलै० के तरीके से मुँह मोड़े?

“और हमने तो उन्हें दुनिया में भी मुन्तख़ब
कर लिया था।”

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا

“और यक़ीनन आख़िरत में भी वह हमारे
सालेह बन्दों में से होंगे।”

وَأِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

आयत 131

“जब भी कहा उससे उसके परवरदिगार ने
कि मुतीअ (विनम्र) फ़रमान होजा तो उसने
कहा मैं मुतीअ फ़रमान हूँ तमाम जहानों के
परवरदिगार का।”

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٣٤﴾

यहाँ तक कि इकलौते बेटे को ज़िबह करने का हुकम आया तो उस पर भी सरे
तस्लीम ख़म कर दिया। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिलाये
इम्तिहानात का आखरी इम्तिहान था जो अल्लाह तआला ने उनका सौ बरस
की उम्र में लिया। अल्लाह तआला से दुआएँ माँग-माँग कर सतासी बरस की
उम्र में बेटा (इस्माइल अलैहिस्सलाम) लिया था और अब वह तेरह बरस का
हो चुका था, बाप का दस्तो बाज़ू बन गया था। उस वक़्त उसे ज़िबह करने का
हुकम हुआ तो आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन तैयार हो गये। यहाँ फ़रमाया जा रहा
है कि जब भी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारा हुकम मानो तो
उसे हुकम बरदारी के लिये सरापा तैयार पाया। अल्लाह तआला हमें भी इस
तर्ज़े अमल की पैरवी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन!

आयत 132

“और इसी की वसीयत की थी इब्राहीम अलै०
ने अपने बेटों को और याक़ूब ने भी।”

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ

आगे वह नसीहत बयान हो रही है:

“ऐ मेरे बेटों! अल्लाह ने तुम्हारे लिये यही
दीन पसंद फ़रमाया है।”

يَكْفِيْكَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّيْنَ

“पस तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुस्लमान!”

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٥﴾

देखना तुम्हें मौत ना आने पाये, मगर फ़रमाबरदारी की हालत में! यही बात सूरह आले इमरान (आयत:102) में मुस्लिमानों से खिताब करके फ़रमायी गयी: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} "ऐ लोगों जो ईमान लाये हो! अल्लाह का तक्रवा इख्तियार करो जैसा कि उसके तक्रवे का हक़ है और तुमको मौत ना आये, मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो।" और फ़रमाया: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (आयत:19) "यक़ीनन दीन तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम है।" मज़ीद फ़रमाया: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (आयत:85) "और जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख्तियार करना चाहे तो उससे वह हरगिज़ कुबूल ना किया जायेगा।"

आयत 133

"क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब आ धमकी याक़ूब पर मौत" أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْبُؤْتُ

यानि जब याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त आया। उस वक़्त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनके सब बेटे हज़रत युसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़रिये मिस्र में पहुँच चुके थे। यह सारा वाक़िया सूरह युसुफ़ में बयान हुआ है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का इन्तेक़ाल मिस्र में हुआ। दुनिया से रुख़सत होने से पहले उन्होंने अपने बारह के बारह बेटों को जमा किया।

"जब कहाँ अपने बेटों से कि तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद?" إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي

किसकी पूजा करोगे? किसकी परस्तिश करोगे? यह बात नहीं थी कि उन्हें मालूम ना था कि उन्हें किसकी इबादत करनी है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने क़ौल व क़रार को मज़ीद पुख़्ता करने के लिये यह अंदाज़ इख्तियार फ़रमाया।

"उन्होंने कहा हम बन्दगी करेंगे आपके मअबूद की और आपके आवा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक़ के मअबूद की" قَالُوا تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

"वही एक मअबूद है"

إِلَهًا وَاحِدًا

"और हम सब उसी के मुतीअ फ़रमान हैं।"

وَأَخْبَرْنَاهُ مُسْلِمِينَ

हम उसी के सामने सर झुकाते हैं और उसी की फ़रमाबरदारी का इक़रार करते हैं।

आयत 134

"यह एक जमाअत थी जो गुज़र चुकी।"

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

यह आयत इस रूक़अ में दो मरतबा आयी है। यह इन्सानों का एक गिरोह था जो गुज़र गया। इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़, याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद सब गुज़र चुके।

"उनके लिये था जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिये होगा जो तुम कमाओगे।"

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

यहाँ "पदरम सुल्तान बूद" का दावा कोई मक़ाम नहीं रखता। हर शख़्स के लिये अपना ईमान, अपना अमल और अपनी कमाई ही काम आयेगी।

"तुमसे यह नहीं पूछा जायेगा कि वह क्या करते थे।"

وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

तुमसे तो यही पूछा जायेगा कि तुम क्या करके लाये हो? तुम्हारा बाप सुल्तान होगा, लेकिन तुम अपनी बात करो कि तुम क्या हो?

इस पसमंज़र में अब यहूद की खबासत को नुमाया किया जा रहा है कि इब्राहीम और याक़ूब अलैहिस्सलाम की वसीयत तो यह थी, मगर उस वक़्त के यहूद व नसारा का क्या रवैय्या है। उन्होंने अल्लाह के रसूल ﷺ के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा महाज़ बना रखा है।

आयत 135

“और वह कहते हैं या तो यहूदी हो जाओ या नसरानी तो हिदायत पर हो जाओगे।”

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

“कह दीजिये नहीं, बल्कि (हम तो पैरवी करेंगे) इब्राहीम के तरीके की बिल्कुल यक्सु होकर।”

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

“अब मुस्लिमानों को हुकम दिया जा रहा है कि यहूद व नसारा जो कुछ कहते हैं उसके जवाब में तुम यह कहो”

“और वह मुशरिकों में से नहीं थे।”

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

आयत 136

“कहो हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर”

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ

“और जो कुछ नाज़िल किया गया हमारी जानिब”

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا

“और जो कुछ नाज़िल किया गया इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलादे याकूब की तरफ़”

وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

“और जो कुछ दिया गया मूसा और ईसा को”

وَمَا أَوْقِنُ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ

“और जो कुछ दिया गया तमाम नबियों को उनके रब की तरफ से।”

وَمَا أَوْقِنُ النَّبِيِّونَ مِن رَّبِّهِمْ

“हम उनमें से किसी के माबैन तफ़रीक नहीं करते।”

لَا نَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ

हम सबको मानते हैं, किसी का इन्कार नहीं करते। एक बात समझ लीजिये कि एक है “तफ़्ज़ील” यानि किसी एक को दूसरे से ज़्यादा अफ़ज़ल समझना, यह और बात है, इसकी नफ़ी नहीं है। सूरतुल बकरह (आयत:253) ही में अल्फ़ाज़ आये हैं: { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } “यह सब रसूल फ़ज़ीलत दी हमने बाज़ को बाज़ पर।” जबकि तफ़रीक यह है कि एक को माना जाये और एक का इन्कार कर दिया जाये। और रसूलों में से किसी एक का इन्कार गोया सबका इन्कार है।

“और हम उसी के मुतीअ फ़रमान हैं।”

وَأَن نُّخَلِّقَ لَهُ مَسَلِينًا

हमने तो उसी की फ़रमाबरदारी का क़लादा अपनी गर्दन में डाल लिया है।

आयत 137

“फिर (ऐ मुस्लिमानों) अगर वह (यहूद व नसारा) भी उसी तरह ईमान ले आये जिस तरह तुम ईमान लाये हो”

فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ

यानि वह ज़िद और हठधर्मी की रविश तर्क कर दें और ठीक-ठीक वही दीन और वही रास्ता इख़्तियार करें जो मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ के ज़रिये से तुम्हें दिया गया है।

“तब वह हिदायत पर होंगे।”

فَقَدِ اهْتَدَوْا

“और अगर वह पीठ मोड़ लें”

وَإِنْ تَوَلَّوْا

“तो फिर वही हैं ज़िद पर।”

فَأَمَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ

अगर वह ईमान नहीं लाते तो इसके मायने यह हैं कि वह हठधर्मी और ज़िद्दम ज़िद्दा में मुब्तला हो चुके हैं और दुश्मनी और मुखालफ़त पर अड़े हुए हैं।

“तो (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم) आपके लिये इनके मुक़ाबले में अल्लाह काफी है।”

فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ

आप फ़िक्र ना करें, आप صلی اللہ علیہ وسلم मदाहनत (compromise) की किसी दावत की तरफ़ तवज्जो ही ना करें, कुछ दो कुछ लो का मामला आप बिल्कुल भी ना सोचें। आप इनकी मुखालफ़तों से मरऊब (भयभीत) ना हों और इनकी धमकियों का कोई असर ना लें। अल्लाह तआला आपकी हिमायत के लिये इन सबके मुक़ाबले में काफी रहेगा।

“और वह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है।”

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ऐसा नहीं है कि उसे मालूम ना हो कि आप صلی اللہ علیہ وسلم इस वक़्त किन हालात में हैं, कैसी मुशिकलात में हैं, किस तरह की नाज़ुक सूरते हाल है जो दिन-ब-दिन शक़ल बदल रही है। अल्लाह तआला हर तरह के हालात में आपका मुहाफ़िज़ और मददगार है।

[हज़रत उस्मान रज़िअल्लाहुअन्हु शहादत के वक़्त कुरान हकीम के जिस नुस्खे पर तिलावत फ़रमा रहे थे उसमें इन अल्फ़ाज़ पर खून का धब्बा आज भी मौजूद है। बागियों ने आप रज़ि० को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया था। आप रज़ि० की ज़ौजा मोहतरमा नाईला रज़िअल्लाहुअन्हा ने आपको बचाना चाहा तो उनकी उँगलियाँ कट गईं और खून इन अल्फ़ाज़ पर पड़ा।]

आयत 138

“हमने तो इख़्तियार कर लिया है अल्लाह के रंग को।”

صِبْغَةَ اللَّهِ

“हमने तो इख़्तियार कर लिया है अल्लाह के रंग को।” “مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ” की तरह “صِبْغَةَ اللَّهِ” में भी मुज़ाफ़ की नसब बता रही है कि यह मुरक्कबे इज़ाफ़ी मफ़ऊल है और इसका फ़अल महज़ूफ़ है।

“और अल्लाह के रंग से बेहतर और किसका रंग होगा?”

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

“और हम तो बस उसी की बन्दगी करने वाले लोग हैं।”

وَنَحْنُ لَهُ غِبْدُونَ

आयत 139

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم इनसे) कहिये क्या तुम हमसे झगड़ रहे हो (दलील बाज़ी कर रहे हो) अल्लाह के बारे में?”

قُلْ أَمْحَا جُؤَنَاتِي فِي اللَّهِ

“हालाँकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी।”

وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

रब भी एक है और उसका दीन भी एक है, हाँ शरीअतों में फ़र्क़ ज़रूर हुआ है।

“और हमारे लिये होंगे हमारे अमल और तुम्हारे लिये होंगे तुम्हारे अमल।”

وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

“और हम तो खालिस उसी के हैं।”

وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

हम उसके लिये अपने आपको और अपनी बन्दगी को खालिस कर चुके हैं।

यहाँ पे-दर-पे आने वाले तीन अल्फ़ाज़ को नोट कीजिये। यह मक़ाम मेरे और आपके लिये लम्हा-ए-फ़िक्रिया है। आयत 136 इन अल्फ़ाज़ पर ख़त्म हुई थी: {وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} “हम उसी के सामने सरे तस्लीम ख़म करते हैं।” इनमें तो हम भी शामिल हैं। इसके बाद आयत 138 के इख़तताम पर यह अल्फ़ाज़ आये: {وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ} “और हम उस ही की बन्दगी करते हैं।” सिर्फ़ इस्लाम नहीं, इबादत यानि पूरी ज़िन्दगी में उसके हर हुक्म की पैरवी और इताअत दरकार है। इससे आगे यह बात आयी: {وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ} यह इबादत अगर इख़लास के साथ नहीं है तो मुनाफ़क़त है। इस इबादत से कोई दुनयवी मनफ़अत पेशे नज़र ना हो। “सौदागरी नहीं, यह इबादत खुदा की है!” दीन को दुनिया बनाने और दुनिया कमाने का ज़रिया बनाने से बढ कर गिरी हुई हरकत और कोई नहीं है। रसूल अल्लाह ﷺ का इशदि गरामी है:

((مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ))

“जिसने दिखावे के लिये नमाज़ पढी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिये रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिये सदका व खैरात किया उसने शिर्क किया।” (मसनद अहमद)

इन तीनों अल्फ़ाज़ को हज़े जान (तावीज़) बना लीजिये:

نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ، نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ! اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ!!

आयत 140

“क्या तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़ और याक़ूब और उनकी औलाद सब यहूदी थे या नसरानी थे?”

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصْرَى

तुम जो कहते हो कि यहूदी हो जाओ या नसरानी तब हिदायत पाओगे, तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या नसरानी? और इसहाक़, याक़ूब, युसुफ़, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? यही बात आज मुस्लमानों को सोचनी चाहिये कि मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ और आप ﷺ के असहाब रज़िअल्लाहुअन्हुम देवबन्दी थे, बरेलवी थे, अहले हदीस थे, या शिया थे? अल्लाह तआला के साथ इख़लास का तक्काज़ा यह है कि इन तक्सीमों से बालातर (ऊपर) रहा जाये। ठीक है एक शख्स किसी फ़िक्ही मसलक की पैरवी कर रहा है, लेकिन उस मसलक को अपनी शिनाख्त बना लेना, उसे दीन पर मुक़द्दम रखना, उस मसलक ही के लिये है सारी मेहनत व मशक्कत और भाग-दौड़ करना, और उसी की दावत व तब्लीग़ करना, दीन की असल हक़ीक़त और रूह के यक्सर (पूरी तरह से) खिलाफ़ है।

“कहिये: तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह?”

قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ

“और (कान खोल कर सुन लो) उस शख्स से बढ कर ज़ालिम और कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ़ से एक गवाही थी जिसे उसने छुपा लिया?”

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ

उलमाये यहूद जानते थे कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं, जिनके वह मुन्तज़िर थे। लेकिन वह इस गवाही को छुपाये बैठे थे।

“और अल्लाह हरगिज़ ग़ाफ़िल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो।”

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

आयत 141

“वह एक जमाअत थी जो गुज़र चुकी।”

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

यह उस मुक़द्दस जमाअत के गुले सरसब्द थे जिनका तज़क़िरा हुआ।

“उनके लिये है जो कमाई उन्होंने की और तुम्हारे लिये है जो कमाई तुमने की।”

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

जो अमल उन्होंने कमाये वह उनके लिये हैं, तुम्हारे लिये नहीं। तुम्हारे लिये वही होगा जो तुम कमाओगे।

“और तुमसे उनके आमाल के बारे में सवाल नहीं होगा।”

وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

तुमसे यह नहीं पूछा जायेगा कि उन्होंने क्या किया, तुमसे तो यह सवाल होगा कि तुमने क्या किया!

आयात 142 से 152 तक

سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا عَلَيْهَا قُلُوبَ اللَّهِ الْمَشْرُوقِ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۝ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۝ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ وَلِئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۝ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۝ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۝ وَلِئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۝ إِنَّكَ إِذًا لَلِنَاصِرِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۝ وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ۝ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ ۝ إِنَّ مِمَّا تَكُونُونَ يَأْتِيكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَنْ حَرَجْتَ قَوْلًا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۝ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۝ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمَنْ حَرَجْتَ قَوْلًا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۝ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۝ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۝ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۝ وَلَا تَمَّ يَعْبَدِي ۝ وَإِنَّمَا يَعْبُدِي لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ فَادْكُرُونِي أذْكُرْكُمْ ۝ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ۝

दो रुक़ों पर मशतमिल तम्हीद (प्रस्तावना) के बाद अब तहवीले क़िब्ला का मज़मन बराहे रास्त आ रहा है, जो पूरे दो रुक़ों पर फैला हुआ है। किसी के ज़हन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि यह कौनसी ऐसी बड़ी बात थी जिसके लिये क़ुरान मजीद में इतने शब्दों-मद (उत्साह) के साथ और इस क़दर तफ़्सील बल्कि तकरार के साथ बात की गयी है? इसको यूँ समझिये कि एक ख़ास मज़हबी ज़हनियत होती है, जिसके हामिल लोगों की तवज्जो आमाल के ज़ाहिर पर ज़्यादा मरकज़ हो जाती है और आमाल की रूह उनकी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनती। अवामन्नास का मामला बिल उमूम यही हो जाता है कि उनके यहाँ असल अहमियत दीन के ज़वाहिर (दिखावे) और मरासिमे उबूदियत (इबादत की रस्मों) को हासिल हो जाती है और जो असल रूहे दीन है, जो मक्कासिदे दीन हैं, उनकी तरफ़ तवज्जो नहीं होती। नतीजतन ज़वाहिर में ज़रा सा फ़र्क़ भी उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होता है। हमारे यहाँ इसकी मिसाल यूँ सामने आती है कि अहनाफ़ (हनफ़ियों) की मस्जिद में अगर किसी ने रफ़ा यदैन कर लिया या किसी ने आमीन ज़रा ऊँची आवाज़ में कह दिया तो गोया क़यामत आ गयी। यूँ महसूस हुआ जैसे हमारी मस्जिद में कोई और ही आ गया। इस मज़हबी ज़हनियत के पसमंज़र में यह कोई छोटा मसला नहीं था।

इसके अलावा यह मसला क़बाइली और क़ौमी पसमंज़र के हवाले से भी समझना चाहिये। मक्का मुकर्रमा में जो लोग ईमान लाये थे ज़ाहिर है उन सबको खाना काबा के साथ बड़ी अक़ीदत थी। खुद नबी अकरम صلی اللہ علیہ وسلم ने जब मक्का से हिजरत फ़रमायी तो आप صلی اللہ علیہ وسلم रोते हुए वहाँ से निकले थे और आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया था कि ऐ काबा! मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तेरे यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। मालूम होता है कि जब तक आप صلی اللہ علیہ وسلم मक्का में थे तो आप صلی اللہ علیہ وسلم काबा की जुनूबी (दक्षिणी) दीवार की तरफ़ रुख करके खड़े होते। यूँ आप صلی اللہ علیہ وسلم का रुख़ शिमाल (उत्तर) की तरफ़ होता, काबा आप صلی اللہ علیہ وسلم के सामने होता और उसकी सीध में बैतुल मुक़द्दस भी आ जाता। इस तरह “इस्तक़बाल अल क़िब्लतैन” का अहतमाम हो जाता। लेकिन मदीना में आकर आप صلی اللہ علیہ وسلم ने रुख़ बदल दिया और बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ने लगे। यहाँ “इस्तक़बाल अल क़िब्लतैन” मुमकिन ना था, इसलिये कि येरुशलम मदीना मुनव्वरा के शिमाल में है, जबकि मक्का मुकर्रमा जुनूब में है। अब अगर खाना काबा की तरफ़ रुख़ करेंगे तो येरुशलम की तरफ़ पीठ होगी और येरुशलम की तरफ़ रुख़ करेंगे तो काबा की तरफ़ पीठ होगी। चुनाँचे अब

अहले ईमान का इम्तिहान हो गया कि आया वह मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के फ़रमान की पैरवी करते हैं या अपनी पुरानी अक़ीदतों और पुरानी रिवायात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जो लोग मक्का मुकर्रमा से आये थे उनकी इतनी तरबियत हो चुकी थी कि उनमें से किसी के लिये यह मसला पैदा नहीं हुआ। बक़ौल इक़बाल:

ब-मुस्तफ़ा صلی اللہ علیہ وسلم ब-रसाँ ख़वेश रा कि दीं हमा ऊस्त

अगर बाव ना रसीदी तमाम बू लहबी ईस्त!

हालाँकि कुरान मजीद में कहीं मन्कूल नहीं है कि अल्लाह ने अपने नबी صلی اللہ علیہ وسلم को बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म दिया था। हो सकता है यह हुक्म वहिये ख़फ़ी के ज़रिये से दिया गया हो, ताहम वहिये जली में यह हुक्म कहीं नहीं है कि अब येरुशलम की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़िये। यह मुसलमानों का इत्तेबा-ए-रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के हवाले से एक इम्तिहान था जिसमें वह सुख़ रू हुए। फिर जब यह हुक्म आया कि अपने रुख़ मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर दो तो यह अब उन मुसलमानों का इम्तिहान था जो मदीना के रहने वाले थे। इसलिये कि उनमें से बाज़ यहूदियत तर्क तरके ईमान लाये थे। मसलन अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि० उल्माये यहूद में से थे, लेकिन जो और दूसरे लोग थे वह भी उल्माये यहूद के ज़ेरे असर थे और उनके दिल में भी येरुशलम की अज़मत थी। अब जब उन्हें बैतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म हुआ तो उनके ईमान का इम्तिहान हो गया।

मज़ीद बराँ बाज़ लोगों के दिलों में यह ख़याल भी पैदा हुआ होगा कि अगर असल क़िब्ला बैतुल्लाह था तो हमने अब तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ रुख़ करके जो नमाज़ें पढ़ी हैं उनका क्या बनेगा? क्या वह नमाज़ें ज़ाया हो गयीं। नमाज़ तो ईमान का रुकने रकीन है! चुनाँचे इस ऐतबार से भी बड़ी तशवीश पैदा हुई। इसके साथ ही एक मसला सियासी ऐतबार से यह पैदा हुआ कि यहूद अब तक यह समझ रहे थे कि मुसलमानों और मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم ने हमारा क़िब्ला इख़्तियार कर लिया है, तो यह गोया हमारे ही पैरोकार हैं, लिहाज़ा हमें इनकी तरफ़ से कोई ख़ास अन्देशा नहीं है। लेकिन अब जब तहवीले क़िब्ला का हुक्म आ गया तो उनके कान खड़े हो गये कि यह तो कोई नयी मिल्लत है और एक नयी उम्मत की तशकील हो रही है। चुनाँचे उनकी तरफ़ से मुखालफ़त के अन्दर शिद्दत पैदा हो गयी। यह सारे मज़ामीन यहाँ पर ज़ेरे बहस आ रहे हैं।

आयत 142

“अनक़रीब कहेंगे लोगों में से अहमक़ और बेवक़फ़ लोग”

سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

“किस चीज़ ने फेर दिया इन्हें उस क़िब्ले से जिस पर यह थे?”

مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا عَاجِلِينَ

यानि सौलह-सत्रह महीनों तक इन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ी है, अब इन्हें बैतुल्लाह की तरफ़ किसने फेर दिया?

“कह दीजिये कि अल्लाह ही के हैं मशरिक् और मगरिब!”

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

यह वही अल्फ़ाज़ हैं जो चौदहवें रुकूअ में तहवीले क़िब्ला की तम्हीद के तौर पर आये थे। अल्लाह तआला किसी एक सिम्त (दिशा) में महदूद नहीं हैं, बल्कि मशरिक् व मगरिब और शिमाल व जुनूब सब उसी के हैं।

“वह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत दे देता है।”

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

आयत 143

“और (ऐ मुसलमानों!) इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त (दरमियानी उम्मत) बनाया है”

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

अब यह ख़ास बात कही जा रही है कि ऐ मुसलमानों! तुम इस तहवीले क़िब्ला को मामूली बात ना समझो, यह अलामत है इस बात की कि अब तुम्हें वह हैसियत हासिल हो गई है:

“ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो”

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

अब यह तुम्हारा फ़र्ज मन्सबी (कर्तव्य) है कि रसूल ﷺ ने जिस दीन की गवाही तुम पर अपने क़ौल व अमल से दी है उसी दीन की गवाही तुम्हें अपने क़ौल और अमल से पूरी नौए इंसानी पर देनी है। अब तुम मुहम्मद रसूल ﷺ और नौए इंसानी के दरमियान वास्ता (link) बन गये हो। अब तक नबुवत का सिलसिला जारी था। एक नबी की तालीम ख़त्म हो जाती या उसमें तहरीफ़ हो जाती तो दूसरा नबी आ जाता। इस तरह पे दर पे अम्बिया व रसूल अलै० चले आ रहे थे और हर दौर में यह मामला तसलसुल (निरंतरता) के साथ चल रहा था। अब मुहम्मद रसूल ﷺ पर नबुवत ख़त्म हो रही है, लेकिन नस्ले इंसानी का सिलसिला तो क़यामत तक जारी रहना है। लिहाज़ा अब आगे लोगों को तब्लीग़ करना, उन तक दीन पहुँचाना, उन पर हुज्जत क़ायम करना और शहादत अलन्नास का फ़रीज़ा सर अंजाम देना किसकी ज़िम्मेदारी होगी? पहले तो हमेशा यही होता रहा कि अल्लाह की तरफ़ से जिब्राइल अलै० वही लाये और नबी के पास आ गये, नबी ने लोगों को सिखा दिया। अब यह मामला इस तरह है कि अल्लाह से जिब्राइल अलै० वही लाये मुहम्मद रसूल ﷺ के पास और मुहम्मद रसूल ﷺ ने सिखाया तुम्हें, और अब तुम्हें सिखाना है पूरी नौए इंसानी को! तो अब तुम्हारी हैसियत दरमियानी वास्ते की है। यह मज़मून सूरतुल हज़ की आख़री आयत में ज़्यादा वज़ाहत के साथ आयेगा।

(इसी तरह) से मराद यह है कि तहवीले क़िब्ला इसका एक मज़हर (प्रदर्शन) है। इससे अब तुम अपनी ज़िम्मेदारियों का अंदाज़ा करो। सिर्फ़ ख़शियाँ ना मनाओ, बल्कि एक बहत बड़ी ज़िम्मेदारी का जो बोझ तुम पर आ गया है उसका इदराक (अहसास) करो। यही बोझ जब हमने अपने बंदे मुहम्मद रसूल ﷺ के कंधों पर रखा था तो उनसे भी कहा था (अल मज़ज़मिल:5): { إِنَّا سَأَلْنَا عَلَيْكَ } “(ऐ नबी! ﷺ) हम आप पर एक भारी बात डालने वाले हैं।” वही भारी बात बहुत बड़े पैमाने पर अब तुम्हारे कंधों पर आ गई है।

“और नहीं मुकर्रर किया था हमने वह क़िब्ला जिस पर (ऐ नबी!) आप पहले थे”

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا

“मगर यह जानने के लिये (यह ज़ाहिर करने के लिये) कि कौन रसूल ﷺ का इत्तेबा करता है और कौन फिर जाता है उल्टे पाँव!”

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ

यहाँ अल्लाह तआला ने बैतल मक़द़स को क़िब्ला मुकर्रर करने की निस्बत अपनी तरफ़ की है। यह भी हो सकता है कि अल्लाह तआला ने हिजरत के बाद वहिये ख़फ़ी के ज़रिये नबी अकरम ﷺ को बैतल मक़द़स की तरफ़ रख करके नमाज़ पढ़ने का हुक़म दिया हो, और यह भी हो सकता है कि यह आँहज़र ﷺ का इज्तेहाद (विचार) हो, और उसे अल्लाह ने क़बूल फ़रमा लिया हो। रसूल अल्लाह ﷺ के इज्तेहाद पर अगर अल्लाह की तरफ़ से नफ़ी ना आये तो वह गोया अल्लाह ही की तरफ़ से है। बैतल मक़द़स को क़िब्ला मुकर्रर किया जाना एक इम्तिहान करार दिया गया कि कौन इत्तेबा-ए-रसूल ﷺ की रविश पर ग़ामजन रहता है और कौन दीन से फिर जाता है। इस आज़माइश में तमाम मुसलमान कामयाब रहे और उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि ठीक है, हमारा क़िब्ला वह था, अब आपने अपना क़िब्ला बदल लिया है तो आपका रास्ता और है और हमारा रास्ता और!

“और यक़ीनन यह बहुत बड़ी बात थी मगर उनके लिये (दुश्वार ना थी) जिनको अल्लाह ने हिदायत दी।”

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

वाक़्या यह है कि इतनी बड़ी तब्दीली कुबूल कर लेना आसान बात नहीं होती। यह बड़ा हस्सास मसला होता है।

“और अल्लाह हरग़िज़ तुम्हारे ईमान को ज़ाया करने वाला नहीं है।”

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيمَانَكُمْ

ईमान से यहाँ मराद नमाज़ है जिसे दीन का सतन करार दिया गया है। यह बात उस तशवीश (चिंता) के जवाब में फ़रमायी गयी जो बाज़ मुसलमानों को लाहक़ हो गयी थी कि हमारी उन नमाज़ों का क्या बनेगा जो हमने सौलह महीने बैतल मक़द़स की तरफ़ रख करके पढ़ी हैं? मुसलमान तो रसूल अल्लाह ﷺ के हुक़म का पाबंद है, उस वक़्त रसूल का वह हुक़म था, वह अल्लाह के यहाँ मक़बूल ठहरा, इस वक़्त यह हुक़म है जो तुम्हे रसूल की जानिब से मिल रहा है, अब तुम इसकी पैरवी करो।

“यक़ीनन अल्लाह तआला इंसानों के हक़ में बहुत ही शफ़ीक़ और बहुत ही रहीम है।”

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ

आयत 144

“(ऐ नबी ﷺ!) विला शुबह हम आपके चेहरे का बार-बार आसमान की तरफ़ उठाना देखते रहे हैं।”

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

मालम होता है कि ख़द रसूल अल्लाह ﷺ को तहवीले क़िब्ला के फ़ैसले का इन्तेज़ार था और आप ﷺ पर भी यह वक़फ़ा (अन्तराल) शाक़ (कठिन) ग़ज़र रहा था जिसमें नमाज़ पढ़ते हुए बैतल्लाह की तरफ़ पीठ हो रही थी। चनाँचे आपकी निगाहें बार-बार आसमान की तरफ़ उठती थीं कि कब जिब्रीले अमीन तहवीले क़िब्ला का हुक़म लेकर नाज़िल हों।

“सो हम फेर देते हैं आपको उसी क़िबले की तरफ़ जो आपको पसंद है।”

فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

इस आयत में मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ के लिये अल्लाह की तरफ़ से बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त और बड़ी इनायत का इज़हार हो रहा है। ज़ाहिर बात है कि रसूल अल्लाह ﷺ को बैतल्लाह के साथ बड़ी मोहब्बत थी, उसके साथ आप ﷺ का एक रिश्ता क़ल्बी था।

“तो बस अब फेर दीजिये अपने रुख को मस्जिदे हराम की तरफ़!”

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“और (ऐ मुसलमानों!) जहाँ कहीं भी तुम हो अब अपना चेहरा (नमाज़ में) उसी की तरफ़ फेरा”

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“और यह लोग जिन्हें किताब दी गई थी, जानते हैं कि यह (तहवीले क़िब्ला का हुक्म) हक़ है उनके परवरदिगार की तरफ़ से।”

وَأَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

तौरात में भी यह मज़कूर था कि असल क़िब्ला इब्राहिमी अलै० बैतुल्लाह ही था। बैतुल मुक़द्दस को तो हज़रत इब्राहिम अलै० के एक हज़ार साल बाद हज़रत सुलेमान अलै० ने तामीर किया था, जिसे “हैकले सुलेमानी” से मौसम (मनोनीत) किया जाता है। अलै० से मराद यहाँ बैतुल्लाह का इस उम्मत के लिये क़िब्ला होना है। इस बात का हक़ होना और अल्लाह तआला की तरफ़ से होना यहद पर बाज़ेह था और इसके इशारात व क़राइन (सबत) तौरात में मौजूद थे, लेकिन यहद अपने हसद और अनाद (विरोध) के सबब इस हक़ीक़त को भी दूसरे बहत से हक़ाइक़ की तरह जानते-बझते छपाते थे। इस मौज़ को समझने के लिये मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही साहब का रिसाला (पत्रिका) “الرأي الصحيح” बहुत अहम है, जिसका उर्दू तर्जुमा मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब ने “ज़बीह कौन है?” के उन्वान से किया है।

“और अल्लाह ग़ाफ़िल नहीं है उससे जो वह कर रहे हैं।”

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“और (ऐ नबी ﷺ!) अगर आप इन अहले किताब के सामने हर क्रिस्म की निशानियाँ पेश कर दें तब भी यह आपके क़िब्ले की पैरवी नहीं करेंगे।”

وَلَيْنِ اتَّبَعَتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ

“और ना ही अब आप पैरवी करने वाले हैं इनके क़िब्ले की।”

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ

यह तो {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} वाला मामला हो गया।

“और ना ही वह एक-दूसरे के क़िब्ले की पैरवी करने वाले हैं।”

وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

हद यह है कि यह खुद आपस में एक-दूसरे के क़िब्ले की पैरवी नहीं करते। अगरचे यहूद व नसारा सबका क़िब्ला येरुशलम है, लेकिन ऐन येरुशलम में जाकर यहूदी हैकल सुलेमानी का मगरबी गोशा इख्तियार करते थे और मगरिब की तरफ़ रुख़ करते थे, जबकि नसारा मशरिक् की तरफ़ रुख़ करते थे, इसलिये कि हज़रत मरियम सलामुनअलैहा ने जिस मकान में ऐतकाफ़ किया था और जहाँ फ़रिश्ता उनके पास आया था वह हैकल के मशरिक् गोशे में था, जिसके लिये कुरान हकीम में “مَكَانًا شَرْفِيًّا” का लफ़ज़ आया है। ईसाईयों ने इसी मशरिक् घर को अपना क़िब्ला बना लिया।

“और (ऐ नबी ﷺ! बिलफ़ज़) अगर आपने इनकी ख़्वाहिशात की पैरवी की”

وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

“उस इल्म के बाद जो आप के पास आ चुका है”

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

“तो बिला शुबह आप भी जुल्म करने वालों में से हो जायेंगे।” (मआज़ अल्लाह)

إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

आयत 146

“जिन लोगों को हमने किताब दी है वह इसको ऐसे पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं।”

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ

यहाँ यह नुक्ता नोट कर लीजिये कि कुरान हकीम में तौरात और इंजील के मानने वालों में से ग़लतकारों के लिये मजहूल का सीगा आता है {أُوْتُوا الْكِتَابَ} “जिन्हें किताब दी गई थी” और जो उनमें से सालेहीन थे, सही रुख़ पर थे, उनके लिये मारुफ़ का सीगा आता है, जैसे यहाँ आया है। {يَعْرِفُونَهُ} में ज़मीर (6) का मरजा क़िब्ला भी है, कुरान भी है और मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ भी हैं।

“अलबत्ता उनमें से एक ग़िरोह वह है”

وَأَنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ

“जो जानते-बूझते हक़ को छुपाता है।”

لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

आयत 147

“यह हक़ है आप ﷺ के रब की तरफ़ से”

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

इसका तर्जुमा यूँ भी किया गया है: “हक़ वही है जो आपके रब की तरफ़ से है।”

“तो आप हरगिज़ शक़ करने वालों में से ना बनें।”

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُبْتَدِرِينَ

ख़िताब का रुख़ रसूल अल्लाह ﷺ की तरफ़ है और आप ﷺ की वसातत (ज़रिये) से दरअसल हर मुसलमान से यह बात कही जा रही है कि इस बारे में कोई शक़ व शुबह अपने पास मत आने दो कि यही तो हक़ है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से।”

आयत 148

“हर एक के लिये एक सिस्त है जिसकी तरफ़ वह रुख़ करता है”

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا

“तो (मुसलमानों!) तुम नेकियों में सबक़त (बढत) करो।”

فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ

हमने तुम्हारे लिये एक रुख़ मुअय्यन कर दिया, यानि बैतुल्लाह। और एक बातिनी रुख़ तुम्हें यह इख़ितयार करना है कि नेकियों की राह में एक-दूसरे से आगे बढने की कोशिश करो। जैसे नमाज़ का एक ज़ाहिर और एक बातिन है। ज़ाहिर यह है कि आपने बावुजू होकर क़िबले की तरफ़ रुख़ कर लिया और अरकाने नमाज़ अदा किये, जबकि नमाज़ का बातिन खुशुअ व खुजूअ, हुज़ूरे क़ल्ब और रक़त है। इंसान को यह अहसास हो कि वह परवरदिगारे आलम के रू-ब-रू हाज़िर हो रहा है।

“जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको जमा करके ले आयेगा।”

أَيْنَ مَا تَكُونُوا آيَاتُ اللَّهِ جَمِيعًا

“यक़ीनन अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।”

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

आयत 149

“और जहाँ कहीं से भी आप صلی اللہ علیہ وسلم निकलें तो (नमाज़ के वक़्त) आप अपना रुख़ फेर लीजिये मस्जिदे हराम की तरफ़।”

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“और यक़ीनन यह हक़ है आप صلی اللہ علیہ وسلم के रब की तरफ़ से”

وَإِنَّ لِلْعَقْلِ مِنْ رَبِّكَ

“और अल्लाह ग़ाफ़िल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो।”

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

जैसा कि पहले अर्ज़ किया गया, यहाँ कलाम बज़ाहिर आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से है, मगर असल में आप صلی اللہ علیہ وسلم की वसातत से तमाम मुसलमानों से ख़िताब है। दोबारा फ़रमाया गया:

आयत 150

“और जहाँ कहीं से भी आप निकलें तो आप अपना रुख़ (नमाज़ के वक़्त) मस्जिदे हराम ही की तरफ़ कीजिये।”

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“और (ऐ मुसलमानों!) जहाँ कहीं भी तुम हो तो (नमाज़ के वक़्त) अपने चेहरों को उसी की जानिब फेर दो”

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

तुम ख्वाह अमेरिका में हो या रूस में, नमाज़ के वक़्त तुम्हें बैतुल्लाह ही की तरफ़ रुख़ करना होगा।

“ताकि बाक़ी ना रहे लोगों के पास तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई दलील”

لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

यानि अहले किताब बिलखुसूस यहूद के लिये तुम्हारे ख़िलाफ़ बदगुमानी फैलाने का कोई मौक़ा बाक़ी ना रह जाये। तौरात में मज़कूर था कि नबी आखिररुज़्जमा का क़िब्ला ख़ाना काबा होगा। अगर आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم यह क़िब्ला इख़्तियार ना करते तो उल्माये यहूद मुसलमानों पर हुज्जत क़ायम करते। तो यह गोया उनके ऊपर इत्मा मे हुज्जत भी हो रहा है और क़ता उज़र भी।

“सिवाय उनके जो उनमें से ज़ालिम हैं।”

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

शरीर (दुष्ट) लोग इस क़ता हुज्जत के बाद भी बाज़ आने वाले नहीं और वह ऐतराज़ करने के लिये लाख हीले बहाने बनाएँगे, उनकी ज़बान किसी हाल में बंद ना होगी।

“तो (ऐ मुसलमानों!) उनसे ना डरो”

فَلَا تَخْشَوْهُمْ

“और मुझसे डरो।”

وَإِخْشَوْنِي

“और इसलिये कि मैं तुम पर अपनी नेअमत तमाम कर दूँ”

وَلَأَتِمَّنَّاعْتَبِي عَلَيْكُمْ

यह जो तहवीले क़िब्ला का मामला हुआ है और मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की बेअसत की बुनियाद पर एक नयी उम्मत तश्कील दी जा रही है, उसे इमामतुन्नास से सरफ़राज़ किया जा रहा है और विरासते इब्राहिमीअलै० अब इसे मुन्तक़िल हो गयी है, यह इसलिये है ताकि ऐ मुसलमानों! मैं तुम पर अपनी नेअमत पूरी कर दूँ।

“और ताकि तुम हिदायत याफ़ता बन जाओ।”

وَلَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ

आयत 151

“जैसे कि हमने भेज दिया है तुम्हारे दरमियान एक रसूल खुद तुम में से”

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ

“वह तिलावत करता है तुम पर हमारी आयात”

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

“और तुम्हें पाक करता है” (तुम्हारा तज़किया करता है)

وَيُزَكِّيكُمْ

“और तुम्हें तालीम देता है किताब और हिकमत की”

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

“और तुम्हें तालीम देता है उन चीज़ों की जो तुम्हें मालूम नहीं थीं”

وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥٠﴾

यहाँ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलै० की दुआ याद कर लीजिये जो आयत 129 में मज़कूर हुई है। उस दुआ का ज़हूर तीन हज़ार बरस बाद बेअसते मुहम्मदी عليه السلام की शकल में हो रहा है। यहाँ एक नुक्ता बड़ा अहम है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलै० की दुआ में जो तरतीब थी, यहाँ अल्लाह ने उसको बदल दिया है। दुआ में तरतीब यह थी: तिलावते आयात, तालीमे किताब व हिकमत, फिर तज़किया। यहाँ पहले तिलावते आयात, फिर तज़किया और फिर तालीमे किताब व हिकमत आया है। ज़ाहिर बात है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलै० ने जो बात कही वह भी ग़लत तो नहीं हो सकती, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इसकी तन्फ़ीज़शुदा (imposed) सूरत यह है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से दी गयी। इसलिये कि तज़किया मुक़द्दम है, अगर नीयत सही नहीं है तो तालीमे किताब व हिकमत मुफ़ीद नहीं होगी, बल्कि गुमराही में इज़ाफ़ा होगा। नीयत कज (टेढ़ी) है तो गुमराही बढ़ती चली जायेगी। तज़किये का हासिल इख़लास है, यानि नीयत दुरुस्त हो जाये। अगर यह नहीं है तो कोई जितना बड़ा आलिम होगा वह उतना

बड़ा शैतान भी बन सकता है। वाक़्या यह है कि बड़े-बड़े फ़ितने आलिमों ने ही उठाये हैं। “दीने अकबरी” या “दीने इलाही” की तद्वीन का ख़याल तो अकबर के बाप दादा को भी नहीं आ सकता था, यह तो अबुल फ़ज़ल और फ़ैज़ी जैसे उलमा थे जिन्होंने उसे यह पट्टी पढ़ाई। इसी तरह गुलाम अहमद क़ादयानी को भी उल्टी पट्टियाँ पढ़ाने वाला हकीम नूरुद्दीन था, जो बहुत बड़ा अहले हदीस आलिम था। तो दरहक़ीक़त कोई जितना बड़ा आलिम होगा अगर उसकी नीयत कज हो गई तो वह उतना ही बड़ा फ़ितना उठा देगा। इस पहलु से तज़किया मुक़द्दम है। और इसका सबूत यह है कि यही मज़मून सूरह आले इमरान में और फिर सूरतुल जुमा में भी आया है, वहाँ भी तरतीब यही है:

(1) तिलावते आयात

(2) तज़किया

(3) तालीमे किताब व हिकमत।

आयत 152

“पस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा”

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ

यह अल्लाह तआला और बंदों के दरमियान एक बहुत बड़ा मीसाक़ और मुआहिदा है। इसकी शरह (विवरण) हदीसे कुदसी में बाअलफ़ाज़ आयी है: ((إِنَّا مَعَهُ إِذَا دُكِّرْتُمْ، فَإِنْ دُكِّرْتُمْ فِي نَفْسِهِمْ دُكِّرْتُمْ فِي نَفْسِي، وَإِنْ دُكِّرْتُمْ فِي مَلَأِ دُكِّرْتُمْ فِي مَلَأِ حَبِيرٍ مِّنْهُمْ)) (16) “मेरा बंदा जब मुझे याद करता है तो मैं उसके पास होता हूँ, अगर वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने जी में याद करता हूँ, और अगर वह मुझे किसी महफ़िल में याद करता है तो मैं उसे उससे बहुत बेहतर महफ़िल में याद करता हूँ।” उसकी महफ़िल तो बहुत बुलंद व बाला है, वह मला-उल-आला की महफ़िल है, मलाइका मुकर्रबीन की महफ़िल है। अमीर खुसरो मालूम नहीं किस आलम में ये शेर कह गये थे:

खुदा खुद मेरे महफ़िल बुद अंदर ला मकान खुसरो
मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم शमा महफ़िल बुद शब जाये कि मन बुदम!

“और मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुकी मत करना।”

وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ۝

मेरी नेअमतों का इदराक करो, उनका शऊर हासिल करो। ज़बान से भी मेरी नेअमतों का शुक्र अदा करो और अपने अमल से भी, अपने आज़ा व जवारह (अंगों) से भी इन नेअमतों का हक़ अदा करो।

यहाँ इस सूरह मुबारक का निस्फ़े अब्बल मुकम्मल हो गया है जो अट्टारह रुकूओं पर मुश्तमिल है।

आयात 153 से 163 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِسُنْئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ لَكُمْ أَنُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّا لَنُؤَابُ الرَّحِيمِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ خُلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝ وَالْهَٰكِمُ إِلَهُ ۝ وَاجِدْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

सूरतुल बकरह के उन्नीसवें रुकूअ से अब उम्मत मुस्लिमा से बराहे रास्त खिताब है। इससे कब्ल इस उम्मत की गर्जे तासीस (स्थापना) बाअल्फ़ाज़ बयान की जा चुकी है: {لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (आयत:143) “ताकि तुम लोगों पर गवाही देने वाले बनो और रसूल ﷺ तुम पर गवाही देने वाले बने।” गोया अब तुम हमेशा-हमेश के लिये मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ और नौए इंसानी के दरमियान वास्ता हो। एक हदीस में उल्माये हक़ के बारे में फ़रमाया गया है: ((إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ)) (17) “यक्रीनन उलमा ही अम्बिया के वारिस है।” इसलिये कि अब नबुवत तो ख़त्म हो गई ख़ातिमुल मुर्सलीन मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर, लेकिन यह आख़री किताब क़यामत तक रहेगी, इसको पहुँचाना है, इसको आम करना है, और सिर्फ़ तब्लीग़ से नहीं अमल करके दिखाना है। वह निज़ाम अमलन क़ायम करके दिखाना है जो मुहम्मद अरबी ﷺ ने क़ायम किया था, तब हुज्जत क़ायम होगी। इसके लिये तुम्हें कुर्बानियाँ देनी होंगी, मुशिकलात झेलनी होंगी, जान व माल का नुक़सान बर्दाश्त करना होगा। आराम से घर बैठे, ठन्डे पेटों हक़ नहीं आ जायेगा, कुफ़्र इस तरह जगह नहीं छोड़ेगा। कुफ़्र को हटाने के लिये, बातिल को ख़त्म करने के लिये और हक़ को क़ायम करने के लिये तुम्हें तन-मन-धन लगाने होंगे। चुनाँचे अब पुकार आ रही है:

आयत 153

“ऐ ईमान वालो! सब्र और नमाज़ से मदद चाहो।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

पाँचवें रुकूअ की सात आयतों को मैंने बनी इसराइल से खिताब के ज़िम्न में बमज़िला-ए-फ़ातिहा करार दिया था। वहाँ पर यह अल्फ़ाज़ आये थे:

“और मदद चाहो सब्र और नमाज़ से, और यक्रीनन यह भारी चीज़ है मगर उन लोगों के लिये जो डरने वाले हैं, जो गुमान रखते हैं कि

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ الَّذِينَ

वह अपने रब से मुलाक़ात करने वालों हैं और वह उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं।”

يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رُجُوعُونَ ﴿١٥٤﴾

अब यही बात अहले ईमान से कही जा रही है।

“जान लो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।”

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

अल्लाह तआला की मईयत (साथ) से क्या मुराद है! एक बात तो मुत्तफ़िक़ अलैय है कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद (समर्थन), अल्लाह की नुसरत उनके शामिले हाल है। बाक़ी यह है कि जहाँ कहीं भी हम हैं अल्लाह हमारे साथ है। उसकी कैफ़ियत हम नहीं जानते, लेकिन खुद उसका फ़रमान है कि “हम तो इंसान से उसकी रगेजान से भी ज़्यादा करीब हैं।”(कॉफ़: 16)

आयत 154

“और मत कहो उनको जो अल्लाह की राह में क़त्ल हो जाएँ कि वह मुर्दा हैं।”

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ

अब पहले ही क़दम पर अल्लाह की राह में क़त्ल होने की बात आ गई “शर्ते अब्वल क़दम ई अस्त कि मज़नून बाशी!” ईमान का अब्वलीन तक्राज़ा यह है कि जानें देने के लिये तैयार हो जाओ।

“(वो मुर्दा नहीं हैं) बल्कि जिन्दा हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है।”

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٦﴾

जो अल्लाह की राह में क़त्ल हो जाएँ उनको जन्नत में दाख़िले के लिये यौमे आख़िरत तक इन्तेज़ार नहीं करना होगा, शहीदों को तो उसी वक़्त बराहे रास्त जन्नत में दाख़िला मिलता है, लिहाज़ा वह तो जिन्दा हैं। यही मज़मून सूरह आले इमरान में और ज़्यादा निख़र कर सामने आयेगा।

आयत 155

“और हम तुम्हें लाज़िमन आज़माएँगे किसी क़द्र ख़ौफ़ और भूख से”

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

देख लो, जिस राह में तुमने क़दम रखा है यहाँ अब आज़माइशें आयेंगी, तकलीफ़ें आयेंगी। रिश्तेदार नाराज़ होंगे, शौहर और बीबी के दरमियान तफ़रीक़ होगी, औलाद वालिदैन से जुदा होगी, फ़साद होगा, फ़तूर होगा तसादुम होगा, जान व माल का नुक़सान होगा। हम ख़ौफ़ की कैफ़ियत से भी तुम्हारी आज़माइश करेंगे और भूख से भी। चुनाँचे सहाबा किराम रज़ि० ने कैसी-कैसी सख़्तियाँ झेलीं और कई-कई रोज़ के फ़ाक़े बर्दाशत किये। ग़ज़वा-ए-अहज़ाब में क्या हालात पेश आये हैं! उसके बाद जैशुल असरा (ग़ज़वा-ए-तबूक) में क्या कुछ हुआ है!

“और मालों और जानों और समारात (फ़लों) के नुक़सान से।”

وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

माली और जानी नुक़सान भी होंगे और समारात का नुक़सान भी होगा। “समारात” यहाँ दो मायने दे रहा है। मदीने वालों की मईशत (अर्थव्यवस्था) का दारोमदार ज़राअत (कृषि) और बाग़वानी पर था। खासतौर पर खज़ूर उनकी पैदावार थी, जिसे आज की इस्तलाह में cash crop कहा जायेगा। अब ऐसा भी हुआ कि फ़सल पक कर तैयार खड़ी है और अगर उसे दरख़्तों से उतारना गया तो ज़ाया हो जायेगी, उधर से ग़ज़वा-ए-तबूक का हुक़म आ गया कि निकलो अल्लाह की राह में! तो यह इम्तिहान है समारात के नुक़सान का। इसके अलावा समारात का एक और मफ़हूम है। इंसान बहुत मेहनत करता है, ज़दो-जहद करता है, एक कैरियर अपनाता है और उसमें अपना एक मक़ाम बना लेता है। लेकिन जब वह दीन के रास्ते पर आता है तो कुछ और ही शक़ल इख़्तियार करनी पड़ती है। चुनाँचे अपनी तिजारत के ज़माने में या किसी प्रोफ़ेशन में अपना मक़ाम बनाने में उसने जो मेहनत की थी वह सब की सब

सिफ़र होकर रह जाती है, और अपनी मेहनत के समारात से बिल्कुल तहे दामन होकर उसे इस वादी में आना पड़ता है।

“और (ऐ नबी ﷺ!) बशारत दीजिये इन सन्न करने वालों को।”

وَأَشْرِ الضَّالِّينَ

आयत 156

“वह लोग कि जिनको जब भी कोई मुसीबत आये”

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ

“तो वह कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ़ हमें लौट जाना है।”

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

आखिरकार तो यहाँ से जाना है, अगर कल की बजाये हमें आज ही बुला लिया जाये तब भी हाज़िर हैं। बक्रौल इक्रबाल:

निशाने मर्दे मोमिन वा तो गोयम

चूँ मर्ग आयद तबस्सुम वर लबे ऊस्त!

यानि मर्दे मोमिन की तो निशानी ही यही है कि जब मौत आती है तो मुसरत (खुशी) के साथ उसके होठों पर मुस्कराहट आ जाती है। वह दुनिया से मुस्कराता हुआ रुखसत होता है। यह ईमान की अलामत है और बंदा-ए-मोमिन इस दुनिया में ज़्यादा देर तक रहने की ख्वाहिश नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि वह दुनिया में जो लम्हा भी गुज़ार रहा है उसे इसका हिसाब देना होगा। तो जितनी उम्र बढ़ रही है हिसाब बढ़ रहा है। चुनाँचे हदीस में दुनिया को मोमिन के लिये कैदखाना और काफ़िर के लिये जन्नत करार दिया गया है: ((الذُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ ((جَنَّةُ الْكَافِرِ (18)

आयत 157

“यही हैं वह लोग कि जिन पर उनके रब की इनायतें हैं और रहमता”

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

इन पर हर वक़्त अल्लाह की इनायतों का नुज़ूल होता रहता है और रहमत की बारिश होती रहती है।

“और यही लोग हिदायत याफ़ता हैं।”

وَأُولَئِكَ هُمُ الْبُهْتَامُونَ

यह वह लोग हैं जिन्होंने वाक़िअतन हिदायत को इख़्तियार किया है। और जो ऐसे मरहले पर ठिठक कर खड़े रह जायें, पीछे हट कर बैठ जायें, पीठ मोड़ लें तो गोया वह हिदायत से तहे दामन हैं।

आयत 158

“यक्रीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह के शआइर (निशानियों) में से हैं।”

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ

यह आयत असल सिलसिला-ए-बहस यानि क़िब्ले की बहस से मुताल्लिक है। बाज़ लोगों के ज़हनों में यह सवाल पैदा हुआ कि हज के मनासिक में यह जो सफ़ा और मरवा की सई है तो इसकी क्या हक़ीक़त है? फ़रमाया कि यह भी अल्लाह के शआइर में से हैं। शआइर, शईराह की जमा है जिसके मायने ऐसी चीज़ के हैं जो शऊर बख़्शे, जो किसी हक़ीक़त का अहसास दिलाने वाली और उसका मज़हर और निशान हो। चुनाँचे वह मज़ाहिर जिनके साथ उलुल अज़म पैगम्बरों या उलुल अज़म औलिया अल्लाह के हालात व वाक़िआत का कोई ज़हनी सिलसिला क़ायम होता हो और जो अल्लाह और रसूल ﷺ की तरफ़ से बतौर एक निशान और अलामत मुक़रर किये गये हों शआइर कहलाते हैं। वह गोया बाज़ मानवी हक़ाइक़ का शऊर दिलाने वाले और ज़हन को अल्लाह की तरफ़ ले जाने वाले होते हैं। इस ऐतबार से बैतुल्लाह, हज़्रे अस्वद, जमरात और सफ़ा व मरवा अल्लाह तआला के शआइर में से हैं।

“तो जो कोई भी बैतुल्लाह का हज करे या उमरा करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है कि उन दोनों का तवाफ़ भी करे।”

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

सफ़ा व मरवा के तवाफ़ से मराद वह सर्ई है जो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सात चक्करों की सूरत में की जाती है।

“और जो शख्स खुशदिली से कोई भलाई का काम करत है”

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

“तो (जान लो कि) अल्लाह बडा क्रद्रदान है, जानने वाला है।”

فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

यहाँ अल्लाह तआला के लिये लफ़्ज़ “शाकिर” आया है। लफ़्ज़ शक्र की निस्बत जब बंदे की तरफ़ हो तो इसके मायने शक्रगज़ारी और अहसानमंदी के होते हैं। लेकिन जब इसकी निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ हो तो इसके मायने क्रद्रदानी और क़बूल करने के हो जाते हैं। “शाकिर” के साथ दूसरी सिफ़त “अलीम” आई है कि वह सब कुछ जानने वाला है। चाहे किसी और को पता ना लगे उसे तो ख़ब मालूम है। अगर तमने अल्लाह की रज़ाजोई के लिये किसी को कोई माली मदद दी है, इस हाल में कि दाहिने हाथ ने जो कुछ दिया है उसकी बायें हाथ को भी ख़बर नहीं होने दी, बजाय यह कि किसी और इंसान के सामने उसका तज़क़िरा हो, तो यह अल्लाह के तो इल्म में है, चनाँचे अगर अल्लाह से अज़्रो सवाब चाहते हो तो अपनी नेकियों का ढिँढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तमने यह सब कुछ लोगों को दिखाने के लिये किया था तो गोया वह शिर्क हो गया।

आयत 159

“यक्रीनन वह लोग जो छुपाते हैं उस शय को जो हमने नाज़िल की बय्यिनात में से और हिदायत में से”

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

“बाद इसके कि हमने उसको वाज़ेह कर दिया है लोगों के लिये किताब में”

وَمِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ

“तो वही लोग हैं कि जिन पर लानत करता है अल्लाह और लानत करते हैं तमाम लानत करने वाले।”

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

इस आयत में यहूद की तरफ़ इशारा है, जिनकी मआनदाना (दुश्मनी की) रविश का ज़िक्र पहले गुज़र चुका है। यहाँ अब गोया आखरी क़तई सफ़ाई (mopping up operation) के तौर पर उनके बारे में चंद बातों का मज़ीद इज़ाफ़ा किया जा रहा है। यहाँ बय्यिनात और हुदा से ख़ास तौर पर वह निशानियाँ मुराद हैं जो अल्लाह तआला ने तौरात में नबी आख़िरुज़मा صلی اللہ علیہ وسلم के बारे में यहूद की रहनुमाई के लिये वाज़ेह फ़रमायी थी। लेकिन यहूद ने उन निशानियों से रहनुमाई हासिल करने के बजाय उनको छुपाने की कोशिश की। आयत 140 में हम पढ़ आये हैं: { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ } “और उस शख्स से बढ कर ज़ालिम और कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ़ से एक गवाही थी जिसे उसने छुपा लिया।” यहाँ इसकी वज़ाहत हो रही है कि तौरात और इंजील में कैसी-कैसी खुली शहादते थीं, और उनको यह छुपाये फिर रहे हैं!

आयत 160

“सिवाय उनके जो तौबा करें और इस्लाह कर लें और (जो कुछ छुपाते थे उसे) वाज़ेह तौर पर बयान करने लगे”

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا

“तो उनकी तौबा में कुबूल करूँगा।”

فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ

मैं अपनी निगाहे उल्लफ़ात (प्यार भारी निगाह) उनकी तरफ़ मुतवज्जह कर दूँगा।

“और मैं तो हूँ ही तौबा का कुबूल करने वाला,
रहम फ़रमाने वाला।”

وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

आयत 161

“यक्रीनन जिन लोगों ने कुफ़ किया और वह इसी हाल में मर गये कि कुफ़ पर कायम थे”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

“उन पर लानत है अल्लाह की भी और फ़रिश्तों की भी और तमाम इंसानों की भी।”

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

आयत 162

“इसी (लानत की कैफ़ियत) में वह हमेशा रहेंगे।”

خَالِدِينَ فِيهَا

“ना उन पर से अज़ाब में कोई कमी की जायेगी”

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

“और ना उनको मोहलत ही मिलेगी।”

وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

अज़ाब का तसलसुल हमेशा कायम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ज़रा सी देर के लिए बक़्फ़ा हो जाये या साँस लेने की मोहलत ही मिल जाये।

आयत 163

“और तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है।”

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَالْإِجْرَاءُ

“उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, वह रहमान है, रहीम है।”

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

रहमान और रहीम की वज़ाहत सूरतुल फ़ातिहा में गुज़र चुकी है।

आयात 164 से 167 तक

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَتَضْرِبُ الرِّيحُ الرِّيحَ وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَخَرْنَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

अब जो बात आ रही है इसका मताअले से पहले एक बात समझ लीजिये कि सूरतुल बकरह का निस्फ़े सानी जो बाईस रुक़ों पर मशतमिल है और जिसका आगाज़ उन्नीसवें रुक़ूअ से हुआ है, उसमें तरतीब क्या है। सूरतुल बकरह

के पहले अद्वारह रुक़ों की तक़सीम उम्दी (verticle) है। यानि चार रुक़अ इधर, दस दरमियान में, फिर चार उधर। लेकिन उन्नीसवें रुक़अ से अब उफ़की (horizontal) तक़सीम का आगाज़ हो गया है। इस हिस्से में चार मज़ामीन ताने-बाने की तरह बने हुए हैं। या यूँ कह लें कि चार लड़ियाँ हैं जिनको बट कर रस्सी बना दिया गया है। इन चार में से दो लड़ियाँ तो शरीअत की हैं, जिनमें से एक इबादात की और दूसरी अहकाम व शराए की है कि यह वाजिब है, यह करना है, यह हलाल है और यह हराम है। नमाज़ फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है वगैरह-वगैरह। अहकाम व शराए में खासतौर पर शौहर और बीवी के ताल्लूक़ को बहत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसलिये कि मआशरते इंसानी की बनियाद यही है। लिहाज़ा इस सुरत में आप देखेंगे कि आइली क़वानीन (family laws) के ज़िम्न में तफ़सीली अहकाम आएँगे। जबकि दूसरी दो लड़ियाँ जिहाद बिल माल व जिहाद बिल नफ़स की हैं। जिहाद बिल नफ़स की आख़री इन्तहा क़िताल है जहाँ इंसान नक़द जान हथेली पर रख कर मैदाने कारज़ार (जंग) में हाज़िर हो जाता है।

अब इन चारों मज़ामीन या चारों लड़ियों को एक मिसाल से समझ लीजिये। फ़र्ज़ कीजिये एक सख़ लड़ी है, एक पीली है, एक नीली है और एक सबज़ (हरी) है, और इन चारों लड़ियों को एक रस्सी की सुरत में बट दिया गया है। आप रस्सी को देखेंगे तो चारो रंग कटे-फटे नज़र आएँगे। पहले सख़, फिर पीला, फिर नीला और फिर सबज़ नज़र आयेगा। लेकिन अगर रस्सी के बल खोल दें तो हर लड़ी मसलसल नज़र आयेगी। चनाँचे सुरतुल बकरह के निस्फ़े आख़िर में इबादात, अहकामे शरीअत, जिहाद बिल माल और जिहाद बिल नफ़स के चार मज़ामीन चार लड़ियों के मानिन्द ग़थे हुए हैं। ये चारों लड़ियाँ ताने-बाने की तरह बनी हुई हैं। लेकिन इसी बन्ति में बहत बड़े-बड़े फ़ल मौजूद हैं। यह फ़ल क़ुरान मजीद की अज़ीम तरीन और तवील आयात हैं, जिनकी नमाया तरीन मिसाल आयतल क़र्सी की है। इन अज़ीम आयातों में से एक आयत यहाँ बीसवें रुक़अ के आगाज़ में आ रही है, जिसे मैंने “आयतुल आयात” का उन्वान दिया है। इसलिये कि क़ुरान मजीद की किसी और आयत में इस क़द्र मज़ाहिरे फ़ितरत (phenomena of nature) यक़ज़ा (इक़द्रे) नहीं हैं। अल्लाह तआला तमाम मज़ाहिरे फ़ितरत को अपनी आयात क़रार देता है। आसमान और ज़मीन की तख़लीक़, रात और दिन का उलट-फेर, आसमान के सितारे और ज़मीन की नबातात (वनस्पति), यह सब आयात हैं जिनका ज़िक़ क़ुरान मजीद

में मूख़तलिफ़ मक़ामात पर किया गया है, लेकिन यहाँ बहत से मज़ाहिरे फ़ितरत को जिस तरह एक आयत में समोया गया है यह हिक़मते क़ुरानी का एक बहुत बड़ा फ़ूल है जो इन चारों लड़ियों की बुन्ति के अंदर आ गया है।

आयत 164

“यक़ीनन आसमान और ज़मीन की तख़लीक़ में और रात और दिन के उलट-फेर में”

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الْيَلِّ وَالنَّهَارِ

“और उन कश्तियों (और जहाज़ों) में जो समुन्दर में (या दरियाओं में) लोगों के लिये नफ़ा बख़्श सामान लेकर चलती हैं”

وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسِ

“और उस पानी में कि जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है”

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ

“फिर उससे ज़िन्दगी बख़्शी ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद”

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

बे आबो गयाह (बेरंग) ज़मीन पड़ी थी, बारिश हुई तो उसी में से रूईदगी (वनस्पति) आ गई।

“और हर क़िस्म के हैवानात (और चरिंदे परिंदे) इसके अंदर फैला दियो।”

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

“और हवाओं की गर्दिश में”

وَوَضَعْنَا الرِّيحَ

हवाओं की गर्दिश के मुख्तलिफ़ अंदाज़ और मुख्तलिफ़ पहलू हैं। कभी शिमालन जुनुबन चल रही, कभी मशरिक से आ रही है, कभी मगरिब से आ रही है। इस गर्दिश में बड़ी हिकमतें कारफ़रमा हैं।

“और उन बादलों में जो मुअल्लिक़ कर दिये गये हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान”

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“यक्रीनन निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो अक्ल से काम लें।”

لَايَةُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

इन मज़ाहिरे फ़ितरत को देखो और इनके ख़ालिक़ और मुदब्बिर (रचनाकार) को पहचानो! इन आयाते आफ़ाक़ी पर ग़ौरो फ़िक़र और इनके ख़ालिक़ को पहचानने का जो अमली नतीजा निकलना चाहिये और जिस तक आमतौर पर लोग नहीं पहुँच पाते अब अगली आयत में उसका तज़क़िरा है। नतीजा तो यह निकलना चाहिये कि फिर महबूब अल्लाह ही हो, शुक्र उसी का हो, इताअत उसी की हो, इबादत उसी की हो। जब सूरज में अपना कुछ नहीं, उसे अल्लाह ने बनाया है और उसे हरारत (गर्मी) अता की है, चाँद में कुछ नहीं, हवायें चलाने वाला भी वही है तो और किसी शय के लिये कोई शुक्र नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई दंडवत नहीं, कोई सजदा नहीं। चुनाँचे अल्लाह तआला ही मतलूब व मक़सूद बन जाये, वही महबूब हो। “ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह” जिन लोगों की यहाँ तक रसाई नहीं हो पाती वह किसी और शय को अपना महबूब व मतलूब बना कर उसकी परस्तिश शुरू कर देते हैं। खुदा तक नहीं पहुँचे तो “अपने ही हुस्न का दीवाना बना फिरता हूँ” के मिस्दाक़ अपने नफ़्स ही को मअबूद बना लिया और ख़्वाहिशाते नफ़्स की पैरवी में लग गये। कुछ लोगों ने अपनी क़ौम को मअबूद बना लिया और क़ौम की बरतरी और सरबुलंदी के लिये जाने भी दे रहे हैं। बाज़ ने वतन को मअबूद बना लिया। इस हक़ीक़त को अल्लामा इक़बाल ने समझा है कि इस दौर का सबसे बड़ा बुत वतन है। उनकी नज़्म “वतनियत” मुलाहिज़ा कीजिये:

इस दौर में मय और है, जाम और है, जम और साक़ी ने बिना की रविशे लुत्फ़ो सितम और तहज़ीब के आज़र ने तरशवाये सनम और

मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और
इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है
जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है!

अगली आयत में तमाम मअबूदाने बातिल की नफ़ी करके एक अल्लाह को अपना महबूब और मतलूबो मक़सूद बनाने की दावत दी गई है।

आयत 165

“और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह को छोड़ कर कुछ और चीज़ों को उसका हमसर और मद्दे मुक़ाबिल बना देते हैं”

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا

“वह उनसे ऐसी मुहब्बत करने लगते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिये।”

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

यह दरअसल एक फ़लसफ़ा है कि हर बाशऊर इंसान किसी शय को अपना आईडियल, नस्बुलऐन (लक्ष्य) या आदर्श ठहराता है और फिर उससे भरपूर मोहब्बत करता है, उसके लिये जीता है, उसके लिये मरता है, कुर्बानियाँ देता है, इसार (त्याग) करता है। चुनाँचे कोई क़ौम के लिये, कोई वतन के लिये, और कोई खुद अपनी ज़ात के लिये कुर्बानी देता है। लेकिन बंदा-ए-मोमिन यह सारे काम अल्लाह के लिये करता है। वो अपना मतलूबो मक़सूद और महबूब सिर्फ़ अल्लाह को बनाता है। वह उसी के लिये जीता है, उसी के लिये मरता है: {فَلَنْ يُجِبُّواهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} (अल् अनआम) “बेशक मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिये है जो तमाम ज़हानों का परवरदिग़ार है।” इसके बरअक्स आम इंसानों का मामला यही होता है कि:

मी तराशद फ़िक़र मा हर दम खुदा बंदे दीगर
रस्त अज़र यक बंद ता उफ़ताद दर बंदे दीगर

इंसान अपने ज़हन से मअबूद तराशता रहता है, उनसे मुहब्बत करता है और उनके लिये कुर्बानियाँ देता है। यह मज़मून सूरतुल हज के आखरी रुकूअ में ज़्यादा वज़ाहत के साथ आयेगा।

“और जो लोग वाक्रिअतन साहिबे ईमान होते हैं उनकी शदीद तरीन मुहब्बत अल्लाह के साथ होती है।”

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

“शर यह नहीं तो बाबा फिर सब कहानियाँ हैं!” यह गोया लिट्मस टेस्ट है। कोई शय अगर अल्लाह से बढ़ कर महबूब हो गई तो वह तुम्हारी मअबूद है। तुमने अल्लाह को छोड़ कर उसको अपना मअबूद बना लिया, चाहे वह दौलत ही हो। हदीसे नबवी ﷺ है: ((تَعَسَّ عِنْدَ الدِّينَارِ وَ عِنْدَ الذُّهْمِ)) (19) “हलाक और बर्बाद हो जाये दिरहम व दीनार का बंदा।” नाम ख्वाह अब्दुल रहमान हो, हकीकत में वो अब्दुल दीनार है। इसलिये कि वह यह ख्वाहिश रखता है कि दीनार आना चाहिये, ख्वाह हराम से आये या हलाल से, जायज़ ज़राए से आये या नाजायज़ ज़राए से। चुनाँचे उसका मअबूद अल्लाह नहीं, दीनार है। हिन्दुओं ने लक्ष्मी देवी की मूर्ती बना कर उसे पूजना शुरू कर दिया कि यह लक्ष्मी देवी अगर ज़रा मेहरबान हो जायेगी तो दौलत की रेल-पेल हो जायेगी। हमने इस दरमियान वास्ते को भी हटा कर बराहे रास्त डॉलर और पेट्रो डॉलर को पूजना शुरू कर दिया और उसकी खातिर अपने वतन और अपने माँ-बाप को छोड़ दिया। चुनाँचे यहाँ कितने ही लोग सिसक-सिसक कर मर जाते हैं और आखरी लम्हात में उनका बेटा या बेटी उनके पास मौजूद नहीं होता बल्कि दियारे ग़ैर में डॉलर की पूजा में मसरूफ़ होता है।

“और अगर यह ज़ालिम लोग उस वक़्त को देख लें जब यह देखेंगे अज़ाब को, तो (इन पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि) कुव्वत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है”

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ
أَنْ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

यहाँ जुल्म शिर्क के मायने में आया है और ज़ालिम से मुराद मुशरिक हैं।

“और यह कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख़्त है।”

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

उस वक़्त आँखे खुलेगी तो क्या फ़ायदा होगा? अब आँख खुले तो फ़ायदा है।

आयत 166

“उस वक़्त वह लोग जिनकी (दुनिया में) पैरवी की गई थी अपने पैरुओं से इज़हारे बराअत करेंगे”

إذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا

हर इंसानी मआशरे में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो दूसरे लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं, चाहे अरबाबे इक़तदार हों चाहे मज़हबी मसनदों के वाली हों। लोग उन्हें अपने पेशवा और रहनुमा मान कर उनकी पैरवी करते हैं और उनकी हर सच्ची-झूठी बात पर सरे तस्लीम ख़म करते हैं। जब अज़ाबे आख़िरत ज़ाहिर होगा तो यह पेशवा और रहनुमा अज़ाब से बचाने में अपने पैरुओं के कुछ भी काम ना आएँगे और उनसे साफ़-साफ़ इज़हारे बराअत और ऐलाने ला ताल्लुकी कर देंगे।

“और वह अज़ाब से दो-चार होंगे और उनके तमाम ताल्लुकात मुन्क़तअ (अलग) हो जाएँगे।”

وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

○

जब जहन्नम उनकी निगाहों के सामने आ जायेगी तो तमाम रिश्ते मुन्क़तअ हो जाएँगे। सूरह अबस में इस नफ़सा-नफ़सी का नक़शा यूँ खींचा गया है:

“उस रोज़ आदमी भागेगा अपने भाई से, और अपनी माँ और अपने बाप से, और अपनी बीवी और अपनी औलाद से। उनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक़्त आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवा किसी का होश ना होगा।”

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ

يَوْمَ مَيِّدٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

इसी तरह सूरतुल मआरिज में फ़रमाया गया है:

“मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अज़ाब से बचने के लिये अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने करीब तरीन खानदान को जो उसे पनाह देने वाला था, और रूप ज़मीन के सब इंसानों को फ़िदये में दे दे और यह तदबीर उसे निजात दिला दे।”

يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ
وَصَاحِبَيْهِ وَآخِيهِ
وَقَصِيْبَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ
جَمِيْعًا لَمْ يُنْجِيهِ

यहाँ फ़रमाया: {تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ...} “उनके सारे रिश्ते मुन्कत हो जाएँगे” यह लम्हा-ए-फ़िक्रिया है कि जिन रिश्तों की वजह से हम हराम को हलाल और हलाल को हराम कर रहे हैं, जिनकी दिलजोई के लिये हराम की कमाई करते हैं और जिनकी नाराज़गी के ख़ौफ़ से दीन के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यह सारे रिश्ते इसी दुनिया तक महदूद हैं और उखरवी ज़िन्दगी में यह कुछ काम ना आयेगे।

आयत 167

“और जो उनके पैरोकार थे वह कहेंगे कि अगर कहीं हमें दुनिया में एक बार लौटना नसीब हो जाए”

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنْ لَنَا كَرَّةٌ

“तो हम भी इनसे इसी तरह इज़हारे बराअत करेंगे जैसे आज यह हमसे बेज़ारी ज़ाहिर कर रहे हैं।”

فَتَتَبَّرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَّرَءُوا مِنَّا

“इस तरह अल्लाह उनको उनके आमाल हसरतें बना कर दिखायेगा।”

كَذَلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ اَعْمَالَهُمْ حَسْرَتٍ
عَلَيْهِمْ

वह कहेंगे काश हमने समझा होता, काश हमने इनकी पैरवी ना की होती, काश हमने इनको अपना लीडर और अपना हादी व रहनुमा ना माना होता!!

“लेकिन वह अब आग से निकलने वाले नहीं होंगे।” وَمَا هُمْ بِخُرْجِيْنَ مِنَ النَّارِ

अब उनको दोज़ख़ से निकलना नसीब नहीं होगा।

आयत 168 से 176 तक

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ اِنَّمَّا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلِ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَآءُنَا وَاَلُوْكَانَ
اَبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ
بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءَ وَاِدْآءَ صُمْ بُكُمْ عُمٰى فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُلُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ اِنَّمَّا حَرَّمْ عَلَيْنَا
الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحَمَّ الْخٰزِرِ وَمَا اَهْلٌ بِهٖ لِعٰبِرِ اللّٰهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ
وَيُسْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ اَشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ
بِالْهُدٰى وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا اَضْبَرَهُمْ عَلٰى النَّارِ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ الْكِتٰبِ
بِالْحَقِّ وَاَنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ

आयत 168

“ऐ लोगों! ज़मीन में जो कुछ हलाल और तय्यब (पाकीज़ा) है उसे खाओ”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“और शैतान के नक़शे क़दम की पैरवी ना करो।”

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

“यक़ीनन वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।”

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

यह बहस दरअसल सूरतुल अनआम में ज़्यादा वज़ाहत से आयेगी। अरब में यह रिवाज़ था कि बतों के नाम पर कोई जानवर छोड़ देते थे, जिसको ज़िबह करना वह हराम समझते थे। ऐसी रिवायात हिन्दुओं में भी थीं जिन्हें हमने बचपन में देखा है। मसलन कोई साँड छोड़ दिया, किसी के कान चीर दिये कि यह फ़लाँ बत के लिये या फ़लाँ देवी के लिये है। ऐसे जानवर जहाँ चाहे मँह मारें, उन्हें कोई क़छ नहीं कह सकता था। ज़ाहिर है उनका गोशत कैसे खाया जा सकता था! तो अरब में भी यह रिवाज थे और ज़हरे इस्लाम के बाद भी उनके क़छ ना क़छ असरात अभी बाक़ी थे। आबा व अजदाद की रस्में जो क़रनों (सदियों) से चली आ रही हों वह आसानी से छूटती नहीं हैं, क़छ ना क़छ असरात रहते हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ हिन्दुआना असरात मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों से कहा जा रहा है कि मशरिकाना तोहमात की बनियाद पर तुम्हारे मशरिक बाप-दादा ने अगर क़छ चीज़ों को हराम ठहरा लिया था और क़छ को हलाल करार दे लिया था तो इसकी कोई हैसियत नहीं। तम शैतान की पैरवी में मशरिकाना तोहमात के तहत अल्लाह तआला की हलाल ठहराई हुई चीज़ों को हराम मत ठहराओ। जो चीज़ भी असलन हलाल और पाकीज़ा व तय्यब है उसे खाओ।

आयत 169

“वह (शैतान) तो बस तुम्हें बदी और बेहयाई का हुक्म देता है”

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ

“और इसका कि तुम अल्लाह की तरफ़ वह बातें मन्सूब करो जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है।”

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

आयत 170

“और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाज़िल किया है”

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“वह जवाब में कहते हैं कि हम तो पैरवी करेंगे उस तरीके की जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है।”

قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا

“अगरचे उनके आबा व अजदाद ना किसी बात को समझ पाये हों और ना हिदायत याफ़ता हुए हों (फिर भी वह अपने आबा व अजदाद ही की पैरवी करते रहेंगे?)”

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

सूरतुल बकरह के तीसरे रूक़ की पहली आयत (जहाँ नौए इंसानी को ख़िताब करके इबादते रब की दावत दी गई) के ज़िमन में वज़ाहत की गई थी कि जो लोग तुमसे पहले गुज़र चुके हैं वह भी तो मख़लूक़ थे जैसे तुम मख़लूक़ हो, जैसे तुमसे ख़ता हो सकती है उनसे भी हुई, जैसे तुम ग़लती कर सकते हो उन्होंने भी की।

आयत 171

“और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ़र किया, ऐसी है जैसे कोई शख्स ऐसी चीज़ को पुकारे जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ ना समझती हो।”

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الدَّيْبِ يُنْعِقُ
بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

जो लोग महज़ बाप-दादा की तकलीद (नक़ल) में अपने क़फ़र पर अड़ गये हैं उनकी तशबीह (तुलना) जानवरों से दी गई है जिन्हें पकारा जाये तो वह पकारने वाले की पकार और आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन सोचने-समझने की सलाहियत से बिल्कुल आरी (वंचित) होते हैं। तमसील (कहानी) से मराद यह है कि रसूल अल्लाह ﷺ और मुसलमान उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह इस दावत पर कान धरने को तैयार नहीं हैं।

“वो बहरे भी हैं, गूँगे भी हैं, अंधे भी हैं, पस वो अक़ल से काम नहीं लेते।”

حُمْ بُكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

आयत 172

“ऐ अहले ईमान! खाओ उन तमाम पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी हैं”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ

“और अल्लाह का शुक्र अदा करो”

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ

“अगर तुम वाक़िअतन उसी की इबादत करने वाले हो।”

إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

जैसा कि मैंने अर्ज़ किया सूरतुल अनआम में यह सारी चीज़ें तफ़सील से आयेंगी।

आयत 173

“उसने तो तुम पर यही हाराम किया है, मुदाँर और खून”

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَأَخْرَجَ

जो जानवर अपनी मौत आप मर गया, ज़िबह नहीं किया गया वह हाराम है और खून हाराम है, नजिस (अशुद्ध) है। इसी लिये अहले इस्लाम का ज़िबह करने का तरीक़ा यह है कि सिर्फ़ गर्दन को काटा जाये, ताकि उसमें शरयानें (साँस की नली) बग़ैरह कट जायें और जिस्म का अक्सर खून निकल जाये। लेकिन अगर झटका किया जाये, यानि तेज़ धार आले (हथियार) के एक ही वार से जानवर की गर्दन अलग कर दी जाये, जैसे सिख़ करते हैं या जैसे यूरोप बग़ैरह में होता है, तो फिर खून जिस्म के अंदर रह जाता है। इस तरीक़े से मारा गया जानवर हाराम है।

“और खन्जीर का गोशत”

وَحَمَّ الْخَيْزُرِ

“और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम पुकारा गया हो।”

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

यानि किसी जानवर को ज़िबह करते हुए किसी बत का, किसी देवी का, किसी देवता का, अल ग़र्ज़ अल्लाह के सिवा किसी का भी नाम लिया गया तो वह हाराम हो गया, उसका गोशत खाना हरामे मल्लक़ (बिल्कुल हाराम) है, लेकिन इसके ताबेअ (अधीन) यह सुरत भी है कि किसी बज़र्ग़ का क़र्ब हासिल करने के लिये जानवर को उसके मज़ार पर ले जाकर वहाँ ज़िबह किया जाये, अगरचे दावा यह हो कि यह साहिबे मज़ार के ईसाले सवाब की खातिर अल्लाह तआला के लिये ज़िबह किया जा रहा है। इसलिये कि ईसाले सवाब के खातिर तो यह अमल घर पर भी किया जा सकता है।

वह खाने जो अहले अरब में उस वक़्त राइज (प्रचलित) थे, अल्लाह तआला ने बनियादी तौर पर उनमें से चार चीज़ों की हरमत का क़रान हकीम में बार-बार ऐलान किया है। मक्की सुरतों में भी इन चीज़ों की हरमत का मतअहदिद (कई) दो बार बयान हुआ है और यहाँ सुरतुल बकरह में भी जो मदनी सुरत है। इसके बाद सूरतुल मायदा में यह मज़मून फिर आयेगा। इन चार चीज़ों की

हरमत के बयान से हलाल व हराम की तफ़सील पेश करना हरगिज़ मक़सूद नहीं है, बल्कि मुशरिकीन की तरदीद (इन्कार) है।

“फिर जो कोई मजबूर हो जाये और वह *فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ* ख्वाहिशमंद और हद से आगे बढ़ने वाला ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं।”

अगर कोई शख्स भुख से मजबूर हो गया है, जान निकल रही है और कोई शय खाने को नहीं है तो वह जान बचाने के लिये हरामकर्दा चीज़ भी खा सकता है। लेकिन इसके लिये दो शर्तें आयद (लागू) की गई हैं, एक तो वह उस हराम की तरफ़ रग़बत और मैलान ना रखता हो और दूसरे यह कि जान बचाने के लिये जो नागज़ीर मिक़्दार (ज़रूरी मात्रा) है उससे आगे ना बढ़े। इन दो शर्तों के साथ जान बचाने के लिये हराम चीज़ भी खाई जा सकती है।

“यक़ीनन अल्लाह बख़्शने वाला, रहम करने वाला है।” *إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

आयत 174

“यक़ीनन वह लोग जो छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ने नाज़िल किया है किताब में से और फ़रोख़्त करते हैं उसे बहुत हक़ीर सी कीमत पर” *إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَرُونَ بِهِ تَمَتُّوا قَلِيلًا*

यानि उसके एवज़ दुनियावी फ़ायदों की सूरत में हक़ीर कीमत कुबूल करते हैं।

“यह लोग नहीं भर रहे अपने पेटों में मगर *أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ* आग़”

“और अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा क़यामत के दिन।”

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“और ना इन्हें पाक करेगा।”

وَلَا يُزَكِّيهِمْ

“और इनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।”

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

आयत 175

“यह हैं वह लोग जिन्होंने हिदायत देकर गुमराही ख़रीद ली है”

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى

“और (अल्लाह की) मग़फ़िरत हाथ से देकर अज़ाब ख़रीद लिया है।”

وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ

“तो यह किस क़द्र सन्न करने वाले हैं दोज़ख़ पर!”

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

इनका कितना हौसला है कि जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिये तैयार हैं! उसके लिये किस तरह तैयारी कर रहे हैं!

आयत 176

“यह इसलिये कि अल्लाह ने तो किताब नाज़िल की हक़ के साथ।”

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

“और यक़ीनन जिन लोगों ने किताब में
इख़्तलाफ़ डाला वह ज़िद और मुख़ालफ़त में
बहुत दूर निकल गये।”

जिन लोगों ने अल्लाह की किताब और शरीअत में इख़्तलाफ़ की पगडंडियाँ
निकालीं वह ज़िद, हठधर्मी, शक्रावत (मुसीबत) और दुश्मनी में मुब्तला हो गये
और इसमें बहुत दूर निकल गये। اعاذنا الله من ذلك!

आयात 177 से 182 तक

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوٍ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا
سَمِعَهُ فَإِمَّا إِثْمَةٌ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ
جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

जैसा कि अर्ज़ किया जा चका है, इस सूरह म्बारका में कई ऐसी अज़ीम
आयतें आई हैं जो हज्म के ऐतबार से भी और मायने व हिकमत के ऐतबार से
भी बहुत अज़ीम हैं, जैसे दो रकूअ पहले “आयतुल आयात” गुज़र चुकी है। इसी

तरह से अब यह “आयतुल बिर” आ रही है, जिसमें नेकी की हक़ीक़त वाज़ेह की
गई है। लोगों के ज़हनों में नेकी के मुख़लिफ़ तसव्वरात होते हैं। हमारे यहाँ
एक तबक्रा वह है जिसका नेकी का तसव्वर यह है कि बस सच बोलना चाहिये,
किसी को धोखा नहीं देना चाहिये, किसी का हक़ नहीं मारना चाहिये, यह नेकी
है, बाक़ी कोई नमाज़ रोज़े की पाबंदी करे या ना करे, इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है!
एक तबक्रा वह है जिसमें चोर उचक़े, गिरोह कट, डाक़ और बदमाश शामिल
हैं। उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो यतीमों और बेवाओं की मदद भी करते हैं और
यह काम उनके यहाँ नेकी शमार होते हैं। यहाँ तक कि जिस्मफ़रोश ख्वातीन
भी अपने यहाँ नेकी का एक तसव्वर रखती है, वह ख़ैरात भी करती हैं और
मस्जिदें भी तामीर कराती हैं। हमारे यहाँ मज़हबी तबक्रात में एक तबक्रा वह
है जो मज़हब के ज़ाहिर को लेकर बैठ जाता है और वह उसकी रूह से नाआशना
(अन्जान) होता है। उनका हाल यह होता है कि “मच्छर छानते हैं और समूचे
ऊँट निगल जाते हैं।” उनके इख़्तलाफ़ात इस नौइयत (स्वभाव) के होते हैं कि
रफ़ा यदैन के बग़ैर नमाज़ हई या नहीं? तरावीह आठ हैं या बीस हैं? बाक़ी यह
कि सुदी कारोबार तम भी करो और हम भी, इससे किसी की हन्फ़ियत या
अहले हदीसियत पर कोई आँच नहीं आयेगी। नेकी के यह सारे तसव्वरात
मस्ख़शदा (perverted) हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अंधों ने एक हाथी को
देख कर अंदाज़ा करना चाहा था कि वह कैसा है। किसी ने उसके पैर को टटोल
कर कहा कि यह तो सतन की मानिन्द है, जिसका हाथ उसके कान पर पड़ गया
उसने कहा यह छाज की तरह है। इसी तरह हमारे यहाँ नेकी का तसव्वर
तक़सीम होकर रह गया है। बक़ौल इक़बाल:

उड़ाये क़छ वक्र लाले ने, क़छ नर्ग़िस ने, क़छ गुल ने
चमन में हर तरफ़ बिखरी हई है दास्ताँ मेरी!

यह आयत इस ऐतबार से क़ुरान मजीद की अज़ीम तरीन आयत है कि नेकी की
हक़ीक़त क्या है, इसकी जड़ बनियाद क्या है, इसकी रूह क्या है, इसके मज़ाहिर
क्या हैं? फिर इन मज़ाहिर में अहमतरिन कौनसे है और सानवी हैसियत
किनकी है? चनाँचे इस एक आयत की रोशनी में क़ुरान के इल्मल अख़लाक़ पर
एक जामेअ किताब तसनीफ़ की जा सकती है। गोया अख़लाक़ियाते क़ुरानी
(Quranic Ethics) के लिये यह आयत जड़ और बनियाद है। लेकिन यह समझ
लीजिये कि यह आयत यहाँ क्योकर आई है। इसके पसमंज़र में भी वही तहवीले
क्लिब्ला है। तहवीले क्लिब्ला के बारे में चार रकूअ (15 से 18) तो मुसलसल हैं।

इससे पहले चौदहवें रुकूअ में आयत आयी है: { وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ - فَآيِنَمَا تُوَلُّوْا } (आयत:115) इधर भी अट्टारहवें रुकूअ के बाद इतनी आयतें छोड़ कर यह आयत आ रही है। फ़रमाया:

आयत 177

“नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे
मशरिफ़ और मगरिब की तरफ़ फेर दो”

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

इस अमल के नेकी होने की नफ़ी नहीं की गई। यह नहीं कहा गया कि यह कोई नेकी ही नहीं है। यह भी नेकी है। नेकी का जो ज़ाहिर है वह भी नेकी है, लेकिन असल शय इसका बातिन है। अगर बातिन सही है तो हकीकत में नेकी नेकी है वरना नहीं।

“बल्कि नेकी तो उसकी है”

وَلَكِنَّ الْبِرَّ

“जो ईमान लाये अल्लाह पर, यौमे आखिरत
पर, फ़रिशतों पर, किताब पर और नबियों
पर।”

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلِهَاتِهِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ

सबसे पहले नेकी की जड़ बनियाद बयान कर दी गयी कि यह ईमान है, ताकि तसहीहे नीयत (नीयत का सधार) हो जाये। ईमानियात में सबसे पहले अल्लाह पर ईमान है यानि जो नेकी कर रहा है वह सिर्फ़ अल्लाह से अज़्र का तालिब है। फिर क़यामत के दिन पर ईमान का ज़िक्र हुआ कि इस नेकी का अज़्र दनिया में नहीं बल्कि आखिरत में मतलब है। वरना तो यह सौदागरी हो गई। और आदमी अगर सौदागरी और दकानदारी करे तो दनिया की चीज़ें बेचे, दीन तो ना बेचे। दीन का काम कर रहा है तो उसके लिये सिवाय उखरवी निजात के और अल्लाह की रज़ा के कोई और शय मक़सुद ना हो। यौमे आखिरत के बाद फ़रिशतों, किताबों और अम्बिया (अलैहिमुस्सलाम) पर ईमान का ज़िक्र किया गया। यह तीनों मिल कर एक यूनिट बनते हैं। फ़रिशता वही की सूरत में किताब

लेकर आया, जो अम्बिया-ए-किराम (अलै०) पर नाज़िल हुई। ईमान बिल रिसालत का ताल्लुक नेकी के साथ यह है कि नेकी का एक मजस्समा, एक मॉडल, एक आइडियल “उस्वा-ए-रसूल” की सूरत में इंसानो के सामने रहे। ऐसा ना हो कि ऊँच-नीच हो जाये। नेकियों के मामले में भी ऐसा होता है कि कोई जज़्बात में एक तरफ़ को निकल गया और कोई दूसरी तरफ़ को निकल गया। इस ग़मराही से बचने की एक ही शक़ल है कि एक मुकम्मल उस्वा सामने रहे, जिसमें तमाम चीज़ें मौत्दल (मर्यादित) हों और वह उस्वा हमारे लिए मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की शख़्सियत है। नेकी के ज़ाहिर के लिये हम आप ﷺ ही को मैयार (कसौटी) समझेगें। जो शय जितनी आप ﷺ की सीरत में है, उससे ज़्यादा ना हो और उससे कम ना हो। कोशिश यह हो कि इंसान बिल्कुल रसूल अल्लाह ﷺ के उस्वा-ए-कामिला की पैरवी करे।

“और वह खर्च करें माल उसकी मुहब्बत के
बावजूद”

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

यानि माल की मुहब्बत के अललरग़म (बावजूद)। “على حُبِّهِ” में ज़मीर मुत्तसिल अल्लाह के लिये नहीं है बल्कि माल के लिये है। माल अगरचे महबूब है, फिर भी वह खर्च कर रहा है।

“करावतदारों, यतीमों, मोहताजों,
मुसाफ़िरों और माँगने वालों पर और गर्दनों
के छुड़ाने में।”

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنِ
السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ

गोया नेकी के मज़ाहिर में अब्बलीन मज़हर इंसानी हमदर्दी है। अगर यह नहीं है तो नेकी का वजूद नहीं है। इबादात के अम्बार लगे हों मगर दिल में शक़ावत (क्लेश) हो, इंसान को हाज़त में देख कर दिल ना पसीजे, किसी को तकलीफ़ में देख कर तिजोरी की तरफ़ हाथ ना बढे, हालाँकि तिजोरी में माल मौजूद हो, तो यह तर्ज़े अमल दीन की रूह से बिल्कुल खाली है। सूरह आले इमरान (आयत:92) में अल्फ़ाज़ आये हैं: { لَنْ نَّتَّأَلُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تَنْفُقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ } “तम नेकी के मक़ाम को पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि खर्च ना करो उसमें से जो तम्हें महबूब है।” यह नहीं कि जिस शय से तबियत उकता गई हो, जो कपड़े बोसीदा (फटे-पुराने) हो गये हों वह किसी को देकर हातिम ताई की क़ब्र पर लात मार

दी जाये। जो शय ख़द को पसंद हो, अज़ीज़ हो, अगर उसमें से नहीं देते तो तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते।

“और क़ायम करे नमाज़ और अदा करे ज़कात।”

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَإِاتِ الزَّكَاةَ

हिकमते दीन मुलाहिज़ा कीजिये कि नमाज़ और ज़कात का ज़िक्र ईमान और इंसानी हमदर्दी के बाद आया है। इसलिये कि रूहे दीन “ईमान” है और नेकी के मज़ाहिर में से मज़हरे अब्बल इंसानी हमदर्दी है। यह भी नोट कीजिये कि यहाँ “ज़कात” का अलैहदा ज़िक्र किया गया है, जबकि इससे क़ब्ल ईताए माल का ज़िक्र हो चुका है। रसूल अल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया: ((إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَفًّا سِوَى الزَّكَاةِ)) (20) “यक़ीनन माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है।”

यानि अगर क़छ लोगों ने यह समझा है कि बस हमने अपने माल में से ज़कात निकाल दी तो पूरा हक़ अदा हो गया, तो यह उन ख़ाम ख़्याली है, माल में ज़कात के सिवा भी हक़ है। और आप ﷺ ने यही मज़क़रा वाला आयत पढ़ी।

ईमान और इंसानी हमदर्दी के बाद नमाज़ और ज़कात का ज़िक्र करने की हिकमत यह है कि ईमान को तरोताज़ा रखने के लिये नमाज़ है। अज़रूए अल्फ़ाज़े क़रानी: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } (ताहा) “नमाज़ क़ायम करो मेरी याद के लिये।” और इंसानी हमदर्दी में माल खर्च करने के ज़बे को परवान चढ़ाने और बरकरार रखने के लिये ज़कात है कि इतना तो कम से कम देना होगा, ताकि बोतल का मँह तो ख़ले। अगर बोतल का कॉर्क निकल जायेगा तो उम्मीद है कि उसमें से कोई शर्बत और भी निकल आयेगा। चूनाँचे ढाई फ़ीसद तो फ़र्ज़ ज़कात है। जो यह भी नहीं देता वह मज़ीद क्या देगा?

“और जो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को जब कोई अहद कर लें।”

وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْهَدُونَ إِذَا عٰهَدُوا

इंसान ने सबसे बड़ा अहद अपने परवरदिग़ार से किया था जो “अहदे अलस्त” कहलाता है, फिर शरीअत का अहद है जो हमने अल्लाह के साथ कर रखा है। फिर आपस में जो भी मुआहिदे हों उनका पूरा करना भी ज़रूरी है। मामलाते इंसानी सारे के सारे मुआहिदात की शक़ल में हैं। शादी भी शौहर और बीवी के

माबैन एक समाजी मुआहिदा (social contract) है। शौहर की भी क़छ ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं और बीवी की भी क़छ ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं। शौहर के बीवी पर हक़क़ हैं, बीवी के शौहर पर हक़क़ हैं। फिर आजर और मुस्तआजर (employer & employee) का जो बाहमी ताल्लक़ है वह भी एक मुआहिदा है। तमाम बड़े-बड़े कारोबार मुआहिदों पर ही चलते हैं। फिर हमारा जो सियासी निज़ाम है वह भी मुआहिदों पर मबनी है। तो अगर लोगों में एक चीज़ पैदा हो जाये कि जो अहद कर लिया है उसे पूरा करना है तो तमाम मामलात सुधर जाएँगे, उनकी stream lining हो जायेगी।

“और ख़ासतौर पर सन्न करने वाले फ़क्ररो फ़ाक्रा में, तकालीफ़ में और जंग की हालत में।”

وَالضَّيِّرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَجِيْنِ الْبِأْسِ

यह नेकी बद्धमत के भिक्षुओं की नेकी से मूख़तलिफ़ है। यह नेकी बातिल को चैलेंज करती है। यह नेकी खानक़ाओं तक महदद नहीं होती, सिर्फ़ इन्फ़रादी सतह तक महदद नहीं रहती, बल्कि अल्लाह को जो नेकी मतलब है वह यह है कि अब बातिल का सर कचलने के लिये मैदान में आओ। और जब बातिल का सर कचलने के लिये मैदान में आओगे तो ख़द भी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। इस राह में सहाबा किराम रज़ि० को भी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं और जाने देनी पड़ी हैं। अल्लाह का कलमा सरबलंद करने के लिये सैकड़ों सहाबा किराम रज़ि० ने जामे शहादत नौश किया (पिया) है। दनिया के हर निज़ामे अख़्लाक़ में “खैरे आला” (summum bonum) का एक तसव्वर होता है कि सबसे ऊँची नेकी क्या है! क़रान की रू से सबसे आला नेकी यह है कि हक़ के ग़लबे के लिये, सदाक़त, दियानत और अमानत की बालादस्ती के लिये अपनी गर्दन कटा दी जाये। वह आयत याद कर लीजिये जो चंद रकूअ पहले हम पढ़ चुके हैं: { وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ } “और जो अल्लाह की राह में क़त्ल किये जाएँ (जामे शहादत नौश कर लें) उन्हें मर्दा मत कहो, बल्कि वह ज़िन्दा हैं लेकिन तुम्हें (उनकी ज़िन्दगी का) शऊर हासिल नहीं है।”

“यह हैं वह लोग हैं सच्चे हैं।”

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

रास्तबाज़ी (धार्मिकता) और नेकोकारी का दावा तो बहुत सों को है, लेकिन यह वह लोग हैं जो अपने दावे में सच्चे हैं।

“और यही हकीकत में मुत्तकी हैं।”

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٠﴾

हमारे ज़हनों में नेकी और तक़वा के क़छ और नक़शे बैठे हुए हैं कि शायद तक़वा किसी मख़सस लिबास और ख़ास वज़अ-क़तअ (प्रारूप) का नाम है। यहाँ क़ुरान हकीम ने नेकी और तक़वा की हामिल इंसानी शख़िसयत का एक ह्यला (ढाँचा) और उसके किरदार का पूरा नक़शा खींच दिया है कि उसके बातिन में रूहे ईमान मौजूद है और ख़ारिज में इस तरतीब के साथ दीन के यह तकाज़े और नेकी के यह मज़ाहिर मौजूद हैं।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ

इसके बाद वही जो इंसानी मामलात हैं उन पर बहस चलेगी। सूरतुल बकरह के निस्फ़े सानी के मज़ामीन के बारे में यह बात अर्ज़ की जा चुकी है कि यह गोया चार लड़ियों पर मुशतमिल हैं, जिनमें से दो लड़ियाँ इबादात और अहकाम व शराए की है।

आयत 178

“ऐ अहले ईमान! तुम पर लाज़िम कर दिया गया है कि मक़तूलों का बदला लेना।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“قَتِيل” की जमा है जिसके मायने मक़तूल के हैं। “क़ुतब” के बाद “अली” फ़र्ज़ियत के लिये आता है, यानि तुम पर यह फ़र्ज़ कर दिया गया है, इस मामले में सहल अंगारी सही नहीं है। जब किसी मआशरे में इंसान का खून बहाना आम हो जाये तो तमद्दुन (सभ्यता) की जड़ कट जायेगी, लिहाज़ा क़िसास तुम पर वाजिब है।

“आज़ाद आज़ाद के बदले”

الْحُرُّ بِالْحُرِّ

अगर किसी आज़ाद आदमी ने क़त्ल किया है तो क़िसास में वह आज़ाद ही क़त्ल होगा। यह नहीं कि वह कह दे मेरा गुलाम ले जाओ, या मेरी जगह मेरे दो गुलाम ले जाकर क़त्ल कर दो।

“और गुलाम गुलाम के बदले”

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

अगर गुलाम क़ातिल है तो वह गुलाम ही क़त्ल किया जायेगा।

“और औरत औरत के बदले”

وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ

अगर क़त्ल करने वाली औरत है तो वह औरत ही क़त्ल होगी। क़िसास व देयत के मामले में इस्लाम से पहले अरब में मख़िलफ़ मैयारात (मापदण्ड) कायम थे। मसलन अगर औसी ख़ज़रजी को क़त्ल कर दें तो तीन गुना खून बहा वसूल किया जायेगा और अगर ख़ज़रजी औसी को क़त्ल करे तो एक तिहाई खून बहा अदा किया जायेगा। यह उनका क़ानून था। इसी तरह आज़ाद और गुलाम में भी फ़र्क़ रखा जाता था। लेकिन शरीअते इस्लामी ने इस ज़िम्न में कामिल मसावात (बराबरी) कायम की और ज़माना-ए-जाहिलियत की हर तरह की अदमे मसावात का ख़ात्मा कर दिया। इस बारे में इमाम अब हनीफ़ा रहि० का क़ौल यही है कि तमाम मसलमान आपस में “कुफ़ू” (बराबर) हैं, लिहाज़ा क़त्ल के मुक़दमात में कोई फ़र्क़ नहीं किया जायेगा।

“फिर जिसको माफ़ कर दिया जाये कोई शय

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

उसके भाई की जानिब से”

यानि मक़तूल के वरसा अगर क़ातिल को क़छ रिआयत दे दें कि हम इसकी जान बख़्शी करने को तैयार हैं, चाहे वह खून बहा ले लें, चाहे वैसे ही माफ़ कर दें, तो जो भी खून बहा तय हुआ हो उसके बारे में इर्शाद हुआ:

“तो (उसकी) पैरवी की जाये मारुफ़ तरीक़े पर और अदायगी की जाये ख़ूबसूरती के साथ।”

فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

“यह तुम्हारे रब की तरफ़ से एक तख़फ़ीफ़
(छूट) व रहमत है।”

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

इसका रहमत होना बहुत वाज़ेह है। अगर यह शक़ल ना हो तो फिर क़त्ल दर क़त्ल का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अगर क़ातिल को लाकर मक़तुल के व़रसा के सामने खड़ा कर दिया जाये कि अब तुम्हारे हाथ में इसकी जान है, तम चाहो तो इसको क़त्ल कर दिया जायेगा, और अगर तम अहसान करना चाहो, इसकी जान बख़्शी करना चाहो तो तम्हें इख़्तियार हासिल है। चाहो तो वैसे ही बख़्श दो, चाहो तो ख़ून बहा ले लो। इससे यह होता है कि दशमनों का दायरा सिमट जाता है, बढ़ता नहीं है। इसमें अल्लाह की तरफ़ से बड़ी रहमत है। इस्लामी मआशरे में क़ातिल की गिरफ़्तारी और क़िसास की तन्फ़ीज़ (परिपालन) हक़मत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन इसमें मूढ़ई रियासत नहीं होती। आज-कल हमारे निज़ाम में ग़लती यह है कि रियासत ही मूढ़ई बन जाती है, हालाँकि मूढ़ई तो मक़तुल के व़रसा हैं। इस्लामी निज़ाम में किसी सदर या वज़ीरे आज़म को इख़्तियार नहीं है कि किसी क़ातिल को माफ़ कर दे। क़ातिल को माफ़ करने का इख़्तियार सिर्फ़ मक़तुल के वारिसों को है। लेकिन हमारे मुल्की दस्तर की रू से सदरे ममलकत को सज़ा-ए-मौत माफ़ करने का हक़ दिया गया है।

“तो इसके बाद भी जो हद से तजावुज़ करेगा
तो उसके लिये दर्दनाक अज़ाब है।”

فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

यानि जो लोग इस रिआयत से फ़ायदा उठाने के बाद ज़ल्म व ज़्यादती का तरीका अपनाएँगे उनके लिये आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब है।

आयत 179

“और ऐ होशमंदों! तुम्हारे लिये क़िसास में
ज़िन्दगी है, ताकि तुम बच सको।”

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

मआशरती ज़िन्दगी में अफ़व व दरगुज़र अगरचे एक अच्छी क़दर है और इस्लाम इसकी तालीम देता है:

{ وَإِنْ تَعَفُّواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (तगाबन:14) “और अगर तूम माफ़ कर दिया करो और चश्मपोशी (अनदेखी) से काम लो और बख़्श दिया करो तो बेशक अल्लाह भी बख़्शने वाला, रहम करने वाला है। लेकिन क़त्ल के मुक़दमात में सहल अंगारी और चश्मपोशी को क़िसास की राह में हाइल नहीं होने देना चाहिये, बल्कि शिहत के साथ पैरवी होनी चाहिये, ताकि इसके आगे क़त्ल का सिलसिला बंद हो। आयत के आख़िर में फ़रमाया: {} “ताकि तम बच सको।” यानि अल्लाह की हुदूद की ख़िलाफ़ वर्ज़ी और एक-दूसरे पर जुल्म व तअद्दी (दुश्मनी) से बचो।

आयत 180

“जब तुममें से किसी की मौत का वक़्त आ
पहुँचे और वह कुछ माल छोड़ रहा हो तो तुम
पर फ़र्ज़ कर दिया गया है वालिदैन और
रिश्तेदारों के हक़ में इंसाफ़ के साथ वसीयत
करना।”

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

अभी क़ानूने विरासत नाज़िल नहीं हआ था, इस ज़िम्न में यह इबतदाई क़दम उठाया गया। दौरे जाहिलियत में विरासत की तक़सीम इस तरह होती थी, जैसे आज भी हिन्दुओं में होती है, कि मरने वाले की सारी जायदाद का मालिक बड़ा बेटा बन जाता था। उसकी बीवी, बेटियाँ, हत्ता कि दूसरे बेटे भी विरासत से महरूम रहते। चनाँचे यहाँ विरासत के बारे में पहला हक़म दिया गया कि मरने वाला वालिदैन और अक़रबाअ (रिश्तेदारों) के बारे में वसीयत कर जाये ताकि उनके हक़क़ का तहफ़फ़ज़ हो सके। फिर जब सरह अल निसा में पुरा क़ानूने विरासत आ गया तो अब यह आयत मन्सूख़ शमार होती है। अलबत्ता इसके एक ज़ुव को रसूल अल्लाह ﷺ ने बाक़ी रखा है कि मरने वाला अपने एक तिहाई माल के बारे में वसीयत कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, और यह कि जिस शख़्स का विरासत में हक़ मुक़रर हो चुका है, उसके लिये वसीयत नहीं होगी। वसीयत ग़ैर वारिस के लिये होगी। मरने वाला किसी यतीम को, किसी

बेवा को, किसी यतीमखाने को या किसी दीनी इदारे को अपनी विरासत में से कुछ देना चाहे तो उसे हक़ हासिल है कि एक तिहाई की वसीयत कर दे। बाकी दो तिहाई में लाज़िमी तौर पर क़ानूनी विरासत की तन्फ़ीज़ होगी।

“अल्लाह तआला का तक्रवा रखने वालों पर यह हक़ है।”
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

उन पर वाजिब और ज़रूरी है कि वह वसीयत कर जाएँ कि हमारे वालिदैन को यह मिल जाये, फ़लाँ रिश्तेदार को यह मिल जाये, बाकी जो भी वुरसा हैं उनके हिस्से में यह आ जाये।

आयत 181

“तो जिसने बदल दिया इस वसीयत को इसके बाद कि इसको सुना था”
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ

“तो इसका गुनाह उन्हीं पर आयेगा जो इसे तब्दील करते हैं।”
فَأَمَّا إِمَّاؤُا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

वसीयत करने वाला उनके इस गुनाह से बरी है, उसने तो सही वसीयत की थी। अगर गवाहों ने बाद में वसीयत में तहरीफ़ और तब्दीली की तो उसका बवाल और उसका बोझ उन्हीं पर आयेगा।

“यक़ीनन अल्लाह तआला सब कुछ सुनने वाला (और) जानने वाला है।”
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

आयत 182

“फिर जिसको अंदेशा हो किसी वसीयत करने वाले की तरफ़ से जानिब दारी या हक़तल्फ़ी का”
فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا

अगर किसी को यह अंदेशा हो और दयानतदारी (ईमानदारी) के साथ उसकी यह राय हो कि वसीयत करने वाले ने ठीक वसीयत नहीं की, बल्कि बेजा (गलत) जानिबदारी का मुज़ाहिरा किया है या किसी की हक़तल्फ़ी करके गुनाह कमाया है।

“और वह उनके मावैन सुलह करा दे”
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ

इस तरह के अंदेशे के बाद किसी ने वुरसा को जमा किया और उनसे कहा कि देखो, इनकी वसीयत तो यह थी, लेकिन इसमें यह ज़्यादती वाली बात है, अगर तुम लोग मुत्तफ़िक़ हो जाओ तो इसमें इतनी तब्दीली कर दी जाये।

“तो उस पर कोई गुनाह नहीं है।”
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

यानि ऐसी बात नहीं है कि इस वसीयत को ऐसा तक्रद्दस हासिल हो गया कि अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, बल्कि बाहमी मशवरे से और इस्लाह के जज़्बे से वसीयत में तगय्युर (बदलाव) व तब्दील हो सकता है।

“यक़ीनन अल्लाह तआला बख़्शने वाला रहम फ़रमाने वाला है।”
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

आयात 183 से 188 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۝ وَأَنْ

تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨١﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ
عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِرُوا بِلِعَالَمِهِمْ يَرْضَوْنَ ﴿١٨٢﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ
لِيَابِسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ فَاَلْتَمَسْنَا لَكُمْ نُورًا وَهُنَّ وَابِسٌ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

सूरतुल बकरह के निस्फ्रे आखिर के मज़ामीन के बारे में अर्ज़ किया जा चुका है कि यह चार लड़ियों की मानिन्द हैं जो आपस में गथी हुई हैं। अब इनमें से इबादात वाली लड़ी आ रही है और ज़ेरे मताअला रुक़अ में “सौम” की इबादात का तज़क़िरा है। जहाँ तक “सलाह” (नमाज़) का ताल्लक़ है तो इसका ज़िक़र मक्की सरतों में बेताहाशा आया है, लेकिन मक्की दौर में “सौम” बतौर इबादात कोई तज़क़िरा नहीं मिलता।

अरबों के यहाँ सौम या सियाम के लफ़्ज़ का इत्लाक़ और मफ़हम क्या था और उससे वह क्या मराद लेते थे, इसे ज़रा समझ लीजिये! अरब ख़द तो रोज़ा नहीं रखते थे, अलबत्ता अपने घोड़ों को रखवाते थे। उसकी वजह यह थी कि अक्सर अरबों का पेशा ग़ारतगरी और लूटमार था। फिर मख़्तलिफ़ क़बीलों के माबैन वक्फ़े-वक्फ़े से जंगें होती रहती थीं। इन कामों के लिये उनको घोड़ों की ज़रूरत थी और घोड़ा इस मक़सद के लिये निहायत मौज़ु (उचित) जानवर था

कि उस पर बैठ कर तेज़ी से जायें, लूटमार करें, शब ख़ून मारें और तेज़ी से वापस आ जायें। ऊँट तेज़ रफ़्तार जानवर नहीं है, फिर वह घोड़े के मक्काबले में तेज़ी से अपना रुख़ भी नहीं फेर सकता। मगर घोड़ा जहाँ तेज़ रफ़्तार जानवर है, वहाँ तनक़ मिज़ाज और नाज़क़ मिज़ाज भी है। चूनाँचे वह तरबियत के लिये उन घोड़ों से यह मशक़क़त करवाते थे कि उनको भूखा-प्यासा रखते थे और उनके मूँह पर एक “तोबड़ा” चढ़ा देते थे। इस अमल को वह “सौम” कहते थे और जिस घोड़े पर यह अमल किया जाये उसे वह “साइम” कहते थे, यानि यह रोज़े से है। इस तरह वह घोड़ों को भूख-प्यास झेलने का आदी बनाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि महिम के दौरान घोड़ा भूख-प्यास बर्दाशत ना कर सके और जी हार दे। इस तरह तो सवार की जान शदीद ख़तरे में पड़ जायेगी और उसे ज़िन्दगी के लाले पड़ जायेंगे! मज़ीद यह कि अरब इस तौर पर घोड़ों को भूखा-प्यासा रख कर मौसम गरमा और लू की हालत में उन्हें लेकर मैदान में जा खड़े होते थे। वह अपनी हिफ़ाज़त के लिये अपने सरों पर डढ़ाटे बाँध कर और जिस्म पर कपड़े वग़ैरह लपेट कर उन घोड़ों की पीठ पर सवार रहते थे और उन घोड़ों का मूँह सीधा लू और बादे सरसर के थपेड़ों की तरफ़ रखते थे, ताकि उनके अंदर भूख-प्यास के साथ-साथ लू के इन थपेड़ों को बर्दाशत करने की आदत भी पड़ जाये, ताकि किसी डाके के महिम या क़बाइली जंग के मौक़े पर घोड़ा सवार के क़ाब में रहे और भूख-प्यास या बादे सरसर के थपेड़ों को बर्दाशत करके सवार की मर्ज़ी के मताबिक़ मतलुबा रुख़ बरकरार रखे और उससे मूँह ना फेरे। तो अरब अपने घोड़ों को भूखा-प्यासा रख कर जो मशक़क़त कराते थे इस पर वह “सौम” के लफ़्ज़ यानि रोज़ा का, इत्लाक़ करते थे।

लेकिन रसूल अल्लाह ﷺ जब मदीना तशरीफ़ लाये तो यहाँ यहद के यहाँ रोज़ा रखने का रिवाज था। वह आशूरा का रोज़ा भी रखते थे, इसलिये कि इस रोज़ बनी इसराइल को फ़िरऔनियों से निजात मिली थी। रसूल अल्लाह ﷺ ने मुसलमानों को इब्तदाअन हर महीने “अय्यामे बैज़” [अय्यामे बैज़: इस्लामी महीनों की 13, 14 और 15 तारीख] के तीन रोज़े रखने का हक्म दिया। इस रुक़अ की इब्तदाई दो आयात में ग़ालिबन इसी की तौसीक़ है। अगर इब्तदा ही में पुरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिये जाते तो वह यक़ीनन शाक़ ग़ज़रते। ज़ाहिर बात है कि महीने सख़्त गर्म भी हो सकते हैं। अब अगर तीस के तीस रोज़े एक ही महीने में फ़र्ज़ कर दिये गये होते और वह ज़न ज़लाई के होते तो जान ही तो निकल जाती। चूनाँचे बेहतरीन तदबीर यह की गई कि हर

महीने में तीन दिन के रोज़े रखने का हक़्म दिया गया और यह रोज़े मख़्तलिफ़ मौसमों में आते रहे। फिर क़छ अरसे के बाद रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किये गये। हर महीने में तीन दिन के रोज़ों का जो इब्तदाई हक़्म था उसमें अलल इत्लाक़ यह इजाज़त थी कि जो शख्स यह रोज़े ना रखे वह इसका फ़िदया दे दे, अगरचे वह बीमार या मुसाफ़िर ना हो और रोज़ा रखने की ताक़त भी रखता हो। जब रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक़्म आ गया तो अब यह रुख़्सत ख़त्म कर दी गई। अलबत्ता रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़िदये की इस रुख़्सत को ऐसे शख्स के लिये बाक़ी रखा जो बहत बूढा है, या किसी ऐसी सख़्त बीमारी में मुब्तला है कि रोज़ा रखने से उसके लिये जान की हलाक़त का अंदेशा हो सकता है। यह है इन आयतों की तावील जिस पर मैं बहत अरसा पहले पहुँच गया था, लेकिन चूँकि अक्सर मुफ़स्सिरीन ने यह बात नहीं लिखी इसलिये मैं इसे बयान करने से झिझकता रहा। बाद में मुझे मालम हुआ कि मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहि० की राय यही है तो मुझे अपनी राय पर ऐतमाद हो गया। फिर मुझे इसका ज़िक़्र तफ़्सीरे कबीर में इमाम राज़ी रहि० के यहाँ भी मिल गया कि मत्क़द्मीन के यहाँ यह राय मौजूद है कि रोज़े से मत्तालिक़्र पहली दो आयतें (183,184) रमज़ान के रोज़े से मत्तालिक़्र नहीं हैं, बल्कि वह अय्यामे बैज़ के रोज़ों से मत्तालिक़्र हैं। अय्यामे बैज़ के रोज़े रसूल अल्लाह ﷺ ने रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बाद भी नफ़लन रखे हैं।

रोज़े के अहक़ाम पर मशतमिल यह रुक़अ छ: आयतों पर मशतमिल है और इस ऐतबार से एक अजीब मक़ाम है कि इस एक जगह रोज़े का तज़किरा जामियत के साथ आ गया है। क़ुरान मजीद में दीग़र अहक़ाम बहत दफ़ा आये हैं। नमाज़ के अहक़ाम बहत से मक़ामात पर आये हैं। कहीं वज़ के अहक़ाम आये हैं तो कहीं तयम्मूम के, कहीं नमाज़े कसर और नमाज़े ख़ौफ़ का ज़िक़्र है। लेकिन “सौम” की इबादत पर यह क़ल छ: आयात हैं, जिनमें इसकी हिक़मत, इनकी ग़र्ज़ व ग़ायत और इसके अहक़ाम सबके सब एक जगह आ गये हैं। फ़रमाया:

आयत 183

“ऐ ईमान वालों! तुम पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि फ़र्ज़ किया गया था तुमसे पहलों पर ताकि तुम्हारे अंदर तक्रवा पैदा हो जाये।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

वह जंग के लिये घोड़े को तैयार करवाते थे, तुम्हें तक्रवे के लिये अपने आपको तैयार करना है। रोज़े की मशक़ तुमसे इसलिये कराई जा रही है ताकि तुम भूख को क़ाबू में रख सको, शहवत को क़ाबू में रख सको, प्यास को बर्दाशत कर सको। तुम्हें अल्लाह तआला की राह में जंग के लिये निकलना होगा, उसमें भूख भी आयेगी, प्यास भी आयेगी। अपने आपको जिहाद व क़िताल के लिये तैयार करो। सूरतुल बकरह के अगले रुक़अ से क़िताल की बहस शुरू हो जायेगी। चुनाँचे रोज़े की यह बहस गोया क़िताल के लिये बतौरे तम्हीद आ रही है।”

आयत 184

“गिनती के चंद दिन है।”

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

“مَعْدُودَاتٍ” जमा क़िल्लत है, जो तीन से नौ तक के लिये आती है। यह गोया इसका सुबूत है कि यहाँ महीने भर के रोज़े मुराद नहीं है।

“इस पर भी जो कोई तुममें से बीमार हो या सफ़र पर हो”

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

“तो वह तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में।”

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“और जो इसकी ताक़त रखते हों (और वह रोज़ा ना रखें) उन पर फ़िदया है एक मिस्कीन का खाना खिलाना।”

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ

इन आयात की तफ़्सीर में, जैसा कि अर्ज़ किया गया, मुफ़स्सिरीन के बहुत से अक़वाल हैं। मैंने अपने मुताअले के बाद जो राय क़ायम की है मैं सिर्फ़ वही बयान कर रहा हूँ कि उस वक़्त इमाम राज़ी रहि० के बक़ौल यह फ़र्ज़ियत علی التّعین नहीं थी बल्कि التّخیر थी। यानि रोज़ा फ़र्ज़ तो किया गया है लेकिन उसका बदल भी दिया जा रहा है कि अगर तुम रोज़ा रखने की इस्तताअत के बावजूद नहीं रखना चाहते तो एक मिस्कीन को खाना खिला दो। चूँकि रोज़े के वह पहले से आदी नहीं थे, लिहाज़ा उन्हें तदरीजन इसका ख़ूगर बनाया जा रहा था।

“और जो अपनी मज़्ज़ी से कोई ख़ैर करना चाहे तो उसके लिये ख़ैर है।”

مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

अगर कोई रोज़ा भी रखे और मिस्कीन को खाना भी खिलाये तो यह उसके लिए बेहतर होगा।

“और रोज़ा रखो, यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानों।”

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

۱०

यहाँ भी एक तरह की रिआयत का अंदाज़ है। यह दो आयतें हैं जिनमें मेरे नज़दीक रोज़े का पहला हुक़म दिया गया, जिसके तहत रसूल अल्लाह ﷺ और अहले ईमान ने हर महीने में तीन दिन के रोज़े रखे। यह भी हो सकता है कि इन रोज़ों का हुक़म रसूल अल्लाह ﷺ ने अहले ईमान को अपने तौर पर दिया हो और बाद में इन आयतों ने उसकी तौसीक़ (पुष्टी) कर दी हो।

अब वह आयतें आ रही हैं जो ख़ास रमज़ान के रोज़े से मुताल्लिक़ हैं। इनमें से दो आयतों में रोज़े की हिक़मत और ग़र्ज़ व ग़ायत बयान की गई है। फिर एक तबील आयत रोज़े के अहक़ाम पर मुशतमिल है और आख़िर में एक आयत गोया लिट्मस टेस्ट है।

आयत 185

“रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया”

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

“लोगों के लिये हिदायत बना कर और हिदायत और हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ की रोशन दलीलों के साथ।”

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“तो जो कोई भी तुममें से इस महीने को पाये (या जो शख्स भी इस महीने में मुक़ीम हो) उस पर लाज़िम है कि रोज़ा रखे।”

مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

अब वह वुजूब अलल तस्खीर का मामला ख़त्म हो गया और वुजूब अलल तअय्युन हो गया कि यह लाज़िम है, यह रखना है।

“और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो वह तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में।”

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

यह रिआयत हसबे साबक़ (पहले की तरह) बरकरार रखी गई।

“अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और वह तुम्हारे साथ सख़्ती नहीं चाहता।”

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

लोग ख़्वाह माख़्वाह अपने ऊपर सख़्तियाँ झेलते हैं, शदीद सफ़र के अंदर भी रोज़े रखते हैं, हालाँकि अल्लाह तआला ने दूसरे दिनों में गिनती पूरी करने की इजाज़त दी है। रसूल अल्लाह ﷺ ने एक सफ़र में उन लोगों पर काफ़ी सरज़निश (डांट) की जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। आप ﷺ सहाबा किराम रज़ि० के हमराह जिहाद व क़िताल के लिये निकले थे कि कुछ लोगों ने इस सफ़र में भी रोज़ा रख लिया। नतीजा यह हुआ कि सफ़र के बाद जहाँ मंज़िल पर जाकर ख़ेमे लगाने थे वह निढाल होकर गिर गये और जिन लोगों का रोज़ा

नहीं था उन्होंने खेमे लगाये। इस पर रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: ((لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصُّومُ فِي السَّفَرِ))(21) “सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है।” लेकिन हमारा नेकी का तसुब्बर मुख़्तलिफ़ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ख़्वाह 105 बुखार चढा हुआ हो वह कहेंगे कि रोज़ा तो नहीं छोड़ूंगा। हालाँकि अल्लाह तआला की तरफ़ से दी गई रिआयत से फ़ायदा ना उठाना एक तरह का कुफ़राने नेअमत है।

“ताकि तुम तादाद पूरी करो”

وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

मर्ज़ या सफ़र के दौरान जो रोज़े छूट जाएँ तुम्हें दूसरे दिनों में उनकी तादाद पूरी करनी होगी। वह जो एक रिआयत थी कि फ़िदया देकर फ़ारिग़ हो जाओ वह अब मन्सूख़ हो गई।

“और ताकि तुम बड़ाई करो अल्लाह की उस पर जो हिदायत उसने तुम्हें बख़्शी है”

وَلْتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

“और ताकि तुम शुक्र कर सको।”

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

वह नेअमते उज़मा जो कुरान हकीम की शक़ल में तुम्हें दी गई है, तुम उसका शुक्र अदा करो। इस मौजू पर मेरे दो किताबचों “अज़मते सौम” और “अज़मते सियाम व क्रियामे रमज़ाने मुबारक” का मुताअला मुफ़ीद साबित होगा। उनमें यह सारे मज़ामीन तफ़सील से आये हैं कि रोज़े की क्या हिकमत है, क्या ग़र्ज़ व शायत है, क्या मक़सद है और आख़री मंज़िल क्या है। मतलूब तो यह है कि तुम्हारा यह जो जिस्मे हैवानी है, यह कुछ कमज़ोर पड़े और रूहे रब्बानी जो तुम में फूँकी गई है उसे तन्विद्यत हासिल हो। चुनाँचे दिन में रोज़ा रखो और इस हैवानी वुजूद को ज़रा कमज़ोर करो, इसके तक्राज़ों को दबाओ। फिर रातों को खड़े हो जाओ और अल्लाह का कलाम सुनो और पढो, ताकि तुम्हारी रूह की आबयारी (पोषण) हो, इस पर आबे हयात का तरशह (छिड़काव) हो। नतीजा यह निकलेगा कि खुद तुम्हारे अंदर से तक्ररूब इलल्लाह की एक प्यास उभरेगी।

आयत 186

“और (ऐ नबी ﷺ!) जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो (उनको बता दीजिये कि) मैं करीब हूँ।”

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

मेरे नज़दीक यह दुनिया में हुकूके इंसानी का सबसे बड़ा मन्शूर (Magna Carta) है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फ़सल (दूरी) नहीं है। फ़सल अगर है तो वह तुम्हारी अपनी ख़्बासत है। अगर तुम्हारी नीयत में फ़साद है कि हरामखोरी तो करनी ही करनी है तो अब किस मुँह से अल्लाह से दुआ करोगे? लिहाज़ा किसी पीर के पास जाओगे कि आप दुआ कर दीजिये, यह नज़राना हाज़िर है। बंदे और खुदा के दरमियान खुद इंसान का नफ़्स हाइल है और कोई नहीं, वरना अल्लाह तआला का मामला तो यह है कि:

हम तो माईल ब करम हैं कोई साइल ही नहीं
राह दिखलाएँ किसे, राह रवे मंज़िल ही नहीं!

उस तक पहुँचने का वास्ता कोई पोप नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई पुरोहित नहीं, कोई पीर नहीं। जब चाहो अल्लाह से हम कलाम हो जाओ। अल्लामा इक़बाल ने क्या ख़ूब कहा है:

क्यों ख़ालिक़ और मख़्लूक़ में हाइल रहें पर्दे?

पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो!

अल्लाह तआला ने वाज़ेह फ़रमा दिया है कि मेरा बंदा जब चाहे, जहाँ चाहे मुझसे हम कलाम हो सकता है।

“मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी (और जहाँ भी) वह मुझे पुकारे”

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

“अजाबत” के मफ़हूम में किसी की पुकार का सुनना, उसका जवाब देना और उसे कुबूल करना, यह तीनों चीज़ें शामिल हैं। लेकिन इसके लिये एक शर्त आयद की जा रही है:

“पस उन्हें चाहिये कि वह मेरा हुक्म माने”

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

“और मुझ पर ईमान रखें”

وَلْيُؤْمِنُوا بِي

यह एक तरफ़ा बात नहीं है, बल्कि यह दो तरफ़ा मामला है। जैसे हम पढ चुके हैं: {فَلْيَذْكُرُوا نِيَّ اَنْكُرُكُ} “पस तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा” तुम मेरा शुक़ करोगे तो मैं तुम्हारी क़द्रदानी करूँगा। तुम मेरी तरफ़ चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर आऊँगा। तुम बालिशत भर आओगे तो मैं हाथ भर आऊँगा। लेकिन अगर तुम रुख़ मोड़ लोगे तो हम भी रुख़ मोड़ लेंगे। हमारी तो कोई ग़र्ज़ नहीं है, ग़र्ज़ तो तुम्हारी है। तुम रुजूअ करोगे तो हम भी रुजूअ करेंगे। तुम तौबा करोगे तो हम भी अपनी नज़रे करम तुम पर मुतवज्जा कर देंगे। सूरह मुहम्मद صلى الله عليه وسلم में अल्फ़ाज़ आये हैं” {اِنْ تَتُصَرُّوا اللّٰهَ يَتُصَرُّكُمْ} (आयत:7) “अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा।” लेकिन अगर तुम अल्लाह के दुश्मनों के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाओ, उनके साथ तुम्हारी साज़-बाज़ हो और खड़े हो जाओ कुनूते नाज़िला में अल्लाह से मदद माँगने के लिये तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? पहले अल्लाह की तरफ़ अपना रुख़ तो करो, अल्लाह से अपना मामला तो दुरुस्त करो। इसमें यह कोई शर्त नहीं है कि पहले वली-ए-कामिल बन जाओ, बल्कि उसी वक़्त खुलूसे नियत से तौबा करो, सारे पर्दे हट जाएँगे। आयत के आख़िर में फ़रमाया:

“ताकि वह सही राह पर रहें”

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

अल्लाह तआला पर ईमान रखने और उसके अहकाम पर चलने का यह नतीजा निकलेगा कि वह रुशदो हिदायत की राह पर गामज़न हो जाएँगे।

आयत 187

“हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिये रोज़े की रातों में बेहिजाब होना अपनी बीवियों से।”

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ

अहकामे रोज़े से मुताल्लिक़ यह आयत बड़ी तवील है। यहूद के यहाँ शरीअते मूसवी में रोज़ा शाम को ही शुरु हो जाता था और रात भी रोज़े में शामिल थी। चुनाँचे ताल्लुके ज़न व शौ (मियाँ-बीवी का ताल्लुक़) भी क़ायम नहीं हो सकता था। उनके यहाँ सेहरी वग़ैरह का भी कोई तसुव्वर नहीं था। जैसे ही रात को सोते रोज़ा शुरु हो जाता और अगले दिन गुरुबे आफ़ताब तक रोज़ा रहता। हमारे यहाँ रोज़े में नरमी की गई है। एक तो यह कि रात को रोज़े से ख़ारिज कर दिया गया। रोज़ा बस दिन का है और रात के वक़्त रोज़े की सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चुनाँचे रात को ताल्लुके ज़न व शौ भी क़ायम किया जा सकता है और खाने-पीने की भी इजाज़त है। लेकिन बाज़ मुसलमान यह समझ रहे थे कि शायद हमारे यहाँ भी रोज़े के वही अहकाम हैं जो यहूद के यहाँ हैं। इसलिये ऐसा भी होता था कि रोज़ों की रातों में बाज़ लोग ज़ब्बात में बीवियों से मुक़ारबत (संभोग) कर लेते थे, लेकिन दिल में समझते थे कि शायद हमने ग़लत काम किया है। यहाँ अब उनको इत्मिनान दिलाया जा रहा है कि तुम्हारे लिये रोज़े की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है।

“वह पोशाक हैं तुम्हारे लिये और तुम पोशाक हो उनके लिये।”

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

यह बड़ा लतीफ़ किनायह (इशारा) है कि वह तुम्हारे लिये बमंज़िला-ए-लिबास हैं और तुम उनके लिये बमंज़िला-ए-लिबास हो। जैसे लिबास में और जिस्म में कोई पर्दा नहीं ऐसे ही बीवी में और शौहर में कोई पर्दा नहीं है। खुद लिबास ही तो पर्दा है। वैसे भी मर्द के अख़लाक़ की हिफ़ाज़त करने वाली बीवी है और बीवी के अख़लाक़ की हिफ़ाज़त करने वाला मर्द है। मुझे इक़बाल का शेर याद आ गया:

ने पर्दा ने तालीम, नई होकर पुरानी

निस्वानियते ज़न का निगहबान है फ़क़त मर्द

बहरहाल मर्द व औरत एक दूसरे के लिये एक ज़रूरत भी हैं और एक दूसरे की पर्दापोशी भी करते हैं।

“अल्लाह के इल्म में है कि तुम अपने आपके साथ ख़्यानत कर रहे थे”

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ خَتَاوُنَ اَنْفُسِكُمْ

तुम एक काम कर रहे थे जो गुनाह नहीं है, लेकिन तुम समझते थे कि गुनाह है, फिर भी उसका इरतकाब कर रहे थे। इस तरह तुम अपने आप से ख्यानत के मुरतकिब हो रहे थे।

“तो अल्लाह ने तुम पर नज़रे रहमत फ़रमाई”

فَتَابَ عَلَيْكُمْ

“और तुम्हें माफ़ कर दिया”

وَعَفَا عَنْكُمْ

इस सिलसले में जो भी ख़ताएँ हो गई हैं वह सबकी सब माफ़ समझो।

“तो अब तुम उनके साथ ताल्लुके ज़न व शौ कायम करो”

فَالَّذِينَ بَشِيرٌ وَهْنٌ

“और तलाश करो उसको जो कुछ अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिख दिया है।”

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

यानि औलाद, जो ताल्लुके ज़न व शौ का असल मक़सद है। दूसरे यह कि अल्लाह तआला ने इस ताल्लुके ज़न व शौ को सुकून व राहत का ज़रिया बनाया है। जैसे कुरान मजीद में {لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} के अल्फ़ाज़ आये हैं। इस ताल्लुक के बाद आसाब (नसों) के तनाव में एक सुकून की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। और इसमें यही हिक्मत है कि रसूल अल्लाह ﷺ अपने हर सफ़र में एक ज़ौजा-ए-मोहतरमा को ज़रूर साथ रखते थे। इसलिये की कायद और सिपहसलार को किसी वक़्त किसी ऐसी परेशानकुन सूरते हाल में फ़ैसले करने पड़ते हैं कि ज़बात पर और आसाब पर दबाव होता है।

“और खाओ-पियो यहाँ तक कि वाज़ेह हो जाये तुम्हारे लिये फ़ज़्र की सफ़ेद धारी (रात की) स्याह धारी से।”

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَيْنَ لَكُمْ الْحَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

यह पौ फटने के लिये इस्तआरा (लक्षण) है। यानि जब सुपैदा सहर नुमाया होता है, सुबह सादिक़ होती है उस वक़्त तक खाने-पीने की छूट है। बल्कि यहाँ {

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} “और खाओ और पियो” अम्र के सीगे आये हैं। सहरी करने की हदीस में भी ताकीद आई है और रसूल अल्लाह ﷺ ने यह भी फ़रमाया है कि हमारे और यहूद के रोज़े के माबैन सेहरी का फ़र्क़ है। एक हदीस में आया है: ((تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَةً))⁽²²⁾ “सहरी ज़रूर किया करो, इसलिये कि सहरी में बरकत है।”

“फिर रात तक रोज़े को पूरा करो।”

ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى النَّيْلِ

“रात तक” से अक्सर फ़ुक्रहा के नज़दीक गुरुबे आफ़ताब मुराद है। अहले तशय्य (शिया) इससे ज़रा आगे जाते हैं कि गुरुबे आफ़ताब पर चंद मिनट मज़ीद गुज़र जाएँ।

“और उनसे मुबाशरत मत करो जबकि तुम मस्जिदों में हालते ऐतकाफ़ में हो।”

وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

यह रिआयत जो तुम्हें दी जा रही है इसमें एक इस्तशना (exception) है कि जब तुम मस्जिदों में मौतकिफ़ हो तो फिर अपनी बीवियों से रात के दौरान भी कोई ताल्लुक कायम ना करो।

“यह अल्लाह की (मुकरर की हुई) हुदूद हैं, पस इनके करीब भी मत जाओ।”

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

बाज़ मक़ामात पर आता है: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} “यह अल्लाह की मुकरर कर्दा हुदूद हैं, पस इनसे तजावुज़ ना करो” इनको उबूर ना करो। इस्लाहन हराम तो वही शय होगी कि हुदूद से तजावुज़ किया जाये। लेकिन बहरहाल अहतियात इसमें है कि इन हुदूद से दूर रहा जाये (to keep at a safe distance) आखरी हद तक चले जाओगे तो अंदेशा है कि कहीं इस हद को उबूर ना कर जाओ।

“इसी तरह अल्लाह वाज़ेह करता है अपनी निशानियाँ लोगों के लिये”

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

“ताकि वह तक़वा की रविश इख़्तियार कर सकें।”

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

अब इस रुकूअ की आख़री आयत में बताया जा रहा है कि तक़वा का मैयार और उसकी कसौटी क्या है। रोज़ा इसलिये फ़र्ज़ किया गया है और यह सारे अहकाम तुम्हें इसी लिये दिये जा रहे हैं ताकि तुम में तक़वा पैदा हो जाए- और तक़वा का लिट्मस टेस्ट है “अकल हलाल (हलाल खाना)” अगर यह नहीं है तो कोई नेकी नेकी नहीं है। फ़रमाया:

आयत 188

“और तुम अपने माल आपस में वातिल तरीक़ों से हड़प ना करो”

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“और इसको ज़रिया ना बनाओ हुक्काम तक पहुँचने का”

وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

“ताकि तुम लोगों के माल का कुछ हिस्सा हड़प कर सको गुनाह के साथ”

لِيَأْكُلُوا مِنْهُ مِمَّا كَرِهُوا لَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“और तुम उसको जानते बूझते कर रहे हो।”

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

यह तक़वा के लिये मैयार और कसौटी है। जो शख्स अकले हलाल पर क़ानेअ (संतुष्ट) हो गया और हराम ख़ोरी से बच गया वो मुत्तक़ी है। वरना नमाज़ों और रोज़ों के अम्बार के साथ-साथ जो शख्स हरामख़ोरी की रविश इख़्तियार किये हुए है वह मुत्तक़ी नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि लोगों ने इस बात पर शौर नहीं किया कि अहकाम की आयतों के दरमियान यह आयत क्योंकर आई है। इससे पहले रोज़े के अहकाम आये हैं, आगे हज के अहकाम आ रहे हैं, फिर क़िताल के अहकाम आएँगे। इनके दरमियान में इस आयत की क्या हिकमत है? वाक़या

यह है कि जैसे रोज़े की हिकमत का नुक़ता-ए-उरूज यह है कि रूहे इंसानी में तक्ररुब इलल्लाह की तलब पैदा हो जाये इसी तरह अहकामे सौम का नुक़ता-ए-उरूज “अकल हलाल” (हलाल खाना) है।

आयत 189 से 196 तक

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ مِنَ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الذِّبْرُ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُيُوتَ مِنَ الْأَيْمَنِ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
أَخْرَجْتُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُفْتَلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُفْتَلُوا كُمْ فِيهِ ۗ فَإِنْ قَاتَلْتُمْ فَاقْتُلُواهُمْ كَمَا قَاتَلْتُمُ الْكُفْرِيْنَ ۗ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَأَمْوَالُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ ۗ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِه
أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۗ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۗ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

आयत 189

“(ऐ नबी صلى الله عليه وسلم!) यह आप صلى الله عليه وسلم से पूछ रहे हैं चाँद की घटती-बढ़ती सूरतों के बारे में।”

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَاءِ

“कह दीजिये यह लोगों के लिये अवकात का तअय्युन है और हज के लिये है।”

قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

यह अल्लाह तआला ने एक कैंडल लटका दिया है। हिलाल को देख कर मालूम हो गया कि चाँद की पहली तारीख हो गई। कुछ दिनों के बाद निस्फ़ चाँद देख कर पता चल गया कि अब एक हफ़ता गुज़र गया है। दो हफ़ते हो गये तो पूरा चाँद हो गया। अब इसने घटना शुरू किया। तो यह निज़ाम गोया लोगों के लिये अवकाते कार की तअय्युन के लिये है और इस ज़िमन में खासतौर पर सबसे अहम मामला हज का है। यह नोट कीजिये की सौम के बाद हज और हज के साथ ही क़िताल का ज़िक्र आ रहा है। इसलिये कि “हज” वह इबादात है जो एक खास जगह पर हो सकती है। नमाज़ और रोज़ा हर जगह हो सकते हैं, ज़कात हर जगह दी जा सकती है, लेकिन “हज” तो मक्का मुकर्रमा ही में होगा, और वह मुशरिकीन के ज़ेरे तसल्लुत (एकाधिकार) था और उसे मुशरिकीन के तसल्लुत से निकालने के लिये क़िताल लाज़िम था। क़िताल के लिये पहले सन्न का पैदा होना ज़रूरी है। चुनाँचे पहले रोज़े का हुक्म दिया गया कि जैसे अपने घोड़ों को रोज़ा रखवाते थे ऐसे ही खुद रोज़ा रखो। सूरतुल बकरह में सौम, हज और क़िताल के अहकाम के दरमियान यह तरतीब और रब्त है।

“और यह कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ़ से दाख़िल हो, बल्कि नेकी तो उसकी है जिसने तक्रवा इख़्तियार किया।”

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى

अहले अरब अय्यामे जाहिलियत में भी हज तो कर रहे थे, मनासिके हज की कुछ बिगड़ी हुई शक़्लें भी मौजूद थीं, और इसके साथ उन्होंने कुछ बिद्आत व रस्मों का इज़ाफ़ा भी कर लिया था। उनमें से एक बिद्आत यह थी कि जब वह अहराम बाँध कर घर से निकल पड़ते तो उसके बाद अगर उन्हें घरों में दाख़िल

होने की ज़रूरत पेश आती तो घरों के दरवाज़ों से दाख़िल ना होते बल्कि पिछवाड़े से दीवार फ़लाँद कर आते थे और समझते थे कि यह बड़ा तक्रवा है। फ़रमाया यह सिरे से कोई नेकी की बात नहीं है कि तुम घरों में उनके पिछवाड़ों से दाख़िल हो, बल्कि असल नेकी तो उसकी नेकी है जो तक्रवा की रविश इख़्तियार करे और हुदूदे इलाही का अहताराम मलहज़ रखे। यहाँ पूरी आयत “आयतुल बिर” को ज़हन में रख लीजिये जिसके आख़िर में अल्फ़ाज़ आये थे: { وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى } चुनाँचे आयत ज़ेरे मुताअला में { وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } के अल्फ़ाज़ में नेकी का वह पूरा तसव्वुर मुज़मर है जो आयतुल बिर में बयान हो चुका है।

“और घरों में दाख़िल हो उनके दरवाज़ों से।”

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो ताकि तुम फ़लाह पाओ।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

आयत 190

“और क़िताल करो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे क़िताल कर रहे हैं।”

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

लीजिये क़िताल का हुक्म आ गया। सूरतुल बकरह के निस्फ़े सानी के मज़ामीन की जो चार लड़ियाँ मैंने गिनवाई थीं- यानि इबादात, मामलात, इन्फ़ाक़ और क़िताल- यह उनमें से चौथी लड़ी है। फ़रमाया कि अल्लाह की राह में उनसे क़िताल करो जो तुमसे क़िताल कर रहे हैं।

“लेकिन हद से तजावुज़ ना करो।”

وَلَا تَغْتَدُوا

“बेशक अल्लाह तआला हद से तजावुज़ करने वालों को पंसद नहीं करता।”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

आयत 191

“और उन्हें क़त्ल करो जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ”

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ

“और निकालो उनको वहाँ से जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है”

وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

मुहाजरीन मक्का मुक्करमा से निकाले गये थे, वहाँ पर मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم और आप صلی اللہ علیہ وسلم के साथी अहले ईमान पर क़ाफ़िया-ए-हयात तंग (जीना दूभर) कर दिया गया था। तभी तो आप صلی اللہ علیہ وسلم ने हिजरत की। अब हुक्म दिया जा रहा है कि निकालो उन्हें वहाँ से जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है।

“और फ़ितना क़त्ल से भी बढ कर है।”

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

कुफ़र व मुशरिकीन से फ़िताल के ज़िम्न में कहीं यह ख़याल ना आये कि क़त्ल और ख़ूरेज़ी बुरी बात है। याद रखो कि फ़ितना इससे भी ज़्यादा बुरी बात है। फ़ितना क्या है? ऐसे हालात जिनमें इंसान खुदाये वाहिद की बन्दगी ना कर सके, ऐसे ग़लत कामों पर मजबूर किया जाये, वह हरामखोरी पर मजबूर हो गया हो, यह सारे हालात फ़ितना हैं। तो वाज़ेह रहे कि क़त्ल और ख़ूरेज़ी इतनी बुरी शय नहीं है जितनी फ़ितना है।

“हाँ मस्जिदे हराम के पास (जिसे अमन की जगह बना दिया गया है) उनसे जंग मत करो जब तक वह तुमसे उसमें जंग ना छेड़ें।”

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ

“फिर अगर वह तुमसे जंग करें तो उनको क़त्ल करो।”

فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

“यही बदला है काफ़िरों का।”

كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

आयत 192

“फिर अगर वह बाज़ आ जाएँ तो यक़ीनन अल्लाह बख़्शने वाला बहुत मेहरबान है।”

فَإِنْ اتَّبَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

आयत 193

“और लडो उनसे यहाँ तक कि फ़ितना बाक़ी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाये।”

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

الدِّينُ لِلَّهِ

“फिर अगर वह बाज़ आ जाएँ तो कोई ज़्यादाती जायज़ नहीं है मगर ज़ालिमों पर।”

فَإِنْ اتَّبَعُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

ۛ

दावते मुहम्मदी صلی اللہ علیہ وسلم के ज़िम्न में अब यह जंग का मरहला शुरू हो गया है। मुसलमानों जान लो, एक दौर वह था कि बारह-तेरह बरस तक तुम्हें हुक्म था {كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ} “अपने हाथ बाँधे रखो!” मारे खाओ मगर हाथ मत उठाना। अब तुम्हारी दावत और तहरीक नए दौर में दाख़िल हो गई है। अब जब तुम्हारी तलवारों म्यान से बाहर आ गई हैं तो म्यान में ना जाएँ जब तक कि फ़ितना बिल्कुल ख़त्म ना हो जाये और दीन अल्लाह ही के लिये हो जाये, अल्लाह का दीन कायम हो जाये, पूरी ज़िन्दगी में उसके अहकाम की तन्फ़ीज़ हो रही हो। यह आयत दोबारा सूरतुल अन्फ़ाल में ज़्यादा निखरी हुई शान के साथ आई है:

{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ } (आयत:39) “और जंग करो उनसे यहाँ तक कि फ़ितना बाक़ी ना रहे और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिये हो जाये।” दीन की बालादस्ती (प्रधानता) जुज़वी (आंशिक) तौर पर नहीं बल्कि कुल्ली तौर पर पूरी इंसानी ज़िन्दगी पर कायम हो जाये, इन्फ़रादी ज़िन्दगी पर भी और इज्तमाई ज़िन्दगी पर भी। और इज्तमाई ज़िन्दगी के भी सारे पहलू (Politico-Socio-Economic System) कुल्ली तौर पर अल्लाह के अहकाम के ताबेअ हों।

आयत 194

“हरमत वाला महीना बदला है हरमत वाले महीने का”

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ

“और हरमात के अंदर भी बदला है।”

وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ

यानि अगर उन्होंने अशहरे हरुम की बेहरमती की है तो उसके बदले में यह नहीं होगा कि हम तो हाथ पर हाथ बाँध कर खड़े रहें कि यह तो अशहरे हरुम हैं। हुदूदे हरम और अशहरे हरुम की हरमत अहले अरब के यहाँ मुसल्लम (मान्य) थी। उनके यहाँ यह तय था कि इन चार महीनों में कोई खूँरज़ी, कोई जंग नहीं होगी, यहाँ तक कि कोई अपने बाप के क्रातिल को पा ले तो वह उसको भी क़त्ल नहीं करेगा। यहाँ वज़ाहत की जा रही है कि अशहरे हरुम व हुदूदे हरम में जंग वाक़िअतन बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर कुफ़्रार की तरफ़ से उनकी हरमत का लिहाज़ ना रखा जाये और वह इक़दाम (कार्यवाही) करें तो अब यह नहीं होगा कि हाथ-पाँव बाँध कर अपने आपको पेश कर दिया जाये, बल्कि जवाबी कार्यवाही करना होगी। इस जवाबी इक़दाम में अगर हुदूदे हरम या अशहरे हरुम की बेहरमती करनी पड़े तो इसका बवाल भी उन पर आयेगा जिन्होंने इस मामले में पहल की।

“तो जो कोई भी तुम पर ज़्यादती करता है तो तुम भी उसके खिलाफ़ कार्यवाही करो (इक़दाम करो) जैसे कि उसने तुम पर ज़्यादती की।”

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो”

وَاتَّقُوا اللَّهَ

“और जान लो कि अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ है।”

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

यानि अल्लाह की ताईद व नुसरत और उसकी मदद अहले तक्रवा के लिये आयेगी। अब आगे “इन्फ़ाक़” का हुक्म आ रहा है जो मज़ामीन की चार लड़ियों में से तीसरी लड़ी है। क़िताल के लिये इन्फ़ाके माल लाज़िम है। अगर फ़ौज के साज़ो सामान ना हो, रसद का अहतमाम ना हो, हथियार ना हों, सवारियाँ ना हों तो जंग कैसे होगी?

आयत 195

“और ख़र्च करो अल्लाह की राह में और मत डालो अपने आपको अपने हाथों हलाकत में।”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

यानि जिस वक़्त अल्लाह के दीन को रूपये-पैसे की ज़रूरत हो उस वक़्त जो लोग अल्लाह की राह में जान व माल की कुर्बानी से जी चुराते हैं और अपने आपको अपने हाथों से हलाकत में डालते हैं। जैसे रसूल अल्लाह ﷺ ने ग़ज़वा-ए-तबूक के मौक़े पर आम अपील की और उस वक़्त जो लोग अपने माल को समेट कर बैठे रहे तो गोया उन्होंने अपने आपको खुद हलाकत में डाल दिया।

“और अहसान की रविश इख़्तियार करो।”

وَأَحْسِنُوا

अपने दीन के अंदर खूबसूरती पैदा करो। दीन में बेहतर से बेहतर मक़ाम हासिल करने की कोशिश करो। हमारा मामला यह है कि दुनिया में आगे से आगे और दीन में पीछे से पीछे रहने की कोशिश करते हैं। दीन में यह देखेंगे कि कम से कम पर गुज़ारा हो जाये, जबकि दुनिया के मामले में आगे से आगे निकलने की कोशिश होगी “है जुस्तजू कि ख़ूब से है ख़ूब तर कहाँ!” यह जुस्तजू जो दुनिया में है इससे कहीं बढ़ कर दीन में होनी चाहिये, अज़रुए अल्फ़ाज़े कुरानी: {فَأَسْتَفِيؤُا {الْخَيْرَاتِ} “पस तुम नेकियों में एक-दूसरे से बाज़ी ले जाने की कोशिश करो।”

“यक़ीनन अल्लाह तआला मोहसिनीन को
(उन लोगों को दर्जा-ए-अहसान पर फ़ाइज़
हो जाएँ) पसंद करता है।”

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

हदीसे जिब्राइल (जिसे उम्मुस सुन्नाह कहा जाता है) में हज़रत जिब्राइल अलै० ने रसूल अल्लाह ﷺ से तीन सवाल किये थे: (1) أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ “मुझे इस्लाम के बारे में बताइये (कि इस्लाम क्या है?)” (2) أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ “मुझे ईमान के बारे में बताइये (कि ईमान क्या है?)” (3) أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ “मुझे अहसान के बारे में बताइये (कि अहसान क्या है?)” अहसान के बारे में रसूल अल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تُكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) (23) “(अहसान यह है) कि तू अल्लाह तआला की इबादत ऐसे करे गोया तू उसे देख रहा है, फिर अगर तू उसे ना देख सके (यानि यह कैफ़ियत हासिल ना हो सके) तो (कम से कम यह ख़्याल रहे कि) वह तो तुझे देख रहा है।” दीन के सारे काम, इबादात, इन्फ़ाक़ और जिहाद व क़िताल ऐसी कैफ़ियत में और ऐसे इख़लास के साथ हों गोया तुम अपनी आँखों से अल्लाह को देख रहे हो, और अगर यह मक़ाम और कैफ़ियत हासिल ना हो तो कम से कम यह कैफ़ियत तो हो जाये कि तुम्हें मुस्तहज़र (अहसास) रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यह अहसान है। आमतौर पर इसका तर्जुमा इस अंदाज़ में नहीं किया गया। इसको अच्छी तरह समझ लीजिये। वैसे यह मज़मून ज़्यादा वज़ाहत के साथ सूरतुल मायदा में आयेगा।

आयत 196

“और हज़ और उमरा मुकम्मल करो अल्लाह
के लिये।”

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

उमरा के लिये अहराम तो मदीना मुनव्वरा से सात मील बाहर निकल कर ही बाँध लिया जायेगा, लेकिन हज़ मुकम्मल तब होगा जब तवाफ़ भी होगा, वकूफ़े अरफ़ा भी होगा और उसके सारे मनासिक अदा किये जाएँगे। लिहाज़ा जो शख्स भी हज़ या उमरा की नीयत कर ले तो फिर उसे तमाम मनासिक को मुकम्मल करना चाहिये, कोई कमी ना रहे।

“फिर अगर तुम्हें घेर लिया जाये”

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ

यानि रोक दिया जाये, जैसा कि 6 हिजरी में हुआ कि मुसलमानों को सुलह हुदेबिया करनी पड़ी और उमरा अदा किये बग़ैर वापस जाना पड़ा। मुशरिकीने मक्का अड़ गये थे कि मुसलमानों को मक्का में दाख़िल नहीं होने देंगे।

“तो जो कोई भी कुर्बानी मयस्सर हो वह पेश
कर दो।”

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

यह दमे अहसार कहलाता है कि चूँकि अब हम आगे नहीं जा सकते, हमें यहीं अहराम खोलना पड़ रहा है तो हम अल्लाह के नाम पर यह जानवर दे रहे हैं। यह एक तरह से इसका कफ़ारा है।

“और अपने सिर उस वक़्त तक ना मूँडो जब
तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुँच जाये।”

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ

حِمْلَهُ

यानि जहाँ जाकर कुर्बानी का जानवर ज़िबह होना है वहाँ पहुँच ना जाये। अगर आपको हज़ या उमरा से रोक दिया गया और आपने कुर्बानी के जानवर आगे भेज दिये तो आपको रोकने वाले उन जानवरों को नहीं रोकेगें, इसलिये कि उनका गोशत तो उन्हें खाने को मिलेगा। अब अंदाज़ा कर लिया जाये कि इतना वक़्त गुज़र गया है कि कुर्बानी का जानवर अपने मक़ाम पर पहुँच गया होगा।

“फिर जो कोई तुममें से बीमार हो या उसके सिर में कोई तकलीफ़ हो”

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ

यानि सिर में कोई ज़ख्म वगैरह हो और उसकी वजह से बाल कटवाने ज़रूरी हो जायें।

“तो वह फ़िदये के तौर पर रोज़े रखे या सदक़ा दे या कुर्बानी करे।”

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ

अगर उस हदी के जानवर के काबा पहुँचने से पहले-पहले तुम्हें अपने बाल काटने पड़ें तो फ़िदया अदा करना होगा। यानि एक कमी जो रह गई है उसकी तलाफ़ी के लिये कफ़फ़ारा अदा करना होगा। इस कफ़फ़ारे की तीन सूरतें बयान हुई हैं: रोज़े, या सदक़ा या कुर्बानी। इसकी वज़ाहत अहादीससे नबवी ﷺ से होती है कि या तो तीन दिन के रोज़े रखे जायें, या छः मिस्कीनों को खाना खिलाया जाये या कम से कम एक बकरी की कुर्बानी दी जाये। इस कुर्बानी को दमे जनायत कहते हैं।

“फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो (और तुम सीधे बैतुल्लाह पहुँच सकते हो)”

فَإِذَا أُمِنْتُمْ

“तो जो कोई भी फ़ायदा उठाये उमरे का हज से क़बूल तो वह कुर्बानी पेश करे जो भी उसे मयस्सर हो।”

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

रसूल अल्लाह ﷺ की बेअसत से पहले अहले अरब के यहाँ एक सफ़र में हज और उमरा दोनों करना गुनाह समझा जाता था। उनके नज़दीक यह काबा की तौहीन थी। उनके यहाँ हज के लिये तीन महीने शवाल, ज़िल क़ादा और ज़िल हिज्जा थे, जबकि रज्जब का महीना उमरे के लिये मख़सूस था। वह उमरे के लिये अलैहदा सफ़र करते और हज के लिये अलैहदा। यह बात हुदूदे हरम में रहने वालों के लिये तो आसान थी, लेकिन इस उम्मत को तो पूरी दुनिया में फैलना

था और दूर दराज़ से सफ़र करके आने वालों के लिये इसमें मशक्कत थी। लिहाज़ा शरीअते मुहम्मदी ﷺ में लोगों के लिये जहाँ और आसानियाँ पैदा की गई वहाँ हज व उमरे के ज़िमान में यह आसानी भी पैदा की गई कि एक ही सफ़र में हज और उमरा दोनों को जमा कर लिया जाये। इसकी दो सूरतें हैं। एक यह कि पहले उमरा करके अहराम खोल दिया जाये और फिर आठवें ज़िल हिज्जा को हज का अहराम बाँध लिया जाये। यह “हज्जे तमत्तोअ” कहलाता है। दूसरी सूरत यह है कि हज के लिये अहराम बाँधा था, जाते ही उमरा भी कर लिया, लेकिन अहराम खोला नहीं और उसी अहराम में हज भी कर लिया। यह “हज्जे क़िरान” कहलाता है। लेकिन अगर शुरू ही से सिर्फ़ हज का अहराम बाँधा जाये और उमरा ना किया जाये तो यह “हज्जे अफ़राद” कहलाता है। क़िरान या तमत्तोअ करने वाले पर कुर्बानी ज़रूरी है। इमाम अबु हनीफ़ा रहि० इसे दमे शुक्र कहते हैं और कुर्बानी करने वाले को इसमें से खाने की इजाज़त देते हैं। इमाम शाफ़ई रहि० के नज़दीक यह दमे जबर है और कुर्बानी करने वाले को इसमें से खाने की इजाज़त नहीं है।

“जिसको कुर्बानी ना मिले तो वह तीन दिन के रोज़े अय्यामे हज में रखे”

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ

यानि ऐन अय्यामे हज में सातवें, आठवें और नौवें ज़िल हिज्जा को रोज़ा रखे। दसवें का रोज़ा नहीं हो सकता, वह ईद का दिन (यौमुल नहर) है।

“और सात रोज़े रखो जबकि तुम वापस पहुँच जाओ।”

وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ

अपने घरों में जाकर सात रोज़े रखो।

“यह कुल दस (रोज़े) होंगे।”

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

“यह (रिआयत) उसके लिये है जिसके घर वाले मस्जिदे हराम के करीब ना रहते हो।”

ذَلِكَ لِئِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

यानि एक ही सफ़र में हज और उमरा को जमा करने की रियायत, ख्वाह तमत्तोअ की सूरत में हो या क़िरान की सूरत में, सिर्फ़ आफ़ाक़ी के लिये है, जिसके अहलो अयाल जवारे हरम में ना रहते हों, यानि जो हुदूदे हरम के बाहर से हज करने आया हो।

“और अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करो”

وَاتَّقُوا اللَّهَ

“और ख़ूब जान लो कि अल्लाह तआला सज़ा देने में भी बहुत सख़्त है।”

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

आयात 197 से 203 तक

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَغْلِبُهُ اللَّهُ تَوَتَرًا وَذُؤًا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاصَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

पिछले रकूअ से मनासिके हज का तज़क़िरा शुरू हो चुका है। अब इस पच्चीसवीं रकूअ में हज का असल फ़लसफ़ा, उसकी असल हिक़मत और उसकी असल रूह का बयान है। फ़रमाया:

आयत 197

“हज के मालूम महीने हैं”

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ

यानि अरब में जो भी पहले से रिवाज चला आ रहा था उसकी तौसीक़ (पुष्टी) फ़रमा दी गई कि वाक़ई हज के मवाक़ीत (टाइम) का तअय्युन अल्लाह तआला की तरफ़ से है।

“तो जिसने अपने ऊपर लाज़िम कर लिया इन महीनों में हज को”

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

लाज़िम करने से मुराद हज का अज़म और नियत पुख़्ता करना है और इसकी अलामत अहराम बाँध लेना है।

“तो (उसको ख़बरदार रहना चाहिये कि) दौराने हज ना तो शहवत की कोई बात करनी है, ना फ़िस्क व फ़ज़ूर की और ना लड़ाई-झगड़े की।”

فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

ज़माना-ए-हज में जिन बातों से रोका गया है उनमें अब्वलीन यह है कि शहवत की कोई बात नहीं होनी चाहिये। मियाँ-बीवी भी अगर साथ हज कर रहे हों तो अहराम की हालात में उनके लिये वही क़ैद है जो ऐतक़ाफ़ की हालात में है। बाक़ी यह कि फ़िस्क व जिदाल यानि अल्लाह की नाफ़रमानी और बाहम लड़ाई-झगड़ा तो वैसे ही नाजायज़ है, दौराने हज इससे ख़ासतौर पर रोक दिया गया। इसलिये कि बहुत बड़ी तादात में लोगों का इज्तमा होता है, सफ़र में भी लोग साथ होते हैं। इस हालत में लोगों के गुस्सों के पारे जल्दी चढ़ जाने का

इम्कान होता है। लिहाज़ा इससे खासतौर पर रोका गया ताकि मनासिके हज की अदायगी के दौरान अमन व सुकून हो। वाक़्या यह है कि आज भी यह बात मौज़्जात में से है कि दुनिया भर से इतनी बड़ी तादात में लोगों के जमा होने के बावजूद वहाँ अमन व सुकून रहता है और जंग व जिदाल और झगड़ा व फ़साद वग़ैरह कहीं नज़र नहीं आता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाँच-छः मर्तबा हज की सआदत हालिस हुई है, लेकिन वहाँ पर झगड़ा और गाली-गलौज की कैफ़ियत मैंने कभी अपनी आँखों से नहीं देखी।

“और नेकी के जो काम भी तुम करोगे अल्लाह
उसको जानता है।”

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ

हज के दौरान मनासिके हज पर मुस्तज़ाद (उच्चतम) जो भी नेकी के काम कर सको, मसलन नवाफ़िल पढ़ो या इज़ाफ़ी तवाफ़ करो तो तुम्हारी यह नेकियाँ अल्लाह के इल्म में होंगी, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं।

“और ज़ादेराह साथ ले लिया करो, यक़ीनन
बेहतरिन ज़ादेराह तक्रवा है।”

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

इसके दो मायने लिये गये हैं। एक तो यह कि बेहतरिन ज़ादेराह तक्रवा है। यानि सफ़रे हज में माद्री ज़ादेराह के अलावा तक्रवा की पूँजी भी ज़रूरी है। अगर आपने अख़राजाते सफ़र के लिये रुपया-पैसा तो वाफ़र (पर्याप्त) ले लिया, लेकिन तक्रवा की पूँजी से तही दामन (खाली) रहे तो दौराने हज अच्छी सहूलियात तो हासिल कर लेंगे मगर हज की रूह और उसकी बरकात से महूरूम रहेंगे।

लेकिन इसका एक दूसरा मफ़हूम भी बहुत अहम है कि अगर इंसान खुद अपना ज़ादेराह साथ ना ले तो फिर वहाँ दूसरों से माँगना पड़ता है। इस तरह यहाँ “तक्रवा” से मुराद सवाल से बचना है। यानि बेहतर यह है कि ज़ादेराह लेकर चलो ताकि तुम्हें किसी के सामने साइल ना बनना पड़े। अगर तुम साहिबे इस्तताअत नहीं हो तो हज तुम पर फ़र्ज़ ही नहीं है। और एक शय जो तुम पर फ़र्ज़ नहीं है उसके लिये ख़्वाह मख़्वाह वहाँ जाकर भीख माँगना या यहाँ से भीख माँग कर या चंदा इकट्ठा करके जाना क़तअन ग़लत हरकत है।

“और मेरा ही तक्रवा इख़्तियार करो ऐ
होशमंदो!”

التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

आयत 198

“तुम पर इस अम्र में कोई गुनाह नहीं है कि
तुम (सफ़रे हज के दौरान) अपने रब का
फ़ज़ल भी तलाश करो।”

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

आदमी हिन्दुस्तान या पाकिस्तान से हज के लिये जा रहा है और वह अपने साथ कुछ ऐसी अजनास (चीज़ें) साथ ले जाये जिन्हें वहाँ पर बेच कर कुछ नफ़ा हासिल कर ले तो यह तक्रवा के मनाफ़ी नहीं है।

“पस जब तुम अराफ़ात से वापस लौटो तो
अल्लाह को याद करो मशअरे हराम के
नज़दीक।”

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

वकूफ़े अराफ़ात (अराफ़ात में ठहरना) हज का रुकने आज़म है। रसूल अल्लाह عليه وسلم का इशाद है: ((الْحَجُّ عَرَفَاتٍ))⁽²⁴⁾ यानि असल हज तो अरफ़ा ही है। अगर किसी से हज के बाक़ी तमाम मनासिक रह जायें, सिर्फ़ क़यामे अरफ़ा में शमूलियत हो जाये तो उसका हज हो गया, बाक़ी जो चीज़ें रह गई हैं उनका क़फ़ारा अदा किया जायेगा। लेकिन अगर कोई शख्स अराफ़ात के क़याम में ही शरीक नहीं हुआ तो फिर उसका हज नहीं हुआ। अय्यामे हज का टाइम टेबल नोट कीजिये कि 8 ज़िल हिज्जा को मक्का मुकर्रमा से निकल कर रात मिना में गुज़ारना होती है। अगला दिन 9 ज़िल हिज्जा यौमे अरफ़ा है। इस रोज़ सुबह को अराफ़ात के लिये क़ाफ़िले चलते हैं और कोशिश यह होती है कि दोपहर से पहले वहाँ पहुँच जाया जाये। वहाँ पर ज़ुहर के वक़्त ज़ुहर और अस्त्र दोनों नमाज़े मिला कर पढ़ी जाती हैं। इसके बाद से गुरुबे आफ़ताब तक अराफ़ात का क़याम है, जिसमें कोई नमाज़ नहीं। यानि रिवायती इबादात के सब दरवाज़े बंद हैं। अब तो सिर्फ़ दुआ है। अगर आपके अन्दर दुआ की एक रूह पैदा हो चुकी

है, आप अपने रब से हम कलाम हो सकते हैं और आपको हलावते मुनाजात हासिल हो गई है तो बस दुआ माँगते रहिये। क्रयामे अरफ़ा के दौरान खड़े होकर या बैठे हुए, जिस तरह भी हो अल्लाह से मुनाजात की जाये। या इसमें अगर किसी वजह से कमी हो जाये तो आदमी तिलावत करे। लेकिन आम नमाज़ अब कोई नहीं। 9 ज़िल हिज्जा को वकूफ़े अराफ़ात के बाद मगरिब की नमाज़ का वक़्त हो चुकने के बाद अराफ़ात से रवानगी है, लेकिन वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। बल्कि अब मुज़दलफ़ा में जाकर मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें जमा करके अदा करनी हैं और रात वहीं खुले आसमान तले बसर करनी है। यह मुज़दलफ़ा का क्रयाम है। मशअरे हराम एक पहाड़ का नाम है जो मुज़दलफ़ा में वाक़ेअ है।

“और याद करो उसे जैसे कि उसने तुम्हें
हिदायत की है।”

وَأذْكُرُّوهُ كَمَا هَدَاكُمْ

यानि अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें अपने रसूल ﷺ के ज़रिये सिखाया है। ज़िक्र के जो तौर तरीक़े रसूल ﷺ ने सिखाये हैं उन्हें इख़्तियार करो और ज़माना-ए-जाहिलियत के तरीक़े तर्क कर दो।

“और यक़ीनन इससे पहले तो तुम गुमराह
लोगों में से थे।”

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

तुम हज की हक़ीक़त से नावाक़िफ़ थे। हज की बस शक़ल बाक़ी रह गई थी, इसकी रूह ख़त्म हो गई थी, इसके मनासिक़ भी रद्दोबदल कर दिया गया था।

आयत 199

“फिर तुम भी वहीं से पलटो जहाँ से सब लोग
पलटते हैं”

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

ज़माना-ए-जाहिलियत में कुरैशे मक्का अराफ़ात तक ना जाते थे। उनका कहना था कि हमारी ख़ास हैसियत है, लिहाज़ा हम मिना ही में मुक़ीम रहेंगे, बाहर से आने वाले लोग अराफ़ात जाएँ और वहाँ से तवाफ़ के लिये वापस लौटें, यह सारे मनासिक़ हमारे लिये नहीं हैं। यहाँ फ़रमाया गया कि यह एक ग़लत बात

है जो तुमने इजाद कर ली है। तुम भी वहीं से तवाफ़ के लिये वापिस लौटो जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं, यानि अराफ़ात से।

“और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहो।”

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

अपनी अगली तक़सीर (ग़लती) पर नादम (खेद) हो और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहो।

“यक़ीनन अल्लाह बख़्शने वाला रहम
फ़रमाने वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

आयत 200

“और जब तुम अपने मनासिके हज अदा कर
चुको”

فَإِذَا أَقَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ

“तो अब अल्लाह का ज़िक्र करो जैसे कि तुम
अपने आबा व अजदाद का ज़िक्र करते रहे
हो”

فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا ذُكِّرْتُمْ

“बल्कि उससे भी ज़्यादा शद्दोमद के साथ
अल्लाह का ज़िक्र करो।”

أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

यानि दसवीं ज़िल हिज्जा को जब अफ़आले हज से फ़रागत पा चुको तो क्रयामे मिना के दौरान अल्लाह का ख़ूब ज़िक्र करो जैसे ज़माना-ए-जाहिलियत में अपने आबा व अजदाद का ज़िक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी बढ़-चढ़ कर अल्लाह का ज़िक्र करो। उनका क़दीम दस्तूर था कि हज से फ़ारिग़ होकर तीन दिन मिना में क्रयाम करते और बाज़ार लगाते। वहाँ मेले का सा समौ होता जहाँ मुख़लिफ़ क़बीलों के शायर अपने क़बीलों की मदह सराई (गुणगान) करते थे और अपने अस्लाफ़ की अज़मत बयान करते थे। अल्लाह का ज़िक्र ख़त्म हो चुका था।

फ़रमाया कि जिस शहोमद के साथ तुम अपने आबा व अजदाद का ज़िक्र करते रहे हो अब उसी अंदाज़ से, बल्कि उससे भी ज़्यादा शहोमद के साथ, अल्लाह का ज़िक्र करो।

“लोगों में से वह भी हैं जो यही कहते रहते हैं
कि ऐ हमारे रब! हमें दुनिया ही में दे दे, और
ऐसे लोगों के लिये आख़िरत में कोई हिस्सा
नहीं है।”

यानि अर्ज़े हरम में पहुँच कर दौराने हज़ भी उनकी सारी दुआएँ दुनयवी चीजों ही के लिये हैं। चुनाँचे वह माल के लिये, औलाद के लिये, तरक्की के लिये, दुनयवी ज़रूरियात के लिये और अपनी मुशिकलात के हल के लिये दुआ करते हैं। इसलिये कि उनके दिलों में दुनिया रची-बसी हुई है। जैसे बनी इसराइल के दिलों में बछड़े का तक्रद्दुस और उसकी मुहब्बत जागज़ें (inherit) कर दी गई थी उसी तरह हमारे दिलों में दुनिया की मुहब्बत घर कर चुकी है, लिहाज़ा वहाँ जाकर भी दुनिया ही की दुआएँ माँगते हैं। यहाँ वाज़ेह फ़रमा दिया गया कि ऐसे लोगों के लिये फिर आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है।

आयत 201

“और उनमें से वह भी हैं जो यह कहते हैं”

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ

“परवरदिगार! हमें इस दुनिया में भी ख़ैर
अता फ़रमा और आख़िरत में भी ख़ैर अता
फ़रमा और हमें बचा ले आग के अज़ाब से।”

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَنَا عَذَابَ النَّارِ

यही वह दुआ है जो तवाफ़ के हर चक्कर में रुकने यमानी से हज़रे असवद के दरमियान चलते हुए माँगी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा ख़ैर ईमान और हिदायत है। दुनिया का कोई ख़ैर ख़ैर नहीं है जब तक कि उसके साथ हिदायत और ईमान ना हो। चुनाँचे सबसे पहले इंसान हिदायत, ईमान और इस्तक्रामत (दृढता) तलब करे, फिर उसके साथ अल्लाह तआला से दुनिया में कुशादगी

(विस्तार) और रिज़क़ में कशाइश (आसानी) की दुआ भी करे तो यह बात पसंदीदा है।

आयत 202

“उन्हीं लोगों के लिये हिस्सा होगा उसमें से
जो उन्होंने कमाया।”

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

यह अल्फ़ाज़ बहुत अहम हैं। महज़ दुआ काफ़ी नहीं हो जायेगी, बल्कि अपना अमल भी ज़रूरी है। यहाँ पर यह जो फ़रमाया कि “उनके लिये हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया” इस पर सवाल पैदा होता है कि उसमें से क्यों? वह तो सारा मिलना चाहिये! लेकिन नहीं, बंदे को अने आमाल पर ग़रह (संतुष्ट) नहीं होना चाहिये, उसे डरते रहना चाहिये कि कहीं किसी मसले में मेरी नीयत में फ़साद ना आ गया हो, मुमकिन है मेरे किसी अमल के अंदर कोई कमी या कोताही हो गई हो। इसलिये यह ना समझ लें कि जो कुछ भी किया गया है उसका अजर लाज़िमन मिलेगा। जो कुछ उन्होंने कमाया है उसमें अगर खुलूस है, रियाकारी नहीं है, उसके तमाम आदाब और शराइत मलहूज़ रखे गये हैं तो उनको उनका हिस्सा मिलेगा।

“और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है।”

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

अल्लाह तआला को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती, वह बहुत जल्दी हिसाब कर लेगा। अब तो हमारे लिये यह समझ लेना कुछ मुशिकल नहीं रहा, हमारे यहाँ कम्प्यूटर्ज़ पर कितनी जल्दी हिसाब हो जाता है, अल्लाह के यहाँ तो पता नहीं कैसा सुपर कम्प्यूटर होगा कि उसे हिसाब निकालने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी!

आयत 203

“और ज़िक्र करो अल्लाह का गिनती के चंद
दिनों में।”

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

इससे मुराद जिल हिज्जा की ग्याहरवीं, बारहवीं और तेरहवीं तारीखें हैं जिनमें यौमे नहर के बाद मिना में क्रयाम किया जाता है। इन तीनों दिनों में कंकरियाँ मारने के वक़्त और हर नमाज़ के बाद तकबीर कहने का हुक़म है। दीगर अवक़ात में भी इन दिनों में तकबीर और ज़िक्रे इलाही कसरत से करना चाहिये।

“तो जो कोई दो दिन ही में जल्दी से वापस आ जाये तो उस पर कोई गुनाह नहीं।”

यानि जो कोई तीन दिन पूरे नहीं करता, बल्कि दो दिन ही में वापसी इख़्तियार कर लेता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है।

“और जो पीछे रहे”

यानि मिना में ठहरा रहे और तीन दिन की मिक़दार पूरी करे।

“तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वह तक्रवा इख़्तियार करे।”

असल चीज़ तक्रवा है। जो कोई ज़माना-ए-हज में परहेज़गारी की रविश इख़्तियार किये रखे तो उस पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि मिना में दो दिन क्रयाम करे या तीन दिन। अल्लाह तआला के यहाँ उसका अजर महफूज़ है। अगर किसी शख्स ने मिना में क्रयाम तो तीन दिन का किया, लेकिन तीसरे दिन उसने कुछ और ही हरकतें शुरू कर दीं, इसलिये की जी उकताया हुआ है और तबीयत के अंदर ठहराव नहीं है तो वह तीसरा दिन उसके लिये कुछ ख़ास मुफ़ीद साबित नहीं होगा। असल शय जो अल्लाह के यहाँ कुबूलियत के लिए शर्ते लाज़िम है, वह तक्रवा है। आगे फिर फ़रमाया:

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो और ख़ूब जान रखो कि यक़ीनन तुम्हें उसी की जानिब जमा कर दिया जायेगा।”

तुम सबके सब हाँक कर उसी की जनाब में ले जाये जाओगे।

आयात 204 से 210 तक

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ... وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ... وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْبِهَائِيُّ... وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ... فَإِن رَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاغْلَبُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ... هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْهَلْبَكَةِ وَفُصِي الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ...

आयात 204

“और लोगों में से कोई शख्स ऐसा भी है जिसकी बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं दुनिया की ज़िन्दगी में”

यह मुनाफ़िक़ीन में से एक ख़ास गिरोह का तज़क़िरा हो रहा है। मुनाफ़िक़ीन में से बाज़ तो ऐसे थे कि उनकी ज़बानों पर भी निफ़ाक़ वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो जाता था, जबकि मुनाफ़िक़ीन की एक किस्म वह थी कि बड़े चापलूस और चर्प ज़बान थे। उनकी गुफ़्तुगू ऐसी होती थी गोया वह तो बड़े ही मुख़्तस और बड़े ही फ़िदाकार हैं। अपना मौक़फ़ इस अंदाज़ से पेश करते कि यूँ लगता था कि बड़ी ही नेक नियती पर मन्नी है, लेकिन उनका किरदार इन्तहाई धिनौना था।

उनकी सारी भाग-दौड़ रसूल अल्लाह ﷺ और इस्लाम की मुखालफ़त की राह में होती थी। उनके बारे में फ़रमाया कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी बातें दुनिया की ज़िन्दगी में तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं।

“और वह अल्लाह को भी गवाह ठहराता है
अपने दिल की बात पर।”

وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ

उसका अंदाज़े कलाम यह होता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ अल्लाह जानता है कि खुलूस से कह रहा हूँ, पूरी नेक नियती से कह रहा हूँ। मुनाफ़िक़ की एक खुसूसियत यह भी है कि वह अपने आपको क़ाबिले ऐतबार साबित करने के लिये बात-बात पर क़सम खाता है।

“हालाँकि फ़िल वाक़ेअ वह शदीद तरीन
दुश्मन है।”

وَهُوَ اللَّهُ الْخِصَاءُ

आयत 205

“और जब वह पीठ फेर कर जाता है तो
ज़मीन में भाग-दौड़ करता है”

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ

“ताकि उसमें फ़साद मचाये और खेती और
नस्ल को तबाह करे।”

لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ

यह लोग जब आप ﷺ के पास से हटते हैं तो उनकी सारी भाग-दौड़ इसलिये होती है कि ज़मीन में फ़साद मचायें और लोगों की खेतियाँ और जानें तबाह व बर्बाद करें।

“और अल्लाह तआला को फ़साद बिल्कुल
पसंद नहीं है।”

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْقَسَاصَ

आयत 206

“और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से
डरो तो झूठी इज़्जते नफ़्स उसको गुनाह पर
और जमा देती है।”

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

जब ऐसे शख्स से कहा जाता है कि तुम अल्लाह का खौफ़ करो, अल्लाह से डरो, तुम बातें ऐसी ख़ूबसूरत करते हो और अमल तुम्हारा इतना घिनौना है, ज़रा सोचो तो सही, तो उसको अपनी झूठी अना और इज़्जते नफ़्स गुनाह पर और जमा देती है। एक शख्स वह होता है जिससे ख़ता हो गई तो उसने अपनी ग़लती तस्लीम कर ली और अपनी इस्लाह कर ली। जबकि एक शख्स वह है जिसका तर्ज़े अमल यह होता है कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरी ग़लती है? उसकी झूठी अना और झूठी इज़्जते नफ़्स उसे गुनाह से हटने नहीं देती बल्कि मज़ीद आमादा करती है।

“उसके लिये जहन्नम काफ़ी है।”

فَحَسْبُ جَهَنَّمَ

“और यक़ीनन वह बुरा ठिकाना है।”

وَلَيْئَسَ الْبِهَاثِ

रिवायात में आता है कि मुनाफ़कीन मदीना में एक शख्स अख़नस बिन शरीक़ था, यह उसका किरदार बयान हुआ है। शाने नुज़ूल के ऐतबार से यह बात ठीक है और तावीले ख़ास में इसको भी सामने रखा जायेगा, लेकिन दरहक़ीक़त यह एक किरदार है जो आपको हर जगह मिलेगा। असल में इस किरदार को पहचानना चाहिये और इसके हवाले से अल्लाह तआला से हिदायत तलब करना चाहिये कि इस किरदार से अल्लाह तआला हमें अपने हिफ़ज़ो अमान में रखे।

आयत 207

“और लोगों में एक शख्स वह है जो बेच देता
है अपनी जान को अल्लाह की रज़ा के लिये।”
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْغَاتِ اللَّهِ

कुरान का यह आम अस्लूब है कि किरदारों का फ़ौरी तक्राबुल (simultaneous contrast) करता है। चुनाँचे एक नपसंदीदा किरदार के ज़िक्र के फ़ौरन बाद पसंदीदा किरदार का ज़िक्र किया गया कि लोगों में से वह भी हैं जो अपने आपको अल्लाह की रज़ाजोई के लिये बेच देते हैं और अपना तन-मन-धन कुर्बान करने को हर वक़्त तैयार रहते हैं! {إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

“और अल्लाह अपने ऐसे बंदों के हक़ में बहुत
शफ़ीक़ है।”
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ाजोई के लिये अपना सब कुछ बेच देने का ईरादा कर लिया हो, नीयत कर ली हो, उससे भी कभी कोई कोताही हो सकती है, कभी ज़ब्रत में आकर कोई ग़लत क़दम उठ सकता है। अपने ऐसे बंदों को अल्लाह तआला बड़ी शफ़क़त और मेहरबानी के साथ माफ़ फ़रमायेगा।

आयत 208

“ऐ अहले ईमान! इस्लाम में दाख़िल हो जाओ
पूरे के पूरे।”
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً
پُورے کے پورے!

अहले ईमान से अब वह बात कही जा रही है जिसका माकूस (converse) हम बनी इसराइल से ख़िताब के ज़ेल में (आयत:85 में) पढ़ चुके हैं:

أَفْتَوْمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا
خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
“क्या तुम हमारी किताब (और दीन व शरीअत) के एक हिस्से को
मानते हो और एक को रद्द कर देते हो? सो जो कोई भी तुममें से यह
रविश इख़्तियार करें उनकी कोई सज़ा इसके सिवा नहीं है कि दुनिया
में ज़िल्लत व ख़वारी उन पर मुसल्लत कर दी जाये और क़यामत के
दिन उनको शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिया जाये।”

अब मुसबत पैराए (सकारात्मक अंदाज़) में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अल्लाह की इताअत में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ- तहफ़ुज़ात (reservations) और इस्तसनात (exceptions) के साथ नहीं। यह तर्ज़े अमल ना हो कि अल्लाह की बंदगी तो करनी है, मगर फ़लाँ मामले में नहीं। अल्लाह का हुक़म को मानना है लेकिन यह हुक़म मैं नहीं मान सकता। अल्लाह के अहकाम में से किसी एक की नफ़ी से कुल की नफ़ी हो जायेगी। अल्लाह तआला जुज़वी इताअत कुबूल नहीं करता।

“और शैतान के नक़शे क़दम की पैरवी ना
करो।”
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

“वह यक़ीनन तुम्हारा बड़ा खुला दुश्मन है।”
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

आयत 209

“फिर अगर तुम फ़िसल गये इसके बाद भी
कि तुम्हारे पास यह वाज़ेह तालीमात आ
चुकी हैं।”
فَإِن رَّزَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ
فَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“तो जान लो कि अल्लाह तआला ज़बरदस्त
है, हिकमत वाला है।”
فَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

इसमें तहदीद (हद) और धमकी का पहलू है कि फिर अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख़्त होगी। और फिर यह कि वह हकीम भी है, उसकी पकड़ में भी हिकमत है, अगर उसकी तरफ़ से पकड़ का मामला ना हो तो फिर दीन का पूरा निज़ाम बे मायने होकर रह जाता है। अगर अल्लाह की तरफ़ से किसी गुनाह पर पकड़ ही नहीं है तो फिर आज़माइश क्या हुई? फिर जज़ा व सज़ा और जन्नत व दोज़ख़ का मामला क्या हुआ?

आयत 210

“क्या यह इसी का इन्तेज़ार कर रहे हैं कि आ जाये इन पर अल्लाह तआला बादलों के सायबानों में और फ़रिश्ते और फ़ैसला चुका दिया जाये?”

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ
مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلِكَةِ وَقُصِيِّ الْأُمْرِ

यानि जो लोग अल्लाह तआला की तरफ़ से वाज़ेह अहकामात और तम्बिहात आ जाने के बाद भी कजरवी से बाज़ नहीं आते तो क्या वह इस बात के मुन्तज़िर हैं कि अल्लाह तआला उनको अपना जलाल दिखाये और फ़रिश्तों की अफ़वाजे काहरा के साथ ज़ाहिर होकर उनका हिसाब चुका दे?

इंसान का नफ़्स उसे एक तो यह पट्टी पढाता है कि दीन के इस हिस्से पर तो आराम से अमल करते रहो जो आसान है, बाक़ी फिर देखा जायेगा। गोया “मीठा-मीठा हप और कड़वा कड़वा थू।” दूसरी पट्टी यह पढाता है कि ठीक है यह भी अल्लाह का हुकम है और दीन का भी तक्राज़ा है, लेकिन अभी ज़रा ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग़ हो जायें, अभी ज़रा बच्चों के मामलात हैं, बच्चे बरसरे रोज़गार हो जायें, बच्चियों के हाथ पीले हो जायें, मैं रिटायरमेंट ले लूँ, और अपना मकान बना लूँ, फिर मैं अपने आपको दीन के लिये ख़ालिस कर लूँगा। यह नफ़्स का सबसे बड़ा धोखा है। इस तरह वक्रत गुज़रते-गुज़रते इंसान मौत की वादी में चला जाता है। क्या मालूम मौत की घड़ी कब आ जाये! यह मोहलते उम्र तो अचानक ख़त्म हो सकती है। पूरी दुनिया की क्रयामत भी जब आयेगी अचानक ही आयेगी और हर शख्स की ज़ाति क्रयामत तो उसके सर पर तलवार की तरह लटकी हुई है। अज़रुए हदीसे नबवी عليه وسلم:

((مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ)) (25)

“जो मर गया तो उसकी क्रयामत तो आ गई!”

तो क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि यह सारे काम कर लोगे और यह सारे काम कर चुकने के बाद ज़िन्दा रहोगे और तुम्हारे जिस्म में तवानाई (ताक़त) की कोई रमक (कण) भी बाक़ी रह जायेगी कि दीन का कोई काम कर सको? तो फिर तुम किस चीज़ का इन्तेज़ार कर रहे हो? हो सकता है अचानक अल्लाह की तरफ़ से मोहलत ख़त्म हो जाये।

“और यक़ीनन तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ़ लौटा दिये जाएँगे।”

وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

आयत 211 से 216 तक

سَلِّ بِبَيْتِي إِسْرَاءَ يَلْ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ رُزِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ فَإِنَّا نُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقْرِبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

आयत 211

“पूछ लो बनी इस्राईल से, हमने उन्हें कितनी रौशन निशानियाँ दीं।”

بَيِّنَةٍ

यानि ऐ मुसलमानों! देखो कहीं तुम भी उन्हीं के रास्ते पर ना चलना। जैसा कि रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने आगाह फ़रमाया था:

((لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ ، فَلَنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ : فَمَنْ؟)) (26)

“तुम लाज़िमन अपने से पहलों के तौर-तरीकों की पैरवी करोगे, बालिशत के मुक़ाबले में बालिशत और हाथ के मुक़ाबले में हाथ। यहाँ तक कि अगर वह गोह के बिल में घुसे होंगे तो तुम भी घुस कर रहोगे।”

हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم! यहूद व नसारा की? आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया: “तो और किसकी?”

“और जो कोई बदल डाले अल्लाह की नेअमत को, बाद इसके कि वह उसके पास आ गई हो तो (वो जान ले कि) अल्लाह सज़ा देने में भी सख़्त है।”

जो कोई अल्लाह की नेअमत को पाने के बाद उसमें तब्दीली करता है, या उसमें तहरीफ़ करता है या खुद ग़लत रविश इख़्तियार करता है तो उसको जान लेना चाहिये कि अल्लाह तआला इस तर्ज़े अमल पर बहुत सख़्त सज़ा देता है। बनी इसराइल ही की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि कुरान हकीम (सूरतुल बकरह, आयत:47) में उनसे दो मर्तबा फ़रमाया गया:

{ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَي الْعَالَمِينَ } “ऐ बनी इसराइल! याद करो मेरे उस ईनाम को जो मैंने तुम पर किया और यह कि मैंने तुम्हें फ़ज़ीलत अता की तमाम अहले आलम पर।” लेकिन फिर उन्हीं के बारे में फ़रमाया गया: { وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ - وَبَاغُوْا بَعْضًا مِّنَ اللّٰهِ } (आयत:67) “उन पर ज़िल्लत व ख़वारी और मोहताजी व कम हिम्मती थोप दी गई और वह अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे।” और यह मज़मून भी सूरह आले इमरान में दोबारा आयेगा।

आयत 212

“इन काफ़िरों के लिये दुनिया की ज़िन्दगी बड़ी मुज़य्यन कर दी गई है”

رُؤْيُ الدُّنْيَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

यहाँ की चमक-दमक और शानो-शौकत उनके लिये बड़ी महबूब व दिल पसंद बना दी गई है। वैसे तो नये मॉडल की लम्बी-लम्बी चमकीली कारें, ऊँची-ऊँची इमारतें और वसीअ व अरीज़ (लम्बी-चौड़ी) कोठियाँ किसको अच्छी नहीं लगतीं, लेकिन कुफ़रार के दिलों में माल व असबाबे दुनवयी की मुहब्बत इतनी घर कर जाती है कि फिर कोई अच्छी बात उनकी ज़िन्दगी में नहीं रहती, और ना ही कोई अच्छी बात उनके ऊपर असर करती है। अहले ईमान को भी अगर ईमान के साथ यह नेअमतें मिलें तो यह मुस्तहसिन हैं। अज़रुए अल्फ़ाज़े कुरानी: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اُخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ } (ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم! इनसे) कहिये, किसने अल्लाह की उस ज़ीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिये निकाला था और खाने-पीने की पाकीज़ा चीज़ें?” अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना हराम नहीं है। अल्लाह ने इसको लोगों के लिए ममनूअ नहीं किया। एक मुसलमान दीन के तक्राज़े अदा करके, अल्लाह का हक़ अदा करके और हलाल से कमा कर इन चीज़ों को हासिल तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसके साथ वह हदीस भी ज़हन में ले आयें: (الذُّنُبَا سِجْنٌ) “दुनिया मोमिन के लिये एक क़ैदख़ाना और काफ़िर के लिये बाग़ है।”

“और वह मज़ाक़ उड़ाते हैं अहले ईमान का।”

وَيَسَخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا

ऐसे लोग ईमान की राह इख़्तियार करने वालों का मज़ाक़ उड़ाते हैं कि ज़रा इन पागलों को, इन बेवकूफ़ों को, इन fanatics को देखो, जिन्हें अपने नफ़ा व तुक़सान का कोई होश नहीं।

“और जिन लोगों ने तक्रवा की रविश इख़्तियार की थी क़यामात के दिन वह उनके ऊपर होंगे।”

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

वह इन काफ़िरों के मुक़ाबले आली मरतबत और आली मक़ाम होंगे, बल्कि सूरतुल मुतफ़िफ़ीन में तो यहाँ तक आया है कि जन्नत में जाने के बाद अहले ईमान कुफ़रार का मज़ाक़ उड़ाएंगे।

“और अल्लाह तआला रिज़क अता फ़रमायेगा
जिसको चाहेगा बेहिसाब।”

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

यह जन्नत की तरफ़ इशारा है। अब फिर एक तवील आयत आ रही है जिसमें एक अहम मज़मून बयान हो रहा है। मैंने अर्ज़ किया था कि सूरतुल बकरह में जा-बजा इल्म व हिकमत और मार्फ़ते इलाही के बड़े हसीन और खुशनुमा फूल आये हैं जो इस बन्ती में बुन दिये गये हैं। दो लड़ियाँ शरीअत की हैं, यानि इबादात और मामलात, जबकि दो लड़ियाँ जिहाद की, यानि जिहाद बिल् माल (इन्फ़ाक़) और जिहाद बिल् नफ़्स (क्रिताल), और इनके दरमियान यह अज़ीम फूल आ जाते हैं। इस आयत को मैंने “आयतुल इख़्तलाफ़” का उन्वान दिया है। इसमें बयान किया गया है कि लोगों के दरमियान इख़्तलाफ़ क्यों होता रहा है, और यह बहुत अहम मज़मून है। इलसिये कि दुनिया में वहदते अदयान (सर्व धर्म एकता) का जो फ़लसफ़ा कुछ लोगों की तरफ़ से पेश होता है उसका एक हिस्सा सही है और हिस्सा ग़लत है। सही कौनसा है और ग़लत कौनसा है, वह इस आयत से मालूम होगा।

आयत 213

“तमाम इंसान एक ही उम्मत थे।”

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

इसमें कोई शक नहीं कि इब्तदा में सबके सब इंसान एक ही उम्मत थे। तमाम इंसान हज़रत आदम अलै० की नस्ल से हैं और हज़रत आदम अलै० नबी हैं। चुनाँचे उम्मत तो एक ही थी। जब तक उनमें गुमराही पैदा नहीं हुई, इख़्तलाफ़ात पैदा नहीं हुए, शैतान ने कुछ लोगों को नहीं वरग़लाया, उस वक़्त तक तो तमाम इंसान एक ही उम्मत थे। अब यहाँ पर एक लफ़ज़ महज़ूफ़ है: “لَهُمْ” (फिर उनमें इख़्तलाफ़ात हुए)। इख़्तलाफ़ के नतीजे में फ़साद पैदा हुआ और कुछ लोगों ने गुमराही की रविश इख़्तियार कर ली। आदम अलै० का एक बेटा अगर हाबील था तो दूसरा काबील भी था।

“तो अल्लाह ने (अपने) नबी भेजे जो खुश
ख़बरी सुनाते और ख़बरदार करते हुए आये।”

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

अल्लाह तआला ने अम्बिया किराम अलै० का सिलसिला जारी फ़रमाया जो नेकूकारों को बशारत देते और ग़लतकारों को ख़बरदार करते थे।

“और उनके साथ (अपनी) किताब नाज़िल
फ़रमाई हक़ के साथ, ताकि वह फ़ैसला कर
दें लोगों के माबैन उन उमूर में जिनमें उन्होंने
इख़्तलाफ़ किया था।”

وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اختلفوا فيه

“और किताब में इख़्तलाफ़ नहीं किया मगर
उन्हीं लोगों ने जिन्हें यह दी गई थी, इसके
बाद कि उनके पास रोशन हिदायात आ चुकी
थीं, महज़ बाहमी ज़िद्दम-ज़िद्दा के सबब से।”

وَمَا اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد
ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

“बغ्या” का लफ़ज़ क़बूल अज़ आयत 90 में आ चुका है। वहाँ मैंने वज़ाहत की थी कि दीन में इख़्तलाफ़ का असल सबब यही ज़िद्दम-ज़िद्दा वाला रवैया होता है। इंसान में ग़ालिब (प्रमुख) होने की जो तलब और उमंग (The urge to dominate) मौजूद है वह हक़ को कुबूल करने में मुज़ाहिम (प्रतिरोधी) हो जाती है। दूसरे की बात मानना नफ़से इंसानी पर बहुत गिरां गुज़रता है। आदमी कहता मैं इसकी बात क्यों मानूँ, यह मेरी क्यों ना माने? इंसान के अंदर जहाँ अच्छे मैलानात रखे गये हैं वहाँ बुरी उमंगें और मैलानात भी रखे गए हैं। चुनाँचे इंसान के बातिन में हक़ व बातिल की एक कशाकश चलती है। इस तरह की कशाकश ख़ारिज में भी चलती है। तो फ़रमाया कि जब इंसानों में इख़्तलाफ़ात रुनमा (उत्पन्न) हुए तो अल्लाह तआला ने अपने नबियों को भेजा जो मुबशिशर और मुन्ज़िर बन कर आये।

“पस अल्लाह ने हिदायत बख़्शी उन लोगों को जो ईमान लाये उस हक़ के मामले में जिसमें लोगों ने इख़्तलाफ़ किया था, अपने हुक़म से।”

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ

“और अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ़।”

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

○

सिलसिला-ए-अम्बिया व रसूल के आख़िर में अल्लाह तआला ने नबी आख़िरुज़्ज़मान ﷺ पर क़ुरान हकीम नाज़िल फ़रमा कर, अपनी तौफ़ीक़ से, इस नज़ाअ व इख़्तलाफ़ में हक़ की राह अहले ईमान पर खोली है। और अल्लाह ही है जो अपनी माशियत और हिक़मत के तकाज़ों के मुताबिक़ जिसको चाहता है राहे रास्त दिखा देता है।

अब बड़ी सख़्त आयत आ रही है, जो बड़ी लरज़ा देने वाली आयत है। सहाबा किराम रज़ि० में से एक बड़ी तादाद महाजरीन की थी जो मक्के की सख़्तियाँ झेल कर आये थे। उनके लिये तो अब जो भी मराहिल आइंदा आने वाले थे वह भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं थे। लेकिन जो हज़रात मदीना मुनव्वरा में ईमान लाये थे, यानि अंसार, उनके लिये तो यह नई-नई बात थी। इसलिये कि उन्होंने तो वह सख़्तियाँ नहीं झेली थीं जो मक्के में महाजरीन ने झेली थीं। तो अब रुए सख़न ख़ासतौर पर उनसे है, अज़रचे ख़िताब आम है। क़ुरान मजीद में यह असलब आमतौर पर मिलता है कि अल्फ़ाज़ आम हैं, लेकिन रुए सख़न किसी ख़ास तबक़े की तरफ़ है। तो दरहक़ीक़त यहाँ अंसार को बताया जा रहा है कि मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर ईमान लाना फूलों की सेज नहीं है।

आयत 214

“क्या तुमने यह समझ रखा है कि यूँ ही जन्नत में दाख़िल हो जाओगे”

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ

“हालाँकि अभी तक तुम्हारे ऊपर वह हालात व वाक़्यात वारिद नहीं हुए जो तुमसे पहलों पर हुए थे।”

وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

“पहुँची उनको सख़्ती भूख की और तकलीफ़ और वह हिला मारे गये”

مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا

“यहाँ तक कि (वक़्त का) रसूल और उसके साथी अहले ईमान पुकार उठे कि कब आयेगी अल्लाह की मदद?”

حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ

“(अब उन्हें यह खुशख़बरी दी गई कि) आगाह हो जाओ, यक़ीनन अल्लाह की मदद करीब है।”

الْآنَ نَصُرُ اللَّهُ قَرِيبًا

यानि अल्लाह तो अहले ईमान को आज़माता है, उसे खोटे और खरे को अलग करना है। यह वही बात है जो इससे पहले उन्नीसवें रकूअ के बिल्कुल आगाज़ में आ चकी है: { وَنَلْبَسُنَاكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ } (आयत:155) “और हम तम्हें लाज़िमन आज़माएँगे किसी क़दर ख़ौफ़ और भूख से और माल व जान और समारात के नुक़सान से।” यह कोई फूलों भरा रास्ता नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, हक़ का रास्ता काँटो भरा रास्ता है, इसके लिये ज़हनन तैयार हो जाओ।

दर रहे मंज़िले लैयला कि ख़तरहास्त बसे
शर्ते अब्बल क़दम ऐन अस्त कि मजनुन बाशी!

और:

यह शहादत ग़ह उल्फ़त में क़दम रखना है
लोग आसान समझते हैं मुसलमाँ होना!

इस रास्ते में अल्लाह की मदद ज़रूर आती है, लेकिन आज़माइशों और कुर्बानियों के बाद। चुनाँचे सहाबा किराम रज़ि० को फिर सूरह अस्सफ़ में फ़तह

व नसरत की ख़शख़बरी सुनाई गई, जबकि ग़ज़वा-ए-अहज़ाब वाक़ेअ हो चुका था और मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ और आप ﷺ के साथी अहले ईमान रज़ि० शदीद तरीन इम्तिहान से कामयाबी के साथ गुज़र चुके थे। तब उन्हें बाअल्फ़ाज़ ख़शख़बरी दी गई: { وَأُخْرَى تُحِثُّنَهَا تَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ } (आयत:13) "और जो दूसरी चीज़ तुम्हें पसंद है (वह भी तुम्हें मिलेगी), अल्लाह की तरफ़ से नुसरत और करीब ही में हासिल हो जाने वाली फ़तहा" { وَبَشِّرِ } "और (ऐ नबी ﷺ!) अहले ईमान को बशारत दे दीजिये!" अपने अहले ईमान साथियों को बशारत दे दीजिये कि अब वह वक़्त आ गया है कि अल्लाह के नुसरत के दरवाज़े खुलते चले जाएंगे।

आयत 215

"ये आप ﷺ से पूछते हैं कि क्या ख़र्च करें?"

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

यानि इन्फ़ाक़ के लिये जो कहा जा रहा है तो हम क्या ख़र्च करें? कितना ख़र्च करें? इंसान भलाई के लिये जो भी ख़र्च करे तो उसमें सबसे पहला हक़ किन का है?

"कह दीजिये जो भी तुम ख़र्च करो माल व असबाब में से"

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ

"तो वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों के लिये (ख़र्च करो)।"

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ

सबसे पहला हक़ वालिदैन का है, इसके बाद दर्जा-ब-दर्जा क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों का हक़ है।

"और जो ख़ैर भी तुम कमाओगे अल्लाह उससे अच्छी तरह वाख़बर है।"

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

तुम जो भी अच्छा काम करोगे तो जान लो कि वह अल्लाह के इल्म में है। ज़रूरत नहीं है कि दुनिया उससे वाक़िफ़ हो, तुम्हें अगर अल्लाह से अज़र लेना है तो वह तो रात के अँधेरे में भी देख रहा है। अगर तुम्हारे दायें हाथ ने दिया है और बायें को पता नहीं चला तो अल्लाह को तो फिर भी पता चल गया। तो तुम खातिर जमा रखो, तुम्हारी हर नेकी अल्लाह के इल्म में है और वह उसे ज़ाया नहीं करेगा।

अब अगली आयत में क़िताल के मज़मून का तसलसुल है। मैंने सूरतुल बकरह के निस्फ़े आख़िर के मज़ामीन को चार मुख्तलिफ़ रंगों की लड्डियों से तशबीह दी थी, जिनको बाहम बट लिया जाये तो चारो रंग कटे-फटे नज़र आते हैं और अगर इन्हें खोल दिया जाये तो हर रंग मुसलसल नज़र आता है।

आयत 216

"(मुसलमानों!) अब तुम पर जंग फ़र्ज़ कर दी गई है और वह तुम्हें गिराँ गुज़र रही है।"

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

वाज़ेह रहे कि सूरतुल बकरह से पहले सूरह मुहम्मद ﷺ नाज़िल हो चुकी थी और उसमें क़िताल की फ़र्ज़ियत आ चुकी थी। (चुनाँचे उसका एक नाम सूरतुल क़िताल भी है) लिहाज़ा इस हवाले से कुछ लोग परेशान हो रहे थे। खासतौर पर मुनाफ़िक़ीन यह कहते थे कि भाई सुलह जोई से काम लो, बस दावत व तब्लीग़ के ज़रिये से लोगों को सीधे रास्ते की तरफ़ लाओ, यह जंग व जिदाल और लड़ाई-भिड़ाई तो कोई अच्छा काम नहीं है, इसमें तो बहुत ख़राबी हैं। इनके अलावा ऐसे मुसलमान जिनका ईमान क़द्रे कमज़ोर था, अगरचे वह मुनाफ़िक़ तो नहीं थे, लेकिन उनका ईमान अभी पुख़्ता नहीं था, अभी ताज़ा-ताज़ा ईमान लाये थे और तरबियत के मराहिल से अभी नहीं गुज़रे थे, उनमें से भी बाज़ लोगों के दिलों में इन्क़बाज़ (दबाव) पैदा हो रहा था। यहाँ क़िताल की फ़र्ज़ियत के लिये "كُتِبَ" का लफ़ज़ आया है। इससे पहले यह लफ़ज़ रोज़े, किसान और वसीयत के ज़िम्न में आ चुका है।

وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فِي الْقِتَالِ... كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ... وَ

फ़रमाया कि तुम पर जंग फ़र्ज़ कर दी गई है और वह तुम्हें बुरी लग रही है।

“और हो सकता है कि तुम किसी शय को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिये बेहतर हो।”

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

“और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो दर हालाँकि वह तुम्हारे लिये बुरी हो।”

وَعَسَىٰ أَنْ تَجِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

“और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते।”

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

तुम अपनी अक़्ल पर ईमान ना रखो, अल्लाह की वही पर ईमान रखो, अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم पर ईमान रखो। जिस वक़्त के लिये जो हुकम मौजूं (मुनासिब) था वही तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल صلی اللہ علیہ وسلم की तरफ़ से दिया गया। चौदह बरस तक तुम्हें क़िताल से मना किया गया। उस वक़्त तुम्हारे लिये हुकम था: “क़ुआ अय्दिकुम” (अपने हाथ रोके रखो) अब तुम पर क़िताल फ़र्ज़ किया जा रहा है, लिहाज़ा अब इस हुकम पर सरे तस्लीम ख़म करना तुम्हारे लिये लाज़िम है।

आयात 217 से 221 तक

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كِبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَوْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يُدْوَكُمْ عَن دِيَارِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَزِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ إِن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَافِحٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُحْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَيْدِيَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَنَ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

आयत 217

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) ये आपसे पूछते हैं हरमत वाले महीनों में जंग के बारे में।”

क़िताल का हुकम आने के बाद अब वह पूछते थे कि ये जो हरमत वाले महीने हैं उनमें जंग करना कैसा है? इसलिये कि सीरत में यह वाक्या आता है कि हिजरत के बाद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ि० को चंद अफ़राद के दस्ते का कमांडर बना कर हिदायत फ़रमाई थी कि मक्का और तार्ईफ़ के दरमियान जाकर वादिये नख़ला में क़याम करें और कुरैश की नक़ल व हरकत पर नज़र रखें। वादिये नख़ला में क़याम के दौरान वहाँ कुरैश के एक मुख़्तसर से क़ाफ़िले के साथ मुठभेड हो गई और मुसलमानों के हाथों एक मुशरिक उमर बिन अब्दुल्लाह अल् हज़रमी मारा गया। उस रोज़ रज्जब की

आखरी तारीख थी और रज्जब का महीना अशहरे हुरम में से है। यह हिजरत के बाद पहला खून था जो मुसलमानों के हाथों हुआ। इस पर मुशरिकीन ने बहुत वावैला किया कि इन लोगों का क्या हाल है, बने फिरते हैं अल्लाह वाले, रसूल वाले, दीन वाले, आखिरत वाले और इन्होंने हुरमत वाले महीने को बट्टा लगा दिया, इसमें जंग की। तो यह दरअसल अल्लाह तआला अपने उन मोमिन बंदों की तरफ से गोया खुद सफ़ाई पेश कर रहे हैं। फ़रमाया कि यह आपसे पूछते हैं कि हुरमत वाले महीनों में क़िताल का क्या हुक्म है?

“कह दीजिये कि इसमें जंग करना बहुत बड़ी गुनाह की बात है।”

قُلْ وَقَالُ فِيهِ كِبِيرٌ

“लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, उसका क़ुफ़र करना, मस्जिदे हराम से रोकना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे कहीं बड़ा गुनाह है।”

وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرُوجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ

यह वह संगीन जराइम (जुर्म) हैं जिनका इरतकाब मुशरिकीने मक्का की जानिब से हो रहा था। यहाँ फ़रमाया गया कि यह सब काम अशहरे हुरम में जंग करने से भी बड़े जुर्म हैं। लिहाज़ा उनके सद्देबाब (मुक्काबले) के लिये अगर अशहरे हुरम में जंग करनी पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं।

“और फ़ितना क़त्ल से भी बड़ा गुनाह है।”

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

क़त्ल अज़ आयत 191 में अलफ़ाज़ आ चुके हैं: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} फ़ितना हर वह कैफ़ियत है जिसमें साहिबे ईमान के लिये ईमान पर क़ायम रहना और इस्लाम पर अमल करना मुशिकल हो जाये। आज का पूरा मआशरा फ़ितना है। इस्लाम पर अमल करना मुशिकल है, बदमाशी और हरामखोरी के रास्ते खुले हुए हैं, अकले हलाल (हलाल खाना) इस क़द्र मुशिकल बना दिया गया है कि दाँतों पसीना आये तो शायद नसीब हो। निकाह और शादी के जायज़ रास्तों पर बड़ी-बड़ी शर्तें और क़दमों आयद हैं, जबकि नाजायज़ मरासिम और ज़िना

के रास्ते खुले हैं। जिस मआशरे के अंदर बातिल का ग़लबा हो जाये और हक़ पर चलना मुमकिन ना रहे वह बड़े फ़ितना में मुब्तला है। बातिल का ग़लबा सबसे बड़ा फ़ितना है। लिहाज़ा फ़रमाया कि फ़ितना क़त्ल के मुक्काबले में बहुत बड़ी शय है।

“और यह लोग तुमसे जंग करते रहेंगे यहाँ तक कि लौटा दें तुम्हें अपने दीन से अगर वह ऐसा कर सकते हों।”

وَلَا يَزَالُونَ يُفَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

वह तो इस पर तुले हुए हैं कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। यहाँ मुशरिकीने मक्का की तरफ़ इशारा हो रहा है, क्योंकि अब यह ग़ज़वा-ए-बदर की तम्हीद चल रही है। इसके बाद ग़ज़वा-ए-बदर होने वाला है, उसके लिये अहले ईमान को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है और उन्हें आगाह किया जा रहा है कि मुशरिकीन की जंग का मक़सद तुम्हें तुम्हारे दीन से बरग़श्ता करना (हटाना) है, वह तो अपनी भरपूर कोशिश करते रहेंगे कि अगर उनका बस चले तो तुम्हें तुम्हारे दीन से लौटा कर वापस ले जाएँ।

“और (सुन लो) जो कोई भी तुममें से अपने दीन से फिर गया”

وَمَنْ يَرُدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

“और उसी हालत में उसकी मौत आ गई कि वह काफ़िर ही था”

فَيَبُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

“तो यह वह लोग होंगे जिनके तमाम आमाल दुनिया और आखिरत में अकारत (बेकार) जाएँगे।”

فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

पहले ख़्वाह कितनी ही नेकियाँ की हुई थीं, कितनी ही नमाज़े पढ़ी हुई थीं, कितना ही इन्फ़ाक़ किया हुआ था, सदक़ात दिये थे, जो कुछ भी किया था सबका सब सिफ़र (ज़ीरो) हो जायेगा।

“और वह होंगे जहन्नम वाले, वह उसी में
हमेशा रहेंगे।”

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

आयत 218

“(इसके बरअक्स) जो लोग ईमान लाये और
जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया
अल्लाह की राह में तो यही वह लोग हैं जो
अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं।”

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

यहाँ उन लोगों पर बड़ा लतीफ़ तंज़ है जो खुद तो हराम के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि अल्लाह उन पर रहम फ़रमायेगा। अल्लाह ऐसी रविश इख़्तियार करने वालों पर रहमत नहीं फ़रमाता, अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ बनना पड़ता है। और अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ वही है जो ईमान, हिजरत और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का रास्ता इख़्तियार करता है। ऐसे लोग बजा तौर पर अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं।

“और अल्लाह तआला ग़फ़ूर है, रहीम है।”

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

वो उनकी लज़ज़िशों (गुनाहों) को माफ़ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाज़ने वाला है।

आयत 219

“(ऐ नबी ﷺ) यह आपसे शराब और जुए
के बारे में दरयाफ़्त करते हैं (कि इनका क्या
हुक़म है?)।”

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

इन अहकाम से शरीअत का इब्तदाई खाका (blue print) तैयार होना शुरू हो गया है, कुछ अहकाम पहले आ चुके हैं और कुछ अब आ रहे हैं। शराब और जुए

के बारे में यहाँ इब्तदाई हुक़म बयान हुआ है और इस पर महज़ इज़हारे नाराज़गी फ़रमाया गया है।

“(ऐ नबी ﷺ! इनसे) कह दीजिये कि इन
दोनों के अंदर बहुत बड़े गुनाह के पहलु हैं।”

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

“और लोगों के लिए येद्व मनफ़अतें (फ़ायदे)
भी हैं।”

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

“अलबत्ता इनका गुनाह का पहलु नफ़े के
पहलु से बड़ा है।”

وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنَّفَعِهِمَا

यानि इशारा कर दिया गया कि इनको छोड़ दो। अब मामला तुम्हारी अक्ले सलीम के हवाले है, हक़ीक़त तुम पर खोल दी गई है। यह इब्तदाई हुक़म है, लेकिन हुक़म के पैराये में नहीं। बस वाज़ेह कर दिया गया कि इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बढ कर है, अगरचे इनमें लोगों के लिये कुछ फ़ायदे भी हैं। बक़ौल ग़ालिब:

मय से गर्ज़ निशात है किसी रू स्याह को?
इक गुना बेखुदी मुझे दिन-रात चाहिये!

और:

मैं मयकदे की राह से होकर गुज़र गया
वरना सफ़र हयात का बेहद तवील था!

यह हिक़मत समझ लीजिये कि शराब और जुए में क्या चीज़ मुशतरक (समान) है कि यहाँ दोनों को जमा किया गया है? शराब के नशे में भी इंसान अपने आपको हक्काइक से मुन्क़तअ करता है और मेहनत से जी चुराता है। और ज़िन्दगी के तल्ख़ हक्काइक का मुआवज़ा करने को तैयार नहीं होता। “एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए!” और जुए की बुनियाद भी मेहनत की नफ़ी पर है। एक रवैया तो यह है कि मेहनत से एक आदमी कमा रहा है, मशक्क़त कर रहा है, कोई खोखा, छाबड़ी या रेढी लगा कर कुछ कमाई कर रहा है, जबकि एक है चाँस और दाव की बुनियाद पर पैसे कमाना। यह मेहनत की नफ़ी है। चुनाँचे शराब और जुए के अन्दर असल में इल्लत एक ही है।

“और यह आप صلی اللہ علیہ وسلم से पूछते हैं कि (अल्लाह की राह में) कितना खर्च करें?”

وَسَأَلُواكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

आयत 195 में इन्फ़ाक़ का हुक्म बाअल्फ़ाज़ आ चुका है:

“और खर्च करो अल्लाह की राह में और अपने आपको अपने हाथों हलाकत में ना झोंको।”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

तो सवाल किया गया कि “कितना खर्च करें?” हमें कुछ मिक्कदार भी बता दी जाये। फ़रमाया:

“कह दीजिये: जो भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद (ज़्यादा) हो।”

قُلِ الْعَفْوَ

अल्लाह तआला का यह मुतालबा नहीं है कि तुम अपनी ज़रूरतों को पीछे डाल दो, बल्कि तुम पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करो, फिर जो तुम्हारे पास बच जाये उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो। कम्युनिज्म के फ़लसफ़े में एक इस्तलाह “क्रद्रे ज़ायद” (surplus value) इस्तेमाल होती है। यह है “العَفْوُ” जो भी तुम्हारी ज़रूरियात से ज़ायद है यह surplus value है, उसे अल्लाह की राह में दे दो। इसको बचा कर रखने का मतलब यह है कि आप अल्लाह पर बे-ऐतमादी का इज़हार कर रहे हैं कि अल्लाह ने आज तो दे दिया है, कल नहीं देगा। लेकिन यह कि इंसान की ज़रूरतें क्या हैं, कितनी हैं, इसका अल्लाह ने कोई पैमाना मुकर्रर नहीं किया। इसका ताल्लुक़ बातिनी रूह से है। एक मुसलमान के अंदर अल्लाह की मुहब्बत और आख़िरत पर ईमान ज्यों-ज्यों बढ़ता जायेगा उतना ही वह अपनी ज़रूरतें कम करेगा, अपने मैयारे ज़िन्दगी को पस्त करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में देगा। उसूल यह है कि हर शख्स यह देखे कि जो मेरी ज़रूरत से ज़ायद है उसे मैं बचा-बचा कर ना रखूँ, बल्कि अल्लाह की राह में दे दूँ। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह पर इस सूरह मुबारक में पूरे दो रूक़ आगे आने वाले हैं।

“इसी तरह अल्लाह तआला अपनी आयात तुम्हारे लिये वाज़ेह कर रहा है ताकि तुम ग़ौरो फ़िक़र करो।”

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

आयत 220

“दुनिया और आख़िरत (के मामलात) में।”

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

तुम्हारा यह ग़ौरो फ़िक़र दुनिया के बारे में भी होना चाहिये और आख़िरत के बारे में भी। दुनिया में भी इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता। इस्लाम की तालीम यह नहीं है कि ना खाओ, ना पिओ, चिल्लेकशी करो, जंगलो में निकल जाओ! नहीं, इस्लाम तो मुत्मद्दन (सभ्य) ज़िन्दगी की तालीम देता है, घर ग्रहस्थी और शादी-ब्याह की तरगीब देता है, बीबी बच्चों के हकूक़ बताता है और उनकी अदायगी का हुक्म देता है। इसके साथ-साथ तुम्हें आख़िरत की भी फ़िक़र करनी चाहिये, और दुनिया व आख़िरत के मामलात में एक निस्बत व तनासुब (ratio proportion) क़ायम रहना चाहिये। दुनिया की कितनी क्रद्रे कीमत है और इसके मुक़ाबले में आख़िरत की कितनी क्रद्रे कीमत है, इसका सही तौर पर अंदाज़ा करना चाहिये। अगर यह अंदाज़ा ग़लत हो गया और कोई ग़लत तनासुब क़ायम कर लिया गया तो हर चीज़ तलपट हो जायेगी। मिसाल के तौर पर एक दवा के नुस्खे में कोई चीज़ कम थी, कोई ज़्यादा थी। अगर आपने जो चीज़ कम थी उसे ज़्यादा कर दिया और जो ज़्यादा थी उसे कम कर दिया तो अब हो सकता है कि यह नुस्खा शिफ़ा ना रहे, नुस्खा-ए-हलाकत बन जाये।

“और यह आप صلی اللہ علیہ وسلم से पूछ रहे हैं यतीमों के बारे में।”

وَسَأَلُواكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ

“(ऐ नबी ﷺ! इनसे) कह दीजिये कि (जिस तर्ज़े अमल में) उनकी भलाई और मस्लहत (हो वही इख्तियार करना) बेहतर है।”

قُلْ إِضْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ

उनकी मस्लहत को पेशे नज़र रखना बेहतर है, नेकी है, भलाई है। असल में लोगों के सामने सूरह बनी इसराइल की यह आयत (आयत:34) थी: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} “और माले यतीम के करीब तक ना फटको, मगर ऐसे तरीके पर जो (यतीम के हक में) बेहतर हो।” चुनाँचे वो माले यतीम के बारे में इन्तहाई एहतियात कर रहे थे और उन्होंने यतीमों की हंडियाँ भी अलैहदा कर दी थीं कि मबादा (ऐसा ना हो कि) उनके हिस्से की कोई बोटी हमारे पेट में चली जाये। लेकिन इस तरह यतीमों की देखभाल करने वाले लोग तकलीफ़ और हर्ज में मुब्तला हो गये थे। किसी के घर में यतीम परवरिश पा रहा है तो उसका खर्च अलग तौर पर उसके माल में से निकाला जा रहा है और उसके लिये अलग हंडियां पकाई जा रही है। फ़रमाया कि उस हुकम से यह मक़सद नहीं था, मक़सद यह था कि तुम कहीं उनके माल हड़प ना कर जाओ, उनके लिये इस्लाह और भलाई का मामला करना बेहतर तर्ज़े अमल है।

“और अगर तुम उनको अपने साथ मिलाये रखो तो वह तुम्हारे भाई ही तो हैं।”

وَإِنْ تَحَايَاهُمْ فَأَحْوَاكُمْ

“और अल्लाह जानता है मुफ़्सद को भी और मुस्लिह को भी।”

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

वह जानता है कि कौन बदनीयती से यतीम का माल हड़प करना चाहता है और कौन यतीम की ख़ैरख्वाही चाहता है। यह हंडिया अलैहदा करके भी गड़बड़ कर सकता है और यह वह शख्स है जो हंडिया मुशतरक करके भी हक़ पर रह सकता है।

“और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें सख़्ती ही में डाले रखता।”

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَقْتَكُمْ

लेकिन अल्लाह तआला ने तुम्हें मशक्कत और सख़्ती से बचाया और तुम पर आसानी फ़रमाई।

“यक़ीनन अल्लाह तआला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है।”

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

वह इन्तहाई मशक्कत पर मन्नी सख़्त से सख़्त हुकम भी दे सकता है, इसलिये कि वह ज़बरदस्त है, लेकिन वह इंसानों को मशक्कत में नहीं डालता, बल्कि उसके हर हुकम के अंदर हिकमत होती है। और जहाँ हिकमत नरमी की मुतक़ाज़ी (आवेदक) होती है वहाँ वह रियायत देता है।

आयत 221

“और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वह ईमान ना ले आएँ।”

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ

“और एक मोमिना लौंडी (दासी) बेहतर है एक आज़ाद मुशरिका औरत से अगरचे वह तुम्हें अच्छी भी लगती हो।”

وَلَا مَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَجْبَسَتْكُمْ

“और अपनी औरतें मुशरिकों के निकाह में मत दो जब तक कि वह ईमान ना ले आएँ।”

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

“और एक मोमिन गुलाम बेहतर है एक आज़ाद मुशरिक मर्द से अगरचे वह तुम्हें पसंद भी हो।”

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا يُؤْتَى

ख्वाह वह साहिबे हैसियत और मालदार हो, लेकिन दौलते ईमान से महरूम हो तो तुम्हारे लिये जायज़ नहीं है कि अपनी बहन या बेटी उसके निकाह में दे दो।

“यह लोग आग की तरफ बुला रहे हैं”

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

अगर इनसे रिश्ते-नाते जोड़ोगे तो वह तुम्हें भी जहन्नम में ले जाएँगे और तुम्हारी औलाद को भी।

“और अल्लाह तुम्हें बुला रहा है जन्नत की तरफ और मग़फ़िरत की तरफ अपने हुकम से।”

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْوَابِهِ

“और वह अपनी आयात वाज़ेह कर रहा है लोगों के लिये ताकि वह नसीहत हासिल करें।”

وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

आयात 222 से 228 तक

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحْتَىٰ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

आयत 222

“और वह औरतों की माहवारी के बारे में आप صلی اللہ علیہ وسلم से सवाल कर रहे हैं”

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

“कह दीजिये वह एक नापाकी भी है और एक तकलीफ़ का मसला भी है”

قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ

“तो हैज़ की हालात में औरतों से अलैहदा रहो”

فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

“और उनसे मुक़ारबत ना करो यहाँ तक कि वह पाक हो जाएँ।”

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ

“फिर जब वह ख़ूब पाक हो जाएँ तो अब उनकी तरफ़ जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुकम दिया है।”

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

मालूम हुआ कि बदीहयाते फ़ितरत (पूर्व प्राकृतिक ज्ञान) अल्लाह तआला के अवामिर (आदेशों) में शामिल है। औरतों के साथ मुजामियत (संभोग) का तरीका इंसान को फ़ितरी तौर पर मालूम है, यह एक अम्रे तबीय (प्राकृतिक कार्य) है। हर हैवान को भी जिबिल्ली (जन्मजात) तौर पर मालूम है कि उसे अपनी मादा के साथ कैसा ताल्लुक कायम करना है। लेकिन अगर इंसान फ़ितरी तरीका छोड़ कर ग़ैर फ़ितरी तरीका इख़्तियार करे और औरतों के साथ भी

क्रौमे लूत वाला अमल करने लगे तो यह हुराम है। सही रास्ता वही है जो अल्लाह तआला ने तुम्हारी फ़ितरत में डाला है।

“यकीनन अल्लाह मुहब्बत करता है बहुत
तौबा करने वालों से और मुहब्बत करता है
बहुत पाकबाज़ी इख़्तियार करने वालों से।”

उनसे अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाये तो उससे तौबा करते हैं और नापाक चीजों से दूर रहते हैं।

आयत 223

“तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिये बमंज़िला
खेती हैं।”

जैसे खेत में बीज बोते हो, फिर फ़सल काटते हो, उसी तरह बीवियों के ज़रिये से अल्लाह तआला तुम्हें औलाद अता करता है।

“तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ।”

तुम अपनी खेती में जिधर से चाहो आओ, तुम्हारे लिये कोई रुकावट नहीं है, आगे से या दाहिनी तरफ़ से या बायें तरफ़ से, जिधर से भी चाहो, मगर यह ज़रूर है कि तख़मरेज़ी (वीर्यरोपण) उसी ख़ास जगह में हो जहाँ से पैदावार की उम्मीद हो सकती है।

“और अपने आगे के लिये सामान करो।”

यानि अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करो और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। औलाद इंसान का असासा (संपत्ति) होती है और बुढ़ापे में उसका सहारा बनती है। आज तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है और औलाद कम से कम पैदा करने की तरगीब दी जा रही है, जबकि एक ज़माने में औलाद असाए पीरी (बुढ़ापे की छड़ी) शुमार होती थी।

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो और
जान लो कि तुम्हें उससे मिल कर रहना है।”

नोट कीजिये कि कुरान हकीम में शरीअत के हर हुक्म के साथ तक्रवा का ज़िक्र बार-बार आ रहा है। इसलिये कि किसी क़ानून की लाख पैरवी की जा रही हो मगर तक्रवा ना हो तो वह क़ानून मज़ाक़ बन जायेगा, खेल-तमाशा बन जायेगा। इसकी बाज़ मिसालें अभी आएँगी।

“और (ऐ नबी ﷺ) अहले ईमान को
बशारत दे दीजियो।”

आयत 224

“और अल्लाह के नाम को तख़ता-ए-मशक़ ना
बना लो अपनी क़समों के लिये”

“कि भलाई ना करोगे, परहेज़गारी ना करोगे
और लोगों के दरमियान सुलह ना कराओगे।”

यानि अल्लाह तआला के अज़ीम नाम को इस्तेमाल करते हुए ऐसी क़समें मत खाओ जो नेकी व तक्रवा और मक़सदे इस्लाह के खिलाफ़ हों। किसी वक़्त गुस्से में आकर आदमी क़सम खा बैठता है कि मैं फ़लाँ शख़्स से कभी हुस्ने सुलूक और भलाई नहीं करूँगा, इससे रोका गया है। हज़रत अबु बकरर सिद्दीक़ रज़ि० ने भी इसी तरह की क़सम खा ली थी। मिस्तह एक ग़रीब मुसलमान थे, जो आप रज़ि० के क़राबतदार भी थे। उनकी आप रज़ि० मदद किया करते थे। जब हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ि० पर तोहमत लगी तो मिस्तह भी उस आग के भड़काने वालों में शामिल हो गये। हज़रत अबु बकरर रज़ि० उनके तर्ज़े अमल से बहुत रंजीदा ख़ातिर हुए कि मैं तो इसकी सरपरस्ती करता रहा और यह मेरी बेटी पर तोहमत लगाने वालों में शामिल हो गया। आप रज़ि० ने क़सम खाई कि अब मैं कभी इसकी मदद नहीं करूँगा। यह वाक़िया सूरतुल नूर में आयेगा।

मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा ना करो, तुम अपनी नेकी के दरवाज़े क्यों बंद करते हो? जिसने ऐसी क्रसम खाली है वह उस क्रसम को खोल दे और क्रसम का कफ़ारा दे दे। इसी तरह लोगों के माबैन मसालिहत (सुलह) कराना भी ज़रूरी है। दो भाईयों के दरमियान झगड़ा था, आपने मसालिहत की कोशिश की लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई, इस पर आपने गुस्से में आकर कह दिया कि अल्लाह की क्रसम, अब मैं इनके मामले में दखल नहीं दूँगा। इस तरह की क्रसमें खाने से रोका गया है। और अगर किसी ने ऐसी कोई क्रसम खाई है तो वह उसे तोड़ दे और उसका कफ़ारा दे दे।

“और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है।”

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

आयत 225

“अल्लाह तआला मुवाछ़ा नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी बे मायने क्रसमों पर (जो तुम अज़म व इरादे के बग़ैर खा बैठते हो)”

لَا يَأْخُذُكُمْ اللّٰهُ بِاللّٰغْوِ اِيْمَانِكُمْ

अरबों का अंदाज़े गुफ़्तुगू इस तरह का है कि वल्लाह, बिल्लाह के बग़ैर उनका कोई जुमला शुरू ही नहीं होता। इससे दरहक़ीक़त उनकी नीयत क्रसम खाने की नहीं होती बल्कि यह उनका गुफ़्तुगू का एक अस्लूब (अंदाज़) है। इस तरह की क्रसमों पर मुवाछ़ा नहीं है।

“लेकिन उन क्रसमों पर तुमसे ज़रूर मुवाछ़ा करेगा जो तुमने अपने दिली इरादे के साथ खाई हों।”

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ

ऐसी क्रसमों को तोड़ने का कफ़ारा देना होगा। कफ़ारे का हक़म सूरतुल मायदा में बयान हुआ है। मैं अर्ज़ कर चका हूँ कि सूरतुल बकरह में शरीअते इस्लामी का इब्तदाई ख़ाका दे दिया गया है और इसके तक्मीली अहक़ाम कुछ सूरतुन्निसा में और कुछ सूरतुल मायदा में बयान हुए हैं।

“और अल्लाह बख़्शने वाला है और हलीम है।”

وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

वो बहत दरग़ज़र करने वाला और बर्दबार (धैर्यवान) है। वह फ़ौरन नहीं पकड़ता, बल्कि इस्लाह की मोहलत देता है।

आयत 226

“जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ ना रखने की क्रसम खा बैठते हैं उनके लिये चार माह की मोहलत है।”

لِّلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصًا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ

अगर कोई मर्द किसी वक़्त नाराज़ होकर या गुस्से में आकर यह क्रसम खा ले कि अब मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊँगा, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, तो यह ईला कहलाता है। ख़द आँहज़र عليه السلام ने भी अपनी अज़वाजे मतहहरात से ईला फ़रमाया था। अज़वाजे मतहहरात रज़ि० ने अर्ज़ किया था कि अब आम मुसलमानों के यहाँ भी ख़शहाली आ गई है तो हमारे यहाँ यह तंगी और सख़्ती क्यों है? अब हमारे भी नफ़कात बढ़ाये जाएँ। इस पर रसूल अल्लाह عليه السلام ने उनसे ईला किया। इसका ज़िक़्र बाद में आयेगा। आमतौर पर होता यह था कि लोग क्रसम तो खा बैठते थे कि बीवी के पास ना जाएँगे, मगर बाद में पछताते थे कि क्या करें। अब वह बीवी बेचारी मअल्लक़ (suspended) होकर रह जाती। इस आयत में ईला की मोहलत मक़रर कर दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा चार माह तक इंतज़ार किया जा सकता है।

“पस अगर वह रुजूअ कर लें तो अल्लाह बख़्शने वाला, मेहरबान है।”

فَاِنْ فَاَوْفَاْنَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

इन चार माह के दौरान अगर वह अपनी क्रसम को ख़त्म करें और रुजूअ कर लें, ताल्लुक़ ज़न व शौ क़ायम कर लें तो अल्लाह तआला ग़फ़ूर व रहीम है।

आयत 227

“और अगर वह तलाक़ का इरादा कर चुके हों तो अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है।”

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“○

यानि चार माह का अरसा गज़र जाने पर शौहर को बहरहाल फ़ैसला करना है कि वह या तो रुजुअ करे या तलाक़ दे। अब औरत को मज़ीद मअल्लक़ नहीं रखा जा सकता। रुजुअ की सुरत में चूँकि क़सम तोड़नी होगी लिहाज़ा उसका कफ़ारा अदा करना होगा। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में यह हक़म जारी किया था कि जो लोग जिहाद के लिये घरों से दूर गये हों उन्हें चार माह बाद लाज़िमी तौर पर घर भेजा जाये। आप रज़ि० अल्लाह ने यह हक़म ग़ालिबन इसी आयत से इस्तनबात (अन्मान) करते हये जारी फ़रमाया था। इसलिये कि आप रज़ि० ने उम्मल मोमिनीन हज़रत हफ़सा रज़ि० से मशावरात भी फ़रमाई थी। अगरचे आप रज़ि० का हज़रत हफ़सा रज़ि० से बाप-बेटी का रिश्ता है, मगर दीन के मामलात में शर्म व हया आड़े नहीं आती, जैसे कि अल्लाह तआला का इर्शाद है: { وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ } (अहज़ाब:53) “और अल्लाह शर्माता नहीं हक़ बात बतलाने में।” आप रज़ि० ने उनसे पूछा कि एक औरत कितना अरसा अपनी इफ़्त व अस्मत को संभाल कर अपने शौहर का इतेज़ार कर सकती है? हज़रत हफ़सा रज़ि० ने कहा चार माह। चूनाँचे हज़रत उमर रज़ि० ने मजाहिदीन के बारे में यह हक़म जारी फ़रमा दिया कि उन्हें चार माह से ज़्यादा घरों से दूर ना रखा जाये।

आयत 228

“और जिन औरतों को तलाक़ दे दी जाये उन पर लाज़िम है कि वह अपने आपको तीन हैज़ तक रोके रखें।”

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

तलाक़ के बाद औरत के लिये तीन माह की इद्दत है। इस इद्दत में शौहर चाहे तो रुजुअ कर सकता है, अगर उसने एक या दो तलाक़ें दी हों। अलबत्ता तीसरी तलाक़ के बाद रुजुअ का हक़ नहीं है। तलाज़े रज़ीअ के बाद अभी अगर इद्दत

ख़त्म हो जाये तो अब शौहर का रुजुअ का हक़ ख़त्म हो जायेगा और औरत आज़ाद होगी। लेकिन इस मुद्दत के अंदर वह दूसरी शादी नहीं कर सकती।

“और उनके लिये यह जायज़ नहीं है कि अल्लाह उनके अरहाम में जो कुछ पैदा कर दिया हो वह उसे छुपाएँ”

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“अगर वह फ़िलवाक़ेअ अल्लाह और यौमे आख़िर पर ईमान रखती हैं।”

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

तीन हैज़ की मुद्दत इसी लिये मुक़रर की गई है कि मालूम हो जाये कि औरत हामिला है या नहीं। अगर औरत हामिला हो लेकिन वह अपना हमल छुपा रही हो ताकि उसके पेट में पलने वाला उसका बच्चा उसके पास ही रहे, तो यह उसके लिये जायज़ नहीं है।

“और उनके शौहर उसके ज़्यादा हक़दार हैं कि उन्हें लौटा लें इस इद्दत के दौरान में अगर वह वाक़िअतन इस्लाह चाहते हों।”

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

इसे रुजुअत कहते हैं। शौहरों को हक़ हासिल है कि वह इद्दत के अंदर-अंदर रुजुअ कर सकते हैं, लेकिन यह हक़ तीसरी तलाक़ के बाद हासिल नहीं रहता। पहली या दूसरी तलाक़ के बाद इद्दत ख़त्म होने से पहले शौहर को इसका इख़्तियार हासिल है कि वह रुजुअ कर ले। इस पर बीवी को इन्कार करने का इख़्तियार नहीं है। वह यह नहीं कह सकती कि तुम तो मुझे तलाक़ दे चुके हो, अब मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ।

“और औरतों के लिये इसी तरह हुकूक़ हैं जिस तरह उन पर ज़िम्मेदारियाँ हैं दस्तूर के मुताबिक़ा।”

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

यानि उनके लिये जो हुकूक़ हैं वह उनकी ज़िम्मेदारियों की मुनासबत से हैं।

“और मर्दों के लिये उन पर एक दर्जा फ़ौक़ियत (प्राथमिकता) का है।”

وَاللّٰجِلِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ

“और अल्लाह तआला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है।”

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

इस ज़माने में इस आयत की बहत ग़लत ताबीर भी की गई है और इससे मसावाते मर्दों-ज़न (औरत और मर्द) का फ़लसफ़ा साबित किया गया है। चूनाँचे बाज़ मतरजमीन (तर्जमा करने वालों) ने { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } का तर्जमा इस तरह किया है कि “औरतों के हक़ भी मर्दों पर वैसे ही हैं जैसे मर्दों के उन पर हक़ हैं।” यह तर्जमा दुरुस्त नहीं है, इसलिये कि इस्लामी शरीअत में मर्द और औरत के दरमियान यानि शौहर और बीवी के दरमियान मसावात नहीं है। इस आयत का मफ़हम समझने के लिये अरबी में “ن” और “عَلَى” का इस्तेमाल मालूम होना चाहिये। “ن” किसी के हक़ के लिये और “عَلَى” किसी की ज़िम्मेदारी के लिये आता है। चूनाँचे इस टुकड़े का तर्जमा इस तरह होगा: لَهُنَّ “उनके लिये हक़ हैं।” مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ “जैसी कि उन पर ज़िम्मेदारियाँ हैं।” अल्लाह तआला ने जैसी ज़िम्मेदारी मर्द पर डाली है वैसे हक़ उसको दिये हैं और जैसी ज़िम्मेदारी औरत पर डाली है उसकी मनासबत से उसको भी हक़ दे दिये हैं। और इस बात को खोल दिया कि { وَاللّٰجِلِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ } यानि मर्दों को उन पर एक दर्जा फ़ौक़ियत का हासिल है। अब मसावात क़्योकर हो सकती है? आख़िर में फ़रमाया:

“और अल्लाह तआला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है।”

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ख्वाह तम्हें यह बात पसंद हो ख्वाह नापसंद हो, यह उसका हक़ है। वह अज़ीज़ है, ज़बरदस्त है, जो चाहे हुक़्म दे। और हकीम है, हिकमत वाला है, उसका हर हुक़्म हिकमत पर मन्नी है।

इस आयत में जो मज़मून बयान हुआ है उस पर क़द्रे तफ़सीली ग़फ़्तग़ की ज़रूरत है। देखिये, इंसानी तमददन (संस्कृति) का अहमतरनीन और बनियादी तरीन मसला क्या है? एक है इंसानी ज़िन्दगी का मसला। इंसानी ज़िन्दगी का

सबसे पहला मसला तो वही है जो हैवानी ज़िन्दगी का भी है, यानि अपनी माही ज़रूरियात। हर हैवान की तरह इंसान के साथ भी पेट लगा हुआ है जो खाने को माँगता है। लेकिन इसके बाद जब दो इंसान मिलते हैं और इससे तमददन का आगाज़ होता है तो इसका सबसे बड़ा मसला इंसान की शहवत है। अल्लाह तआला ने मर्द और औरत दो जिन्सें (लिंग) बना दी हैं और इन दोनों के माबैन ताल्लूक से नस्ल आगे चलती है। अब इस मामले को कैसे मन्ज़म (organized) किया जाये, इसकी क्या हद व क़ैद हों? यह ज़बा वाक़िअतन बहत ज़ोरआवर (potent) है। इसके बारे में फ़राइड ने जो क़ह्व क़हा है वह बिल्कूल बेबनियान नहीं है। बस यूँ समझिये कि उसने ज़रा ज़्यादा मिर्च-मसाला लगा दिया है, वरना इसमें कोई शक़ नहीं कि इंसान का जिन्सी ज़बा निहायत क़वी और ज़ोरआवर ज़बा है। और जो शय जितनी क़वी हो उसे हद में रखने के लिये उस पर उसी क़द्र ज़्यादा क़ैद गनीं आयद करनी पड़ती हैं। कोई घोड़ा जितना मूँहज़ोर हो उतना ही उसे लगाम देना आसान नहीं होता, उसके लिये फिर मशक़क़त करनी पड़ती है। चूनाँचे अगर इस जिन्सी ज़बे को बेलग़ाम छोड़ दिया जाता तो तमददन में फ़साद हो जाता। लिहाज़ा इसके लिये शादी का मामला रखा गया कि एक औरत का एक मर्द के साथ रिश्ता क़ायम हो जाये, सबको मालूम हो कि यह इसकी बीवी है यह इसका शौहर है, ताकि इस तरह नसब (वंश) का मामला भी चले और एक खानदानी इदारा वज़द में आये। वरना आज़ाद शहवतरानी (free sex) से तो खानदानी इदारा वज़द में आ ही नहीं सकता। चूनाँचे निकाह के ज़रिये अज़द्वामी (वैवाहिक) बंधन का तरीक़ा अल्लाह तआला ने इंसानों को सिखाया और इस तरह खानदानी इदारा वुजूद में आया।

अब सवाल यह है कि क्या इस इदारे में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं? इस नज़रिये से बड़ी हिमाक़त (मर्ख़ता) और कोई नहीं है। इसलिये कि सीधी सी बात है कि किसी भी इदारे के दो बराबर के सरबराह (head) नहीं हो सकते। अगर आप किसी महक़मे (विभाग) के दो डायरेक्टर बना दें तो वह इदारा तबाह हो जायेगा। ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होगा, उसके नीचे आप दस डायरेक्टर भी बना दें तो कोई हर्ज नहीं। किसी इदारे का जनरल मैनेजर एक ही होगा, उसके मातहत आप हर शौबे का एक मैनेजर बना दीजिये। किसी भी इदारे में अगर नज़म (सिस्टम) क़ायम करना है तो उसका चोटी (Top) का सरबराह एक ही होना चाहिये। लिहाज़ा जब एक मर्द और एक

औरत से एक खानदानी इदारा वजूद में आये तो उसका सरबराह कौन होगा--
- मर्द या औरत? मर्द और औरत इंसान होने के नाते बिल्कुल बराबर है, एक ही बाप के नत्के से बेटा भी है और बेटा भी। एक ही माँ के रहम में बहन ने भी परवरिश पाई है और भाई ने भी। लिहाज़ा इस ऐतबार से शर्फ़े इंसानियत में, नौए इंसानियत के फ़र्द की हैसियत से, दोनों बराबर हैं। लेकिन जब एक मर्द और एक औरत मिल कर खानदान की बनियाद रखते हैं तो अब यह बराबर नहीं रहे। जैसे इंसान सब बराबर हैं, लेकिन एक दफ़्तर में चपरासी और अफ़सर बराबर नहीं हैं, उनके अलग-अलग इख़्तियारात और फ़राइज हैं।

क़ुरान हकीम में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तफ़्सील के साथ जो अहकाम दिये गये हैं वह खानदानी निज़ाम और आइली मामलात ही से मताल्लिक हैं। इसलिये कि इंसानी तमददन की जड़ और बनियाद यही है। यहाँ से खानदान बनता है और खानदानों की इज्जतमा का नाम मआशरा है। पाकिस्तानी मआशरे की मिसाल ले लीजिये। अगर हमारी आबादी इस वक़्त चौदह करोड़ है और आप एक खानदान के सात अफ़राद शमार कर लें तो हमारा मआशरा दो करोड़ खानदानों पर मशतमिल है। खानदान का इदारा मुस्तहकम (स्थिर) होगा तो मआशरा मुस्तहकम हो जायेगा। खानदान के इदारे में सलाह और फ़लाह होगी तो मआशरे में भी सलाह व फ़लाह नज़र आयेगी। अगर खानदान के इदारे में फ़साद, बेचैनी, ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी होगी, मियाँ और बीवी में झगड़े हो रहे होंगे तो फिर वहाँ औलाद की तरबियत सही नहीं हो सकती, उनकी तरबियत में यह मन्फ़ी चीज़ें शामिल हो जायेंगी और इसी का अक्स पूरे मआशरे पर पड़ेगा। चनाँचे खानदानी इदारे की इस्लाह और उसके इस्तहकाम के लिये क़ुरान मजीद में बड़ी तफ़्सील से अहकाम दिये गये हैं, जिन्हें आइली क़वानीन कहा जाता है।

इस ज़िम्न में तलाक़ एक अहम मामला है। इसमें मर्द और औरत को बराबर का इख़्तियार नहीं दिया गया। जहाँ तक शादी का ताल्लुक है उसमें औरत की रज़ामंदी ज़रूरी है, उसे शादी से इन्कार करने का हक़ हासिल है, उस पर जबर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मर्तबा जब वह निकाह में आ गई है तो अब शौहर का पलड़ा भारी है, वह उसे तलाक़ दे सकता है। अगर जुल्म के साथ देगा तो अल्लाह के यहाँ जवाब देही करनी पड़ेगी और पकड़ हो जायेगी। लेकिन बहरहाल उसे इख़्तियार हासिल है। औरत खुद तलाक़ नहीं दे सकती, अलबत्ता तलाक़ हासिल कर सकती है, जिसे हम "खुलाअ" कहते हैं। वह अदालत के

ज़रिये से या खानदान के बड़ों के ज़रिये से खुलाअ हासिल कर सकती है, लेकिन उसे मर्द की तरह तलाक़ देने का हक़ हासिल नहीं है। इसी तरह अगर मर्द ने एक या दो तलाक़ दे दीं और अभी इद्दत पूरी नहीं हुई तो उसे रुजूअ का हक़ हासिल है। इस पर औरत इन्कार नहीं कर सकती। यह तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूदा ज़माने में ख्वातीन को अच्छी नहीं लगतीं। इसलिये कि आज की दुनिया में मसावाते मर्दों-ज़न का फ़लसफ़ा शैतान का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा और मआशरे में फ़ितना व फ़साद और गंदगी पैदा करने का सबसे बड़ा हथियार है। और अब हमारे इसाई मुल्क खासतौर पर मुसलमान मुल्कों में खानदानी निज़ाम की जो बची-कुची शक़ल बाक़ी रह गई है और जो कुछ रही-सही इक़दार मौजूद हैं उन्हें तबाह व बर्बाद करने की सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं। काहिरा कॉन्फ़्रेंस और बीजिंग कॉन्फ़्रेंस का मक़सद यही है कि एशिया का मशरिफ़ और मग़रिब दोनों तरफ़ से घेराव किया जाये ताकि यहाँ कि औरत को आज़ादी दिलाई जाये। मर्द व औरत की मुसावात और औरतों की आज़ादी (emancipation) के नाम पर हमारे खानदानी निज़ाम को इसी तरह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह उनके यहाँ बर्बाद हो चुका है। अमरीकी सदर बिल क्लिन्टन ने अपने साले नौ के पैगाम में कहा था कि जल्दी ही हमारी क्रौम की अक्सरियत "हरामज़ादों" (born without any wedlock) पर मुशतमिल होगी। वहाँ अब महज़ "one parent family" रह गई है। माँ की हैसियत बाप की भी है और माँ की भी। वहाँ के बच्चे अपने बाप को जानते ही नहीं। अब वहाँ एक मुहिम ज़ोर-शोर से उठ रही है कि हर इंसान का हक़ है कि उसे मालूम हो कि उसका बाप कौन है। यह अज़ीम तबाही है जो मग़रबी मआशरे पर आ चुकी है और हमारे यहाँ भी लोग इस मआशरे की नक्काली इख़्तियार कर रहे हैं और यह नज़रिया-ए-मुसावाते मर्दों-ज़न बहुत ही ताबनाक और खुशनुमा अल्फ़ाज़ के साथ सामने आ रहा है।

अलबत्ता इस मामले का एक दूसरा रुख़ भी है। इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक दिये हैं बदक्रिस्मती से हम मुसलमानों ने वह भी उनको नहीं दिये। इसकी वजह यह है कि हमारे ज़हनों पर अभी तक हमारा हिन्दुआना पसमंज़र मुसल्लत है और हिन्दुओं के मआशरे में औरत की क़तअन कोई हैसियत ही नहीं। विरासत का हक़ तो बहुत दूर की बात है, उसे तो अपने शौहर की मौत के बाद ज़िन्दा रहने का हक़ भी हासिल नहीं है, उसे तो शौहर की चिता के साथ ही जल कर सती हो जाना चाहिये। गोया उसका तो कोई क़ानूनी वजूद (legal entity) है

ही नहीं। हमारे आबा व अजदाद मुसलमान तो हो गये थे, लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनकी तरबियत नहीं हो सकी थी, लिहाज़ा हमारे ज़हनों पर वही हिन्दुआना तसव्वुरात मुसल्लत हैं कि औरत तो मर्द के पाँव की जूती की तरह है। यह जो कुछ हम कर रहे हैं कि उनके जायज़ हुक्क भी उनको नहीं देते, इसके नतीजे में हम अपने ऊपर होने वाली मगरबी यलगार को मुअस्सर करने में खुद मदद दे रहे हैं। अगर हम अपनी ख्वातीन को वह हुक्क नहीं देंगे जो अल्लाह और उसके रसूल ﷺ ने उनके लिये मुकरर किये हैं तो ज़ाहिर बात है कि आज़ादी-ए-निस्वाँ, हुक्के निस्वाँ और मुसावाते मर्दो-ज़न जैसे खुशनुमा उन्वानात से जो दावत उठी है वह लाज़िमन उन्हें खींच कर ले जायेगी। लिहाज़ा इस तरफ़ भी ध्यान रखिये। हमारे यहाँ दीनदार घरानों में खासतौर पर औरतों के हुक्क नज़र अंदाज़ होते हैं। इसको समझना चाहिये कि इस्लाम में औरतों के क्या हुक्क हैं और उनकी किस क़दर दिलजोई करनी चाहिये। रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِمْ وَأَنَا خَيْرُكُمْ)) (28) "तुममें से बेहतरीन लोग वह हैं जो अपने घरवालों के लिये अच्छे हों। और जान लो कि मैं अपने घर वालों के लिये तुम सबसे अच्छा हूँ।" लिहाज़ा ज़रूरी है कि औरतों के साथ हुस्ने सुलूक हो, उनकी दिलजोई हो, उनके अहसासात का भी पास किया जाये। अलबत्ता जहाँ दीन और शरीअत का मामला आ जाये वहाँ किसी लचक की गुंजाइश ना हो, वहाँ आप शमशीर बराहना हो जाँ और साफ़-साफ़ कह दें कि यह मामला दीन का है, इसमें मैं तुम्हारी कोई रिआयत नहीं कर सकता, हाँ अपने मामलात के अंदर मैं ज़रूर नरमी करूँगा।

इस सारी बहस को ज़हन में रखिये। हमारे जदीद दानिशवर इस आयत के दरमियानी अल्फ़ाज़ को तो ले लेते हैं: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } और इससे मुसावाते मर्दो-ज़न का मफ़हम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे पहले वाले अल्फ़ाज़ और { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } और बाद वाले अल्फ़ाज़ { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ نَجْةٌ } से सफ़े नज़र कर लेते हैं। यह तर्ज़े अमल बिल्कुल ग़लत है। एक मर्द और एक औरत से जो खानदानी इदारा वुजूद में आता है, इस्लाम उसका सरबराह मर्द को ठहराता है। यह फ़लसफ़ा ज़्यादा वज़ाहत से सूरतुन्निहा में बयान होगा जहाँ अल्फ़ाज़ आये हैं: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (आयत:34)। यहाँ इसकी तम्हीद आ गई है ताकि यह कड़वी गोली ख्वातीन के हलक़ से ज़रा नीचे उतरनी शुरू हो जाये। इस आयत का तर्जुमा एक बार फिर देख लीजिये:

“और उनके शौहर इसके ज़्यादा हक़दार हैं कि उन्हें लौटा लें इस इद्दत के दौरान में अगर वह वाक़िअतन इस्लाह चाहते हों। और औरतों के लिये इसी तरह हुक्क हैं जिस तरह उन पर ज़िम्मेदारियाँ हैं दस्तूर के मुताबिक़। और मर्दों के लिये उन पर एक दर्जा फ़ौक़ियत का है। और अल्लाह ज़बरदस्त है, हकीम है।” अल्लाह तआला ने जो ज़िम्मेदारियाँ औरत के हवाले की हैं, जिस तरह के उस पर फ़राइज़ आयद किये हैं वैसे ही उसको हुक्क भी अता किये हैं। यह दुनिया का मुसल्लमा उसूल है कि हुक्क व फ़राइज़ बाहम साथ-साथ चलते हैं। अगर आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है तो हुक्क और इख़्तियारात भी ज़्यादा होंगे। अगर आप पर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा डाल दी जाये लेकिन हुक्क और इख़्तियारात उसकी मुनासबत से ना हों तो आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकते। जहाँ ज़िम्मेदारी कम होगी वहाँ हुक्क और इख़्तियारात भी कम होंगे। यह दोनो चीज़ें मुनास्बत (proportionate) चलती हैं। अब हम अगली आयत का मुताअला करते हैं:

आयात 229 से 231 तक

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمِثْلٍ
اتَّبَعْتُمْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ آلَا يُفِيئِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُفِيئِمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا هَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا أَنْ يُفِيئِمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِيَتَّعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْتِ اللَّهِ هُزُومًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

○

आयत 229

“तलाक़ दो मर्तबा है”

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ

यानि एक शौहर को दो मर्तबा तलाक़ देकर रुजूअ कर लेने का हक़ है। एक दफ़ा तलाक़ दी और इद्दत के अंदर-अंदर रुजूअ कर लिया तो ठीक है। फिर तलाक़ दे दी और इद्दत के अंदर-अंदर रुजूअ कर लिया तो भी ठीक है। तीसरी मर्तबा तलाक़ दे दी तो अब वह रुजूअ नहीं कर सकता।

“फिर या तो मारुफ़ तरीज़े से रोक लेना है
या फिर ख़ूबसूरती के साथ रुख़सत कर देना
है।”

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

यानि दो मर्तबा तलाक़ देने के बाद अब फ़ैसला करो। या तो अपनी बीवी को नेकी और भलाई के साथ घर में रोक लो, तंग करने और परेशान करने के लिये नहीं, या फिर भले तरीक़े से, भले मानुसों की तरह उसे रुख़सत कर दो।

“और तुम्हारे लिये यह जायज़ नहीं है कि जो
कुछ तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ भी
वापस लो”

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ

شَيْئًا

जब तुम तलाक़ दे रहे हो तो तुमने उन्हें जो महर दिया था उसमें से कुछ वापस नहीं ले सकते। हाँ अगर औरत खुद तलाक़ माँगे तो उसे अपने महर में से कुछ छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन जब मर्द तलाक़ दे रहा हो तो उसमें से कुछ भी वापस नहीं ले सकता जो वह अपनी बीवी को दे चुका है। सूरतुन्निहा (आयत:20) में यहाँ तक अल्फ़ाज़ आये हैं कि अगरचे तुमने सोने का ढेर (क्रिन्तार) दे दिया हो फिर भी उसमें से कुछ वापस ना लो।

“सिवाये इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वह
हुदूद अल्लाह को क़ायम नहीं रख सकेंगे।”

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

मुराद यह है कि अल्लाह तआला ने अज़द्वाराजी ज़िन्दगी के ज़िमन में जो अहदाफ़ (लक्ष्य) व मक़ासिद मुअय्यन फ़रमाये हैं, उसके लिये जो अहकाम दिये हैं और जो आदाब बताये हैं, फ़रीक़ैन अगर यह महसूस करें कि हम उन्हें मलहज़ (ध्यान में) नहीं रख सकते तो यह एक इस्तसनाई सूरत है, जिसमें औरत कोई माल या रक़म फ़िदये के तौर पर देकर ऐसे शौहर से खुलासी हासिल कर सकती है।

“पस अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि वह दोनों
हुदूदे इलाही पर क़ायम नहीं रह सकते, तो
उन दोनों पर इस मामले में कोई गुनाह नहीं
है जो औरत फ़िदये में दे।”

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

यानि ऐसी सूरत में औरत अगर फ़िदये के तौर पर कुछ दे दिला कर अपने आप को छुड़ा ले तो इसमें फ़रीक़ैन पर कोई गुनाह नहीं। मसलन किसी औरत का महर दस लाख था, वह उसमें से पाँच लाख शौहर को वापस देकर उससे खुला ले ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

“यह अल्लाह की हुदूद हैं, पस इनसे तज़ावुज़
मत करो।”

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

देखिए रोज़े वगैरह के ज़िमन में हुदूद अल्लाह के साथ {فَلَا تَقْرُبُوهَا} फ़रमाया था। यहाँ फ़रमाया: {فَلَا تَعْتَدُوهَا} इसलिये कि इन मामलात में लोग बड़े धड़ल्ले से अल्लाह की मुकरर कर्दा हुदूद को पामाल कर (रौंद) जाते हैं। अगरचे क़ानून बाक़ी रह जाता है मगर उसकी रूह ख़त्म हो जाती है।

“और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तज़ावुज़
करते हैं वही ज़ालिम हैं।”

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

आयत 230

“फिर अगर वह (तीसरी मर्तबा) उसे तलाक़ दे दे तो वह औरत इसके बाद उसके लिये जायज़ नहीं हैं, जब तक कि वह औरत किसी और शौहर से निकाह ना करे।”

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَتَخَبَّرَهُ رَجَاؤُهَا غَيْرَةً

तीसरी तलाक़ दे चुकने के बाद अगर कोई शख्स फिर उसी औरत से निकाह करना चाहे तो जब तक वह औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना करे और वह उसे तलाक़ ना दे उस वक़्त तक यह औरत अपने पहले शौहर के लिये हलाल नहीं हो सकती। इसे “हलाला” कहा जाता है। लेकिन “हलाला” के नाम से हमारे यहाँ जो मकरूह धंधा मुरव्वज (चारों ओर) है कि एक मुआहिदे के तहत औरत का निकाह किसी मर्द से किया जाता है कि तुम फिर इसे तलाक़ दे देना, इस पर रसूल अल्लाह ﷺ ने लानत फ़रमाई है।

“पस अगर वह उसको तलाक़ दे दे”

فَإِنْ طَلَّقَهَا

यानि वह औरत दूसरी जगह पर शादी कर ले, लेकिन दूसरे शौहर से भी उसकी ना बने और वह भी उसको तलाक़ दे दे।

“तो अब कोई गुनाह नहीं होगा उन दोनों पर कि वह मराजियत (वापसी) कर लें”

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

अब वह औरत अपने साबक़ा शौहर से निकाह कर सकती है। दूसरे शौहर से निकाह के बाद औरत को शायद अक्ल आ जाये कि ज़्यादती मेरी ही थी कि पहले शौहर के यहाँ बस नहीं सकी। अब दूसरी मर्तबा तजुर्बा होने पर मुमकिन है उसे अपनी ग़लती का अहसास हो जाये। अब अगर वह दोबारा अपने साबक़ा शौहर की तरफ़ रुजूअ करना चाहे तो इसकी इजाज़त है कि वह फिर से निकाह कर लें।

“अगर उनको यह यक़ीन हो कि वह अल्लाह की हुदूद की पासदारी कर सकेंगे।”

إِنْ ظَلَمْنَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

अज़द्वामी ज़िन्दगी में अल्लाह तआला ने जो हुदूद मुकरर की हैं और जो अहकाम दिये हैं उनको बहरहाल मदेनज़र रखना है और तमाम मामलात पर फ़ायक़ (प्रमुख) रखना है।

“और यह अल्लाह की मुकरर कर्दा हुदूद हैं, जिनको वह वाज़ेह कर रहा है उन लोगों के लिये जो इल्म हासिल करना चाहें।”

وَأُولَئِكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ का तर्जुमा है “जो जानतें हैं” यानि जिन्हें इल्म हासिल है। लेकिन यहाँ इसका मफ़हूम है “जो इल्म के तालिब हैं।” बाज़ अवकात फ़अल को तलबे फ़अल के मायने में इस्तेमाल किया जाता है।

आयत 231

“और जब तुम लोग अपनी बीवियों को तलाक़ दो और फिर वह अपनी इदत पूरी कर लें”

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

“तो या तो मारूफ़ तरीके से उन्हें रोक लो या अच्छे अंदाज़ से उन्हें रुख़सत कर दो।”

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حَوْهِنَّ
بِمَعْرُوفٍ

“और तुम उन्हें मत रोको तुक़सान पहुँचाने के इरादे से कि तुम हुदूद से तजावुज़ करो।”

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرًّا أَلَّا يَتَّعْتِدُوا

देखो ऐसा मत करो कि तुम उन्हें तंग करने के लिये रोक लो कि मैं इसकी ज़रा और ख़बर ले लूँ, अगर तलाक़ हो जायेगी तो यह आज़ाद हो जायेगी। गुस्सा इतना चढा हुआ है कि अभी भी ठंडा नहीं हो रहा और वह इसलिये रुजूअ कर रहा है ताकि औरत को मज़ीद परेशान करे, उसे और तकलीफ़ें पहुँचाये। इस तरह तो उसने क़ानून का मज़ाक़ उड़ाया और अल्लाह की दी हुई इस इजाज़त का नाजायज़ इस्तेमाल किया।

“और जो कोई भी यह काम करेगा वह अपनी ही जान पर जुल्म ढायेगा।”

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“और अल्लाह की आयात को मज़ाक ना बना लो।”

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

ज़रूरी है कि अहकामे शरीअत पर उनकी रूह के मुताबिक़ अमल किया जाये। यही वजह है कि कुरान हकीम में ख़ासतौर पर अज़द्व़ाजी ज़िन्दगी के ज़िंमन में बार-बार अल्लाह के खौफ़ और तक्रवा की ताकीद की गई है। अगर तुम्हारे दिल इससे ख़ाली होंगे तो तुम अल्लाह की शरीअत को खेल-तमाशा बना दोगे, ठट्टा और मज़ाक़ बना दोगे।

“और याद करो अल्लाह के जो ईनामात तुम पर हुए हैं”

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

“और जो उसने नाज़िल फ़रमाई तुम पर अपनी किताब और हिकमत।”

وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

“वह इसके ज़रिये से तुम्हें नसीहत कर रहा है।”

يُعِظُكُمْ بِهِ

अल्लाह तआला की ऐसी अज़ीम नेअमते पाने के बाद भी अगर तुमने उसकी हुदूद को तोड़ा और उसकी शरीअत का मज़ाक़ बनाया तो फिर तुम्हें उसकी शिरफ़्त से डरना चाहिये।

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो”

وَاتَّقُوا اللَّهَ

“और जान लो कि अल्लाह तआला को हर चीज़ का हकीकी इल्म हासिल है।”

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

आयात 232 से 237 तक

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِيَمَنَ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۝ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۝ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۝ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۝ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۝ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرًا ۝ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرًا ۝ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِيصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ
عُقُودَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

आयत 232

“और जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ दे दो,
फिर वह अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो मत
आड़े आओ इसमें कि वह औरतें फिर निकाह
कर लें अपने साबिक अज़वाज से, जबकि वह
आपस में रज़ामंद हो जाएँ भले तरीक़े पर।”

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتَّكِفْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

जो औरत तलाक़ पाकर अपनी इद्दत पूरी कर चुकी हो वह आज्ञाद है कि जहाँ
चाहे अपनी पसंद से निकाह कर ले। उसके इस इरादे में तलाक़ देने वाले शौहर
या उसके खानदान वालों को कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिये। इसी तरह
अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को एक या दो तलाक़ दी और इद्दत के दौरान
रुजूअ नहीं किया तो अब इद्दत के बाद औरत को इख्तियार हासिल है कि वह
चाहे तो उसी शौहर से निकाहे सानी (दोबारा) कर सकती है। आयत 228 के
ज़ेल में यह बात वज़ाहत के साथ बयान हो चुकी है कि एक या दो तलाक़ की
सूरत में शौहर को इद्दत के दौरान रुजूअ का हक़ हासिल है। लेकिन अगर इद्दत
पूरी हो गई तो अब यह तलाक़ रज़ीअ नहीं रही, तलाक़े बाईन हो गई। अब
शौहर और बीवी का जो रिश्ता था वह टूट गया। अब अगर यह रिश्ता फिर से
जोड़ना है तो दोबारा निकाह करना होगा और इसमें औरत की मर्ज़ी को दख़ल
है। इद्दत के अंदर-अंदर रुजूअ की सूरत में औरत की मर्ज़ी को दख़ल नहीं है।
लेकिन इद्दत के बाद अब औरत को इख्तियार है, वो चाहे तो उसी साबिक
शौहर से निकाहे सानी कर ले और चाहे तो अपनी मर्ज़ी से किसी और शख्स से
निकाह कर ले। अलबत्ता तलाक़े मुग़लज़ (तीसरी तलाक़) के बाद जब तक उस
औरत का निकाह किसी और मर्द से ना हो जाये और वह भी उसे तलाक़ ना दे

दे, साबिक शौहर के साथ उसका निकाह नहीं हो सकता। इस आयत में यह
हिदायत दी जा रही है कि तलाक़े बाईन के बाद अगर वही औरत और वही मर्द
फिर से निकाह करना चाहें तो अब किसी को इसमें आड़े नहीं आना चाहिये।
आमतौर पर औरत के करीबी रिश्तेदार इसमें रुकावट बनते हैं और कहते हैं कि
इस शख्स ने पहले भी तुम्हें सताया था, अब तुम फिर उसी से निकाह करना
चाहती हो, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे।

“यह वह चीज़ है जिसकी नसीहत की जा रही
है तुममें से उसको जो वाकिअतन ईमान
रखता हो अल्लाह पर और यौमे आखिरत
पर।”

ذَلِكَ يُؤَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

जिनके अंदर ईमान ही नहीं है उनके लिये तो यह सारी नसीहत गोया भैंस के
आगे बिन बजाना है जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा।

“यही तरीक़ा तुम्हारे लिये ज़्यादा पाक और
ज़्यादा उम्दा है।”

ذَلِكَمُ أَرْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ

“और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते।”

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

लिहाज़ा तुम अपनी अक्ल को मुक़द्दम ना रखो, बल्कि अल्लाह के अहक़ाम को
मुक़द्दम रखो। मर्द और औरत दोनों का ख़ालिक़ वही है, उसे मर्द भी अज़ीज़ हैं
और औरत भी अज़ीज़ है। नबी अकरम ﷺ ने फ़रमाया ((الْخُلُقُ عِيَالُ اللَّهِ)) (29)
यानि तमाम मख़लूक़ अल्लाह के कुनबे की मानिंद है। लिहाज़ा अल्लाह को तो
हर इंसान महबूब है, ख़वाह मर्द हो या औरत हो। इंसान उसकी तख़लीक़ का
शाहकार (masterpiece) है। इसके साथ-साथ उसका इल्म भी कामिल है,
वह जनता है कि औरत के क्या हुक़ूक़ होने चाहिये और मर्द के क्या होने चाहिये।

आयत 233

“और माँए अपनी औलाद को दूध पिलाए पूरे दो साल”

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ

“उस शख्स के लिये जो मुद्दते रज़ाअत पूरी करना चाहता हो।”

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

अगर तलाक़ देने वाला शौहर यह चाहता है कि मुतलक्का औरत उसके बच्चे को दूध पिलाए और रज़ाअत की मुद्दत पूरी करे तो दो साल तक वह औरत इस ज़िम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकती।

“और बच्चे वाले के ज़िम्मे है बच्चों की माँओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक़ा”

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

इस मुद्दत में बच्चे के बाप पर मुतलक्का के खाने और कपड़े की ज़िम्मेदारी है, जिसे हम नान-नफ़का कहते हैं, इसलिये कि क़ानूनन औलाद शौहर की है। इस सिलसिले में दस्तूर का लिहाज़ रखना होगा। यानि मर्द की हैसियत और औरत की ज़रूरियात को पेशे नज़र रखना होगा। ऐसा ना हो कि मर्द करोड़पति हो लेकिन मुतलक्का बीवी को अपनी खादमाओं की तरह का नान नफ़का देना चाहे।

“किसी पर ज़िम्मेदारी नहीं डाली जाती मगर उसकी वुसअत के मुताबिक़ा”

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“ना तो तकलीफ़ पहुँचाई जाये किसी वालिदा को अपने बच्चे की वजह से”

لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا

“और ना उसको जिसका वह बच्चा है (यानि बाप) उसके बच्चे की वजह से।”

وَلَا مَوْلُوهُ بِوَالِدِهِ

यानि दोनों के साथ मुन्सिफ़ाना सुलूक किया जाये, जैसा कि हदीसे नबवी صلی اللہ علیہ وسلم है ⁽³⁰⁾ ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)) यानि ना तो नुक़सान पहुँचाना है और ना ही नुक़सान उठाना है।

“और वारिस पर भी इसी तरह की ज़िम्मेदारी है।”

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

अगर बच्चे का बाप फ़ौत हो जाये तो बच्चे को दूध पिलाने वाली मुतलक्का औरत का नान नफ़का मरहूम के वारिसों के ज़िम्मे रहेगा।

“फिर अगर माँ-बाप चाहें की दूध छुड़ा लें (दो बरस के अंदर ही) बाहमि रज़ामंदी और सलाह से”

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَ تَشَاوُرٍ

“तो उन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं।”

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“और अगर तुम अपने बच्चों को किसी और से दूध पिलवाना चाहो”

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

“तो भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं”

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

अगर बच्चे का बाप या उसके वरसा बच्चे की वालिदा की जगह किसी और औरत से बच्चे को दूध पिलवाना चाहते हों तो भी कोई हर्ज नहीं, उन्हें इसकी इजाज़त है, बशर्ते.....

“जबकि तुम (बच्चे की माँ को) वह सब कुछ दे दो जिसका कि तुमने देना ठहराया था दस्तूर के मुताबिक़ा”

إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

यह ना हो कि नान नफ़्का बचाने के लिये अब तम मद्दते रज़ाअत के दरमियान बच्चे की माँ के बजाये किसी और औरत से इसलिये दूध पिलवाने लगे कि उसे मआवज़ा कम देना पड़ेगा। अगर तम किसी दाई वगैरह से दूध पिलवाना चाहते हो तो पहले बच्चे की माँ को भले-तरीके पर वह सब कुछ अदा कर दो जो तुमने तय किया था।

“और अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो और जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

आयत 234

“और जो तुममें से वफ़ात पा जाएँ और बीवियाँ छोड़ जाएँ”

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

“तो वह औरतें रोके रखें अपने आपको चार माह दस दिन तक।”

يَكْرِهْنَ أَنْ يَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

क़ब्ल अज़ आयत 228 में मुतल्लका औरत की इद्दत तीन हैज़ बयान हुई है। यहाँ बेवा औरतों की इद्दत बयान की जा रही है कि वह शौहर की वफ़ात के चार माह दस दिन बाद तक अपने आपको शादी से रोके रखें।

“पस जब वह अपनी इस मुद्दत तक पहुँच जाएँ (यानि इद्दत गुज़ार लें)”

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

“तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है इस मामले में जो कुछ वह अपने बारे में दस्तूर के मुताबिक़ा करें।”

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

इद्दत गुज़ार चुकने के बाद वह आज़ाद हैं, जहाँ मुनासिब समझे निकाह कर सकती हैं। अब तुम उन्हें रोकना चाहो कि हमारी नाक कट जायेगी, यह बेवा होकर सब्र से बैठ नहीं सकी, इससे रहा नहीं गया, इस तरह की बातें बिल्कुल ग़लत हैं, अब तुम्हारा कोई इख़्तियार नहीं कि तुम उन्हें रोको।

“और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे वाख़बर है।”

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

आयत 235

“और तुम पर कुछ गुनाह नहीं है इसमें कि किनाया व इशारे में ज़ाहिर कर दो उन औरतों से पैग़ामे निकाह या पोशीदा रखो अपने दिलों में।”

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَزَّيْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

किसी औरत का इद्दत के दौरान निकाह तो नहीं हो सकता, ना ही उसे वाज़ेह तौर पर पैग़ामे निकाह दिया जा सकता है, अलबत्ता इशारे किनाए में यह बात कही जा सकती है कि मुझे इसमें दिलचस्पी है। या फिर यह बात अपने दिल ही में पोशीदा रखी जाये और इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाये।

“अल्लाह को मालूम है कि तुम इन औरतों का ज़िक़र करोगे।”

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

आख़िर तुम्हें उनका ख़याल तो आयेगा कि यह औरत बेवा हो गई है, अब मैं इससे शादी कर सकता हूँ। कोई आदमी यह भी सोच सकता है कि यह जो मेरे दिल में बेवा के बारे में ख़याल आ रहा है और उससे निकाह की रग़बत पैदा हो

रही है तो शायद मैं गुनहगार हूँ। यहाँ इत्मिनान दिलाया जा रहा है कि ऐसे ख्याल का आना गुनाह नहीं है, यह क़ानूने फ़ितरत है।

“लेकिन उनसे निकाह का वादा ना कर रखो
छुप कर”

وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُمْ سِرًّا

ऐसा ना हो कि खुफिया ही खुफिया निकाह की बात पक्की हो जाये।

“सिवाय इसके कि कोई बात कह दो मारुफ़
तरीके से।”

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا

बस कोई ऐसी मारुफ़ बात कह सकते हो जिससे उन्हें इशारा मिल जाये।

“और मत बाँधो गिरह निकाह की जब तक
कि क़ानूने शरीअत अपनी मुद्दत को ना पहुँच
जाये।”

وَلَا تَغْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتْبَ أَجَلَهُ

यानि अल्लाह की मुक़रर कर्दा इद्दत जब तक पूरी ना हो जाये। यहाँ किताब से मुराद क़ानूने शरीअत है। किताबुल्लाह में बेवा की इद्दत चार माह दस दिन मुक़रर कर दी गई, इसका पूरा होना ज़रूरी है, इससे पहले निकाह नहीं हो सकता।

“और जान रखो कि अल्लाह ख़ूब जानता है
जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, पस उससे डरते
रहो।”

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاخْذَرُوا

उसकी पकड़ से बचने की कोशिश करो।

“और यह भी जान रखो कि अल्लाह बख़्शने
वाला और बुर्दबार है।”

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

अल्लाह ग़फ़ूर है, बख़्शने वाला है, कोई ख़ता हो गई है तो इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह माफ़ फ़रमायेगा। और वह हलीम है, तहम्मूल (धैर्य) करने

वाला है फ़ौरन नहीं पकड़ता, बल्कि ढील देता है, मोहलत देता है कि अगर चाहो तो तुम तौबा कर लो।

आयत 236

“तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम ऐसी
बीवियों को तलाक़ दे दो जिनको ना तुमने
अभी छुआ हो और ना उनके लिये महर
मुक़रर किया हो।”

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

अगर कोई शख्स अपनी मन्कूहा (बीवी) को इस हाल में तलाक़ देना चाहे कि ना तो उसके साथ खल्वते सहीह (complete privacy) की नौबत आई हो और ना ही उसके लिये महर मुक़रर किया गया हो तो वह दे सकता है।

“और उनको कुछ ख़र्च दो।”

وَمِمَّا عَوْنُهُنَّ

इस सूरत में अगरचे महर की अदायगी लाज़िम नहीं है, लेकिन मर्द को चाहिये कि वह उसे कुछ ना कुछ माल व मता-ए-दुनियवी कपड़े वग़ैरह दे दिला कर फ़ारिग़ करे।

“साहिबे वुसअत पर अपने हैसियत के
मुताबिक़ ज़रूरी है और तंगदस्त पर अपनी
हैसियत के मुताबिक़।”

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

जो वुसअत वाला है, गनी है, जिसको कशाइश हासिल है वह अपनी हैसियत के मुताबिक़ अदा करे और जो तंगदस्त है वह अपनी हैसियत के मुताबिक़।

“जो ख़र्च के क़ायदे के मुताबिक़ है।”

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

यह साज़ो सामाने दुनिया जो है यह भी भले अंदाज़ में दिया जाये, ऐसा ना हो कि जैसे ख़ैरात दी जा रही हो।

“यह हक़ है मोहसिनीन पर।”

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

नेकी करने वाले, भले लोग यह समझ लें कि यह उन पर अल्लाह तआला कि तरफ़ से आयद कर्दा एक ज़िम्मेदारी है।

आयत 237

“और अगर तुम औरतों को तलाक़ दो उनको हाथ लगाने से पहले और तुम ठहरा चुके थे उनके लिये एक सुतअय्यन (निर्धारित) महर”

وَإِنْ طَلَقْتُمْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

“तो जो महर तुमने तय किया था अब उसका आधा अदा करना लाज़िम है”

فِيصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

इस सूरत में मुकर्रर शुदा महर का आधा तो तुम्हें देना ही देना है।

“इल्ला यह कि वह माफ़ कर दें”

إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ

यानि कोई औरत खुद कहे कि मुझे आधा भी नहीं चाहिये या कोई कहे कि मुझे चौथाई दे दीजिये।

“या वह शख्स दरगुज़र से काम ले जिसके हाथ में निकाह की गिरह है।”

أَوْ يَغْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ

और यह गिरह मर्द के हाथ में है, वह उसे खोल सकता है। औरत अज़ खुद तलाक़ दे नहीं सकती। लिहाज़ा मर्दों के लिये तरगीब है कि वह इस मामले में फ़राख़ (उदार) दिली से काम लें।

“और यह कि तुम मर्द दरगुज़र करो तो यह तक्रवा से करीबतर है।”

وَأَنْ تَغْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ

“और अपने माबैन अहसान करना मत भुला दो।”

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

इसका तर्जुमा यँ भी किया गया है: “और तुम्हारे दरमियान एक को दूसरे पर जो फ़ज़ीलत है उसको मत भूलो।” यानि अल्लाह ने जो फ़ज़ीलत तुम मर्दों को औरतों पर दी है उसको मत भूलो। चुनाँचे तुम्हारा तर्ज़े अमल भी ऐसा होना चाहिये कि तुम अपने बड़े होने के हिसाब से उनके साथ नर्मी करो और उनको ज़्यादा दो। तुमने उनका जितना भी महर मुकर्रर किया था वह निस्फ़ के बजाय पूरा दे दो और उन्हें मारुफ़ तरीके से इज़ज़त व तकरीम के साथ रखसत करो।

“यक्रीनन जो कुछ तुम कर रहो हो अल्लाह उसे देख रहा है।”

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

आयत 238 से 242 तक

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجًا أَوْ رُكْبَاتًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۗ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۗ

आयत 238

“मुहाफ़ज़त करो तमाम नमाज़ों की और
खास तौर पर बीच वाली नमाज़ की।”

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

यह जो बार-बार आ रहा है कि जान लो अल्लाह हर शय का जानने वाला है, जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह कि निगाह में है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाख़बर है, तो इस सबको क़ल्ब व ज़हन में मुस्तहज़र रखने के लिये तुम्हें पंच वक़्ता नमाज़ दी गई है कि इसकी निगहदाशत करो। दुनिया के कारोबार से निकलो और और अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होकर उससे किया हुआ अहद ताज़ा करो। हफ़ीज़ का एक शेर है:

सरकशी ने कर दिये धुँधले नुक़्शे बन्दगी
आओ सजदे मे गिरे लौहे जर्बी ताज़ा करें!

“सलातुल वुस्ता” (बीच वाली नमाज़) के बारे में बहुत से अक़वाल हैं, लेकिन आमतौर पर इससे मुराद असर की नमाज़ ली जाती है। इसलिये कि दिन में दो नमाज़े फ़जर और ज़ुहर इससे पहले हैं और दो ही नमाज़ें मगरिब और इशा इसके बाद में हैं।

“और खड़े हुआ करो अल्लाह के सामने पूरे
अदब के साथ।”

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

क़याम, रुकूअ और सजदा फ़राइज़े नमाज़ में से हैं। रुकूअ में बंदा अपने रब के हुज़ूर आजिज़ी से झुक जाता है, सजदा उस झुकने कि इन्तहा है। मतलूब यह है कि क़याम भी कुनूत, आजिज़ी और इन्क़सारी (विनम्रता) के साथ हो, मालूम हो कि एक बंदा अपने आक्रा के सामने बाअदब खड़ा है।

आयत 239

“फिर अगर तुम ख़तरे की हालत में तो चाहे
प्यादा पढ़ लो या सवारा।”

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاتًا

दुश्मन अगर पीछा कर रहा है और आप रुक कर तमाम शराइत व आदाब के साथ नमाज़ पढ़ना शुरु कर देगें तो वह आपके सर पर पहुँच जायेगा। या आपने

कहीं जाकर फ़ौरी तौर पर हमला करना है और आप नमाज़ के लिये रुक जाएंगे तो मतलूबा हदफ़ (लक्ष्य) हासिल नहीं कर सकेगें। चुनाँचे दुश्मन से ख़तरे की हालत में पैदल या सवार जिस हाल में भी हों नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

“फिर जब तुम अमन में हो जाओ”

فَإِذَا أَمِنْتُمْ

ख़तरा दूर हो जाये और अमन की हालत हो।

“फिर अल्लाह को याद करो जैसे कि तुम्हें
उसने सिखाया है जिसको तुम नहीं जानते
थे।”

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

تَعْلَمُونَ

उम्मत को नमाज़ का तरीक़ा मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم सिखाया है और हुक्म दिया है: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))⁽³¹⁾ “नमाज़ पढ़ो जैसे कि तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो।” नमाज़ का यह तरीक़ा अल्लाह तआला का सिखाया हुआ है। रिवायात से साबित है कि हज़रत जिब्रील अलै० ने आकर मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को दो दिन नमाज़ पढ़ाई है। एक दिन पाँचों नमाज़ें अब्बल वक़्त में और दूसरे दिन पाँचों नमाज़ें आख़री वक़्त में पढ़ाई और बता दिया कि इन नमाज़ों का वक़्त इन अवक़ात के दरमियान है। चुनाँचे नमाज़ के मामले में आँहुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के मुअल्लिम हज़रत जिब्रील अलै० हैं और आप صلی اللہ علیہ وسلم पूरी उम्मत के लिये मुअल्लिम हैं।

अब बेवा औरतों के बारे में मज़ीद हिदायात आ रही हैं।

आयत 240

“और जो लोग तुममें से वफ़ात दे दिये जाएँ
और वो छोड़ जाएँ बीवियाँ”

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

أَوْ بَنَاتٍ

“तो वह वसीयत कर जाएं अपनी बीवियों के लिये एक साल तक के लिये नान नफ़्का की, बग़ैर इसके कि उन्हें घरों से निकाला जाये।”

وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ مِّمَّا عَالَى إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ
الْحَرَجِ

मिसाल के तौर पर एक शख्स फ़ौत हुआ है और उसकी चार बीवियाँ हैं, जिनमें से एक के यहाँ औलाद है, जबकि बाकी तीन इस औलाद सौतेली माँएँ हैं। अब यह औलाद सगी माँ को तो अपनी माँ समझ कर उसकी ख़िदमत करेगी और बाकी तीन को ख़्वाह माख़्वाह की ज़िम्मेदारी (liability) समझेगी। तो फ़रमाया कि ऐसा ना हो कि इन बेवाओं को फ़ौरन घर से निकाल दो, कि जाओ अपना रास्ता लो, जिससे तुम्हारी शादी थी वह तो फ़ौत हो गया, बल्कि एक साल के लिये उन्हें घर से ना निकाला जाये और उनका नान नफ़्का दिया जाये। इन आयतों के नुज़ूल तक क़ानूने विरासत अभी नहीं आया था, लिहाज़ा बेवाओं के बारे में वसीयत का उबूरी हुक्म दिया गया, जैसे कि क़बूल अज़ आयत 180 में वालिदैन और क़राबतदारों के लिये वसीयत का उबूरी हुक्म दिया गया। सूरतुन्निसा में क़ानूने विरासत नाज़िल हुआ तो उसमें वालिदैन का हक्क भी मुअय्यन कर दिया गया और शौहर की वफ़ात की सूरत में बीवी के हक्क का और बीवी की वफ़ात की सूरत में शौहर के हक्क का भी तअय्युन कर दिया गया और अब वालिदैन व अज़ीज़ व अक़ारिब और बेवगान (बेवाओं) के हक्क में वसीयत की हिदायात मन्सूख़ हो गई।

“फिर अगर वह औरतें खुद निकल जाएं तो तुम पर इसका कोई गुनाह नहीं जो कुछ वह अपने हक्क में मारूफ़ तरीक़े पर करें।”

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ

अगर कोई औरत इद्दत गुज़ारने के बाद दूसरी शादी करके कहीं बसना चाहे तो तुम उसे साल भर के लिये रोक नहीं सकते। वह अपने हक्क में मारूफ़ तरीक़े पर जो भी फ़ैसला करें वह उसकी मिजाज़ (अधिकृत) है, इसका कोई इल्ज़ाम तुम पर नहीं आयेगा।

“और यक़ीनन अल्लाह तआला ज़बरदस्त है, हिक़मत वाला है।”

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

आयत 241

“और मुतल्लका औरतों को भी साज़ो सामाने ज़िन्दगी देना है मारूफ़ तरीक़े पर।”

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

“यह लाज़िम है परहेज़गारों पर।”

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

वाज़ेह रहे कि यह हिदायत इद्दत के वक़्त तक के लिये है, उसके बाद नहीं। इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाह बानो केस में जो एक फ़ैसला दिया था उस पर हिन्दुस्तान में शदीद एहतजाज़ हुआ था। उसने यह फ़ैसला दिया था कि मुसलमान अगर अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो वह बीवी अगर दूसरी शादी कर ले तब तो बात दूसरी है, वरना जब तक वह ज़िन्दा रहेगी उसका नान नफ़्का तलाक़ देने वाले के ज़िम्मे रहेगा। इस पर भारत के मुसलमानों ने कहा कि यह हमारी शरीअत में दख़ल अंदाजी है, शरीअत ने मुतल्लका के लिये सिर्फ़ इद्दत तक नान नफ़्का का हक्क रखा है। चुनाँचे मुसलमानों ने इस मसले पर एहतजाज़ी तहरीक चलाई, जिसमें बहुत से लोगों ने जानों का नज़राना पेश किया। आख़िरकार राजीव गाँधी की हुक्मत को घुटने टेकने पड़े और फिर वहाँ यह क़ानून बना दिया गया कि हिन्दुस्तान की कोई अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के आइली क़वानीन में दख़ल नहीं दे सकती। इस पर मैं मुसलमाने भारत की अज़मत को सलाम पेश किया करता हूँ। इसके बरअक्स हमारे यहाँ यह हुआ कि एक फ़ौजी आमिर ने आइली क़वानीन बनाये जिनके बारे में सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी तमाम उल्मा और जमाअते इस्लामी की चोटी की क़यादत सबने मुतफ़रक़ा तौर पर यह कहा कि यह क़वानीन ख़िलाफ़े इस्लाम हैं, मगर वह आज तक चल रहे हैं। एक और फ़ौजी आमिर ग्यारह बरस तक यहाँ पर कोसे لَمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ بजाता रहा और इस्लाम इस्लाम का भी राग़ भी अलापता रहा, लेकिन उसने भी इन क़वानीन को ज्यों का त्यों बरकरार

रखा। इसी बुनियाद पर मैंने इसकी शूरा से इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने वहाँ पर यह बात नहीं होने दी।

आयत 242

“इसी तरह अल्लाह तआला तुम्हारे लिये अपनी आयत को वाज़ेह कर रहा है ताकि तुम अक़्ल से काम लो (और समझो)।”

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

आयत 243 से 253 तक

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ۗ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَاقًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مَنبُتًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ إِنَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا قَاتِلُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا وَأَبْنَيْنَا ۗ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا اتِّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ فَلَمَّا فَصَلَ

طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۖ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۖ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْكُوا اللَّهَ كَرُمٌ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ ۗ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَبِنُ الْمُرْسَلِينَ ۝ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَالْإِنْدُكُ الْبَيْتَ وَالْقُدْسَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَّنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيْتَاتُ وَلَكِنْ ائْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

अब जो दो रकूअ ज़ेरे मुताअला आ रहे हैं यह इस ऐतबार से बहुत अहम हैं कि इनमें उस जंग का तज़क़िरा है जिसकी हैसियत गोया तारीखी बनी इस्राईल के गज़वा-ए-बदर की है। क़ब्ल अज़ यह बात ज़िक्र की जा चुकी है कि हज़रत मूसा अलै० के बाद बनी इस्राईल ने यूशा बिन नून की सरकारदगी में जिहाद व क़िताल किया तो फ़लस्तीन फ़तह हो गया। लेकिन उन्होंने एक मुस्तहकम हुकूमत कायम करने की बजाय छोटी-छोटी बारह हुकूमतें बना लीं और आपस में लड़ते भी रहे। लेकिन तीन सौ बरस के बाद फिर यह सूरते हाल पैदा हुई कि जब उनके ऊपर दुनिया तंग हो गई और आस-पास की काफ़िर और मुशरिक क़ौमों ने उन्हें दबा लिया और बहुत सों को उनके घरों और उनके मुल्कों से निकाल दिया तो फिर तंग आकर उन्होंने उस वक़्त के नबी से कहा कि हमारे लिये कोई बादशाह, यानि सिपहसालार मुकर्रर कर दीजिये, अब हम अल्लाह

की राह में जंग करेगें। चुनाँचे वह जो जंग हुई है तालूत और जालूत की, उसके बाद गोया बनी इस्राईल का दौर ख़िलाफ़ते राशदा शुरू हुआ।

बनी इस्राईल की तारीख़ का यह दौर जिसे मैं “ख़िलाफ़ते राशदा” से ताबीर कर रहा हूँ, उनके रसूल अलै० के इन्तेक़ाल के तीन सौ बरस बाद शुरू हुआ, जबकि इस उम्मते मुस्लिमा की ख़िलाफ़ते राशदा रसूल अल्लाह ﷺ के ज़माने के साथ मुत्तसिल (जुड़ा) है। इसलिये कि सहाबा किराम रज़ि० ने जानें दीं, खून दिया, कुर्बानियाँ दीं और इसके नतीजे में रसूल अल्लाह ﷺ की ज़िन्दगी ही में दीन ग़ालिब हो गया और इस्लामी रियासत कायम हो गई। नतीजतन आप ﷺ के इन्तेक़ाल के बाद ख़िलाफ़त का दौर शुरू हो गया, लेकिन वहाँ तीन सौ बरस गुज़रने के बाद उनका दौर ख़िलाफ़त आया है। इसमें भी तीन ख़िलाफ़तें तो मुत्तफ़िक़ अलैह हैं। यानि हज़रत तालूत, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलै० की ख़िलाफ़त। लेकिन चौथी ख़िलाफ़त पर आकर तक़सीम हो गई। जैसे हज़रत अली रज़ि० ख़लीफ़ा-ए-राबेअ के ज़माने में आलमे इस्लाम मुत्तसिम हो गया कि मिस्र और शाम ने हज़रत अली रज़ि० की ख़िलाफ़त को तस्लीम नहीं किया। इस तरह फ़लस्तीन की मम्लकत हज़रत सुलेमान अलै० के दो बेटों में तक़सीम हो गई, और इस्राईल और यहूदिया के नाम से दो रियासतें वुजूद में आ गईं। कुरान हकीम में इस मक़ाम पर तालूत और जालूत की उस जंग का तज़क़िरा आ रहा है जिसके बाद तारीख़ी बनी इस्राईल में इस्लाम के ग़लबे और ख़िलाफ़ते राशदा का आग़ाज़ हो रहा है। यह दरहक़ीक़त सहबा किराम रज़ि० को एक आईना दिखाया जा रहा है कि अब यही मरहला तुम्हें दरपेश है, ग़ज़वा-ए-बदर पेश आया चाहता है।

आयत 243

“क्या तुमने उन लोगों के हाल पर ग़ौर नहीं किया जो निकल खड़े हुए अपने घरों से”

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ

“जबकि वह हज़ारों की तादाद में थे”

وَهُمُ الْوُفُ

“मौत के डर की वजह से।”

حَدَّرَ الْمَوْتِ

यानि जब कुफ़्रार और मुशरिकीन ने उन पर ग़लब कर लिया और यह दहशतज़दा होकर, अपने मुल्क छोड़ कर, अपने घरों से निकल भागे।

“तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ!”

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا

“फिर (अल्लाह ने) उन्हें ज़िन्दा किया।”

ثُمَّ أَحْيَاهُمْ

यहाँ मौत से मुराद ख़ौफ़ और बुज़दिली की मौत भी हो सकती है जो उन पर बीस बरस तारी रही, फिर सिमोइल (Samuel) नबी की इस्लाह व तजदीद की कोशिशों से उनकी निशाते सानिया हुई और अल्लाह ने उनके अंदर एक ज़ब्बा पैदा कर दिया। गोया यहाँ पर मौत और अहया (ज़िन्दगी) से मुराद मायनवी और रुहानी व अख़लाक़ी मौत और अहया है। लेकिन बिल् फ़अल जसदी मौत और अहया भी अल्लाह के इख़्तियार से बाहर नहीं, उसकी कुदरत में है, वह सबको मार कर भी दोबारा ज़िन्दा कर सकता है।

“यक़ीनन अल्लाह तआला तो लोगों पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला है लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते।”

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

अक्सर लोग शुक्रगुज़ारी की रविश इख़्तियार करने की बजाय अल्लाह तआला के अहसानात की नाक़द्री करते हैं।

अब साबक़ा उम्मते मुस्लिमा के “ग़ज़वा-ए-बदर” का हाल बयान करने से पहले मुसलमानों से गुफ़्तगू हो रही है। इसलिये कि यह सब कुछ उनकी हिदायत के लिये बयान हो रहा है, तारीख़ बयान करना कुरान का मक़सद नहीं है। यह तो मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की इन्क़लाबी जद्दोज़हद की तहरीक जिस मरहले से गुज़र रही थी और इन्क़लाबी अमल जिस स्टेज पर पहुँच चुका था उसकी मुनासबत से साबक़ा उम्मते मुस्लिमा की तारीख़ से वाक़्यात भी लाये

जा रहे हैं और उसी की मुनास्बत से अहकाम भी दिये जा रहे हैं। चुनाँचे फ़रमाया:

आयत 244

“और जंग करो अल्लाह की राह में, और खूब जान लो कि अल्लाह तआला सब कुछ सुनने वाला (और) सब कुछ जानने वाला है।”

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

आयत 245

“कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे तो अल्लाह उसको उसके लिये कई गुना बढ़ाता रहे।”

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

जो इन्फ़ाक़ खालिस अल्लाह तआला के दीन के लिये किया जाता है उसे अल्लाह अपने ज़िम्मे कर्ज़े हसना से ताबीर करता है। वह कहता है कि तुम मेरे दीन को ग़ालिब करना चाहते हो, मेरी हुकूमत क़ायम करना चाहते हो, तो जो कुछ इस पर खर्च करोगे वह मुझ पर कर्ज़ है, जिसे मैं कई गुना बढ़ा-चढ़ा कर वापस करूँगा।

“और अल्लाह तंगदस्ती भी देता है और कुशादगी भी देता है।”

وَاللَّهُ يُقرضُ وَيَبْضُطُ

अल्लाह ही के इख़्तियार में है किसी चीज़ को सिकोड़ देना और खोल देना, किसी के रिज़क़ को तंग कर देना या उसमें कशाइश कर देना।

“और उसी की तरफ़ तुम्हें लौटा दिया जायेगा।”

وَالْيَوْمَ تُرْجَعُونَ

यहाँ देखिये जिहाद बिल् नफ़्स और जिहाद बिल् माल दोनों चीज़ों का तज़क़िरा किया जा रहा है। जिहाद बिल् नफ़्स की आख़री शक़ल क़िताल है और जिहाद बिल् माल के लिये पहले लफ़ज़ “इन्फ़ाक़” आ रहा था, अब कर्ज़े हसना लाया जा रहा है।

आयत 246

“क्या तुमने ग़ौर नहीं किया बनी इस्राईल के सरदारों के मामले में, जो उन्हें मूसा अलै० के बाद पेश आया?”

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْهَامِلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى

“जबकि उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिये कोई बादशाह मुकर्रर कर दीजिये, ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें।”

إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنَا أَعْتَبْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

यहाँ बादशाह से मुराद अमीर और सिपहसालार है। ज़ाहिर बात है कि नबी की मौजूदगी में बुलंदतरीन मर्तबा तो नबी ही का रहेगा, लेकिन एक ऐसा अमीर नामज़द कर दीजिये जो नबी के ताबेअ होकर जंग की सिपहसालारी कर सके। मैं हदीस बयान कर चुका हूँ कि बनी इस्राईल में हज़रत मूसा अलै० से लेकर हज़रत ईसा अलै० तक कोई ना कोई नबी ज़रूर मौजूद रहा है। उस वक़्त सैमुअल नबी थे जिनसे सरदाराने बनी इस्राईल ने यह फ़रमाइश की थी।

“उन्होंने कहा कि तुमसे इस बात का भी अंदेशा है कि जब तुम पर जंग फ़र्ज़ कर दी जाये तो उस वक़्त तुम जंग ना करो।”

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا

यानि अभी तो तुम्हारे बड़े दावे हैं, बड़े जोश व खरोश और बहादुरी का इज़हार कर रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अल्लाह तआला से जंग की इजाज़त भी लूँ और तुम्हारे लिये कोई सिपहसालार या बादशाह भी मुकर्रर कर दूँ और फिर तुम जंग से कन्नी कतरा जाओ?

“उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में क़िताल ना करें?”

قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“जबकि हमें निकाल दिया गया है हमारे घरों से और अपने बेटों से।”

وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا

दुश्मनों ने उनके बेटों को गुलाम और उनकी औरतों को बांदियाँ बना लिया था और यह अपने मुल्कों से ख़ौफ़ के मारे भागे हुए थे। चुनाँचे उन्होंने कहा कि अब हम जंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?

“फिर जब उन पर जंग फ़र्ज़ कर दी गई”

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

“तो सब पीठ फेर गये, सिवाय उनकी एक क़लील (थोड़ी) तादाद के”

تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

यह गोया मुसलमानों को तम्बीह (चेतावनी) की जा रही है कि तुम भी बहुत कहते रहे हो कि हुज़ूर हमें जंग की इजाज़त मिलनी चाहिये, लेकिन ऐसा ना हो कि जब जंग का हुकम आये तो वह तुम्हें नागवार गुज़रे। आयत 216 में हम यह अल्फ़ाज़ पढ़ चुके हैं: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ } “तुम पर जंग फ़र्ज़ की गई है और वह तुम्हें नागवार है।”

“और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों से ख़ूब बाख़बर है।”

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

आयत 247

“और उनसे कहा उनके नबी अलै० ने कि अल्लाह तआला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुक़रर कर दिया है।”

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

इनका नाम तौरात में साउल (Saul) आया है। हो सकता है कि असल नाम साउल हो, लेकिन चूँकि वह बहुत क्रद्दावर थे इसलिये उनका एक सिफ़ाती नाम या लक़ब “तालूत” हो। तालूत के मायने “लंबे तड़ंगे” के हैं।

“उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है कि उसे हमारे ऊपर बादशाहत मिले?”

قَالُوا إِنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

“जबकि हम उससे ज़्यादा हक़दार हैं बादशाहत के”

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

“और उसे तो माल की वुसअत भी नहीं दी गई।”

وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ

वह तो मुफ़लिस है, उसे तो अल्लाह तआला ने ज़्यादा दौलत भी नहीं दी है। क्योंकि उनके मैयारात यही थे कि जो दौलतमंद हैं वही साहिबे इज्ज़त है।

“(नबी अलै०) ने कहा: (अब जो चाहो कहो) यक़ीनन अल्लाह ने, उसको चुन लिया है तुम पर।”

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ

यह फ़ैसला हो चुका है। यह अल्लाह का फ़ैसला (Divine Decision) है, जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसी को तुम्हारी सरदारी के लिये चुना है।

“और उसे कुशादगी अता की है इल्म और जिस्म दो चीज़ों में।”

وَرَادَةٌ بِسَطَّةٍ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

वह ना सिर्फ़ क़द्दावर और ताक़तवर है बल्कि अल्लाह ने उसे इल्म और फ़हम भी वाफ़र (प्रयास) अता फ़रमाया है, उसे उमूरे जंग से भी वाक़िफ़यत है। तुम्हारे नज़दीक इज़्ज़त और सरदारी का मैयार दौलत है, मगर अल्लाह ने उसे इन दो चीज़ों की बिना पर चुना है। एक तो वह जिस्मानी तौर पर मज़बूत और ताक़तवर है। उस दौर में ज़ाहिर बात है इसकी बहुत ज़रूरत थी। और दूसरे यह कि उसे इल्म, फ़हम, समझ और दानिश दी है।

“और अल्लाह तआला जिसको चाहता है अपनी बादशाहत दे देता है।”

وَاللّٰهُ يُؤْتِي مَلِكًا مِّنْ يَّشَاءُ

अल्लाह को इख़्तियार है कि अपना मुल्क जिसको चाहे दे, वह जिसे चाहे अपनी तरफ़ से इक़्तदार बख़्शे।

“और अल्लाह बहुत समार्ई (सुनने) वाला है, सब कुछ जानने वाला है।”

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

उसकी वुसअत अथाह है, कोई उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता, और वह बड़ा इल्म रखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वह जिसको जो कुछ देता है बरबनाये इल्म (अपने पूरे इल्म से) देता है कि कौन उसका मुस्तहिक़ है।

आयत 248

“और उनसे कहा उनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी यह होगी कि तुम्हारे पास वह सन्दूक़ आ जायेगा (जो तुमसे छिन चुका है) जिसमें तुम्हारे लिये तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ़ से और कुछ आले मूसा अलै० और आले हारून अलै० के छोड़े हुए तबरूकात हैं, वह सन्दूक़ फ़रिशतों की तहवील में है।”

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ

तालूत की अमारत और बादशाही की अलामत के तौर पर वह सन्दूक़ तुम्हारे पास वापस आ जायेगा। असल में यह “ताबूते सकीनह” लकड़ी का एक बहुत बड़ा सन्दूक़ था, जिसमें बनी इस्राईल के अम्बिया किराम अलै० के तबरूकात महफूज़ थे। यहूदियों का दावा है कि यह सन्दूक़ अब भी मस्जिदे अक्सा के नीचे सुरंग में मौजूद है। उन्होंने बाज़ ज़राए से फ़ोटो लेकर उसकी दस्तावेज़ी फ़िल्म भी दिखा दी है। यह “ताबूते सकीनह” हज़रत सुलेमान अलै० के तामीर कर्दा हैकल के तहखाने में रखा हुआ था और वहीं पर रबाई (رَبَائِيٌّ) भी मौजूद थे। जब उस हैकल को मुन्हदिम (ध्वस्त) किया गया तो वह उसी में दब गये। वह तहखाना चारों तरफ़ से बंद हो गया होगा और उनकी लाशें और ताबूते सकीनह उसके अंदर ही होंगे। ताबूते सकीनह में बनी इस्राईल के लिये बहुत बड़ी रहानी तस्कीन का सामान था कि हमारे पास हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलै० के तबरूकात हैं। उसमें असा-ए-मूसा भी था और वह अल्वाह भी जो हज़रत मूसा अलै० को कोहे तूर पर दी गई थीं और जिन पर तौरात लिखी हुई थी। उस ताबूत को देख कर बनी इस्राईल को इसी तरह तस्कीन होती थी जैसे एक मुसलमान को खाना-ए-काबा को देख कर तस्कीन होती है। इस्राईलियों को जब उनके पड़ोसी मुल्कों ने शिकस्त दी तो वह ताबूते सकीनह भी छीन कर ले गये। पूरी क्रौम ने इस अज़ीम सानेहा पर मातम किया और इसे बनी इस्राईल से सारी इज़्ज़त व हशमत छिन जाने से ताबीर किया। चुनाँचे इससे उनके हौसले मज़ीद पस्त हो गये। अब जबकि इस्राईलियों ने जंग का इरादा किया और वक़्त के नबी हज़रत सैमुअल अलै० ने तालूत को उनका अमीर मुकरर किया तो उन्हें यह भी बताया कि तालूत को अल्लाह की तरफ़ से नामज़द किये जाने की एक अलामत यह होगी कि तुम्हारी तस्कीन का सामान “ताबूते सकीनह” जो तुमसे छिन गया था, उनके अहदे अमारत में तुम्हें वापस मिल जायेगा और इस वक़्त वह फ़रिशतों की तहवील में है। हुआ यह कि उनके दुश्मन जब ताबूत छीन कर ले गये तो वह उनके लिये एक मुसीबत बन गया। वह उसे जहाँ रखते वहाँ ताऊन और दूसरी वबाएँ फूट पड़ती। बिलआखिर उन्होंने उसे नहुसत का बाइस समझते हुए छकड़े पर रखा और बैलों को हाँक दिया कि जिधर चाहें ले जाएँ। बैल सीधे चलते-चलते उसे बनी इस्राईल के इलाके में ले आये। ज़ाहिर है कि यह मामला फ़रिशतों की रहनुमाई से हुआ। इस तरह वह ताबूते सकीनह उनके पास वापस पहुँच गया जो बरसों पहले उनसे छिन चुका था।

“यक्रीनन इसमें तुम्हारे लिये बड़ी निशानी है
अगर तुम मानने वाले हो।”

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

आयत 249

“फिर जब तालूत अपने लश्करों को लेकर
चले”

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ

“तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तआला तुम्हारी
आज़माइश करेगा एक दरिया से (यानि
दरिया-ए-उरदन)।”

قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ

“तो जो उसमें से (पेट भर कर) पानी पियेगा
वह मेरा साथी नहीं है।”

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي

“और जो उसमें से पानी नहीं पियेगा वह मेरा
साथी है”

وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

“सिवाय इसके कि कोई अपने हाथ से सिर्फ़
चुल्लु भर पानी लेकर पी ले।”

إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ

असल में हर कमांडर के लिये ज़रूरी होता है कि किसी भी बड़ी जंग से पहले अपने साथियों के जोश व जज़्बे और अज़म व हौसले (morale) को परखे और नज़म (discipline) की हालत को देखे। चुनाँचे रसूल अल्लाह ﷺ ने भी ग़ज़वा-ए-बदर से क़बल मशावरत की थी कि मुसलमानों! एक तरफ़ जुनूब से कील काँटे से लैस एक लश्कर आ रहा है और दूसरी तरफ़ शिमाल से माल व असबाब से लदा-फंदा एक क़ाफ़िला आ रहा है। अल्लाह तआला ने वादा फ़रमाया है कि उन दोनों में से एक तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बताओ किधर चलें?

कुछ लोग जो कमज़ोरी दिखा रहे थे उन्होंने कहा कि चलें पहले क़ाफ़िला लूट लें! और जो लोग बा-हिम्मत थे उन्होंने कहा हुज़ूर! जो आप ﷺ का इरादा हो, जो आप ﷺ की मंशा हो, आप ﷺ उसके मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमाये, हम हाज़िर हैं! तो यहाँ भी तालूत ने अपने लश्करों का टेस्ट लिया कि वह मेरे हुक़्म की पाबंदी करते हैं या नहीं करते।

“तो उन्होंने उसमें से (ख़ूब जी भर कर) पानी
पिया”

فَشَرِبُوا مِنْهُ

“सिवाय उनमें से एक क़लील तादाद के।”

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

“तो जब दरिया पार करके आगे बढ़े तालूत
और उसके साथी अहले ईमान”

فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

वाज़ेह रहे कि सबसे पहली स्क्रीनिंग क़बल अज़ हो चुकी थी। उनमें से जो क़िताल ही के मुन्कर हो गए थे वह पहले ही अलग हो चुके थे। अब यह दूसरी छलनी थी। जो उसमें से नहीं निकल सके वह पानी पीकर बेसुध हो गए। यह ऐसा ही जैसे ग़ज़वा-ए-उहद में रसूल अल्लाह ﷺ के साथ एक हज़ार आदमी मदीना मुनव्वरा से निकले थे फिर ऐन वक़्त पर तीन सौ अफ़राद साथ छोड़ कर चले गए। तो जब तालूत और उसके उन साथियों ने जो ईमान पर साबित क़दम रहे थे, दरिया पार कर लिया.....

“तो उन्होंने कहा कि आज हममें जालूत और
उसके लश्करों का मुक़ाबला करने की ताक़त
नहीं है।”

قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ

وَجُنُودِهِ

जालूत (Goliath) बड़ा क़वी हैकल और ग्रानडेल इंसान था। ज़िरहबकतर (कवच) में उसका पूरा जिस्म इस तरह छुपा हुआ था कि सिवाय आँख के सुराख़ के जिस्म का कोई हिस्सा खुला नहीं था। उसकी मुबारज़त (ललकार) के जवाब में कोई भी मुक़ाबले पर नहीं आ रहा था।

“तो कहा उन लोगों ने जो यक्रीन रखते थे कि उन्हें (एक दिन) अल्लाह से मुलाक़ात करनी है, कि कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक छोटी जमाअत बड़ी जमाअत पर ग़ालिब आ गई अल्लाह के हुक़म से।”

قَالَ الَّذِينَ يَطُّنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ كَذِبًا
مِّنْ وَعْدَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَهُ كَثِيرَةً يَأْذِنُ
اللَّهُ

सो तुम आगे बढ़ो, हिम्मत करो, अपनी कम हिम्मती का सबूत ना दो। अल्लाह तआला की नुसरत और मदद से तुम्हें फ़तह हासिल हो जायेगी।

“और अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है।”

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

आयत 250

“और जब वह मुक़ाबले पर निकले जालूत और उसके लश्करों के”

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

جُرُ के मायने हैं ज़ाहिर हो जाना, आमने-सामने आ जाना। अब दोनों लश्कर मैदाने जंग में आमने-सामने आये। इधर तालूत का लश्कर है और उधर जालूत का।

“तो उन्होंने दुआ की कि ऐ हमारे रब! हम पर सब्र उंडेल दे”

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

“अफ़्रुग़” का मफ़हूम है किसी बर्तन से किसी के ऊपर पानी इस तरह गिरा देना कि वह बर्तन ख़ाली हो जाये। तालूत और उनके साथी अहले ईमान ने दुश्मन के मद्दे मुक़ाबिल आने पर दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार! हम पर सब्र का फ़ैज़ान फ़रमा, सब्र की बारिश फ़रमा दे।

“और (मैदाने जंग में) हमारे क़दमों को जमा दे”

وَوَثَّيْتُ أَقْدَامَنَا

“और हमारी मदद फ़रमा काफ़िरों के मुक़ाबले में।”

وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

यह दुआ गोया अहले ईमान को तल्कीन की जा रही है कि जब बदर के मौक़े पर तुम्हारा कुफ़्रार से मुक़ाबला होगा तो तुम्हें यह दुआ करनी चाहिये।

आयत 251

“तो उन्होंने मार भगाया उनको अल्लाह के हुक़म से।”

فَهَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ

अहले ईमान ने अल्लाह के इज़न से और अल्लाह की मशियत से दुश्मनों को शिकस्त दी।

“और दाऊद अलै० ने जालूत को क़त्ल कर दिया”

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

यह दाऊद वही हज़रत दाऊद अलै० हैं जो जलीलुलक़द्र नबी और बादशाह हुए। इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलै० थे। तौरात से मालूम होता है कि दाऊद एक ग़डरिये थे और जंगल में अपनी भेड़-बकरियाँ चराया करते थे। उनके पास एक गोपया होता था, जिसके अंदर पत्थर रख कर वह उसको घुमा कर मारते थे। निशाना इतना सही था कि इससे वह अपनी बकरियों पर हमला करने वाले जंगली जानवरों के जबड़े तोड़ दिया करते थे। जब तालूत और जालूत के लश्कर आमने सामने थे तो दाऊद इत्तेफ़ाक़न वहाँ आ निकले। उन्होंने देखा कि जालूत ललकार रहा है कि है कोई जो मेरे मुक़ाबले में आये? लेकिन इधर सबके सब सहमें खड़े हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। यह देख कर उनकी ग़ैरत को जोश आ गया। उन्होंने तालूत से उसके मुक़ाबले की इजाज़त माँगी और कहने लगे कि मैं तो अपने गोपये से शेरों के जबड़े तोड़ दिया करता हूँ, भला इस नामख़तून की

क्या हैसियत है, मैं अभी इसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाता हूँ। (वाज़ेह रहे कि खतना हज़रत इब्राहीम अलै० की सुन्नत है और यह मिल्लते इब्राहीमी में हमेशा राइज रहा है। लेकिन कुफ़्रार और मुशरिकीन के यहाँ खतना का रिवाज नहीं था। चुनाँचे “नामखतून” बनी इस्राईल के यहाँ सबसे बड़ी गाली थी) दाऊद अलै० ने सिपहसालार की इजाज़त से अपना गोपया और चंद पत्थर उठाये और देव हैकल जालूत के सामने जा खड़े हुए। जालूत ने उनका मज़ाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने गोपये में एक पत्थर रख कर ऐसे घुमा कर छोड़ा कि वह सीधा आँख के सुराख से पार होकर उसके भेजे के अंदर उतर गया और जालूत वहीं ढेर हो गया।

“और अल्लाह ने उसे सलतनत और हिकमत
अता की और जो कुछ चाहा उसे सिखा
दिया।”

तालूत ने दाऊद अलै० से अपनी बेटी का निकाह कर दिया, इस तरह वह तालूत के दामाद हो गये। फिर तालूत ने उन्हीं को अपना वारिस बनाया और यह बादशाह हुए। अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलै० को हुकूमत व सलतनत भी अता फ़रमाई और हिकमत व नबुवत से भी नवाज़ा। इन दोनों ऐतबारात से अल्लाह तआला ने आप अलै० को सरफ़राज़ फ़रमाया। यह सब ईनामात इस वाक़ये के बाद हज़रत दाऊद अलै० पर हुए। इन सब पर मुस्तज़ाद यह कि अल्लाह ने उन्हें सिखाया जो कुछ कि अल्लाह ने चाहा।

“और अगर (इस तरीक़े से) अल्लाह एक
गिरोह को दूसरे के ज़रिये से दफ़ा ना करता
रहता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता”

ज़मीन में जब भी फ़साद होता है तो अल्लाह तआला कोई शक़ल ऐसी पैदा करता है कि किसी और गिरोह को सामने लाकर मुफ़िसदों का खात्मा करता है। अगर ऐसा ना होता तो ज़मीन में फ़साद ही फ़साद फैल गया होता। अल्लाह तआला ने जंगों के ज़रिये से फ़सादी गिरोहों का खात्मा फ़रमाया है। हर बड़ा फिरऔन जो आता है अललाह तआला उसके मुक्काबले किसी मूसा को खड़ा कर

देता है। इस तरह अल्लाह तआला ने हर सरकश और फ़सादी के लिये कोई ना कोई ईलाज तजवीज़ किया हुआ है।

“लेकिन अल्लाह तआला तो तमाम ज़हानों
पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला है।”

आयत 252

“यह अल्लाह की आयात हैं जो हम आप
को पढ़ कर सुना रहे हैं हक़ के साथ।”

यह क़ौल गोया हज़रत जिब्रील अलै० की तरफ़ मन्सूब होगा। यह मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم और तमाम मुसलमानों से ख़िताब है कि यह अल्लाह की आयात हैं जो हम आप صلی اللہ علیہ وسلم को सुना रहे हैं हक़ के साथ। यह एक बामक़सद सिलसिला है।

“और यक़ीनन (ऐ मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم) आप
(अल्लाह के) रसूलों में से हैं।”

आयत 253

“उन रसूलों में से हमने बाज़ को बाज़ पर
फ़ज़ीलत दी है।”

यह एक बहुत अहम उसूल बयान हो रहा है। यह बात क़ब्ल अज़ बयान की जा चुकी है कि “तफ़रीक़ बयानल रुसूल” कुफ़्र है, जबकि “तफ़ज़ील” कुरान से साबित है। अल्लाह तआला ने अपने रसूलों में से हर एक को किसी ना किसी पहलु से फ़ज़ीलत बख़शी है और इस ऐतबार से वह दूसरों पर मुमताज़ है। चुनाँचे जुज़वी फ़ज़ीलतें मुख़्तलिफ़ रसूलों की हो सकती हैं, अलबत्ता कुल्ली फ़ज़ीलत तमाम अम्बिया व रुसूल अलै० पर मुहम्मद रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को हासिल है।

“उनमें से वह भी थे जिनसे अल्लाह ने कलाम फ़रमाया”

وَمِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ

यह हज़रत मूसा अलै० की फ़ज़ीलत का ख़ास पहलु है।

“और बाज़ के दरजात (किसी और ऐतबार से) बढ़ा दियो”

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

“और हमने ईसा इब्ने मरयम अलै० को बड़े खुले मौज्जे दियो”

وَاتَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ

“और उनकी मदद फ़रमायी रूहुल कुदुस (हज़रत जिब्रील अलै०) के साथ”

وَإِذْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

“और अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद आने वाले आपस में ना लड़ते-झगड़ते”

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا افْتَنَّا الدِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

यानि ना तो यहूदियों की आपस में जंगें होतीं, ना यहूदियों और नसरानियों की लड़ाइयाँ होतीं, और ना ही नसरानियों के फ़िरके एक-दूसरे से लड़ते।

“इसके बाद की उनके पास वाज़ेह तालीमात आ चुकी थीं”

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

“लेकिन उन्होंने इख़्तलाफ़ किया”

وَلَكِنْ اختلفوا

“फिर कोई तो उनमें से ईमान लाया और कोई कुफ़र पर अडा रहा”

فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ

“और अगर अल्लाह चाहता तो वह आपस में ना लड़ते।”

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا افْتَنَّا

यानि अगर अल्लाह तआला जबरन तकवीनी तौर पर उन पर लाज़िम कर देता तो वह इख़्तलाफ़ ना करते और आपस में जंग व जिदाल से बाज़ रहते।

“लेकिन अल्लाह तो करता है जो वह चाहता है।”

अल्लाह तआला ने दुनिया को इस हिकमत पर बनाया है कि दुनिया कि यह ज़िन्दगी आज़माइश है। चुनाँचे आज़माइश के लिये उसने इन्सान को आज़ादी दी है। तो जो शख्स ग़लत रास्ते पर जाना चाहता है उसे भी आज़ादी है और जो सही रास्ते पर आना चाहता है उसे भी आज़ादी है।

आयात 254 से 257 तक

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۲۵۴ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ ۲۵۵ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ۲۵۶ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيئِهِمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ۲۵۷

तक़रीबन दो रुकूओं पर मुश्तमिल तालूत और जालूत की जंग के वाकिआत हम पढ़ चुके हैं और अब गोया गज़वा-ए-बदर के लिये ज़हनी और नफ़िसयाती तैयारी हो रही है। गज़वात के लिये जहाँ सरफ़रोशी की ज़रूरत है वहाँ इन्फ़ाक़े माल भी नागुज़ीर (ज़रूरी) है। चुनाँचे अब यहाँ बड़े ज़ोरदार अंदाज़ में इन्फ़ाक़े माल की तरफ़ तवज्जो दिलाई जा रही है। जैसा कि अज़्र किया जा चुका है, सूरतुल बक्ररह के निस्फ़े आखिर में चार मज़ामीन तक़रार के साथ आये हैं। यानि इन्फ़ाक़े माल, क़िताल, इबादात और मामलात। यह गोया चार डोरियाँ हैं जो इन बाईस रुकूओं के अन्दर ताने-बाने की तरह गुथी हुई हैं।

आयत 254

“ऐ अहले ईमान! खर्च करो उसमें से जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इससे पहले कि वह दिन आ धमके जिसमें ना कोई खरीद व फ़रोख्त होगी, ना कोई दोस्ती काम आयेगी और ना कोई शफ़ाअत मुफ़ीद होगी।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفَعُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَاعَةً

“और जो इन्कार करने वाले हैं वही तो ज़ालिम हैं।”

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

यहाँ काफ़िर से मुराद इस्तलाही काफ़िर नहीं, बल्कि मायनवी काफ़िर हैं, यानि अल्लाह के हुक्म का इन्कार करने वाले। जो शख्स अल्लाह तआला के इस हुक्म इन्फ़ाक़ की तामील नहीं करता, देखता है कि दीन मगलूब है और उसको ग़ालिब करने की जद्दो-जहद हो रही है, उसके कुछ तकाज़े हैं, उसकी माली ज़रूरतें हैं और अल्लाह ने उसे कुदरत दी है कि उसमें खर्च कर सकता है लेकिन नहीं करता, वह है असल काफ़िर।

इसके बाद अब वह आयत आ रही है जो अज़रूए फ़रमाने नबवी ﷺ कुरान हकीम की अज़ीम तरीन आयत है, यानि “आयतुल कुरसी”। इसका नाम भी मारूफ़ है। मैंने आपको सूरतुल बक्ररह में आने वाले हिकमत के बड़े-बड़े मोती और बड़े-बड़े फूल गिनवाये हैं, मसलन आयतुल आयात, आयतुल बिर्र,

आयतुल इख़लाफ़ और अब यह आयतुल कुरसी है जो तौहीद के अज़ीम तरीन खज़ानों में से है। रसूल अल्लाह ﷺ ने इसे तमाम आयाते कुरानी की सरदार करार दिया है। हज़रत अबु हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ

“हर शय की एक चोटी होती है और यक़ीनन कुरान हकीम की चोटी सूरतुल बक्ररह है, इसमें एक आयत है जो आयाते कुरानी की सरदार है, यह आयतुल कुरसी है।” (32)

जिस तरह आयतुल बिर्र और सूरतुल अस्र में एक निस्बत है कि अल्लाह तआला ने हिदायत और निजात की सारी की सारी शराइत एक छोटी सी सूरत में जमा कर दीं:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝

लेकिन इसकी तफ़सील एक आयत में बयान हुई है और वह आयतुल बिर्र है। चुनाँचे हमने मुताअला-ए-कुरान हकीम का जो मुन्तखब निसाब मुरत्तब (सेट) किया है उसमें पहला दर्स सूरतुल अस्र का है और दूसरा आयतुल बिर्र का है। यही निस्बत आयतुल कुरसी और सूरतुल इख़लास में है। सूरतुल अस्र एक मुख़्तसर की सूरत है जबकि आयतुल बिर्र एक तवील आयत है। इसी तरह सूरतुल इख़लास चार आयात पर मुश्तमिल एक छोटी सी सूरत है और यह आयतुल कुरसी एक तवील आयत है। सूरतुल इख़लास तौहीद का अज़ीम तरीन खज़ाना है और तौहीद के मौज़ू पर कुरान हकीम की जामेअ तरीन सूरत है, चुनाँचे रसूल अल्लाह ﷺ ने इसे सुलूसे कुरान (एक तिहाई कुरान) करार दिया है, जबकि तौहीद और ख़ास तौर पर तौहीद फिल सिफ़ात के मौज़ू पर कुरान करीम की अज़ीम तरीन आयत यह आयतुल कुरसी है।

आयत 255

“अल्लाह वह माअबूदे बरहक़ है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं।”

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

“वह ज़िन्दा है सबका क़ायम रखने वाला है।”

الْحَيُّ الْقَيُّومُ

वह अज़खुद और बाखुद ज़िन्दा है। उसकी ज़िन्दगी मुस्तआर (उधार) नहीं है। उसकी ज़िन्दगी हमारी ज़िन्दगी की मानिन्द नहीं है, जिसके बारे में बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था:

उम्मे दराज़ माँग कर लाये थे चार दिन

दो आरजू में कट गये दो इन्तेज़ार में!

अल्लाह तआला की ज़िन्दगी “हयाते मुस्तआर” नहीं है, वह किसी की दी हुई नहीं है। उसकी ज़िन्दगी में कोई ज़ौफ़ (दुर्बलता), कोई कमज़ोरी, और कोई एहतियाज (गरीबी) नहीं है। वह खुद अपनी जगह ज़िन्दा-ओ-जावेद हस्ती है और बाक़ी हर शय का वुजूद उसके हुक्म से क़ायम है। वह “الْقَيُّومُ” है। उसके इज़्न के बग़ैर कोई शय क़ायम नहीं है। सूरतुल इख़्लास में अल्लाह तआला के लिये दो अल्फ़ाज़ “الْأَحَدُ” और “الْأَمُّدُ” आये हैं। वह अपनी जगह “الْأَحَدُ” है लेकिन बाक़ी पूरी क़ायनात के लिये “الْأَمُّدُ” है। इसी तरह वह अज़खुद “الْحَيُّ” है और बाक़ी पूरी क़ायनात के लिये “الْقَيُّومُ” है।

“ना उस पर ऊँघ ग़ालिब आती है ना नींदा।”

لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

“जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है।”

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

हर शय की मिलकियते ताम्मा और मिलकियते हक़ीक़ी उसी की है।

“कौन है वह जो शफ़ाअत कर सके उसके पास किसी की मगर उसकी इजाज़त से!”

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

सूरतुल बकरह में क़ब्ल अज़ तीन मर्तबा क़यामत के रोज़ किसी शफ़ाअत का दो टूक अन्दाज़ में इन्कार (categorical denial) किया गया है कि कोई शफ़ाअत नहीं! यहाँ भी बहुत ही जलाली अन्दाज़ इख़्तियार किया गया है: { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ } यानि किसकी यह हैसियत है, किसका यह मक़ाम है, किसको यह

इख़्तियार हासिल है कि वह अपनी हैसियत की बुनियाद पर अल्लाह के हुज़ूर किसी की शफ़ाअत कर सके? { اِلَّا بِاِذْنِهِ } हाँ, जिसके लिये अल्लाह इजाज़त दे दे! यहाँ पहली मर्तबा इस्तसना के साथ शफ़ाअत का ज़िक्र आया है, वरना सूरतुल बकरह के छठे रुकूअ की दूसरी आयत में हम अल्फ़ाज़ पढ़ चुके हैं: { وَلَا يُفْعَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ } “और ना (उस रोज़) किसी की तरफ से कोई शफ़ाअत कुबूल की जायेगी।” इसी तरह पंद्रहवे रुकूअ की दूसरी आयत में अल्फ़ाज़ आये हैं: { وَلَا يُفْعَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ } “और ना उसको किसी की शफ़ाअत ही फ़ायदा देगी।” और अब इस रुकूअ की पहली आयत में आ चुका है: { وَلَا شَفَاعَةٌ } “और ना कोई शफ़ाअत मुफ़ीद होगी।” लेकिन यहाँ एक इस्तसना बयान किया जा रहा है कि जिसको अल्लाह की तरफ से इज़्ने शफ़ाअत हासिल होगा वह उसके हक़ में शफ़ाअत कर सकेगा जिसके लिये इज़्न होगा। यह ज़रा बारीक़ मसला है कि शफ़ाअते हक्का क्या है और शफ़ाअते बातिला क्या है। दौरा-ए-तर्जुमा-ए-कुरान के दौरान इस पर तफ़सील के साथ बहस नहीं की जा सकती। इस पर मैं अपने तफ़सीली दर्स रिकॉर्ड करा चुका हूँ।

“वह जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है।”

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

आम तौर पर दुनिया में हम किसी की सिफ़ारिश करते हैं तो कहते हैं कि भई मैं इस शख्स को बेहतर जानता हूँ, असल में यह जैसा कुछ नज़र आता है वैसा नहीं है, इसके बारे में जो मालूमात आप तक पहुँची है वह मन्त्री पर हक़ीक़त नहीं है, असल हक़ाइक़ कुछ और हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। यह बात अल्लाह के सामने कौन कह सकता है? जबकि अल्लाह तो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है।

“और वह इहाता नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म में से किसी शय का भी सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे।”

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

बाक़ी हर एक के पास जो इल्म है वह अल्लाह का दिया हुआ, अताई इल्म है। बड़े से बड़े वली, बड़े से बड़े रसूल और बड़े से बड़े फ़रिश्ते का इल्म भी महदूद है। फ़रिश्तों का क़ौल { لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا } हम चौथे रुकूअ में पढ़ आये हैं।

“उसकी कुरसी तमाम आसमानों और ज़मीन को मुहीत है।”

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

यहाँ कुरसी के दो मफ़हूम हो सकते हैं। एक तो ये कि उसका इक़तदार, उसकी कुदरत और उसका इख़्तियार (Authority) पूरी कायनात के ऊपर हावी है। नेज़ यह भी हो सकता है कि अल्लाह तआला के इक़तदार की अलामत के तौर पर वाक़िअतन कोई मुजस्सम शय भी हो जिसको हम कुरसी कह सकें। अल्लाह तआला के अर्श और कुरसी के बारे में यह दोनों बातें ज़हन में रखें। यह भी हो सकता है कि इनकी कोई मुजस्सम हक़ीक़त हो जो हमारे ज़हन और तख़य्युल (कल्पना) से मा-वरा (बहुत ऊपर) है और यह भी हो सकता है कि इससे इस्तआरा मुराद हो कि उसका इख़्तियार और इक़तदार आसमानों और ज़मीन पर छाया हुआ है।

“और उस पर गिरां (भारी) नहीं गुज़रती उन दोनों की हिफ़ाज़त।”

وَلَا يُوَدُّهٖ حٰفِظُهُمْ

आसमानों और ज़मीन की हिफ़ाज़त और इनका थामना उस पर ज़रा भी गिरां नहीं और इससे उस पर कोई थकान तारी नहीं होती।

“और वह बुलन्द व बाला (और) बड़ी अज़मत वाला है।”

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

यह आयतुल कुरसी है जो तमाम आयाते कुरानी की सरदार और तौहीदे इलाही का एक बहुत बड़ा खज़ाना है। इसके बाद आने वाली दो आयात भी हिक्मत और फ़लसफ़ा-ए-दीन के ऐतबार से बड़ी अज़ीम आयात हैं।

आयत 256

“दीन में कोई जबर नहीं है।”

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी को इस्लाम कुबूल करने पर मजबूर किया जाये। इस्लाम में किसी फ़र्द को जबरन मुस्लमान बनाना हाराम है। लेकिन इस आयत का यह मतलब निकाल लेना कि निज़ामे बातिल को ख़त्म करने के लिये भी कोई ताक़त इस्तेमाल नहीं हो सकती, परले दर्जे की हिमाक़त है। निज़ामे बातिल जुल्म पर मन्त्री है और यह लोगों का इस्तेहसाल (शोषण) कर रहा है। यह अल्लाह और बन्दों के दरमियान हिजाब और आड़ बन गया है। लिहाज़ा निज़ामे बातिल को ताक़त के साथ ख़त्म करना मुस्लमान का फ़र्ज़ है। अगर ताक़त मौजूद नहीं है तो ताक़त हासिल करने की कोशिश की जाये, लेकिन जिस मुस्लमान का दिल निज़ामे बातिल को ख़त्म करने की आरजू और इरादे से खाली है उसके दिल में ईमान नहीं है। ताक़त और जबर निज़ामे बातिल को ख़त्म करने पर सफ़्र (ख़र्च) किया जायेगा, किसी फ़र्द को मजबूरन मुस्लमान नहीं बनाया जायेगा। यह है असल में इस आयत का मफ़हूम।

“हिदायत गुमराही से वाज़ेह हो चुकी है।”

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

जितनी भी कजियाँ हैं, ग़लत रास्ते हैं, शैतानी पगडंडियाँ हैं सिराते मुस्तक़ीम को इनसे बिल्कुल मुबहहरन (अलग) कर दिया गया है।

“तो जो कोई भी तागूत का इन्कार करे”

مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ

देखिये, अल्लाह पर ईमान लाने से पहले तागूत का इन्कार ज़रूरी है। जैसे कलमा-ए-तैय्यबा “لا اله الا الله” में पहले हर इलाह की नफ़ी है और फिर अल्लाह का अस्बात (पुष्टिकरण) है। तागूत तगा से है, यानि शरकश। तो जिसने अपनी हाकिमियत का ऐलान किया वह तागूत है, जिसने गैरुल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम किया वह भी तागूत है और गैरुल्लाह की हाकिमियत के तहत बनने वाले सारे इदारे तागूत हैं, ख़वाह वह कितने ही खुशनुमा इदारे हों। “अदलिया” के नाम से एक इदारा अगर अल्लाह के क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसलें नहीं कर रहा, कुछ और लोगों के बनाये हुए क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसलें कर रहा है तो वह तागूत है। “मुताफ़नना” का इदारा अगर अल्लाह की नाज़िल करदा हिदायत के मुताबिक़ क़ानून साज़ी नहीं कर रहा तो वह भी तागूत है। जो कोई भी अल्लाह

के हुदूद-ए-बन्दगी से तजावुज़ करता है वह तागूत है। दरिया जब अपनी हदों से बाहर निकलता है तो यह तुग्यानी है:

दरिया को अपनी मौज की तुग्यानियों से काम

कशती किसी की पार हो या दरमियान रहे!

तागा और बगा दोनों बड़े करीब के अल्फ़ाज़ हैं, जिनका मफ़हूम तुग्यानी और बगावत है। फ़रमाया कि “जो कोई कुफ़्र करे तागूत के साथ।”

“और फिर अल्लाह पर ईमान लाये”

وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

तागूत से दोस्ती और अल्लाह पर ईमान दोनों चीज़ें एकसाथ (एक साथ) नहीं हो सकती। अल्लाह के दुश्मनों से भी याराना हो और अल्लाह के साथ वफ़ादारी का दावा भी हो यही तो मुनाफ़क़त है। जबकि इस्लाम तो {حَنِيفًا مُّسْلِمًا} के मिस्दाक़ कामिल यक्सुई (पूरी एकाग्रता) के साथ इताअत शआरी का मुतालबा करता है।

“तो उसने बहुत मज़बूत हल्का (कुंडा) थाम लिया।”

فَقَدَرِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

जिस शख्स ने यह काम कर लिया कि तागूत की नफ़ी की और अल्लाह पर ईमान लाया उसने एक मज़बूत कुंडा थाम लिया। यूँ समझिये अगर कोई शख्स समुन्द्री जहाज के अर्थ से समुन्दर में गिर जाये, उसे तैरना भी ना आता हो और किसी तरह हाथ-पैर मार कर वह जहाज के किसी कुंडे को थाम ले तो अब वह समझता है कि मेरी ज़िन्दगी इसी से वाबस्ता (समर्पित) है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूँगा। वह कुंडा अगर कमज़ोर है तो उसका सहारा नहीं बन सकेगा और उसके वज़न से ही उखड़ जायेगा या टूट जायेगा, लेकिन अगर वह कुंडा मज़बूत है तो वह उसकी ज़िन्दगी का ज़ामिन (जमानती) बन जायेगा। यहाँ फ़रमाया कि तागूत का इन्कार करके अल्लाह पर ईमान लाने वाले शख्स ने बहुत मज़बूत कुंडे पर हाथ डाल दिया है।

“जो कभी टूटने वाला नहीं है।”

لَا انْفِصَامَ لَهَا

कभी अलैहदा होने वाला नहीं है। यह बहुत मज़बूत सहारा है। रसूल अल्लाह ﷺ के एक ख़ुत्बे में यह अल्फ़ाज़ नक़ल किये गये हैं: ((اَوْثَقُ الْعُرَى كَلِمَةٌ)) (النَّقْوَى) यानि तमाम कुंडों में सबसे मज़बूत कुंडा तक्रवे का कुंडा है।⁽³³⁾ लिहाज़ा इसको मज़बूती के साथ थमने की ज़रूरत है।

“और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है।”

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

आयत 257

“अल्लाह वली है अहले ईमान का”

اللّٰهُ وَرِ الْاٰلِ الْاٰمَنُوْا

ईमान दरहकीक़त अल्लाह और बन्दे के दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता कायम करता है। यह विलायते बाहमी यानि दो तरफ़ा दोस्ती है। एक तरफ़ मतलूब यह है कि बंदा अल्लाह का वली बन जाये (सूरह युनुस:62-63):

“याद रखो, अल्लाह के दोस्तों के लिये ना तो किसी तरह का ख़ौफ़ है और ना वह ग़मगीन होंगे। यह वह लोग हैं जो ईमान लाये और उन्होंने तक्रवा इख़्तियार किया।”

दूसरी तरफ़ अल्लाह भी अहले ईमान का वली है, यानि दोस्त है, पुश्त पनाह है, मददगार है, कारसाज़ है।

“वह उन्हें निकलता रहता है तारीकियों से नूर की तरफ़।”

يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

आप नोट करेंगे कि कुरान में “नूर” हमेशा वाहिद आता है। “अनवार” का लफ़ज़ कुरान में नहीं आया, इसलिये कि नूर एक हकीक़ते वाहिदा है। लेकिन “ज़लुमात” हमेशा जमा में आता है, इसलिये कि तारीकी के shades मुख्तलिफ़ हैं। एक बहुत गहरी तारीकी है, एक ज़रा उससे कम है, फिर उससे कमतर है। कुफ़्र,

शिक, इल्हाद (नास्तिकता), माद्दा परस्ती, ला अदरियत (Agnosticims) वगैरह मुख्तलिफ़ क़िस्म की तारीकियाँ हैं। तो जितने भी गलत फ़लसफ़े हैं, जितने भी गलत नज़रियात हैं, जितनी भी अमल की गलत राहें हैं उन सबके अँधियारों से निकाल कर अल्लाह अहले ईमान को ईमान की रोशनी के अन्दर लाता रहता है।

“और (इनके बरअक्स) जिन्होंने कुफ़्र किया, उनके औलिया (पुश्त पनाह, साथी और मददगार) तागूत हैं।”

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ

“वह उनको रोशनी से निकाल कर तारीकियों की तरफ़ ले जाते हैं।”

يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

अगर कहीं नूर की थोड़ी बहुत रमक़ (बिंदु) उन्हें मिली भी थी तो उससे उन्हें महरूम करके उन्हें तारीकियों की तरफ़ धकेलते रहते हैं।

“यही लोग हैं आग वाले, यह उसमें हमेशा-हमेश रहेंगे।”

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ أَخْرِجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ آمين يا رب العالمين۔

इसके बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी के कुछ वाक़िआत बयान किये जा रहे हैं।

आयात 258 से 260 तक

الَّذِي تَرَى إِلَى الذِّئْبِ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الذِّئْبُ يُعِيبِي وَيُمَيِّتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِئُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَبْطِئَنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

आयात 258

“क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने हज़रतबाज़ी की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस वजह से कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी हुई थी।”

الَّذِي تَرَى إِلَى الذِّئْبِ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

यह बाबुल (इराक़) का बादशाह नमरूद था। यह ज़हन में रखिये कि नमरूद असल में लक़ब था, किसी का नाम नहीं था। जैसे फ़िरऔन (जमा फ़राअना) मिस्र के बादशाहों का लक़ब होता था इसी तरह नमरूद (जमा नमारुद) बाबुल (इराक़) के बादशाहों का लक़ब था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश “उर” में हुई थी जो बाबुल (Babylonia) का एक शहर था और वहाँ नमरूद की बादशाहत थी। जैसे फ़िरऔन ने मिस्र में अपनी बादशाहत और अपनी खुदाई का दावा किया था इसी तरह का दावा नमरूद का भी था। फ़िरऔन और नमरूद का खुदाई का दावा दरहक़ीक़त सियासी बादशाहत और इक़तदार का दावा था कि इख़्तियारे मुतलक़ हमारे हाथ में है, हम जिस चीज़ को चाहें गलत करार दे दें और जिस चीज़ को चाहें सही करार दे दें। यही असल में खुदाई इख़्तियार है जो उन्होंने हाथ में ले लिया था। तहलील व तहरीम (हलाल-हराम का फ़ैसला करना) अल्लाह तआला का हक़ है, किसी शय को हलाल करने या किसी शय को हराम करने का इख़्तियारे वाहिद अल्लाह के

हाथ में है। और जिस शख्स ने भी क़ानून साज़ी का यह इख़्तियार अल्लाह के क़ानून से आज़ाद होकर अपने हाथ में ले लिया वही तागूत है, वही शैतान है, वही नमरूद है, वही फ़िरऔन है। वरना फ़िरऔन और नमरूद ने यह दावा तो नहीं किया था कि यह दुनिया हमने पैदा की है।

“जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वह है जो ज़िन्दा करता है और मारता है तो उसने कहा कि मैं भी ज़िन्दा करता हूँ और मारता हूँ।”

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبَدُ وَيُمَيِّتُ
قَالَ أَنَا مُتِّئٌ وَأُمَيِّتٌ

नमरूद ने जेल से सज़ा-ए-मौत के दो कैदी मंगवाये, उनमें से एक की गर्दन वहीं उड़ा दी और दूसरे की सज़ा-ए-मौत माफ़ करते हुए उसे रिहा कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने जिसको चाहा ज़िन्दा रखा और जिसको चाहा मार दिया। हज़रत इब्राहीम अलै० ने देखा कि यह कटहुज्जती पर उतरा हुआ है, इसे ऐसा जवाब दिया जाना चाहिये जो उसको चुप करा दे।

“इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक् से निकालता है (अगर तू खुदाई का मुद्दई है) तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा”

قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ
المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المَغْرِبِ

“तो मबहूत (आकर्षित) होकर रह गया वह काफ़िर।”

فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ

अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह यह बात सुन कर भौंचक्का और शशदर (हैरान) होकर रह गया।

“और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं दिया करता।”

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

अल्लाह ने उसे राहयाब नहीं किया, लेकिन वह चुप हो गया, उससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात का कोई जवाब नहीं बन पड़ा। इसके बाद उसने बुतकदे के पुजारियों के मशवरे से यह फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक दिया जाये।

आयत 259

“या फिर जैसे कि वह शख्स (उसका वाक़िया ज़रा याद करो) जिसका गुज़र हुआ एक बस्ती पर और वह औंधी पड़ी हुई थी अपनी छतों पर।”

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى
عُرُوشِهَا

तफ़ासीर में अगरचे इस वाक़िये की मुख्तलिफ़ ताबीरात मिलती हैं, लेकिन यह दरअसल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़िया है जिनका गुज़र येरुशलम शहर पर हुआ था जो तबाह व बर्बाद हो चुका था। बाबुल (इराक़) के बादशाह बख्तनसर (Nebuchadnezzar) ने 586 ई०पू० में फ़लस्तीन पर हमला किया था और येरुशलम को ताख़त (सरपट) व ताराज (तहस-नहस) कर दिया था। इस वक़्त भी इराक़ और इसराइल की आपस में बदतरनी दुश्मनी है। यह दुश्मनी दर हकीकत ढाई हज़ार साल पुरानी है। बख्तनसर के हमले के वक़्त येरुशलम बारह लाख की आबादी का शहर था। बख्तनसर ने छः लाख नफूस (इंसानों) को क़त्ल कर दिया और बाक़ी छः लाख को भेड़-बकरियों की तरह हाँकता हुआ कैदी बना कर ले गया। यह लोग डेढ़ सौ बरस तक असीरी (captive) में रहे और येरुशलम उजड़ा रहा है। वहाँ कोई मुतनफ़िफ़स ज़िन्दा नहीं बचा था। बख्तनसर ने येरुशलम को इस तरह तबाह व बर्बाद किया था कि कोई दो ईंटें सलामत नहीं छोड़ी। उसने हैकले सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया था। यहूदियों के मुताबिक़ हैकल के एक तहखाने में “ताबूते सकीनह” भी था और वहाँ उनके रबाई भी मौजूद थे। हैकल मस्मार (विध्वंस) होने पर वहीं उनकी मौत वाक़ेअ हुई और ताबूते सकीनह भी वहीं दफ़न हो गया। तो जिस ज़माने में यह बस्ती उजड़ी हुई थी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई मुतनफ़िफ़स ज़िन्दा नहीं और कोई इमारत सलामत नहीं।

“उसने कहा कि अल्लाह इस बस्ती को, इसके इस तरह मुर्दा और बर्बाद हो जाने के बाद किस तरह ज़िन्दा करेगा?”

قَالَ أَلَيْسَ لِي بِعَدَمِ مَوْتِيهَا

उनका यह सवाल इज़हारे हैरत की नौइयत का था कि इस तरह उजड़ी हुई बस्ती में दोबारा कैसे अहया हो सकता है? दोबारा कैसे इसमें लोग आकर आबाद हो सकते हैं? इतनी बड़ी तबाही व बर्बादी कि कोई मुतनफ़िस बाक़ी नहीं, कोई दो ईंटे सलामत नहीं!

“तो अल्लाह ने उस पर मौत वारिद कर दी सौ बरस के लिये और फिर उसको उठाया।”

فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ

“पूछा कितना अरसा यहाँ रहे हो?”

قَالَ كَذَلِكَ لَبِثْتُ

“कहने लगा एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा।”

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे थोड़ी देर के लिये सोया था, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं यहाँ रहा हूँ।

“(अल्लाह तआला ने) फ़रमाया बल्कि तुम पूरे सौ साल इस हाल में रहे हो”

قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ

“तो ज़रा तुम अपने खाने और अपने मशरूब को (जो सफ़र में तुम्हारे साथ था) देखो, उनके अन्दर कोई बसांद पैदा नहीं हुई।”

فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

उनमें से कोई शय गली-सड़ी नहीं, उनके अन्दर कोई ख़राबी पैदा नहीं हुई।

“और (दूसरी तरफ़) अपने गधे को देखो (हम इसको किस तरह ज़िन्दा करते हैं)”

وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ

हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी का गधा इस अरसे में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसकी बोशीदा हड्डियाँ ही बाक़ी रह गयी थीं, गोशत गल-सड़ चुका था।

“और ताकि हम तुम्हें लोगों के लिये एक निशानी बनायें”

وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ

यानि ऐ उज़ैर अलैहिस्सलाम! हमने तो खुद तुम्हें लोगों के लिये एक निशानी बनाया है, इसलिये हम तुम्हें अपनी यह निशानी दिखा रहे हैं ताकि तुम्हें दोबारा उठाये जाने पर यक़ीने कामिल हासिल हो।

“और अब इन हड्डियों को देखो, किस तरह हम इन्हें उठाते हैं”

وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِئُهَا

“फिर (तुम्हारी निगाहों के सामने) इनको गोशत पहनाते हैं।”

ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

चुनाँचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते उनके गधे की हड्डियाँ जमा होकर उसका ढाँचा खड़ा हो गया और फिर उस पर गोशत भी चढ़ गया।

“पस जब उसके सामने यह बात वाज़ेह हो गयी”

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ

हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बचशमे सर एक मुर्दा जिस्म को ज़िन्दा होने का मुशाहिदा कर लिया।

“वह पुकार उठा कि मैंने पूरी तरह जान लिया (और मुझे यक्रीन कामिल हासिल हो गया) कि अल्लाह हर शय पर कादिर है।”

उन्हें यक्रीन हो गया कि अल्लाह तआला इस उजड़ी हुई बस्ती को भी दोबारा आबाद कर सकता है, इसकी आबादी अल्लाह तआला के इख्तियार में है।

हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की निशाते सानिया (Renaissance) के नक़ीब (अग्रदूत) की हैसियत हासिल है। बाबुल की असारत (क़ैद) के दौरान यहूद अख़लाक़ी ज़वाल का शिकार थे। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने मुतज़क्किर बाला मुशाहदात करवा दिये तो आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाकर यहूद को दीन की तालीम दी और उनके अन्दर रूहे दीन को बेदार किया। इसके बाद ईरान के बादशाह केखोरस (Cyrus) ने जब बाबुल (इराक़) पर हमला किया तो यहूदियों को असारत (Captive) से निजात दी और उन्हें दोबारा फ़लस्तीन में जाकर आबाद होने की इजाज़त दे दी। इस तरह येरुशलम की तामीरे नौ हुई और यह बस्ती 136 साल बाद दोबारा आबाद हुई। फिर यहूदियों ने वहाँ हैकले सुलेमानी दोबारा तामीर किया जिसको वह माअबूदे सानी (Second Temple) कहते हैं। फिर यह हैकल 70 ई० में रोमन जनरल टाइटस के हाथों तबाह हो गया और अब तक दोबारा तामीर नहीं हो सका। दो हज़ार बरस होने को आये हैं कि उनका काबा ज़मींबोस है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के यहूदियों के दिलों में आग सी लगी हुई है और वह मस्जिदे अक़सा को मस्मार करके वहाँ हैकले सुलेमानी (माअबूदे सालिस) तामीर करने के लिये बेताब हैं। उसके नक़शे भी तैयार हो चुके हैं। बस किसी दिन कोई एक धमाका होगा और ख़बर आ जायेगी कि किसी जुनूनी (Fanatic) ने वहाँ जाकर बम रख दिया था, जिसके नतीजे में मस्जिदे अक़सा शहीद हो गयी है। आपके इल्म में होगा कि एक जुनूनी यहूदी डॉक्टर ने मस्जिदे अल खलील में 70 मुस्लमानों को शहीद करके खुद भी खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह कोई जुनूनी यहूदी मस्जिदे अक़सा में बम नसब करके उसको गिरा देगा और फिर यहूदी कहेंगे कि जब मस्जिद मस्मार हो ही गयी है तो अब हमें यहाँ हैकल तामीर करने दें। जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम (विध्वंस) के बाद हिन्दुओं का मौक़फ़ था कि जब मस्जिद गिर ही

गयी है तो अब यहाँ पर हमें राम मन्दिर बनाने दो! बहरहाल ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़िया था। अब इसी तरह का एक मामला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा है।

आयत 260

“और याद करो जबकि इब्राहीम अलै० ने भी कहा था परवरदिगार! ज़रा मुझे मुशाहिदा करा दे कि तू मुर्दों को कैसे ज़िन्दा करेगा?”

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ

“(अल्लाह तआला ने) फ़रमाया क्या तुम (इस बात पर) ईमान नहीं रखते?”

قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ

“कहा क्यों नहीं! (ईमान तो रखता हूँ)”

قَالَ بَلَىٰ

“लेकिन चाहता हूँ कि मेरा दिल पूरी तरह मुतमईन हो जाये।”

وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

यह तमाम अम्बिया-ए-किराम अलैहिस्सलाम का मामला है कि उन्हें अय्युल यक्रीन और हक्कुल यक्रीन के दर्जे का ईमान अता किया जाता है। उन्हें चूँकि ईमान और यक्रीन की एक ऐसी भट्टी (furnace) बनना होता है कि जिससे ईमान और यक्रीन दूसरों में सरायत करे, तो उनके ईमान व यक्रीन के लिये उनको ऐसे मुशाहदात करवा दिये जाते हैं कि ईमान उनके लिये सिर्फ़ ईमान बिलगैब नहीं रहता बल्कि वह ईमान बिलशहादा भी हो जाता है। सूरतुल अनआम में सराहत के साथ फ़रमाया गया है कि हमने इब्राहीम अलै० को आसमानों और ज़मीन के निज़ामे हुकूमत का मुशाहिदा कराया ताकि वह कामिल यक्रीन करने वालों में से हो जाये। मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ को शबे मेराज में आसमानों पर ले जाया गया कि वह हर शय को अपनी आँखों से देख लें। इन मुशाहदात से अम्बिया को उन ईमानी हक्काइक़ पर यक्रीन कामिल

हो जाता है जिनकी वह लोगों को दावत देते हैं। गोया वह खुद ईमान और यक़ीन की एक भट्टी बन जाते हैं।

“फ़रमाया, अच्छा तो चार परिन्दे ले लो और उन्हें अपने साथ हिला लो”

उन्हें अपने साथ इस तरह मानूस कर लो कि वह तुम्हारी आवाज़ सुन कर तुम्हारे पास आ जाया करें।”

“फिर उनके टुकड़े करके हर पहाड़ पर उनका एक-एक टुकड़ा रख दो”

“फिर उनको पुकारो तो वह तुम्हारे पास दौड़ते हुए आयेगे।”

इसकी तफ़सील में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों परिन्दों के सर, धड़, टाँगें और उनके पर अलैहदा-अलैहदा किये। फिर एक पहाड़ पर चारों के सर, दूसरे पहाड़ पर चारों के धड़, तीसरे पहाड़ पर चारों की टाँगें और चौथे पहाड़ पर चारों के पर रख दिये। इस तरह उन्हें मुख्तलिफ़ अज्ज़ाअ (हिस्सों) में तक्सीम कर दिया। फिर उन्हें पुकारा तो उनके अज्ज़ाअ मुज्तमेअ (जमा) होकर चारों परिन्दें अपनी साबक़ा हैइयत (आकार) में ज़िन्दा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आ गये।

“और (इस बात को यक़ीन के साथ) जान लो कि अल्लाह तआला ज़बरदस्त है, कमाले हिकमत वाला है।”

आयात 261 से 273 तक

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَاتٍ يُتْبِعُهَا أَدَىٰ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَغْيِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّبُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۝ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَابٍ ۝ إِنْ تَبَدَّلَتِ الصَّدَقَاتُ فَنِعْبًا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُوْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدُوبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْضِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ

أَغْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَبِيلِهِمْ ۚ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

अब जो दो रकूअ आ रहे हैं, इनका मौजू इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है, और इस मौजू पर ये कुरान मजीद का ज़रवा-ए-सनाम (climax) है। इनके मुताअले से पहले यह बात नोट कर लीजिये कि अल्लाह तआला की रज़ा जोई के लिये अपना माल खर्च करने के लिये दीन में कई इस्तलाहात हैं। सबसे पहली “اطعام” (खाना खिलाना) है: {وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنَتَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (अद दहर:8) दूसरी इस्तलाह ईताये माल है: (सूरतुल बकरह:177) {وَأَتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حَيْثُ دَوَىٰ الْفُرْلَىٰ وَالْيَتِيمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ} फिर इससे आगे सदक़ा, ज़कात, इन्फ़ाक़ और क़र्ज़े हस्ना जैसी इस्तलाहात आती हैं। ये पाँच-छ: इस्तलाहात (terms) हैं, लेकिन इनके अन्दर एक तक़सीम ज़हन में रखिये। अल्लाह तआला की रज़ा जोई के लिये माल खर्च करने की दो बड़ी-बड़ी मदें हैं। एक मद अब्राये नौ पर खर्च करने की है। यानि क़राबतदार, गुरबा, यतामा, मसाकीन, मोहताज और बेवाओं पर खर्च करना। यह आपके मआशरे के अज़्ज़ाअ (हिस्से) हैं, आपके भाई-बन्द हैं, आपके अज़ीज़ व अकरबाअ हैं। इनके लिये खर्च करना भी अल्लाह तआला को बहुत पसंद है और इसका अजर मिलेगा। यह भी गोया आपने अल्लाह तआला ही के लिये खर्च किया। जबकि दूसरी मद है ऐन अल्लाह के दीन के लिये खर्च करना।

कुरान हकीम में इन्फ़ाक़ और क़र्ज़े हस्ना की इस्तलाहें इस दूसरी मद के लिये आती हैं और पहली मद के लिये इतआमुल तआम, ईताये माल, सदक़ा व खैरात और ज़कात की इस्तलाहात हैं। चुनाँचे इन्फ़ाक़े माल या इन्फ़ाक़े फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद है अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह के दीन की दावत को आम करने और अल्लाह की किताब के पैग़ाम को आम करने के लिये खर्च करना। अल्लाह के दीन की दावत को इस तरह उभारना कि बातिल के साथ ज़ोर आज़माई करने वाली एक ताक़त पैदा हो जाये, एक जमाअत वुजूद में आये। इस जमाअत के लिये साज़ो-सामान फ़राहम करना ताकि ग़लबा-ए-दीन के हर मरहले के जो तक़ाज़े और ज़रूरतें हैं वह पूरी हो सकें, इस काम में जो माल सर्फ़ (खर्च) होगा वह है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह या अल्लाह के ज़िम्मे क़र्ज़े हस्ना। तो यहाँ असल में इस इन्फ़ाक़ की बात हो रही है। आम तौर पर फ़ी

सबीलिल्लाह का मफ़हूम बहुत आम समझ लिया जाता है और पानी की कोई “सबील (प्याऊ)” बना कर उसे भी “फ़ी सबीलिल्लाह” क़रार दे दिया जाता है। ठीक है, वह भी सबील तो है, नेकी का वह भी रास्ता है, सबील अल्लाह है, लेकिन “इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह” का मफ़हूम बिल्कुल और है। फ़ुकरा व मसाकीन और अहले हाजत के लिये सदक़ात व खैरात हैं। ज़कात भी असलन गरीबों का हक़ है, लेकिन उसमें भी एक मद “फ़ी सबीलिल्लाह” की रखी गयी है। अगर आपके अज़ीज़ व अकराब और कुर्ब व जवार में अहले हाजत हैं, गुरबा हैं तो सदक़ा व ज़कात में उनका हक़ फ़ाइक़ है, पहले उनको दीजिये। इसके बाद उसमें से जो भी है वह दीन के काम के लिये लगाइये। जब दीन यतीमी की हालत को आ गया हो तो सबसे बड़ा यतीम दीन है। और आज वाक़िअतन दीन की यही हालत है। अब हम इन आयात का मुताअला करते हैं:

आयत 261

“मिसाल उनकी जो अपने माल अल्लाह की राह में (अल्लाह के दीन के लिये) खर्च करते हैं ऐसे है जैसे एक दाना कि उससे सात बालियाँ (खोशे) पैदा हों और हर बाली में सौ दाने हों।”

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبًّا ۖ

इस तरह एक दाने से सात सौ दाने वजूद में आ गये। यह उस इज़ाफ़े की मिसाल है जो अल्लाह की राह में खर्च किये हुए माल के अज़ो सवाब में होगा। जो कोई भी अल्लाह के दीन के लिये अपना माल खर्च करेगा अल्लाह तआला उसके माल में इज़ाफ़ा करेगा, उसको जज़ा देगा और अपने यहाँ उस अज़ो सवाब को बढ़ाता रहेगा।

“अल्लाह जिसको चाहता है अफ़्ज़ोनी (वृद्धि) अता फ़रमाता है।”

وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

ये सात सौ गुना इज़ाफ़ा तो तुम्हें तम्सीलन बताया है, अल्लाह इससे भी ज़्यादा इज़ाफ़ा करेगा जिसके लिये चाहेगा। सिर्फ़ सात सौ गुना नहीं, और भी जितना चाहेगा बढ़ाता चला जायेगा।

“और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है।”

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

उसके खज़ानों में कोई कमी नहीं और उसका इल्म हर शय को मुहीत है।

आयत 262

“जो लोग अपने माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में”

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

“फिर जो कुछ वह खर्च करते हैं उसके बाद ना तो अहसान जताते हैं और ना तकलीफ़ पहुँचाते हैं”

ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَأْتَفَقًا مَّمَّا وَلَا أَدَىٰ

उनका तर्ज़े अमल यह नहीं होता कि देखिये जी, मैंने उस वक़्त इतना चंदा दिया था, मालूम हुआ कि मेरा हक़ ज़्यादा है, हम चंदे ज़्यादा देते हैं तो फिर बात भी तो हमारी मानी जानी चाहिये! या अगर कोई शख्स अल्लाह के दीन के काम में लगा हुआ है और आप उसके साथ तआवुन कर रहे हैं ताकि वह फिक्रे मआश से आज़ाद होकर अपना पूरा वक़्त दीन की ख़िदमत में लगाये, लेकिन अगर कहीं आपने उसको जता भी दिया, उस पर अहसान भी रख दिया, कोई तकलीफ़देह कलमा भी कह दिया, कोई दिल आज़ारी की बात कह दी तो आपका जो अज़ो सबाब था वह सिफ़र (ज़ीरो) हो जायेगा।

“उनका अज़्र उनके रब के पास महफूज़ है। और ना तो उनके लिये कोई खौफ़ होगा और ना ही वह किसी रन्ज व ग़म से दो चार होंगे।”

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

आयत 263

“भली बात कहना और दरगुज़र करना”

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ

“बेहतर है उस ख़ैरात से जिसके बाद अज़ियत पहुँचाई जाये।”

خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يُتَّبِعُهَا أَذَىٰ

अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद आ गया है, किसी ने हाथ फैला दिया है तो अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो दिलदारी का एक कलमा कह दीजिये, नरमी के साथ जवाब दे दीजिये, मआज़रत कर लीजिये। या अगर किसी साइल ने आपके साथ दरशत (भद्दा) रवैय्या इख़्तियार किया है तो फिर भी उसे डाँटीये नहीं: {وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ} (अददुहा:10) बल्कि दरगुज़र से काम लीजिये। ये तर्ज़े अमल उससे कहीं बेहतर है कि ज़रूरतमंद को कुछ दे तो दिया लेकिन उसके बाद उसे दो-चार जुम्ले भी सुना दिये, उसकी दिल आज़ारी भी कर दी। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।

“अल्लाह तआला गनी है और हलीम है।”

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

वह बेनियाज़ भी है और बुर्दबार भी। अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो असल में अल्लाह को दे रहे हो। इस ज़िंमन में एक हदीसे कुदसी में बड़ी वज़ाहत आयी है। हज़रत अबु हुरैरा रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने इरशाद फ़रमाया:

“कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज व जल्ल फ़रमाएगा: ऐ आदम के बेटे! मैं बीमार हुआ तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। वह कहेगा: ऐ परवरदिगार! मैं तेरी तीमारदारी कैसे करता जबकि तू रब्बुल आलामीन है? अल्लाह तआला फ़रमाएगा: क्या तू नहीं जानता कि मेरा फलां बंदा बीमार हुआ और तूने उसकी तीमारदारी नहीं की? क्या तू नहीं जानता कि अगर तू उसकी तीमारदारी करता तो मुझे उसके पास मौजूद पाता! ऐ आदम के बेटे मैंने तुझसे खाना माँगा था,

तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वह कहेगा: ऐ मेरे रब! मैं तुझको खाना कैसे खिलाता जबकि तू रब्बुल आलामीन है? अल्लाह तआला फरमाएगा: क्या तू नहीं जानता कि तुझसे मेरे फलां बन्दे ने खाना माँगा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया? क्या तू नहीं जानता कि अगर तू उसे खाना खिलाता तो उस खाने को मेरे पास मौजूद पाता! ऐ आदम के बेटे! मैंने तुझसे पानी माँगा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वह कहेगा: परवरदिगार! मैं तुझको कैसे पानी पिलाता जबकि तू तो रब्बुल आलामीन है? अल्लाह तआला फरमाएगा: तुझसे मेरे फलां बन्दे ने पानी माँगा था, तूने उसको पानी नहीं पिलाया था, क्या ऐसा नहीं है कि अगर तू उसको पानी पिला देता तो अपने उस अमल को मेरे पास मौजूद पाता! (34)

चुनाँचे याद रखो कि जो कुछ तुम किसी ज़रूरतमन्द को दे रहे हो वह दरहकीकत अल्लाह को दे रहे हो, जो गनी है, जिसने तुम्हें सब कुछ अता किया है। और तुम्हारे तर्ज़े अमल के बावजूद भी अगर वह तुमसे दरगुज़र कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि वह हलीम है, बुर्दवार है। अगर तुम अपने दिल से उतरी हुई शय अल्लाह के नाम पर देते हो, कोई बेकार और रद्दी चीज़ अल्लाह के नाम पर दे देते हो तो अल्लाह तआला की गैरत अगर उसी वक़्त जोश में आ जाये तो तुम्हें हर नेअमत से महरूम कर दे। वह चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन नहीं करता, इसलिये कि वह हलीम है।

आयत 264

“ऐ अहले ईमान! अपने सदक़ात को बातिल ना कर लो अहसान जतला कर और कोई अज़ीयत बख़्श बात कह कर”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ
بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

“उस शख्स की तरह जो अपना माल खर्च करता है लोगों को दिखाने के लिये”

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

अगरचे अपना माल खर्च कर रहा है, लोगों को सदक़ात दे रहा है, बड़े-बड़े खैराती इदारे क्रायम कर दिये हैं, लेकिन यह सब कुछ रियाकारी के लिये,

सरकार दरबार में रसाई के लिये, कुछ अपने टैक्स बचाने के लिये और कुछ अपनी नामवरी के लिये है। यह सारे काम जो होते हैं अल्लाह जानता है कि इनमें किसकी कियानियत है।

“और वह ईमान नहीं रखता अल्लाह और यौमे आखिरत पर।”

وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

जो कोई रियाकारी कर रहा है वह हकीकत में अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर ईमान नहीं रखता। रिया और ईमान एक-दूसरे की ज़िद हैं, जैसा कि यह हदीस हम मुतअद्दिद पढ़ चुके हैं:

مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ
“जिसने दिखावे के लिये नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिये रोज़ा रखा उसने शिर्क किया और जिसने दिखावे के लिये लोगों को सदक़ा व खैरात दिया उसने शिर्क किया। (35)

“तो उसकी मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर कुछ मिट्टी (जम गई) हो”

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

अगर किस चट्टान पर मिट्टी की थोड़ी सी तह जम गई हो और वहाँ आपने कुछ बीज डाल दिये हों तो हो सकता है कि वहाँ कोई फसल भी उग आये, लेकिन वह इन्तहाई नापायदार होगी।

“फिर उस पर ज़ोरदार बारिश पड़े तो वह उसको बिल्कुल साफ़ पत्थर छोड़ दे।”

فَأَصَابَهُ وَايْلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا

बारिश के एक ही ज़ोरदार छींटे में चट्टान के ऊपर जमी हुई मिट्टी की तह भी वह गई, आपकी मेहनत भी ज़ाया हो गई, आपका बीज भी अकारत (व्यर्थ) गया और आपकी फ़सल भी गई। बारिश से धुल कर वह चट्टान अन्दर से बिल्कुल साफ़ और चटियल निकल आई। यानि सब कुछ गया और कुछ हासिल ना हुआ। इसका मतलब यह है कि रियाकारी का यही अंजाम होता है कि हाथ से माल भी दिया और हासिल कुछ ना हुआ। अल्लाह के यहाँ किसी अज़ो सवाब का सवाल ही नहीं।

“उनकी कमाई में से कुछ भी उनके हाथ नहीं
आयेगा।”

لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟

ऐसे लोग अपने तै सदक़ा व ख़ैरात करके जो नेकी कमाते हैं उसमें से कुछ भी उनके हाथ नहीं आता।

“और अल्लाह तआला ऐसे काफ़िरों को
राहयाब नहीं करता।”

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

वह नाशुक्रों और मुन्करीने नेअमत को सीधी राह नहीं दिखाता और उन्हें बामुराद नहीं करता।

अगली आयत में फ़ौरी ताक़बुल (simultaneous contrast) के तौर पर उन लोगों के लिये भी मिसाल बयान की जा रही है जो वाक़िअतन अल्लाह तआला से अज़्रो सवाब की उम्मीद रखते हुए खुलूस व इख़्लास से खर्च करते हैं।

आयत 265

“और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं
अपने माल अल्लाह की रज़ाजोई के लिये”

وَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ

“और अपने दिलों को जमाये रखने के लिये”

وَتَغْيِيهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

“उस बाग़ की मानिंद है जो बुलंदी पर वाक़ेअ
हो”

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ

जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुदरती बाग़ का यही तसव्वुर होता था कि ज़रा ऊँचाई पर वाक़ेअ है, उसके दामन में कोई नदी बह रही है जिससे खुद-ब-खुद आब पाशी हो रही है और वह सेराब हो रहा है।

[क्रादयानियों ने इसी लफ़ज़ “ربوة” के नाम पर पाकिस्तान में अपना शहर बनाया।]

“अब अगर उस बाग़ के ऊपर ज़ोरदार बारिश
बरसे”

أَصَابَهَا وَايْلٌ

“तो दोगुना फ़ल लाये।”

فَأَتَتْ أَكْثَهَا ضِعْفَيْنِ

“और अगर ज़ोरदार बारिश ना भी बरसे तो
हल्की सी फ़ुहार (ही उसके लिये काफी हो
जाये)।”

فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَايْلٌ فَطَلٌّ

“और जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह
तआला उसको देख रहा है।”

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

लिहाज़ा तुम दरूँ बीनी (intro spection) करते रहा करो कि तुम जो यह माल खर्च कर रहे हो वाक़िअतन खुलूसे दिल और इख़्लासे नीयत के साथ अल्लाह ही के लिये कर रहे हो। कहीं गैर-शऊरी तौर पर तुम्हारा कोई और जज़्बा इसमें शामिल ना हो जाये। चुनाँचे अपने गिरेबानों में झाँकते रहो।

आयत 266

“क्या तुममें से कोई कोई यह पसंद करेगा कि
उसके पास खज़ूरों और अंगूरों का एक बाग़
हो, जिसके दामन में नदियाँ बहती हों”

أَيُّوُدًا أَحَدًا كُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن مَّجْمَلٍ
وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

अहले अरब के नज़दीक यह एक आईडियल बाग़ का नक्शा है, जिसमें खज़ूर के दरख़्त भी हो और अंगूरों की बेलें भी हो, फिर उसमें आबपाशी का कुदरती इंतेज़ाम हो।

“उसके लिये उस बाग़ में हर तरह के फ़ल हों”

لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ

“और उस पर बूढ़ापा तारी हो जाये जबकि उसकी औलाद भी नातवां (कमज़ोर) हो।”

وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ

“और ऐन उस वक़्त उस बाग़ पर एक ऐसा बगुला फिर जाये जिसमें आग हो और वह बाग़ झुलस कर रह जाये?”

فَأَصَابَهَا إِعْصَابٌ فُؤَيْبَةٌ تَأْوَى فَأَحْرَقَتْهَا

यानि एक इन्सान सारी उम्र यह समझता रहा कि मैंने तो नेकियों के अम्बार लगाये हैं, मैंने खैराती इदारे क़ायम किये, मैंने फाउंडेशन बनाई, मैंने मदरसा क़ायम किया, मैंने यतीमखाना बना दिया, लेकिन जब उसका नामाये आमाल पेश होगा तो अचानक उसे मालूम होगा कि यह तो कुछ भी ना था। “जब आँख खुली गुल की तो मौसम था खज़ा का!” बस बादे मौसम का एक बगुला आया और सब कुछ जला गया। इसलिये कि उसमें इख़लास था ही नहीं, नीयत में खोट था, उसमें रियाकारी थी, लोगों को दिखाना मक़सूद था। फिर उसका हाल वही होगा जिस तरह कि वह बूढ़ा अब कफ़े अफ़सोस (अफ़सोस में हाथ) मल रहा है जिसका बाग़ जल कर खाक हो गया और उसके कमसिन बच्चे अभी किसी लायक नहीं। वह खुद बूढ़ा हो चुका है और अब दोबारा बाग़ नहीं लगा सकता। उस शख्स की मोहलते उम्र भी ख़त्म हो चुकी होगी और सिवाय कफ़े अफ़सोस मलने के उसके पास कोई चारा ना होगा।

“इस तरह अल्लाह तआला अपनी आयात तुम्हारे लिये वाज़ेह करता है ताकि तुम गौर-ओ-फ़िक्र करो।”

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ

आयत 267

“ऐ ईमान वालो! अपने कमाये हुए पाकीज़ा माल में से खर्च करो।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ

مِمَّا كَسَبْتُمْ

अल्लाह के दीन के लिये खर्च करना है, अल्लाह के नाम पर देना है तो जो कुछ तुमने कमाया है उसमें से अच्छी चीज़, पाकीज़ा चीज़, बेहतर चीज़ निकालो।

“और उसमें से खर्च करो जो कुछ हमने

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

निकाला है तुम्हारे लिये ज़मीन से।”

ज़ाहिर बात है कि ज़मीन से जो भी नबातात बाहर आ रही हैं उनका पैदा करने वाला अल्लाह है। चाहे कोई चरागाह है तो उसके अन्दर जो हरियावल है वह अल्लाह ही ने पैदा की है। खेत के अन्दर आपने मेहनत की है, हल चलाया है, बीज डाले हैं, लेकिन फ़सल का उगाना तो आपके इख़्तियार में नहीं है, यह तो अल्लाह के हाथ में है। “पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन?” चुनाँचे फ़रमाया कि जो कुछ हमने तुम्हारे लिये ज़मीन से निकाला है उसमें से हमारी राह में खर्च करो!

“और उसमें से रद्दी माल का इरादा ना करो

وَلَا تَيَبَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

कि उसे खर्च कर दो!”

ऐसा ना हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिये रद्दी और नाकारा माल छाँटने की कोशिश करने लगो। मसलन भेड़-बकरियों का गल्ला है, उसमें से तुम्हें ज़कात के लिये भेड़ें और बकरियाँ निकालनी हैं तो ऐसा हरगिज़ ना हो कि जो कमज़ोर हैं, ज़रा लागर (दुर्बल) हैं, बीमार हैं, नुक़्स वाली हैं उन्हें निकाल कर गिनती पूरी कर दो। इसी तरह उश्र निकालना है तो ऐसा ना करो कि गन्दुम के जिस हिस्से पर बारिश पड़ गई थी वह निकाल दो। तयम्मूम के मायने क़सद (नीयत) और इरादा करने के हैं।

“और तुम हरगिज़ नहीं होगे उसको लेने वाले

وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ

(अगर वह शय तुमको दी जाये) इल्ला यह

कि चश्मपोशी कर जाओ।”

ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मोहताज हो जाओ और तुम्हें ज़रूरत पड़ जाये, फिर अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ देगा तो तुम कुबूल नहीं करोगे, इल्ला यह कि चश्मपोशी (अनदेखा) करने पर मजबूर हो जाओ। एहतियाज उस दर्जे

की हो कि नफ़ीस या खबीस जो शय भी मिल जाये चश्मपोशी करते हुए उसे कुबूल कर लो। वरना आदमी अपने तय्बे खातिर के साथ रद्दी शय कुबूल नहीं कर सकता।

“और खूब जान रखो कि अल्लाह तआला गनी है और हमीद है।”

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

यहाँ “गनी” का लफ़्ज़ दोबारा आया है। यह ना समझो कि तुम किसी मोहताज और ज़रूरतमन्द को दे रहे हो, बल्कि यूँ समझो कि अल्लाह को दे रहे हो, जो गनी है, सबकी ज़रूरतें पूरी करने वाला है और हमीद है, यानि अपनी ज़ात में खुद महमूद है। एक तो किसी शय की अच्छाई या हुस्न या कमाल ऐसा होता है कि जिसे ज़ाहिर किया जाये कि भई देखो इसमें यह खूबसूरती है। और एक वह खूबसूरती होती है जो अज़ खुद ज़ाहिर हो। “हाजते मुशाता नीस्त रूए दिल आराम रा!” तो अल्लाह तआला इतना सतूदाह सिफ़ात (तारीफ़ के काबिल) है कि वह अपनी ज़ात में अज़ खुद महमूद है, उसे किसी हम्द की हाजत नहीं है।

आयत 268

“शैतान तुम्हें फ़क्र का अन्देशा दिलाता है और बेहयाई के कामों की तरगीब देता है।”

الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

“और अल्लाह वादा कर रहा है तुमसे अपनी तरफ़ से मग़फ़िरत का और फ़ज़ल का।”

وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا

अब देख लो तुम्हें कौनसा तर्ज़े अमल इख़्तियार करना है:

रुख-ए-रोशन के आगे शमा रख कर वह यह कहते हैं
उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है!

शैतान तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकता है कि इस तरह तुम्हारा माल कम हो जायेगा और तुम फ़क्रो फ़ाक्रा में मुब्तला हो जाओगे। अब अगर वाक़ई तुम यह खौफ़ रखते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर फ़क्र आ जाये,

लिहाज़ा मुझे अपना माल सम्भाल-सम्भाल कर, सेंट-सेंट कर रखना चाहिये तो तुम शैतान के जाल में फँस चुके हो, तुम उसकी पैरवी कर रहे हो। और अगर तुमने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया अल्लाह पर ऐतमाद करते हुए कि वह मेरी सारी हाजतें आज भी पूरी कर रहा है, कल भी पूरी करेगा (इन्शा अल्लाह) तो अल्लाह की तरफ़ से मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा पूरा होकर रहेगा।

“और अल्लाह बहुत वुसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है।”

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

तुम उसके खज़ानों की महदूदियत का कोई तसव्वुर अपने ज़हन में ना रखो।

आयत 269

“वह जिसको चाहता है हिकमत अता करता है।”

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ

ये हिकमत की बातें हैं, जिनका समझना हर किस व नाकिस के लिये मुमकिन नहीं। एक चीज़ों का ज़ाहिर है और एक बातिन है, जो हिकमत से नज़र आता है। ज़ाहिर तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन किसी शय की हक़ीक़त क्या है, यह बहुत कम लोगों को मालूम है:

ऐ अहले नज़र! ज़ोके नज़र खूब है लेकिन

जो शय की हक़ीक़त को ना देखे वह नज़र क्या?

जिस किसी पर यह हक़ीक़त अयाँ (उजागर) हो जाती है वह हकीम है। और हिकमत असल में इन्सान की अक़्ल और शऊर की पुख्तगी का नाम है। इस्तेहक़ाम इसी “हिकमत” से ही बना है। अल्लाह तआला अक़्ल व फ़हम और शऊर की यह पुख्तगी और हक़ाइक़ तक पहुँच जाने की सलाहियत जिसको चाहता है अता फ़रमाता है।

“और जिसे हिकमत दे दी गयी उसे तो खैरे कसीर अता हो गया।”

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

इससे बड़ा खैर का खज़ाना तो और कोई है ही नहीं।

“और नहीं नसीहत हासिल कर सकते मगर
वही लोग जो होशमंद हैं।”

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

इन बातों से सिर्फ़ वही लोग सबक लेते हैं जो ऊलुल अल्बाब हैं, अक्लमंद हैं। लेकिन जो दुनिया पर रीझ गये हैं, जिनका सारा दिली इत्मिनान अपने माल व ज़र, जायदाद, असासाजात (संपत्ति) और बैंक बैलेंस पर है तो ज़ाहिर बात है कि वह ऊलुल अल्बाब (अक्लमंद) नहीं हैं।

आयत 270

“और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो (सदका व खैरात देते हो) या जो भी तुम (अल्लाह के नाम पर) मन्नत मानते हो, तो यक्रीनन अल्लाह तआला उस सबको जानता है।”

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

“और (याद रखो कि) ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा।”

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

आयत 271

“अगर तुम सदकात को ऐलानिया दो तो यह भी अच्छा है।”

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعْبَأْ بِهَا

ख़ासतौर पर ज़कात का मामला तो ऐलानिया ही है। तो अगर तुम अपने सदकात ज़ाहिर करके दो तो यह भी ठीक है। इसलिये कि कम से कम फुकरा का हक़ तो अदा हो गया, किसी की ज़रूरत को पूरी हो गई।

“और अगर तुम उन्हें छुपाओ और चुपके से ज़रूरतमंदों को दे दो तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है।”

وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ

याद रहे कि यह बात सदकाते नाफ़िला के लिये है। लेकिन जो सदकाते वाजिबा हैं, जो लाज़िमन देने हैं, ज़कात और उश्र, उनके लिये अख़फ़ा नहीं है। यह दीन की हिकमत है, इसको ज़हन में रखिये कि फ़र्ज़ इबादात ऐलानिया अदा की जायेंगी। यह वस्वसा भी शैतान बहुत सों के दिलों में डाल देता है कि क्या पाँच वक़्त मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने से लोगों पर अपने तक़वे का रौब डालना चाहते हो? घर में पढ़ लिया करो! या दाढ़ी इसलिये रखोगे कि लोग तुम्हें समझें कि बड़ा मुत्तक़ी है? ऐसे वसावसे शैतानी को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिये और जो चीज़ फ़र्ज़ व वाजिब है, वह अलल ऐलान करनी चाहिये, उसके इज़हार में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिये। हाँ जो नफ़ली इबादात हैं, सदकाते नाफ़िला हैं या नफ़ल नमाज़ है उसे छुपा कर करना चाहिये। नफ़ल इबादात का इज़हार बहुत बड़ा फ़ितना है। लिहाज़ा फ़रमाया कि अगर तुम अपने सदकात छुपा कर चुपके से ज़रूरतमंदों को दे दो तो वह तुम्हारे लिये बहुत बेहतर है।

“और अल्लाह तआला तुमसे तुम्हारी बुराईयों को दूर कर देगा।”

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ

“और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तआला उससे बाख़बर है।”

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

आयत 272

“(ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم!) आपके ज़िम्मे नहीं है कि उनको हिदायत दे दें”

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ

उनको हिदायत देने की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं है, आप صلی اللہ علیہ وسلم पर ज़िम्मेदारी तब्लीग़ की है। हमने आपको बशीर और नज़ीर बना कर भेजा है।

“बल्कि अल्लाह तआला ही हिदायत देता है जिसको चाहता है।”

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

“और जो भी माल तुम खर्च करोगे वह तुम्हारे अपने लिये बेहतर है।”

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ

उसका अज्रो सवाब बढ़ा-चढ़ा कर तुम्ही को दिया जायेगा, सात सौ गुना, चौदह सौ गुना या उससे भी ज़्यादा।

“और तुम नहीं खर्च करोगे मगर अल्लाह की रज़ाजोई के लिये।”

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ

तभी तुम्हें इस क़दर अज़्र मिलेगा। अगर रियाकाराना खर्च किया था तो अज़्र का क्या सवाल? वह तो शिर्क बन जायेगा।

“और जो भी माल तुम खर्च करोगे वह पूरा-पूरा तुम्हें लौटा दिया जायेगा और तुम पर कोई ज़ुल्म नहीं होगा।”

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَاقُ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

तुम्हारी ज़रा भी हक़ तल्फी नहीं की जायेगी।

अब वाज़ेह किया जा रहा है कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का सबसे बड़ कर हक़दार कौन है।

आयत 273

“यह उन ज़रूरतमंदों के लिये है जो घिर कर रह गये हैं अल्लाह की राह में”

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْضِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

जैसे रसूल अल्लाह ﷺ के दौर में असहाबे सुफ़्फ़ा थे कि मस्जिदे नबवी ﷺ में आकर बैठे हुए हैं और अपना वक़्त तलाशे मआश में सर्फ़ नहीं कर रहे, आँहुज़ूर ﷺ से इल्म सीख रहे हैं और जहाँ-जहाँ से मुतालबा आ रहा है कि

मुअल्लिमीन और मुबल्लिगीन की ज़रूरत है वहाँ उनको भेजा जा रहा है। अगर वह मआश की जद्दो-जहद करते तो यह तालीम कैसे हासिल करते? इसी तरह दीन की किसी ख़िदमत के लिये कुछ लोग अपने आप को बक़फ़ कर देते हैं तो वह उसका मिस्दाक़ होंगे। आपने दीन की दावतो तब्लीग़ और नशरो इशाअत के लिये कोई तहरीक उठायी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमावक़ती कारकुन (हर वक़्त तैयार रहने वाले कार्यकर्ता) दरकार होंगे। उन कारकुनों की मआश का मसला होगा। वह आठ-आठ घंटे दफ़्तरों में जाकर काम करें और वहाँ अफ़सरो की डॉट-डपट भी सुनें, आने-जाने में भी दो-दो घंटे लगायें तो अब वह दीन के काम के लिये कौनसा वक़्त निकालेंगे और क्या काम करेंगे? लिहाज़ा कुछ लोग तो होने चाहिये जो इस काम में हमावक़त लग जायें। लेकिन पेट तो उनके साथ भी है, औलाद तो उनकी भी होगी।

“वह (अपने कसब मआश के लिये) ज़मीन में दौड़-धूप नहीं कर सकते।”

لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ

ज़मीन के अन्दर घूम-फिर कर तिजारत करने का उनके पास वक़्त ही नहीं है।

“नावाक़िफ़ आदमी उनको खुशहाल ख्याल करता है उनकी खुदारी के सबबा”

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

यह इस तरह के फ़क़ीर तो हैं नहीं जो लिपट कर माँगते हों। उनकी खुदारी की वजह से आम तौर पर जो नावाक़िफ़ शख्स है वह समझता है कि यह ग़नी हैं, खुशहाल हैं, इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं, इन्होंने कभी माँगा ही नहीं। लेकिन इसकी वजह यह है कि वह इस तरह के सवाली नहीं हैं, वह फ़क़ीर नहीं हैं, उन्होंने तो अल्लाह तआला के दीन के लिये अपने आप को लगा दिया है। यह तुम्हारा काम है कि उन्हें तलाश करो और उनकी ज़रूरियात पूरी करो।

“तुम पहचान लोगे उन्हें उनके चेहरों से।”

تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ

ज़ाहिर बात है कि फ़क़र व अहतियाज का असर चेहरे पर तो आ जाता है। अगर किसी को सही गिज़ा नहीं मिल रही है तो चेहरे पर उसका असर ज़ाहिर होगा।

“वह लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते।”

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْثَارًا

वह उन साइलों की तरह नहीं हैं जो असल में अपनी मेहनत का सिला वसूल करते हैं कि आपके सर होकर आपसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ निकलवा लेते हैं। यह बड़ा अहम मसला है कि अक्रामते दीन की जद्दो-जहद में जो लोग हमावक़्त लग जायें, आखिर उनके लिये ज़रिया-ए-मआश क्या हो? इस वक़्त इस पर तफ़सील से गुफ्तगू मुमकिन नहीं। बहरहाल यह समझ लीजिये कि ये दो रकूअ इन्फ़ाक़ के मौज़ू पर कुरान हकीम का नुक़ता-ए-उरूज हैं और यह आखरी आयत इनमें अहमतरिन है।

“और जो माल भी तुम खर्च करोगे तो
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
अल्लाह तआला उसको खूब जानता है।”

यह ना समझना कि तुम्हारा इन्फ़ाक़ अल्लाह के इल्म में नहीं है। तुम ख़ामोशी के साथ, इख़फ़ा के साथ लोगों के साथ तआवुन करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हें इसका भरपूर बदला देगा।

आयात 274 से 281 तक

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِدًا مِّنْ رَبِّهِ فَآتِهِ فَمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
﴿٢٧٧﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِنْ

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَيُنظَرْ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

अब हम इस सूरह मुबारका का जो रकूअ पढ़ रहे हैं यह आज के हालात में अहमतरिन है। यह रकूअ सूद की हुरमत और शनाअत (बुराई) पर कुरान हकीम का इन्तहाई अहम मक़ाम है। इस दौर में अल्लाह तआला के खिलाफ़ बशावत की सबसे बड़ी सूरत तो गैरुल्लाह की हाकिमियत का तसव्वुर है, जो सबसे बड़ा शिर्क है। अगरचे नफिसयाती और दाखिली ऐतबार से सबसे बड़ा शिर्क माद्दे पर तवक्कुल है, लेकिन खारजी और वाक़ियाती दुनिया में इस वक़्त सबसे बड़ा शिर्क गैरुल्लाह की हाकिमियत है, जो अब “अवामी हाकिमियत” की शक़ल इख़्तियार कर गई है। इसके बाद इस वक़्त के गुनाहों और बदअम्ली में सबसे बड़ा फ़ितना और फ़साद सूद की बुनियाद पर है। इस वक़्त दुनिया में सबसे बड़ी शैतानियत जो यहूदियों के ज़रिये से पूरे कुर्रा-ए-अर्जी को अपनी गिरफ्त में लेने के लिये बेताब है, वह यही सूद का हथकंडा है। यहाँ इसकी हुरमत दो टूक अन्दाज़ में बयान कर दी गई। इस मक़ाम पर मेरे ज़हन में कभी-कभी एक सवाल पैदा होता था कि इस रकूअ की पहली आयत का ताल्लुक तो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह से है, लिहाज़ा इसे पिछले रकूअ के साथ शामिल होना चाहिये था, लेकिन बाद में ये हकीक़त मुझ पर मुन्कशिफ़ हुई कि इस आयत को बड़ी हिकमत के साथ इस रकूअ के साथ शामिल किया गया है। वह हिकमत मैं बाद में बयान करूंगा।

आयत 274

“जो लोग अपना माल खर्च करते रहते हैं रात
को भी और दिन में भी”
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

“खुफ़िया तौर पर भी और ऐलानिया भी”

سِرًا وَعَلَانِيَةً

सदक़ाते वाजिबा ऐलानिया और सदक़ाते नाफ़िला खुफ़िया तौर पर देते हैं।

“उनके लिये उनका अज़्र (महफ़ूज़) है उनके रब के पास, ना तो उन पर कोई ख़ौफ़ तारी होगा और ना ही वह किसी हुज़्म से दो-चार होंगे।”

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢١٩﴾

इसके बरअक्स मामला उनका है जो सूद खाते हैं। वजह क्या है? असल मसला है “क्रद्रे ज़ायद” (surplus value) का! आपका कोई शुगल है, कोई कारोबार है या मुलाज़मत है, आप कमा रहे हैं, उससे आपका खर्च पूरा हो रहा है, कुछ बचत भी हो रही है। अब इस बचत का असल मसरफ़ (उपयोग) क्या है? आयत 219 में हम पढ़ आये हैं: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ} “लोग आपसे दरयाफ्त करते हैं कि (अल्लाह की राह में) कितना खर्च करें? कह दीजिये जो भी ज़ायद अज़्र ज़रूरत हो!” चुनाँचे असल रास्ता तो यह है कि अपनी बचत को अल्लाह की राह में खर्च कर दो। या मोहताजों को दे दो या अल्लाह की के दीन की नशरो इशाअत और सरबुलंदी में लगा दो। लेकिन सूदखोराना ज़हनियत यह है कि इस बचत को भी मज़ीद कमाई का ज़रिया बनाओ। लिहाज़ा असल में सूदखोरी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की ज़िद है। यह उक्रद (गिरह) मुझ पर उस वक़्त खुला जब मैंने “الْفُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا” के उसूल के तहत सूरतुल रूम की आयत 39 का मुताअला किया। वहाँ भी इन दोनों को एक-दूसरे के मुक़ाबले में लाया गया है, अल्लाह की रज़ाजोई के लिये इन्फ़ाक़ और उसके मुक़ाबले में रिबा, यानि सूद पर रक़म देना। फ़रमाया: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيُرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ} “और जो माल तुम देते हो सूद पर ताकि लोगों के अमवाल में (शामिल होकर) बढ़ जाये तो वह अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता।” मेहनत कोई कर रहा है और आप उसकी कमाई में से अपने सरमाये की वजह से वसूल कर रहे हैं तो आपका माल उसके माल में शामिल होकर उसकी मेहनत से बढ़ रहा है। लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी बढ़ोतरी नहीं होती। {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ} “और वह जो तुम ज़कात (और सदक़ात) में दे देते

हो महज़ अल्लाह की रज़ा जोई के लिये तो यही लोग (अपने माल अल्लाह के यहाँ) बढ़ा रहे हैं।” उनका माल मुसलसल बढ़ रहा है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। चुनाँचे इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और सदक़ात व ज़कात वगैरह का मामला सूद के बिल्मुक़ाबिल और उसके बरअक्स है। अपने इस बचत के माल को या तो कोई अल्लाह की राह में खर्च करेगा या फिर सूदी मुनाफ़ा हासिल करने का ज़रिया बनायेगा। और आपको मालूम है कि आज के बैंकिंग के निज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़ोर बचत (saving) पर दिया जाता है और उसके लिये सेविंग एकाउंट्स और बहुत सी पुरकशिश मुनाफ़ाबख़्श स्कीमें मुतारुफ़ कराई जाती हैं। उनकी तरफ़ से यही तरगीब दी जाती है कि बचत करो मज़ीद कमाने के लिये! बचत इसलिये नहीं कि अपना पेट काटो और गुरबा की ज़रूरियात पूरी करो, अपना मैयारे ज़िन्दगी कम करो और अल्लाह के दीन के लिये खर्च करो। नहीं, बल्कि इसलिये कि जो कुछ तुम बचाओ वह हमें दो, ताकि वह हम ज़्यादा शरह सूद पर दूसरों को दें और थोड़ी शरह सूद तुम्हें दे दें। चुनाँचे इन्फ़ाक़ और सूद एक-दूसरे की ज़िद हैं। फ़रमाया:

आयत 275

“जो लोग सूद खाते हैं।”

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا

“वह नहीं खड़े होते मगर उस शख्स की तरह जिसको शैतान ने छूकर मख़बूतुल हवास बना दिया हो।”

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَظُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمِ ۗ

यहाँ आम तौर पर यह समझा गया है कि यह क्रयामत के दिन का नक़शा है। क्रयामत के दिन का यह नक़शा तो होगा ही, इस दुनिया में भी सूदखोरों का हाल यही होता है, और उनका यह नक़शा किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बखूबी देखा जा सकता है। मालूम होगा गोया दीवाने हैं, पागल हैं, जो चीख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। वह नॉर्मल इन्सान नज़र नहीं आते, मख़बूतुल हवास लोग नज़र आते हैं जिन पर गोया असीब का साया हो।

“इस वजह से कि वह कहते हैं बैय (खरीदो डिक़ बाँहूँ क़ालु अँम़ा अलबैय़ मँशु अररुबा फ़रुख़्त) भी तो सूद ही की तरह है।”

कोई शख्स कह सकता है कि मैंने सौ रूपये का माल खरीदा, 110 रूपये में बेच दिया, 10 रूपये बच गये, यह रबह (मुनाफ़ा) है, जो जायज़ है, लेकिन अगर सौ रूपये किसी को दिये और 110 वापस लिये तो यह रिबा (सूद) है, यह हराम क्यों हो गया? एक शख्स ने 10 लाख का मकान बनाया, 4 हज़ार रूपये महाना किराये पर दे दिया तो जायज़ हो गया, और 10 लाख रूपये किसी को क़र्ज़ दिये और उससे 4 हज़ार रूपये महीना लेना शुरू किये तो यह सूद हो गया, हराम हो गया, ऐसा क्यों है? अक़ली तौर पर इस तरह की बातें सूद के हामियों की तरफ़ से कही जाती हैं। (रबह और रिबा का फ़र्क़ सूरतुल बक्ररह की आयत 26 के ज़िमन में बयान हो चुका है।) इस ज़ाहिरी मुनासबत की वजह से यह मख़बूतुल हवास सूदखोर लोग इन दोनों के अन्दर कोई फ़र्क़ महसूस नहीं करते। यहाँ अल्लाह तआला ने इनके क़ौल का अक़ली जवाब नहीं दिया, बल्कि फ़रमाया:

“हालाँकि अल्लाह ने बैय को हलाल करार दिया है और रिबा को हराम ठहराया है।”

अब तुम यह बात करो कि अल्लाह को मानते हो या नहीं? रसूल अल्लाह ﷺ को मानते हो या नहीं? कुरान को मानते हो या नहीं? या महज़ अपनी अक़ल को मानते हो? अगर तुम मुस्लिमान हो, मोमिन हो तो अल्लाह तआला और उसके रसूल ﷺ के हुक़म पर सरे तस्लीम ख़म करो (सूरतुल हश्श:7): { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } “जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिस चीज़ से रोक दें उससे रुक जाओ।” यह तो शरीअत का मामला है। वैसे मआशियात के ऐतबार से इसमें यह फ़र्क़ वाक़ेअ होता है कि एक है fluid capital और एक है fixed capital. जहाँ तक मकान का मामला है तो वह fixed capital है। दस लाख रूपये के मकान में जो शख्स रह रहा है वह उससे क्या फ़ायदा उठायेगा? वह उसमें रिहाइश इख़्तियार करेगा और उसके एवज़ महाना किराया अदा करेगा। इसके बरअक्स अगर आपने दस लाख रूपये किसी को नक़द दे दिये तो वह उन्हें किसी काम में लगायेगा। इसमें यह भी इम्कान है

कि दस लाख के बारह लाख या पन्द्रह लाख बन जायें और यह भी कि आठ लाख रह जायें। चुनाँचे इस सूरत में अगर आपने पहले से तयशुदा (fix) मुनाफ़ा वसूल किया तो यह हराम हो जायेगा। तो इन दोनों में कोई मुनासबत नहीं है। लेकिन अल्लाह तआला ने अक़ली जवाब नहीं दिया। जवाब दिया कि “अल्लाह ने बैय को हलाल ठहराया है और रिबा को हराम।”

“तो जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ़ से यह नसीहत पहुँच गयी और वह बाज़ आ गया तो जो कुछ वह पहले ले चुका है वह उसका है।”

वह उससे वापस नहीं लिया जायेगा। हिसाब-किताब नहीं किया जायेगा कि तुम इतना सूद खा चुके हो, वापस करो। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि उस पर इसका कोई गुनाह नहीं होगा।

“उसका मामला अल्लाह के हवाले है।”

अल्लाह तआला चाहेगा तो माफ़ कर देगा और चाहेगा तो पिछले सूद पर भी सरज़निश (डॉट-फटकार) होगी।

“और जिसने (इस नसीहत के आ जाने के बाद भी) दोबारा यह हरकत की तो यह लोग जहन्नमी हैं, वह उसमें हमेशा-हमेश रहेंगे।”

आयत 276

“अल्लाह तआला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है।”

हमारे ज़माने में शेख़ महमूद अहमद (मरहूम) ने अपनी किताब “Man & Money” में साबित किया है कि तीन चीज़ें सूद के साथ-साथ बढ़ती चली जाती

हैं। जितना सूद बढ़ेगा उसी क्रम में बेरोज़गारी बढ़ेगी, इफ़राते ज़र (inflation) में इज़ाफ़ा होगा और उसके नतीजे में शरह सूद (interest rate) बढ़ेगा। शरह सूद के बढ़ने से बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी और इफ़राते ज़र में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। यह एक दायरा-ए-ख़बीसा (vicious circle) है और इसके नतीजे में किसी मुल्क की मइशत बिल्कुल तबाह हो जाती है। यह तबाही एक वक़्त तक पोशीदा रहती है, लेकिन फिर एकदम इसका ज़हूर बड़े-बड़े बैंकों के दिवालिया होने की सूरत में होता है। अभी जो कोरिया का हथ्र हो रहा है वह आपके सामने है। इससे पहले रूस का जो हथ्र हो चुका है वह पूरी दुनिया के लिये बाइस-ए-इबरत है। सूदी मइशत का मामला तो गोया शीश महल की तरह है, इसमें तो एक पत्थर आकर लगेगा और इसके टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। इसके बरअक्स मामला सदक़ात का है। उनको अल्लाह तआला पालता है, बढ़ाता है, जैसा कि सूरतुल रूम की आयत 39 में इरशाद हुआ।

“और अल्लाह किसी नाशुके और गुनाहगार को पसंद नहीं करता।”

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفّٰرٍ اَثِيْمٍ

अल्लाह तआला को वह सब लोग हरगिज़ पसंद नहीं हैं जो नाशुके और गुनाहगार हैं।

आयत 277

“हाँ जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक अमल किये और नमाज़ क़ायम करते रहे और ज़कात अदा करते रहे उनके लिये उनका अज़्र उनके रब के पास महफ़ूज़ है।”

اِنَّ الدّٰىنِ اَمْنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَاَقَامُوا الصّٰلٰوةَ وَاَتَوْا الزّٰكٰوةَ لَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

नेक अमल में ज़ाहिर बात है जो शय हुराम है उसका छोड़ देना भी लाज़िम है।

“और ना उन्हें कोई ख़ौफ़ लाहक़ होगा और ना ही वह ग़मगीन होंगे।”

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

आयत 278

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह का तक्रवा इख़्तियार करो और सूद में से जो बाक़ी रह गया है उसे छोड़ दो”

يٰۤاَيُّهَا الدّٰىنِ اَمْنُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَيْنَ
وَمِنَ الرَّبِّوَا

आज फैसला कर लो कि जो कुछ भी तुमने किसी को क़र्ज़ दिया था अब उसका सूद छोड़ देना है।

“अगर तुम वाक़ई मोमिन हो।”

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

आयत 279

“फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो ख़बरदार हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से तुम्हारे खिलाफ़ ऐलाने जंग है।”

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاَدْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ

सूदखोरी से बाज़ ना आने पर यह अल्टीमेटम है। कुरान व हदीस में किसी और गुनाह पर यह बात नहीं आयी है। यह वाहिद गुनाह है जिस पर अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की तरफ़ से ऐलाने जंग है।

“और अगर तुम तौबा कर लो तो फिर असल अमवाल तुम्हारे ही हैं।”

وَ اِنْ تَبَيَّنْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ

तुम्हारे जो असल रासुल माल हैं वह तुम्हें लौटा दिये जाएँगे। चुनाँचे सूद छोड़ दो और अपने रासुल माल वापस ले लो।

“ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाये।”

لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ

ना तुम किसी पर जुल्म करो कि उससे सूद वसूल करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाये कि तुम्हारा रासुल माल भी दबा दिया जाये।

आयत 280

“और अगर मकरूज़ तंगदस्त हो तो फराखी
 وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرٌ فَنظَرٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
 हासिल होने तक उसे मोहलत दो।”

उसे मोहलत दो कि उसके यहाँ कुशादगी पैदा हो जाये ताकि वह आसानी से आपका कर्ज़ आपको वापस कर सके।

“और अगर तुम सदक़ा ही कर दो तो यह
 وَأَنْ تَصَدَّقُوا أَخَيْرُكُمْ
 तुम्हारे लिये बेहतर है”

तुम्हारा भाई गरीब था, उसको तुमने कर्ज़ दिया था, उस पर कुछ सूद लेकर खा भी चुके हो, बाकी सूद को तो छोड़ा ही है, अगर अपना रासुल माल भी उसको बख़्श दो तो यह इन्फ़ाक़ हो जायेगा, यह अल्लाह को कर्ज़े हस्त हो जायेगा और तुम्हारे लिये ज़खीरा-ए-आख़िरत बन जायेगा। यह बात समझ लीजिये कि आपकी जो बचत है, जिसे मैंने क़द्रे ज़ायद (surplus value) कहा था, इस्लामी मइशत के अन्दर उसका सबसे ऊँचा मसरफ़ इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो, सदक़ा कर दो। इससे कमतर “कर्ज़े हस्त” है। आपके किसी भाई का कारोबार रुक गया है, उसको कर्ज़ दे दो, उसका कारोबार चल पड़ेगा और फिर वह तुम्हें तुम्हारी असल रक़म वापस कर देगा। यह कर्ज़े हस्त है, इसका दर्जा इन्फ़ाक़ से कमतर है। तीसरा दर्जा मज़ारबत का है, जो जायज़ तो है मगर पसन्दीदा नहीं है। अगर तुम ज़्यादा ही खसीस (कंजूस) हो तो चलो अपना सरमाया अपने किसी भाई को मज़ारबत पर दे दो। और मज़ारबत यह है कि रक़म तुम्हारी होगी और काम वह करेगा। अगर बचत हो जाये तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा, लेकिन अगर नुक़सान हो जाये तो वह कुल का कुल तुम्हारा होगा, तुम उससे कोई तावान नहीं ले सकते। इसके बाद इन तीन दर्जों से भी नीचे उतर कर अगर तुम कहो कि मैं यह रक़म तुम्हें दे रहा हूँ, इस पर इतने फ़ीसद मुनाफ़ा तो तुमने बहरहाल देना ही देना है, तो इससे बढ कर हराम शय कोई नहीं है।

इस आयत में हिदायत की जा रही है कि अगर तुम्हारा मकरूज़ तंगी में है तो फिर इन्तेज़ार करो, उसे उसकी कशाइश और फ़राखी तक मोहलत दे दो। और अगर तुम सदक़ा ही कर दो, ख़ैरात कर दो, बख़्श दो तो वह तुम्हारे लिये बेहतर होगा।

“अगर तुम जानते हो”

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

अगर तुम्हें अल्लाह ने हिकमत अता कर दी है, अगर तुम ऊलुल अल्बाब हो, अगर तुम समझदार हो तो तुम उस बचत के उम्मीदवार बनो जो अल्लाह के यहाँ अज़्रो सवाब की सूरत में तुम्हें मिलेगी। उसके मुक़ाबले में उस रक़म की कोई हैसियत नहीं जो तुम्हें मकरूज़ से वापस मिलनी है।

अगली आयत नुज़ूल के ऐतबार से कुरान मजीद की आख़री आयत है।

आयत 281

“और डरो उस दिन से कि जिस दिन तुम
 लौटा दिये जाओगे अल्लाह की तरफ़।”

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ

यहाँ वह आयत याद कीजिये जो सूरतुल बकरह में अल्फ़ाज़ के मामूली फ़र्क़ के साथ दो बार आ चुकी है:

“और डरो उस दिन से कि जिस दिन काम ना
 आ सकेगी कोई जान किसी दूसरी जान के
 कुछ भी और ना किसी से कोई सिफ़ारिश
 कुबूल की जायेगी और ना किसी से कोई
 फ़िदया वसूल किया जायेगा और ना उन्हें
 कोई मदद मिल सकेगी।”

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
 شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
 مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٨١﴾

और

“और डरो उस दिन से कि जिस दिन काम ना आ सकेगी कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी और ना किसी से कोई फिदया क़बूल किया जायेगा और ना किसी को कोई सिफ़ारिश फ़ायदा पहुँचा सकेगी और ना उन्हें कोई मदद मिल सकेगी।”

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

“फिर हर जान को पूरा-पूरा दे दिया जायेगा जो कमाई उसने की होगी।”

ثُمَّ نُوْفِي كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

“और उन पर कुछ जुल्म ना होगा।”

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

आयात 282, 283

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ

فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الَذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

आयत 282, जो ज़ेरे मुताअला है, कुरान हकीम की तवील-तरीन आयत है और इसे “आयते दैन” या “आयते मुदायना” का नाम दिया गया है। इस आयत में हिदायत की गई है कि कोई कर्ज़ का बाहम लेन-देन हो या आपस में कारोबारी मामला हो तो उसे बाक़ायदा तौर पर लिख लिया जाये और उस पर दो गवाह मुकर्रर किये जायें। हमारे यहाँ आम तौर पर इस कुरानी हिदायत को नज़र अंदाज़ किया जाता है और किसी भाई, दोस्त या अज़ीज़ को कर्ज़ देते हुए या कोई कारोबारी मामला करते हुए यह ख्याल किया जाता है कि इससे क्या लिखवाना, वह कहेगा कि इन्हें मुझ पर ऐतमाद नहीं है। चुनाँचे तमाम मामलात ज़बानी तय कर लिये जाते हैं, और बाद में जब मामलात में बिगाड़ पैदा होता है तो फिर लोग शिकवा-शिकायत और चीखो पुकार करते हैं। अगर शुरू ही में कुरानी हिदायत के मुताबिक़ माली मामलात को तहरीर कर लिया जाये तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचेगी। हदीसे नबवी ﷺ का मफ़हम है कि जो शख्स कर्ज़ देते हुए या कोई माली मामला करते हुए लिखवाता नहीं है, अगर उसका माल ज़ायया हो जाता है तो उसे इस पर कोई अज़्र नहीं मिलता, और अगर वह मकरूज़ के हक़ में बददुआ करता है तो अल्लाह तआला उसकी फ़रियाद नहीं सुनता, क्योंकि उसने अल्लाह तआला के वाज़ेह हुक़म की ख़िलाफ़वर्ज़ी की है।

आयत 282

“ऐ अहले ईमान! जब भी तुम कर्ज़ का कोई मामला करो एक वक़ते मुअय्यन तक के लिये तो उसको लिख लिया करो।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

आयत के इस टुकड़े से दो हुक्म मालूम होते हैं। एक यह कि क़र्ज़ का वक़्त मुअय्यन होना चाहिये कि यह कब वापस होगा और दूसरे यह कि उसे लिख लिया जाये। فَالْكُتُبُ: फ़अल अम्र है और अम्र वजूब (ज़रूरी) के लिये होता है।

“और चाहिये कि उसको लिखे कोई लिखने वाला तुम्हारे मावैन अद्ल के साथ।”

وَأَيُّكُمْ بِبَيْتِكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ

लिखने वाला कोई डंडी ना मार जाये, उसे चाहिये कि वह सही-सही लिखे।

“और जो लिखना जानता हो वह लिखने से इन्कार ना करे, जिस तरह अल्लाह ने उसको सिखाया है, पस चाहिये कि वह लिख दे।”

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ

यह हिदायत ताकीद के साथ की गयी, इसलिये कि उस मआशरे में पढ़े-लिखे लोग बहुत कम होते थे। अब भी माली मामलात और मुआहिदात बिलउमूम व वसीक़ा नोएस तहरीर करते हैं।

“और इमला वह शख्स कराये जिस पर हक़ आता है”

وَأَيُّكُمْ عَلَى الْحَقِّ

यानि जिसने क़र्ज़ लिया है वह दस्तावेज़ लिखवाये कि मैं क्या ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, जिसका माल है वह ना लिखवाये।

“और वह अल्लाह से डरता रहे अपने रब से”

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“और (लिखवाते हुए) उसमें से कोई शय कम ना कर दे।”

وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا

“फिर अगर वह शख्स जिस पर हक़ आयद होता है, नासमझ या ज़ईफ़ हो”

فَإِنْ كَانَ الذَّيُّ عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا

“या उसके अन्दर इतनी सलाहियत ना हो कि इमला करवा सके”

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلَلَ هُوَ

“तो जो उसका वली हो वह इन्साफ़ के साथ लिखवा दे।”

فَأَيُّمِلُّ وَيُؤَيِّدُ بِالْعَدْلِ

अगर क़र्ज़ लेने वाला नासमझ हो, ज़ईफ़ हो या दस्तावेज़ ना लिखवा सकता हो तो उसका कोई वली, कोई वकील या मुख्तार (attorney) उसकी तरफ़ से इन्साफ़ के साथ दस्तावेज़ तहरीर कराये। यहाँ “इमलाल” इमला के मायने में आया है।

“और इस पर गवाह बना लिया करो अपने मर्दों में से दो आदमियों को।”

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

“फिर अगर दो मर्द दस्तयाब ना हों तो एक मर्द और दो औरतें हों”

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَارِجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ

“यह गवाह तुम्हारे पसन्दीदा लोगों में से हो”

مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

जिनकी गवाही हर दो फ़रीक़ के नज़दीक मक़बूल हो और उन पर दोनों को ऐतमाद हो। अगर मज़क़ूरा सिफ़ात के दो मर्द दस्तयाब ना हो सकें तो गवाही के लिये एक मर्द और दो औरतों का इन्तखाब कर लिया जाये। यानि गवाहों में एक मर्द का होना लाज़िम है, महज़ औरत की गवाही नहीं चलेगी। अब सवाल पैदा होता है कि आया हर क्रिस्म के मामलात में दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है या यह मामला सिर्फ़ क़र्ज़ और माली मामलात में दस्तावेज़ तहरीर करते वक़्त का है, इसकी तफ़सील फ़ुक्काहा के यहाँ मिलती है।

“ताकि उनमें से कोई एक भूल जाये तो दूसरी याद करवा दे।”

أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا

الْأُخْرَى

यहाँ अक्ली सवाल पैदा हो गया कि क्या मर्द नहीं भूल सकता? इसका जवाब यह है कि वाकिअतन अल्लाह तआला ने औरत के अन्दर निस्यान का माद्दा ज़्यादा रखा है। {الْأَيْعَلْمُ مِّنْ حَلَقٍ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (अल मुल्क) “क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? वह बड़ा बारीक-बीन और हर शय की खबर रखने वाला है।” जिसने पैदा किया है वह खूब जानता है कि किसमें कौनसा माद्दा ज़्यादा है। औरत में निस्यान का माद्दा क्यों ज़्यादा रखा गया है, यह भी समझ लीजिये। यह बड़ी अक्ली और मंतक्री बात है। दरअसल औरत को मर्द के ताबेअ रहना होता है, लिहाज़ा उसके अहसासात को कभी ठेस पहुँच सकती है, उसके जज़्बात के ऊपर कभी कोई कदुरत आती है। इस ऐतबार से अल्लाह तआला ने उनके अन्दर भूल जाने का माद्दा “सेफ्टी वाल्व” के तौर पर रखा हुआ है। वरना तो उनका मामला इस शेर के मिस्दाक़ हो जाये:

यादे माज़ी अज़ाब है या रब
छीन ले अब मुझसे हाफ़ज़ा मेरा!

चुनाँचे यह निस्यान भी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेअमत है, वरना तो कोई सदमा दिल से उतरने ही ना पाये, कोई गुस्सा कभी ख़त्म ही ना हो। बहरहाल ख्वाह किसी हुक्म की इल्लत या हिकमत समझ में आये या ना आये, अल्लाह का हुक्म तो हर सूरत मानना है।

“और ना इन्कार करे गवाह जबकि उनको
बुलाया जाये।”

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

गवाहों को जब गवाही के लिये बुलाया जाये तो आकर गवाही दें, उससे इन्कार ना करें। इसी सूरह मुबारका की आयत 140 में हम पढ़ आये हैं: {وَمَنْ أَظْلَمُ} “और उस शख्स से बड़ कर ज़ालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ़ से एक शहादत मौजूद हो और वह उसे छुपाये?”

“और तसाहल (लापरवाही) मत करो उसके
लिखने में, मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा,
उसकी मुअययन मुद्दत के लिये।”

وَلَا تَسْبُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ

क़र्ज़ ख्वाह छोटा हो या बड़ा, उसकी दस्तावेज़ तहरीर होनी चाहिये कि मैं इतनी रक़म ले रहा हूँ और इतने वक़्त में इसे लौटा दूँगा। इसके बाद क़र्ज़ख्वाह

इस मुद्दत को बढा भी सकता है, मज़ीद मोहलत दे सकता है, बल्कि माफ़ भी कर सकता है। लेकिन क़र्ज़ देते वक़्त उसकी मुद्दत मुअययन होनी चाहिये।

“यह अल्लाह के नज़दीक भी ज़्यादा इन्साफ़
पर मत्री है”

ذِكْرُكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

“और गवाही को ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला
है”

وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

मामला ज़ब्त तहरीर (documented) में आ जायेगा तो बहुत वाज़ेह रहेगा, वरना ज़बानी याददाशत के अन्दर तो कहीं ताबीर ही में फ़र्क़ हो जाता है।

“और यह इसके ज़्यादा क़रीब है कि तुम शुबह
में नहीं पड़ोगे”

وَأَدْنَىٰ الْأَلْتَرَاتِي

“इल्ला यह कि कोई तिजारती लेन-देन हो
जो तुम दस्त-ब-दस्त करते हो”

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُوهَا
بَيْنَكُمْ

मसलन आप किसी दुकानदार से कोई शय खरीदते हैं और नक़द पैसे अदा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका कैशमेमो भी लें। अगर आप चाहें तो दुकानदार से कैशमेमो तलब कर सकते हैं।

“तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि उसे ना
लिखो।”

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا

“और गवाह बना लिया करो जब कोई
(मुस्तक़बिल का) सौदा करो।”

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“बिيع سلم” जो होती है यह मुस्तक़बिल का सौदा है, और यह भी एक तरह का क़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर आप किसी ज़मींदार से तय करते हैं कि आइन्दा

फ़सल के मौक़े पर आप उससे इतने रूपये फ़ी मन के हिसाब से पाँच सौ मन गन्दुम खरीदेंगे। यह बय सलम कहलाती है और इसमें लाज़िम है कि आप पूरी क़ीमत अभी अदा कर दें और आपको गन्दुम फ़सल के मौक़े पर मिलेगी। इस तरह का लेन-देन भी बाक़ायदा तहरीर में आ जाना चाहिये और इस पर दो गवाह मुकर्रर होने चाहिये।

“और ना नुक़सान पहुँचाया जाये किसी लिखने वाले को और गवाह को। और ना नुक़सान पहुँचाये कोई लिखने वाला और गवाह।”

وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

“يُضَارُّ” में यह दोनों मफ़हूम मौजूद हैं। इसलिये कि यह मारुफ़ भी है और मजहूल भी।

“और अगर तुम ऐसा करोगे (नुक़सान पहुँचाओगे) तो यह तुम्हारे हक़ में गुनाह की बात होगी।”

وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

“और अल्लाह से डरते रहो।”

وَاتَّقُوا اللَّهَ

“और अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है।”

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ

“और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है।”

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

यह एक आयत मुकम्मल हुई है। मेरा ख्याल है कि आखरी पारे की चार-पाँच छोटी सूरतें जमा कर लें तो उनका हुज़्म इस एक आयत के बराबर होगा। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि आयात की ताअयीन तौफीक़ी (विशेषता मज़बूत) है। इसका हमारे हिसाब-किताब से, ग्रामर से, मंतिक्क़ से और इल्मे बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं।

आयत 283

“और अगर तुम सफ़र पर हो और कोई लिखने वाला ना पाओ”

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

अगर दौराने सफ़र कोई लेन-देन का या क़र्ज़ का मामला हो जाये और कोई कातिब ना मिल सके।

“तो कोई शय गिरवी रखलो क़ब्ज़े में।”

فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً

क़र्ज़ लेने वाला अपनी कोई शय क़र्ज़ देने वाले के हवाले कर दे कि मेरी यह शय आपके क़ब्ज़े में रहेगी, आप इतने पैसे मुझे दे दीजिये, मैं जब यह वापस कर दूँगा आप मेरी चीज़ मुझे लौटा दीजियेगा। यह रहन बिलक़ब्ज़ा है। लेकिन रहन (गिरवी) रखी हुई चीज़ से कोई फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं है, वह सूद हो जायेगा। मसलन अगर मक़ान रहन रखा गया है तो उस पर क़ब्ज़ा तो क़र्ज़ देने वाले का होगा, लेकिन वह उससे इस्तफ़ादा नहीं कर सकता, उसका किराया नहीं ले सकता, किराया मालिक को जायेगा।

“फिर अगर तुम में से एक-दूसरे पर ऐतमाद करे”

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

यानि एक शख्स दूसरे पर ऐतमाद करते हुए बगैर रहन के उसे क़र्ज़ दे देता है।

“तो जिसके पास अमानत रखी गयी है उसको चाहिये कि वह उसकी अमानत वापस करे”

فَأَيُّوْذِ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

एक शख्स के पास रहन देने को कुछ नहीं था या यह कि दूसरे भाई ने उस पर ऐतमाद करते हुए उससे कोई शय रहन नहीं ली और उसको क़र्ज़ दे दिया तो यह माल जो उसने क़र्ज़ लिया है यह उसके पास क़र्ज़ देने वाले की अमानत है, जिसका वापस लौटाना उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है।

“और अल्लाह से डरे जो उसका रब है।”

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“और गवाही को छुपाया ना करो।”

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

“और जो कोई गवाही को छुपायेगा तो उसका दिल गुनाहगार होगा।”

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

बाज़ गुनाहों का असर इन्सान के बाहिरी आज़ा (अंगों) तक महदूद होता है, जबकि बाज़ का ताल्लुक दिल से होता है। शहादत का छुपाना भी इसी नौइयत का गुनाह है। और अगर किसी का दिल दाग़दार हो गया तो बाक़ी क्या रह गया?

“और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे ख़ूब जानता है।”

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

आयात 284 से 286 तक

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفَوْا يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ وَاللّٰهُ فَيَعْفُوْا لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۳۳
 بِمَا اَنْزَلَ الْيٰسِرَةَ مِنْ رَبِّهٖ ۗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ
 بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهٖ ۗ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا ۗ وَالْيٰسِرَةَ ۝۳۴
 يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلًا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ
 نَّسِيْنَا ۗ اَوْ اَخْطَاْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
 وَلَا تُحِزْنَا مَا لَنَا طَاقَةٌ لَّنَابِهٖ ۗ وَاَعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَاَرْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانصُرْنَا
 عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ ۝۳۵

अल्लाह तआला के फ़ज़लो करम से हम सूरतुल बकरह के आखरी रकूअ पर पहुँच गये हैं। यह अज़ीमुशशान रकूअ तीन आयात पर मुशतमिल है। क़ब्ल अज़ हम इसी तरह का एक अज़ीम रकूअ पढ़ आये हैं जिसकी चार आयात हैं और उसमें आयतुल कुरसी भी है। यूँ कहा जा सकता है कि ये दोनों रकूअ अपनी अज़मत और अपने मक़ाम के ऐतबार से एक-दूसरे के हमपल्ला हैं। आयतुल कुरसी तौहीद के मौजू पर कुरान हकीम की जामेअ तरीन आयत है, और इस रकूअ की आखरी आयत जामेअ तरीन दुआ पर मुशतमिल है।

आयत 284

“अल्लाह ही का है जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है।”

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

आप देखेंगे कि अक्सरो बेशतर इस तरह के अल्फ़ाज़ सूरतों के इख़ताम पर आते हैं।

“और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है ख्वाह तुम उसे ज़ाहिर करो ख्वाह छुपाओ अल्लाह तुमसे उसका मुहास्बा कर लेगा।”

وَاِنْ تُبَدُّوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفَوْا

يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ

तुम्हारी नीयतें उसके इल्म में हैं। एक हदीस में अल्फ़ाज़ आते हैं:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوْرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَّلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
 “यक़ीनन अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे माल व दौलत को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमालों को देखता है।” (36)

तो तुम्हारे दिल में जो कुछ है ख्वाह उसे कितना ही छुपा लो अल्लाह के मुहास्बा से नहीं बच सकोगे।

“फिर वह बख़्श देगा जिसको चाहेगा और अज़ाब देगा जिसको चाहेगा।”

فَيَعْفُوْا لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

इख्तियारे मुतलक अल्लाह के हाथ में है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत का अक्रीदा यही है कि अल्लाह तआला पर लाज़िम नहीं है कि नेकोकार को उसकी जज़ा ज़रूर दे और बदकार को उसकी सज़ा ज़रूर दे। यह दूसरी बात है कि अल्लाह ऐसा करेगा, लेकिन अल्लाह की शान इससे बहुत आला व अरफ़ा है कि उस पर किसी शय को लाज़िम करार दिया जाये। उसका इख्तियारे मुतलक है, वह { فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ } (अल बुरूज) की शान का हामिल है। सूरतुल हज में अल्फ़ाज़ आये हैं: { إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ } “यक्रीनन अल्लाह जो चाहता है करता है।” अहले तशय्यो का मौक़फ़ यह है कि अल्लाह पर अद्ल वाजिब है। अहले सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह अद्ल करेगा, जज़ा व सज़ा में अद्ल होगा, लेकिन अद्ल करना उस पर वाजिब नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जो शय अपने ऊपर वाजिब की है वह “रहमत” है। अज़रुए अल्फ़ाज़े कुरानी: { كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ } (अल अनआम:12) और: { كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ } (अल अनआम:54) “तुम्हारे रब ने रहमत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया है।”

“और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है।”

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

आयत 285

“ईमान लाये रसूल (ﷺ) उस चीज़ पर जो नाज़िल की गयी उनकी जानिब उनके रब की तरफ से और मोमिनीन भी (ईमान लाये)।”

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ

यह एक गौरतलब बात और बड़ा बरीक नुक्ता है कि नबी अकरम (ﷺ) पर जब वही आयी तो आप (ﷺ) ने कैसे पहचान लिया कि यह बदरूह नहीं है, यह जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हैं? आखिर कोई इशतबाह भी तो हो सकता था। इसलिये कि पहला तजुर्बा था। इससे पहले ना तो आप (ﷺ) ने कहानत सीखी और ना आपने कोई नफिसयाती रियाज़तें कीं। आप (ﷺ) तो एक कारोबारी आदमी थे और अहलो अयाल के साथ बहुत ही भरपूर ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे। आप (ﷺ) का बुलन्द तरीन सतह का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कारोबार

था। यह दर हकीकत आप (ﷺ) की फ़ितरते सलीमा थी जिसने वही लाने वाले फ़रिशते को पहचान लिया और आप (ﷺ) उस वही पर ईमान ले आये। नबी की फ़ितरत इतनी पाक और साफ़ होती है कि उसके ऊपर किसी बदरूह वगैरह का कोई असर हो ही नहीं सकता। बहरहाल हमारे लिये बड़ी तस्कीन की बात है कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) के ईमान के तज़किरे के साथ हमारे ईमान का तज़किरा किया। अल्लाह तआला हमे असहाबे ईमान में शामिल फरमाये। اللهم ربنا اجعلنا منهم

“यह सब ईमान लाये अल्लाह पर, उसके फ़रिशतों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर।”

كُلُّ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَمَلِكَيْهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

सूरतुल बकरह में यह दूसरा मक़ाम है जहाँ ईमान के अज़्ज़ाअ को गिना गया है। कब्ल अज़ आयतुल बिर (आयत 177) में अज़्ज़ाये ईमान की तफ़सील बयान हो चुकी है।

“(यह कहते हैं कि) हम अल्लाह के रसूलों में किसी के दरमियान कोई तफ़रीक नहीं करते।”

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

यह बात तीसरी मर्तबा आ गयी है कि अल्लाह के रसूलों के दरमियान कोई तफ़रीक नहीं की जायेगी। सौलहवें रुकूअ में हम यह अल्फ़ाज़ पढ़ चुके हैं: { لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } “हम उनमें किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह ही के फ़रमावरदार हैं।” और सबसे पहले आयत 4 में यह अल्फ़ाज़ आ चुके हैं: { وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ } “वह लोग जो ईमान रखते हैं उस पर भी जो (ऐ नबी (ﷺ) आप पर नाज़िल किया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाज़िल किया गया।” अलबत्ता रसूलों के दरमियान तफ़ज़ील साबित है और हम यह आयत (आयत:253) पढ़ चुके हैं { تِلْكَ الرُّسُلُ فَظَلَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ } “यह रसूल जो हैं हमने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है। उनमें से वह भी थे जिनसे

अल्लाह ने कलाम किया और बाज़ के दर्जे (किसी और ऐतबार से) बुलन्द कर दियो।”

“और वह कहते हैं हमने कि हमने सुना और इताअत की।”

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

“परवरदिगार! हम तेरी बख्शीश माँगते हैं”

عُفْرَانِكَ رَبَّنَا

मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब है। यानि عُفْرَانِكَ ऐ अल्लाह! हम तुझसे तेरी मग़फ़िरत तलब करते हैं, हम तेरी बख्शीश के तलबगार हैं।

“और तेरी ही जानिब लौट जाना है।”

وَالْيَاكُ الْمَصِيْبِيْنَ

यहाँ पर ईमान बिलआखिरा का ज़िक्र भी आ गया जो ऊपर इन अल्फ़ाज़ में नहीं आया था: {كُلُّ أَمْرٍ بِاللّٰهِ وَمَلِيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ س} अब आखरी आयत आ रही है।

आयत 286

“अल्लाह तआला नहीं जिम्मेदार ठहरायेगा किसी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक़।”

لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

यह आयत अल्लाह तआला के बहुत बड़े फ़ज़ल व करम का मज़हर है। मैंने आयत 186 के बारे में कहा था कि यह दुनिया में हकूके इंसानी का सबसे बड़ा मन्थूर (Magna Carta) है कि अल्लाह और बन्दे के दरमियान कोई फ़सल नहीं है: {أَجِبْتُ دَعْوَةَ الدّٰعِ اِذَا دَعَانِ} “मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी (और जहाँ भी) वह मुझे पुकारे।” {فَلْيَسْتَجِيبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ} “पस उन्हें भी चाहिये कि मेरा हुक्म मानें और मुझ पर ईमान रखें।” गोया दो तरफ़ा बात चलेगी, एक तरफ़ा नहीं। मेरी मानो, अपनी मनवाओ! तुम दुआएँ करोगे, हम क़बूल करेंगे! लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो फिर तुम्हारी

दुआ तुम्हारे मुँह पर दे मारी जायेगी, ख्वाह कुनूते नाज़ला चालीस दिन तो क्या अस्सी दिन तक पढ़ते रहो। यही वजह है कि तुम्हारी दुआओं के बावजूद तुम्हें सकूते ढाका का सानेहा देखना पड़ा, तुम्हें यहूदियों के हाथों शर्मनाक शिकस्त से दो-चार होना पड़ा। अगरचे उन मौक़ों पर हरमैन शरीफ़ में कुनूते नाज़ला पढ़ी जाती रही, लेकिन तुम्हारी दुआएँ क्योकर कुबूल होतीं! तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने अल्लाह को पीठ दिखाई हुई है, उसके दीन को पाँव तले रौंदा हुआ है, अल्लाह के बागियों से दोस्ती रखी हुई है। किसी ने मास्को को अपना क्रिब्ला बना रखा था तो किसी ने वाशिंगटन को। लिहाज़ा तुम्हारी दुआएँ तुम्हारे मुँह पर दे मारी गयीं।

लेकिन आयत ज़ेरे मुताअला इस ऐतबार से बहुत बड़ी रहमत का मज़हर है कि अल्लाह तआला के यहाँ अंधे की लाठी वाला मामला नहीं है कि तमाम इन्सानों से मुहासबा एक ही सतह पर हो। अल्लाह जानता है कि किसकी कितनी वुसअत है और उसी के मुताबिक़ किसी को जिम्मेदार ठहराता है। और यह वुसअत मौरूसी और महौलयाती अवामिल पर मुश्तमिल होती है। हर शख्स को जो genes मिलते हैं वह दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं और उन genes की अपनी-अपनी खुसूसियात (properties) और तहदीदात (limitations) होती हैं। इसी तरह हर शख्स को दूसरे से मुख्तलिफ़ माहौल मयस्सर आता है। तो इन मौरूसी अवामिल (hereditary factors) और महौलयाती अवामिल (environmental factors) के हासिल ज़र्ब से इंसान की शख्सियत का एक ह्यूला बनता है, जिसको मिस्तरी लोग “पाटन” कहते हैं। जब लोहे की कोई शय ढालनी मक़सूद हो तो उसके लिये पहले मिट्टी या लकड़ी का एक साँचा (pattern) बनाया जाता है। उसको हमारे यहाँ कारीगर अपनी बोली में “पाटन” कहते हैं। अब आप लोहे को पिघला कर उसमें डालेंगे तो वह उसी सूरत में ढल जायेगा। कुरान की इस्तलाह में यह “शाकिला” है जो हर इन्सान का बन जाता है। इरशादे बारी तआला है (बनी इसराइल): {قُلْ كُلُّ يَخْتَلُ عَلَى سَاكِلَتِهِ فَرِيْقَةٌ} “कह दीजिये कि हर कोई अपने शाकिला के मुताबिक़ अमल कर रहा है। पस आपका रब ही बेहतर जानता है कि कौन सीधी राह पर है।” इस शाकिला के अन्दर-अन्दर आपको मेहनत करनी है। अल्लाह तआला जानता है कि किसका शाकिला वसीअ था और किसका तंग था, किसके genes आला थे और किसके अदना थे, किसके यहाँ ज़हानत ज़्यादा थी और किसके

यहाँ जिस्मानी कुव्वत ज़्यादा थी। उसे खूब मालूम है कि किसको कैसी सलाहियतें वदियत की गयीं और कैसा माहौल अता किया गया। चुनाँचे अल्लाह तआला हर एक के माहौलयाती अवामिल और मौरूसी अवामिल को मल्हूज़ रख कर उसकी इस्तदादात के मुताबिक़ हिसाब लेगा। फ़र्ज़ कीजिये एक शख्स के अन्दर इस्तदाद ही 20 दर्जे की है और उसने 18 दर्जे काम कर दिखाया तो वह कामयाब हो गया। लेकिन अगर किसी में इस्तदाद सौ दर्जे की थी और उसने 50 दर्जे काम किया तो वह नाकाम हो गया। हालाँकि कीमत के ऐतबार से 50 दर्जे 18 दर्जे से ज़्यादा हैं। तो अल्लाह तआला का मुहासबा जो है वह इन्फ़रादी सतह पर है। इसलिये फ़रमाया गया: {وَكُلُّهُمْ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} (सूरह मरयम) “और सब लोग क्रयामत के दिन उसके हुज़ूर फ़रदन-फ़रदन हाज़िर होंगे।” वहाँ हर एक का हिसाब अकेले-अकेले होगा और वह उसकी वुसअत के मुताबिक़ होगा।

{لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَةً} “के अल्फ़ाज़ में जो एक अहम उसूल बयान कर दिया गया है, बाज़ लोग दुनिया की ज़िन्दगी में उसका गलत नतीजा निकाल बैठते हैं। वह दुनिया के मामलात में तो खूब भाग-दौड़ करते हैं लेकिन दीन के मामले में कह देते हैं कि हमारे अन्दर सलाहियत और इस्तदाद ही नहीं है। यह महज़ खुदफ़रेबी है। इस्तदाद व इस्तताअत और ज़हानत व सलाहियत के बग़ैर तो दुनिया में भी आप मेहनत नहीं कर सकते, कोई नताइज हासिल नहीं कर सकते, कुछ कमा नहीं सकते। लिहाज़ा अपने आप को यह धोखा ना दीजिये और जो कुछ कर सकते हों, वह ज़रूर कीजिये। अपनी शख्सियत को खोद-खोद कर उसमें से जो कुछ निकाल सकते हों वह निकालिये! हाँ आप निकाल सकेंगे उतना ही जितना आपके अन्दर वदियत है। ज़्यादा कहाँ से ले आयेंगे? और अल्लाह ने किसी में क्या वदियत किया है, वह वही जानता है। तुम्हारा मुहासबा उसी की बुनियाद पर होगा जो कुछ उसने तुम्हें दिया है। इस मज़मून की अहमियत का अंदाज़ा कीजिये कि यह कुरान मजीद में पाँच मर्तबा आया है।

“उसी जान के लिये है जो उसने कमाया और उसी के ऊपर ववाल बनेगा जो उसने बुराई कमाई।”

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

इस मक़ाम पर भी “ل” और “عَلَى” के इस्तेमाल पर गौर कीजिये। {لَهَا مَا كَسَبَتْ} से मुराद है जो भी नेकी उसने कमाई होगी वह उसके लिये है, उसके हक़ में है, उसका अज़्रो सवाब उसे मिलेगा। {وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} से मुराद है कि जो बदी उसने कमाई होगी उसका बवाल उसी पर आयेगा, उसकी सज़ा उसी को मिलेगी।

अब वह दुआ आ गई है जो कुरान मजीद की जामेअ तरीन और अज़ीम तरीन दुआ है:

“ऐ हमारे रब! हमसे मुआख़ज़ा ना फ़रमाना رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
अगर हम भूल जायें या हमसे खता हो जाये।”

ईमान और अमल सालेह के रास्ते पर चलते हुए अपनी शख्सियत के कोनों खदरों में से इम्कान भर अपनी बाक़ी मांदा तवानाइयों (residual energies) को भी निकाल-निकाल कर अल्लाह की राह में लगा लें, लेकिन इसके बाद भी अपनी मेहनत पर, अपनी नेकी, अपनी कमाई और अपने कारनामों पर कोई गर्रा ना हो, कोई गुरूर ना हो, कहीं इन्सान धोखा ना खा जाये। बल्कि उसकी कैफ़ियत तवाज़े, आजिज़ और इन्कसारी की रहनी चाहिये। और उसे यह दुआ करते रहना चाहिये कि ऐ मेरे परवरदिगार! हमारी भूल-चूक पर हमसे मुआख़ज़ा ना फ़रमाना।

इन्सान के अन्दर खता और निस्नान दोनों चीज़ें गुंधी हुई हैं: (الإنسان) (مُرْكَبٌ مِنَ الْخَطَايَا وَالنَّسِيَانِ) खता यह है कि आपने अपनी इम्कानी हद तक तो निशाना ठीक लगाया था, लेकिन निशाना खता हो गया। इस पर आपकी गिरफ़्त नहीं होगी, इसलिये कि आपकी नीयत सही थी। एक इज्जहाद करने वाला इज्जहाद कर रहा है, उसने इम्कानी हद तक कोशिश की है कि सही राय तक पहुँचे, लेकिन खता हो गयी। अल्लाह माफ़ करेगा। मुज्तहिद मुख्ती भी हो तो उसको सवाब मिलेगा और मुज्तहिद मुसीब हो, सही राय पर पहुँच जाये तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा। और निस्नान यह है कि भूले से कोई गलती सरज़द हो जाये। रसूल अल्लाह ﷺ का इरशाद है:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَايَا وَالنَّسِيَانِ
“अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से खता और निस्नान माफ़ फ़रमा दिया है।”

“और ऐ रब हमारे! हम पर वैसा बोझ ना डाल जैसा तूने उन लोगों पर डाला था जो हमसे पहले थे।”

رَبَّنَا وَلَا تُحِمْ عَلَيْنَا أَثْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

एक हम्मल (बोझ) वह होता है जिसको लेकर इन्सान चलता है। उसी से “हिमाल” बना है जो एक बोरी को या बोझ को उठा कर चल रहा है। जो बोझ आपकी ताकत में है और जिसे लेकर आप चल सके वह “हम्मल” है, और जिस बोझ को आप उठा ना सकें और वह आपको बिठा दे उसको “इस्त्र” कहते हैं। यह लफज़ सूरह आराफ़ में फिर आयेगा: { وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ } (आयत:157) इन अल्फ़ाज़ में मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की यह शान बयान हुई है कि उन्होंने लोगों के वह बोझ जो उनकी ताकत से बढ़ कर थे, उनके कन्धों से उतार दिये। हमसे पहले लोगों पर बड़े भारी बोझ डाले गये थे। शरीअते मूसवी हमारी शरीअत की निस्बत बहुत भारी थी। जैसे उनके यहाँ रोज़ा रात ही से शुरू हो जाता था, लेकिन हमारे लिये यह कितना आसान कर दिया गया कि रोज़े से रात को निकाल दिया गया और सहरी करने की ताकीद फ़रमायी गयी: ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً)) (38) “सहरी ज़रूर किया करो, इसलिये कि सहरीयों में बरकत रखी गयी है।” फिर रात में ताल्लुक़ ज़नो-शौ की इजाज़त दी गयी। उनके रोज़े में ख़ामोशी भी शामिल थी। यानि ना खाना, ना पीना, ना ताल्लुक़ ज़नो-शौ और ना गुफ़्तगू। हमारे लिये कितनी आसानी कर दी गयी है! उनके यहाँ यौमे सब्त का हुक्म इतना सख्त था कि पूरा दिन कोई काम नहीं करोगे। हमारे यहाँ जुमे की अज़ान से लेकर नमाज़ के अदा हो जाने तक हर कारोबारे दुनयवी हराम है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद आप कारोबार कर सकते हैं।

“और ऐ रब हमारे! हम पर वह बोझ ना डाल जिसकी हम में ताकत ना हो।”

رَبَّنَا وَلَا تُحِمْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

“और हमसे दरगुज़र फ़रमाता रह!”

وَاعْفُ عَنَّا

हमारी लगज़िशों को माफ़ करता रह!

“और हमें बख़्शता रह!”

وَاعْفُ لَنَا

हमारी खताओं की पर्दापोशी फ़रमा दे!

मग़फ़िरत की लफज़ को समझ लीजिये। इसमें ढाँप लेने का मफ़हूम है। मग़फ़िरत (हेलमेट) को कहते हैं, जो जंग में सर पर पहना जाता है। यह सर को छुपा लेता है और उसे गोली या तलवार के वार से बचाता है। तो मग़फ़िरत यह है कि गुनाहों को अल्लाह तआला अपनी रहमत से ढाँप दे, उनकी पर्दापोशी फ़रमा दे।

“और हम पर रहम फ़रमा।”

وَإِرحَمْنَا

“तू हमारा मौला है।”

أَنْتَ مَوْلَانَا

तू हमारा पुशतपनाह है, हमारा वली है, हमारा हामी व मददगार है। हम यह आयत पढ़ आये हैं: { اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ } (आयत:257)।

“पस हमारी मदद फ़रमा काफ़िरों के मुक़ाबले में।”

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

इन्हीं अल्फ़ाज़ पर वह दुआ ख़त्म हुई थी जो तालूत के साथियों ने की थी। अब अहले ईमान को यह दुआ तलक़ीन की जा रही है, इसलिये कि मरहला सख्त आ रहा है। गोया:

ताब लाते ही बनेगी ग़ालिब
मरहला सख्त है और जान अजीज़!

अब कुफ़कार के साथ मुक़ाबले का मरहला आ रहा है और उसके लिये मुस्लमानों को तैयार किया जा रहा है। यह दर हक़ीक़त गज़वा-ए-बद्र की तमहीद है।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم

